भारत सरकार

परिणाम बजट
2008-2009

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

विषय-सूची

कार्यकारी सारांश

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड 1
बाल फिल्म समिति, भारत (सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्तशासी निकाय) 2
क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय 2
विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय 3
फिल्म समारोह निदेशालय 3
फिल्म प्रभाग 6
भारत और विदेशों में आयोजित फिल्म बाजारों में भागीदारी 6
भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे 7
सत्यजीत राय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता 7
भारतीय जन संचार संस्थान 8
भारतीय राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय 8
राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड 8
पत्र सूचना कार्यालय 10
भारतीय प्रेस परिषद 12
फोटो प्रभाग 13
प्रकाशन विभाग 14
एम्पलॉयमेंट न्यूज/रोजगार समाचार 14
भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक 15
गवेषणा संदर्भ एवं प्रशिक्षण प्रभाग 15
गीत एवं नाटक प्रभाग 16
एफ.एम. रेडियो (निजी) 16
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मानीटरिंग केंद्र 17
अन्तर्राष्ट्रीय चैनल 17
सामुदायिक रेडियो 18
सूचना भवन का निर्माण 18
आर्थिक विश्लेषण एकक (नई योजना) 18
मानव संसाधन विकास के लिये प्रशिक्षण 19
प्रसार भारती: आकाशवाणी 19
प्रसार भारती: दूरदर्शन 20

अध्याय - I

उद्देश्य एवं लक्ष्य, नीति निर्धारण एवं नीतिगत ब्यौरा

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड 22
बाल फिल्म समिति, भारत (सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्तशासी निकाय) 23
विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय 24
क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय 25
फिल्म समारोह निदेशालय 25
फिल्म प्रभाग 26
भारत और विदेश में फिल्म बाजारों में भागीदारी 26
भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे 28
सत्यजीत राय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता 30
भारतीय जनसंचार संस्थान 34
भारत का राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय 37
राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड 38
पत्र सूचना कार्यालय 40
भारतीय प्रेस परिषद 42
फोटो प्रभाग 43
प्रकाशन विभाग 44
एम्पलायमेंट न्यूज/रोज़गार समाचार 51
भारत के समाचार-पत्रों के पंजीयक (आरएनआई) 51
गवेषणा, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग 52
गीत और नाटक प्रभाग 54
एफ.एम. रेडियो (निजी) 56
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मानीटरिंग केंद्र 56
अन्तर्राष्ट्रीय चैनल (मुख्य सचिवालय योजना) 57
सामुदायिक रेडियो 57
सूचना भवन का निर्माण 57
विकास पहलों का आर्थिक विश्लेषण (नई योजना) 57
मानव संसाधन विकास के लिये प्रशिक्षण 58
प्रसार भारती: आकाशवाणी 59
प्रसार भारती: दूरदर्शन 62

अध्याय - II

वित्तीय परिव्यय, अनुमानित वास्तविक परिणाम एवं अनुमानित परिणाम

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड 68

बाल फिल्म समिति, भारत (सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्तशासी निकाय) 70
क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय 72
विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय 77
फिल्म समारोह निदेशालय 78
फिल्म प्रभाग 81
भारत और विदेश में फिल्म बाजारों में भागीदारी 85
भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे 87
सत्यजीत राय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता 92
भारतीय जनसंचार संस्थान 97
भारत का राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय 99
राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड 100
पत्र सूचना कार्यालय 101
भारतीय प्रेस परिषद 105
फोटो प्रभाग 106
प्रकाशन विभाग 108
एम्पलायमेंट न्यूज/रोज़गार समाचार 111
भारत के समाचार-पत्रों के पंजीयक (आरएनआई) 115
गवेषणा, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग 117
गीत और नाटक प्रभाग 123
एफ.एम. रेडियो (निजी) 127
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मानीटरिंग केंद्र 128
अन्तर्राष्ट्रीय चैनल (मुख्य सचिवालय योजना) 130
सामुदायिक रेडियो 131
सूचना भवन का निर्माण 132
विकास पहलों का आर्थिक विश्लेषण (नई योजना) 133
मानव संसाधन विकास के लिये प्रशिक्षण 134
प्रसार भारती: आकाशवाणी 135

अध्याय - III

सुधार के लिए उठाए गए कदम और नीतिगत पहल

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड 141
बाल फिल्म समिति, भारत 141
विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय 141
क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय 142
फिल्म समारोह निदेशालय 142

फिल्म प्रभाग 142
भारत और विदेश में फिल्म बाज़ारों में भागीदारी 143
भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे 144
सत्यजीत राय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता 144
भारतीय जनसंचार संस्थान 145
भारत का राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय 145
राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड 145
पत्र सूचना कार्यालय 147
भारतीय प्रेस परिषद् 147
फोटो प्रभाग 148
प्रकाशन विभाग 148
रोज़गार समाचार 150
भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक 151
गवेषणा, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग 151
गीत एवं नाटक प्रभाग 152
एफ. एम. रेडियो (निजी) 152
अंतर्राष्ट्रीय चैनल (मुख्य सचिवालय स्कीम) 152
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मानीटरिंग केंद्र 153
सामुदायिक रेडियो के लिए आईईसी गतिविधियां 153
सूचना भवन का निर्माण 153
आर्थिक विश्लेषण (नई स्कीम) 154
मानव संसाधन विकास के लिये प्रशिक्षण 154
प्रसार भारती: आकाशवाणी 154
प्रसार भारती: दूरदर्शन 156

अध्याय - IV

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड 162
बाल फिल्म समिति, भारत 165
विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय 168
क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय 172
फिल्म समारोह निदेशालय 173
फिल्म प्रभाग 174
भारत और विदेश में फिल्म बाज़ारों में भागीदारी 179
भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे 181
सत्यजीत राय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता 182

भारतीय जनसंचार संस्थान 183
भारत का राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय 187
राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड 188
पत्र सूचना कार्यालय 190
भारतीय प्रेस परिषद् 192
फोटो प्रभाग 193
प्रकाशन विभाग 195
रोज़गार समाचार 199
भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक 200
गवेषणा, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग 202
गीत एवं नाटक प्रभाग 205
एफ. एम. रेडियो (निजी) 206
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मानीटरिंग केंद्र 209
सामुदायिक रेडियो के लिए आईईसी गतिविधियां 210
सूचना भवन का निर्माण 211
आर्थिक विश्लेषण (नई स्कीम) 212
प्रसार भारती: आकाशवाणी 213
प्रसार भारती: दूरदर्शन 217
अध्याय - V - वित्तीय समीक्षा 219
अध्याय - VI - स्वायत्तशासी निकायों की समीक्षा और कार्य-निष्पादन
बाल फिल्म समिति, भारत 240
भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे 241
सत्यजीत राय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता 242
भारतीय प्रेस परिषद 244
आकाशवाणी 244
दूरदर्शन 244

कार्यकारी सारांश

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय अपने जनसंचार माध्यमों जैसे रेडियो, टेलीविजन, फिल्मों, प्रकाशन संस्थानों, विज्ञापनों और नृत्य एवं नाटक जैसे परंपरागत माध्यमों के ज़रिये लोगों तक सूचना पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मंत्रालय राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण सुरक्षा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, निरक्षरता उन्मूलन, महिलाओं बच्चों और समाज के कमजोर वर्गों से संबंधित मामलों के प्रति ध्यान दिलाने के लिये विभिन्न आयु वर्गों के लोगों की बौद्धिक जरूरतों और मनोरंजन करने का कार्य करता है। मंत्रालय को तीन घटकों में बांटा गया है - सूचना घटक, प्रसारण घटक और फिल्म घटक।

मंत्रालय के कार्य विभाजन नियम के अनुसार इस प्रकार है:

- देश में विभिन्न जन माध्यमों के स्वस्थ विकास के लिये नीतिगत ढांचा तैयार करने और उसके लिये समुचित वातावरण तैयार करना।
- जन माध्यमों के जरिये सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में लोगों को जानकारी देना।
- सरकार की विभिन्न विकासात्मक गतिविधियां और कार्यक्रमों में ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल करना।
- सूचना और प्रसार के क्षेत्र में राज्य सरकारों और उसके संगठनों के बीच सामंजस्य स्थापित करना।
- सरकार और मीडिया के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करना और केन्द्र सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों से संबंधित प्रमाणिक आंकड़े और अधिकारिक सूचनाएं पहुंचाना।

2. मंत्रालय मीडिया इकाइयों द्वारा दिये जा रहे समाचारों और विचारों के प्रभावी प्रचार के लिये नीतिगत दिशा-निर्देश तैयार करने के लिये जिम्मेदार है। हालांकि मीडिया इकाइयों को स्वायत्त रूप से कार्य करने की स्वतंत्रता है। मंत्रालय इन इकाइयों के बीच समन्वय स्थापित करने, सहायता, निगरानी और नियंत्रण रखती है ताकि इन इकाइयों का काम सुचारु रूप से चलता रहे। विभिन्न मीडिया इकाइयां लोगों की आवश्यकता लक्ष्य को ध्यान में रखकर कई तरह के कार्यक्रम तैयार करती है।

3. मंत्रालय अपने अधीन 14 कार्यालयों और छह स्वायत्त संगठनों और दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सहायता देता है और नियंत्रण रखता है।

मंत्रालय के अधीन कार्यालयों, स्वायत्त संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थिति और विभिन्न योजनाएं एवं कार्यक्रम इस प्रकार है:

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड विभिन्न क्षेत्रीय केंद्रों के जरिए फिल्मों को सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रमाणित करता है। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 को ध्यान में रखते हुए इस कार्यालय ने सभी संबद्ध आंकड़े वेबसाइट www.cbfcindia.gov.in के जरिए इंटरनेट पर उपलब्ध कराए हैं। इनमें बजट आबंटन, सीबीएफसी के प्रत्येक कर्मचारी द्वारा आहरित मूल वेतन सहित कुल आहरित वेतन संबंधी आंकड़े भी शामिल हैं। राजभाषा अधिनियम, 1963 को देखते हुए इसे द्विभाषी बनाया गया है। इसके अतिरिक्त मंत्रालय के अनुदेश के अनुसार 50,000 रुपये से अधिक मूल्य की सभी खरीद की जानकारी इंटरनेट पर प्रस्तुत करने का निर्णय किया गया है। मुंबई स्थित क्षेत्रीय अधिकारी के परामर्श से वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी द्वारा भौतिक और वित्तीय प्रगति पर निगरानी रखी जाती है। ऐसा करते समय क्षेत्रीय प्रमुखों से भी सलाह मशवरा किया जाता है। उन्हें धन आबंटित करने से पहले भी उनका परामर्श लिया जाता है।

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की स्थापना सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 (1852 का 37वां) के अंतर्गत की गयी। इसका उददेश्य सार्वजनिक प्रदर्शन की फिल्मों को प्रमाणपत्र प्रदान करना है। बोर्ड का मुख्यालय मुंबई में है और इसके क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बंगलौर, तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद, नई दिल्ली और गुवाहाटी में हैं। बोर्ड के कार्य इस प्रकार हैं :

i) अप्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों को प्रमाणित करना (यू प्रमाणपत्र)

ii) सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए व्यस्कों (यानी 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों) तक सीमित फिल्मों को प्रमाणित करना (ए प्रमाणपत्र)

iii) 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के माता-पिता या अभिभावकों के लिए चेतावनी की प्रविष्टि के साथ अप्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों को प्रमाणित करना (यू ए प्रमाणपत्र)

iv) किसी व्यवसाय या व्यक्तियों के वर्ग के लिए प्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों को प्रमाणित करना (एस प्रमाणपत्र)

v) अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत बोर्ड को अधिकार दिए गए हैं कि वह फिल्मों को प्रमाणित करने से पहले उनमें संशोधन के आदेश दे सकता है।

vi) बोर्ड फिल्मों को प्रमाणित करने से पूरी तरह इंकार करने में भी सक्षम है।

बाल फिल्म समिति, भारत

बाल फिल्म समिति, भारत की स्थापना 1860 के सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 21 के तहत मई 1955 में हुई थी। यह भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में स्वायत्तशासी निकाय के तौर पर कार्य करता है और इसे अपनी योजना और गैर-योजना गतिविधियों के लिए सरकार से अनुदान प्राप्त होता है। बाल फिल्म समिति बच्चों को मूल्यपरक मनोरंजन प्रदान करने के साथ ही फिल्मों के माध्यम से उनकी मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक जरूरतों को भी पूरा करती है।

सिनेमा के क्षेत्र की किसी प्रतिष्ठित हस्ती को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। अध्यक्ष कार्यकारी परिषद तथा आम सभा का भी प्रमुख होता है, जिसके सदस्य भारत सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। सभी विभागों के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी के तहत कार्य करते हैं। वह प्रशासन, उत्पादन, विपणन, लेखा विभाग की दैनिक गतिविधियों का संचालन करता है। समिति का मुख्यालय मुंबई में तथा शाखा कार्यालय नई दिल्ली और चेन्नई में है।

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय का मुख्य उद्देश्य, स्वास्थ्य के संबंध में तथा राष्ट्रीय एकता एवं अन्य मुद्दों के बारे में सरकार की नीतियों के सम्बन्ध में जनसमूह में जानकारी का प्रचार-प्रसार करना और लक्षित समूह विशेषकर दूर-दराज के तथा दुर्गम क्षेत्र के लोगों के बीच जगरूकता पैदा करना है।

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय, प्रोजेक्टर, डी.वी.डी. प्लेयर, डब्लू-पी.ए. सिस्टम खरीदता है ताकि प्रचार-प्रसार कार्यक्रम तथा फिल्म शो किए जा सकें। वह प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से विभिन्न भाषाओं की विविध विषयों पर फिल्म डिवीजन तथा डी.ए.वी.पी. से फिल्म और कैसेट भी खरीदता है।

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय की कार्यप्रणाली की नियमित आधार पर मानीटरी की जाती है। सरकारी स्कीमों एवं नीतियों के बारे में लोगों की प्रतिक्रिया जानने के लिए पूरे देश से सूचनाएं मंगाई जाती हैं। व्यय के रुझान की मानीटरी करने के लिए क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय से समय-समय पर व्यय/विवरण एवं तिमाही कार्य निष्पादन रिपोर्ट मंगाई जाती है। किसी अवधि विशेष के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की जांच करने वाले फार्मेटों का उपयोग करते हुए एक माह के भीतर किए गए कार्यक्रमों की संख्या के बारे में क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय से इसी प्रकार की रिपोर्ट प्राप्त की जाती है।

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय की वेबसाईट को समय-समय पर अद्यतन किया जाता है तथा समस्त प्रकार की संगत सूचना साईट में दी जाती है। इस सूचना को आम जनता आसानी से प्राप्त कर सकती है।

विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय

विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय भारत सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और उपलब्धियों को प्रचारित करने वाली केंद्रीय मल्टीमीडिया विज्ञापन एजेंसी है। यह प्रेस विज्ञापनों, प्रायोजित कार्यक्रमों टी.वी. कमर्शियल्स, प्रदर्शनियों और बाहरी माध्यम प्रचार के जरिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों विभागों, स्वायत्त संस्थाओं और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के लिए प्रचार अभियान चलाती है। सरकार के प्रचार अभियानों को मजबूत बनाने और डीएवीपी को अपनी सेवाओं को कारगर तरीके से चलाने के लिए दो योजनागत कार्यक्रम चलाए गए हैं। ये हैं- (1) 'विकास प्रचार कार्यक्रमों के जरिए लोगों तक पहुंचना : धारणा और क्रियान्वयन' और (2) 'डीएवीपी का आधुनिकीकरण' नई योजना। ये कार्यक्रम 11वीं योजना के लिए पारित हुआ है। प्रचार के विभिन्न पक्षों में एकरूपता लाने के लिए और इस काम में और अधिक पारदर्शिता बनाए रखने के लिए, सरकार ने प्रिंट माध्यम के लिए विज्ञापन नीति जारी की है। ऐसी ही नीति इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के जरिए विज्ञापनों और प्रचार के लिए भी जारी की गई है। डी.ए.वी.पी. के योजना कार्यक्रमों की वित्तीय तथा वास्तविक उपलब्धियों और लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए लगातार समीक्षा की जाती है।

फिल्म समारोह निदेशालय

उद्देश्य एवं लक्ष्य

देश के भीतर अच्छे भारतीय सिनेमा को बढ़ावा देना तथा उत्कृष्ट भारतीय फिल्मों को विदेशों में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाना।

फिल्म समारोह निदेशालय की स्थापना देश में अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय फिल्म समारोह आयोजित करने के लिए की गई थी। डीएफएफ विदेशी समारोहों में भारत की भागीदारी में मदद करता है, भारत में विदेशी फिल्मों तथा विदेश में भारतीय फिल्मों के कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह आयोजित करता है।

- उत्कृष्ट अन्तर्राष्ट्रीय निर्देशकों की फिल्में, समारोह दिखाता है।

- सांस्कृतिक आदान-प्रदान के माध्यम के रूप में, डीएफएफ अन्तर्राष्ट्रीय मित्रता को बढ़ावा देता है, विश्व सिनेमा में नये आयामों तक पहुंच प्रदान करता है, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पैदा करता है तथा इस प्रक्रिया में, भारतीय फिल्मों के स्तर को सुधारने में मदद करता है।

मॉनिटरिंग

फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा आयोजित प्रमुख कार्यक्रम -

1. भारत का अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह
2. भारतीय पैनोरमा फिल्मों का चयन
3. राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार
4. विदेशी फिल्म समारोहों में भागीदारी
5. सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम

उक्त वैयक्तिक कार्यक्रम सम्बद्ध गतिविधियों की योजना के साथ आरम्भ होंगे तथा एक जॉब चार्ट तैयार किया जाता है जिसमें भारत के अर्न्तराष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए आयोजन समिति सहित विभिन्न उप-समितियां बनाना शामिल हैं। जॉब चार्ट मुख्य क्षेत्रों जैसे बजट योजना, प्रोग्रामिंग, विनियमनों का गठन तथा जॉब चार्ट आदि के अनुसार आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम की प्रगति की निगरानी के लिए नियमित बैठकें बुलाने पर आधारित होता है। एकक इंचार्ज द्वारा समय-बद्धता के पालन पर खास नजर रखी जायेगी।

प्रचार

निदेशालय की उपर्युक्त गतिविधियों का प्रचार निम्न के द्वारा किया जाता है -

1. पीआईबी के जरिए नियमित प्रेस विज्ञप्तियां।
2. डीएवीपी के जरिए समाचारपत्रों में नियमित विज्ञापन।
3. डीएवीपी के जरिए कार्यक्रमों के दौरान बैनर और पोस्टर प्रदर्शित किए जाते हैं।
4. कार्यक्रमों के दौरान समारोह से संबंधित प्रकाशन सामग्री जारी की जाती हैं।
5 सूचनाएं भारत में विदेशी दूतावासों तथा विदेशों में भारतीय दूतावासों के जरिए जारी की जाती हैं।
6. वेबसाइट के माध्यम से।
7. भारत तथा विदेश में विभिन्न फिल्म निर्माण संगठनों के जरिए जानकारी दी जाती है।
8. भारत में विभिन्न फिल्म समितियों के जरिए जानकारी दी जाती है।

विशिष्टताएं

भारत का अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह - इफ्फी, 2007

- भारत का 38वां अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह-2007 गोवा की राज्य सरकार के सहयोग से 23 नवम्बर से 3 दिसम्बर 2007 तक गोवा में आयोजित किया गया। उद्घाटन समारोह के लिए शाहरुख खान मुख्य अतिथि थे।
- एक पोस्टर प्रदर्शनी राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार के जरिए गोवा में इफ्फी (2007) के दौरान आयोजित की गई।

इस प्रदर्शनी को एक उपयुक्त शीर्षक, 'ए वायज टु डिस्कवर द स्प्रिट आफ फ्रीडम' नाम दिया गया जिसे काफी प्रशंसा मिली।

फिल्म प्रभाग ने भी समारोह के दौरान 'बिहाइंड द फ्रेम्स' शीर्षक से एक सिने एक्सपो आयोजित किया। प्रदर्शनी में मूक फिल्मों के युग से लेकर अति आधुनिक सिनेमा उपकरणों को प्रदर्शित किया गया। प्रदर्शनी के लिए अनेक फिल्मकारों से यादगार प्रतिक्रियाएं मिलीं।

पहल

1. प्रतिनिधियों का ऑनलाइन पंजीकरण

इफ्फी-2007 के दौरान, इफ्फी की वेबसाइट को पुनर्डिजाइन करके उसमें बढ़िया सामग्री रखी गई तथा अक्तूबर, 2007 के प्रथम सप्ताह से प्रतिनिधियों के पंजीकरण प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया। भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से ऑनलाइन ई-भुगतान का प्रावधान किया गया। यह सॉफ्टवेयर एनआईसी द्वारा विकसित किया गया जिससे भारत तथा विदेशों से आये 5000 से अधिक प्रतिनिधियों का समस्या रहित पंजीकरण करने के वादे को पूरा करने में मदद मिली।

2. तकनीकी सिंहावलोकन

फिल्म का अध्ययन करने वाले छात्रों तथा फिल्म उद्योग के तकनीशियनों के लाभ के लिए तीन तकनीकी सिंहावलोकनों का आयोजन किया गया।

(क) डिजीटल सम्पादन

हॉलीवुड से एक सम्पादकीय विशेषज्ञ, जिन्होंने एविड डिजीटल एडिटिंग की कला विकसित की थी, को डिजिटल दैनिकों, असंशोधित डिस्पले सिस्टमों, रिमोट कोलैबोरेशन सिस्टमों, न्यू हाइब्रिड प्रॉडक्शन सिस्टमों तथा डिजीटल माध्यमिक प्रक्रिया जैसे महत्वपूर्ण विषयों को कवर करते हुए तकनीकी सिंहावलोकन आयोजित करने के लिए बुलाया था।

(ख) एनिमेशन एवं डिजीटल इफैक्ट्स

फिल्मी छात्रों, विशेषकर मल्टी मीडिया विजुअल कम्युनिकेशन छात्रों, के लाभ के लिए एनिमेशन एवं डिजीटल इफैक्ट्स पर सिंहावलोकन आयोजित करने के लिए इटली से विश्व एनिमेशन विशेषज्ञ बुलाए गये। सिंहावलोकन बहुत अच्छा रहा तथा छात्र डेलीगेटों ने इसे खूब सराहा।

(ग) फिल्मों का पुनरुद्धार

फिल्म उद्योग के लोगों के अनुरोध पर यह सिंहावलोकन बहुत पहले शुरू किया गया था चूंकि कई कारणों से फिल्म प्रयोगशालाओं द्वारा फिल्मों को सुव्यवस्थित

ढंग से अनुरक्षित नहीं किया जाता। इटली की एक अग्रणी प्रयोगशाला के साथ बातचीत की गई तथा फिल्मों के पुनरुद्धार पर सिंहावलोकन आयोजित करने के लिए एक तकनीशियन की सेवाएं देने की गुजारिश की गई। समारोह में भाग लेने वाले फिल्म तकनीशियनों ने इसे काफी सराहा।

यहां यह कहना प्रासंगिक है कि सिंहावलोकन को अन्तिम रूप देने के बाद, सभी फिल्म व्यापार संगठनों तथा अग्रणी फिल्म संस्थानों को सिंहावलोकन में भाग लेने के लिए सूचना पत्र भेजे गये।

फिल्म प्रभाग

फिल्म प्रभाग की स्थापना वृत्तचित्र, एनीमेशन, छोटी एवं कार्टून फिल्में बनाने वाले के लिये, जिन्हें भारत सरकार प्रशिक्षण और सांस्कृतिक कार्य हेतु सूचना, शिक्षा प्रोत्साहन निर्माण एवं वितरण के उद्देश्य के तौर पर किया गया था फिल्म प्रभाग सिनेमा प्रायोजकों को सांविधिक तौर पर सिनेमेटोग्राफ धारा, 1952 और अनेक राज्य नियमों के अंतर्गत 'पारित फिल्मों' के प्रदर्शन में सहायक होता है। फिल्म प्रभाग भारत में वृत्तचित्र निर्माण को भी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सवों में हिस्सा लेने वाले स्वतंत्र निर्माताओं के जरिये प्रोत्साहन देता है, साथ ही यह एक वृत्तचित्रों, छोटी एवं एनीमेशन फिल्मों का प्रतियोगितात्मक मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (एमआईएफएफ) भी आयोजित करता है। फिल्म प्रभाग के अभिलेखागार में 8000 से अधिक फिल्में हैं जो सिनेमा प्रेमियों के लिये उपलब्ध और शेष के लिए संदर्भ सामग्री के तौर पर हैं। प्रभाग ने अपनी इन दुर्लभ फिल्मों को बड़े पर्दे से वीडियो में बदलने की शुरुआत कर दी है।

अपने मुंबई स्थित मुख्यालय और बंगलौर, कोलकाता और नई दिल्ली स्थिति प्रादेशिक केंद्रों में फिल्म प्रभाग के पास प्रोडक्शन पूर्व एवं बाद की अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, देशभर में फैली इसकी 10 शाखाएं फिल्म-प्रेमियों की जरूरतों को पूर्ण करने के साथ-साथ 12,000 सिनेमाओं को सिनेमेटोग्राफ धारा-1952 के अतिरिक्त अनुज्ञप्ति हेतु व्यवस्था के लिये उन्हें 'पारित' फिल्में सप्लाई करती हैं। फिल्म प्रभाग के शीर्ष पर प्रमुख निर्माता के अधीन एक संयुक्त प्रमुख निर्माता और चार डिप्टी मुख्य निर्माता होते हैं। डिवीजन के प्रशासनिक पक्ष के मुख्य डायरेक्टर (प्रशासन) होते हैं जिनकी इस पद पर अखिल भारतीय सेवा अथवा अन्य ग्रुप 'ए' सेवा संघटित तौर पर, 12 से 15 वर्ष के ग्रुप 'ए' अनुभव के आधार पर विशेष तौर पर नियुक्ति की जाती है।

भारत और विदेश में फिल्म बाजारों में भागीदारी
(मुख्य सचिवालय योजना)

फिल्म उद्योग के निर्यात संवर्द्धन में समर्थ होने तक उसकी सहायता करने तथा दूसरी तरफ फिल्मों की पाइरेसी रोकने और देश के विभिन्न भागों में फिल्म समारोह आंदोलन के प्रसार के लिए इस मंत्रालय ने 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनी दो प्रमुख सचिवालय योजनाओं के माध्यम से छह करोड़ रुपये प्रदान किए। ये योजनाएं हैं- (I) विदेशी समारोहों/बाजारों में भागीदारी तथा (II) एंटी-पाइरेसी कार्य/समारोहों में लगे गैर-सरकारी संगठन।

यद्यपि 11वीं योजना के दौरान योजना आयोग ने दूसरी योजना अर्थात एंटी-पाइरेसी कार्य/समारोहों में लगे गौर-सरकारी संगठनों को लागू करना स्वीकार नहीं किया। भारत और विदेश के फिल्म बाजारों में भागीदारी संबंधी योजना जारी रही। इस मंत्रालय ने 11वीं योजना के दौरान लागू करने के लिए एक नई स्कीम अर्थात एनीमेशन, गेमिंग और विशेष प्रभाव के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना भी शुरू की है।

भारत में फिल्म उद्योग बड़ी तीव्रता से डिजिटल प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहा है। और कंटेंट भी डिजिटल रूप में तैयार कर रहा है। गेमिंग और एनीमेशन जैसे उद्योगों में डिजिटल कंटेंट के साथ विशेष प्रभाव और दृश्य प्रभाव क्षेत्रों में तीव्र विकास देश के विकास क्षेत्र हैं। हांलाकि, यह क्षेत्र प्राशिक्षित कार्मिकों की भारी कमी से प्रभावित है। इस क्षेत्र की संभावना और नीतिगत समर्थन की अवश्यकता पर पीएमओ द्वारा गठित आईसीई समिति ने भी अपनी रिपोर्ट में चर्चा की थी। एनीमेशन, गेमिंग और दृश्य प्रभावों वाले इस क्षेत्र के संवर्द्धन और विकास को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी में एनीमेशन, गेमिंग और विशेष प्रभाव के लिए उत्कृष्टता केंद्र खोलने का प्रस्ताव है। इसका कार्य इस हाइटेक उद्योग में प्रशिक्षित जनशक्ति की उपलब्धता की समस्या से निपटना है।

फिल्म बाजारों में भागीदारी का उद्देश्य भारतीय फिल्म उद्योग के प्रभाव में वृद्धि करना है। इसके जरिए फिल्मों से संबद्ध सूचना प्रौद्योगिकी गतिविधियों की जानकारी हासिल करने और वास्तविक व्यापार के अवसरों का लाभ उठाने में भी मदद मिलती है। विश्व में केंस अंतराष्ट्रीय फिल्म समारोह और बाजार, बर्लिन फिल्म समारोह और अमरीकी फिल्म बाजार आदि प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म बाजार हैं, जिनको ध्यान में रखकर सरकार भारतीय फिल्म उद्योग को प्रोत्साहित और उसे सुविधाएं प्रदान करने का हर संभव प्रयास करती है।

भागीदारी और उपलब्धियों का ब्योरा प्रेस विज्ञप्तियों के जरिए और मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाता है। फिक्की/सीआईआई भी फिल्म समारोहों/बाजारों में इस तरह की भागीदारी पर अपनी रिपोर्ट जारी करती है।

भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे

1. मानीटरिंग तंत्र

एफटीआईआई पुणे के आधुनिकीकरण एवं समुन्यन्न कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्यक्ष एवं वित्तीय या रिंग तंत्र उपकरणों की खरीद, भवन एवं विद्युत निर्माण संबंधी कार्यों, हार्डवेयर मदों/साफ्टवेयर मदों की खरीद लाइसेंस, अनुसंधान, स्वामिभक्त प्रतिभा शुल्क आदि संबंधी कार्यों एवं कार्यक्रम उत्पादों फिल्मों से स्थानांतरण, श्रोता अनुसंधान तथा मानव संसाधन विकास के अंतर्गत आदान-प्रदान/प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पहचान में उपलब्धियों के रूप में दिखाई देगा। छात्रों के लिए विदेशी विश्वविद्यालय के साथ आदान-प्रदान कार्यक्रम में शामिल होने के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था आदि करता है।

2. सार्वजनिक सूचना व्यवस्था

एफटीआईआई, पुणे की प्रशिक्षण गतिविधियों/पाठ्यक्रमों को वेबसाइट प्रिंट मीडिया के जरिए प्रचारित किया जाता है जिसके तहत ज्यादा से ज्यादा पारदर्शिता लायी जा सके। मशीनों और उपकरणों की प्राप्ति भी सार्वजनिक निविदा के द्वारा प्रापत किये जाते हैं जिसे प्रिंट और इलेक्ट्रानिक माध्यमों से प्रचारित किये जाते है।

सत्यजित राय फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान, कोलकाता

एसआरएफटीआई का मुख्य उद्देश्य फिल्म तथा टीवी उद्योग के लिए प्रशिक्षण करना तथा व्यावसायिक सृजन करना है।

संस्थान निर्देशन और पटकथा लेखन, मोशन पिक्चर फोटोग्राफी, संपादन और ध्वनि रिकार्डिंग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित करता है। मुख्य पाठ्यक्रमों के अलावा संस्थान स्व-वित्त आधार पर लघु अवधि पाठ्यक्रमों को संचालित/प्रस्तावित करता है।

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी)

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी) के कार्य की निगरानी समय-समय पर, सहायक अनुदान के किस्तों को जारी करते समय, कार्यकारी परिषद की बैठकों के दौरान, भारतीय जनसंचार संस्थान समाज की वार्षिक सामान्य बैठकों के दौरान, जिसमें सरकारी प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं, सरकार द्वारा की जाती है। इसके अलावा वर्ष के दौरान वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति की निगरानी मंत्रालय में मासिक व्यय विवरणों एवं अर्द्धवार्षिक प्रगति रिपोर्टों के परीक्षण द्वारा की जाती है।

आईआईएमसी की सामान्य जनता की सूचना के लिए एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट (www.iimc.gov.in) को नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है और सामान्य जनता इस साइट पर पहुंच कर प्रासंगिक सूचना प्राप्त कर सकती है।

भारत का राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय

ग्यारहवीं योजना (2007-2012) के दौरान भारत का राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय का 30 करोड़ रुपये की कुल लागत की निम्नलिखित योजना स्कीम है :

'अभिलेख फिल्मों का अधिग्रहण एवं प्रदर्शन'

भारत के राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय की योजना स्कीम की प्रगति की निगरानी मासिक/तिमाही/अर्द्धवार्षिक भौतिक एवं वित्तीय प्रगति विवरणों के माध्यम से की जाती है, जो मंत्रालय को नियमित रूप से भेजे जाते हैं। विविध स्कीमों/कार्यक्रमों के अंतर्गत भारत के राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय द्वारा चलायी गयी विविध प्रक्रियाओं की प्रगति के बारे में सूचना भारत के राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय (एनएफएआई) की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। स्कीम के निष्पादन पर नियंत्रण का निर्वाह अनुमोदित योजना आबंटन के अंतर्गत किया जाता है।

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड

भारतीय मनोरंजन उद्योग में विभिन्न कारणों जैसे भारतीय फिल्मों एवं अन्य मनोरंजन साफ्टवेयर के लिए विदेशी बाजारों के द्वारा, एनीमेशन, विशेष प्रभाव, ग्राफिक्स, संगीत दृश्य/श्रव्य तथा दूरदर्शन साफ्टवेयर जैसे क्षेत्रों में व्यापार बढ़ने तथा दूसरी ओर ग्रामीण तथा दूर-दराज के क्षेत्रों की विविध भाषाओं में उपग्रह और केबल चैनल के आ जाने से 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में मूलभूत परिवर्तन हुए हैं। थियेटरीकल प्रदर्शनी के परंपरागत तौर-तरीकों में काफी बदलाव आया है। क्योंकि मल्टीप्लेक्स थियेटरों की बढ़ती संख्या ने अपनी ओर आकर्षित किया है। इससे न केवल फिल्म निर्माताओं एवं अधिकार धारकों (राईट होल्डरों) ने अपनी फिल्मों के लिए अधिक लाभ कमाने के अवसर खोले हैं। बल्कि इससे तकनीशियन और अन्य कलाकारों का एक भारी-भरकम समूह बन गया जो कि पालियों में कार्य करके अच्छी कमाई भी कर रहा है। वास्तविकता यह है कि अब भारतीय परिवार भले ही मध्यम, निम्न मध्यम व गरीबी की श्रेणी में आता हो, लेकिन वह भी भरपूर मनोरंजन कर सकता है।

थियेटर में और टेलीविजन के माध्यम से घर बैठे वहनीय कीमत में फिल्म देख सकता है। इस उद्योग के विकास को सुनिश्चित करते हुए पाइरेसी तथा एकल थियेटर और मल्टी प्लेक्स में मंहगे टिकटों की समस्या का समाधान किया जा रहा है। फिल्मों के निर्माण में वित्त व्यवस्था के लिए आईडीबीआई तथा एक्जिम बैंक एवं अन्य व्यवसायिक बैंकों के प्रवेश से फिल्म उद्योग के विकास को बल मिला है। इस बात का प्रमाण इस तथ्य से मिलता है कि देश में प्रतिवर्ष विभिन्न भाषाओं में लगभग 1000 फिल्में बनाई जाती हैं। इस पृष्ठभूमि में हमें एक संगठन के रूप में अपनी शक्ति और कमजोरियों को ध्यान में रखते हुए इस उद्योग की क्षमता और उपलब्ध भावी अवसरों का विश्लेषण करना होगा।

उपर्युक्त पृष्ठभूमि में इस निगम की विभिन्न गतिविधियों की समीक्षा की गई तथा निम्न कार्यवाही योजना तैयार की गई है :

क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्म निर्माण

- राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम अपनी उत्पादन गतिविधियों के माध्यम से भारतीय सिनेमा की संस्कृति को बढ़ावा देता है न कि भारतीय सिनेमा के व्यवसाय को।
- भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों और भाषाओं का विकास करने और उन्हें अक्षुण्ण करने के लिए सिनेमा एक महत्वपूर्ण साधन है। विशेष रूप से इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सिनेमा मनोरंजन का सर्वाधिक लोकप्रिय साधन है, सिनेमा की भूमिका को कम नहीं आंका जा सकता। यह आकलन है कि औसतन इस क्षेत्र में थियेटर में प्रत्येक दिन एक करोड़ लोग फिल्म देखते हैं। भारत में भारतीय कला और संस्कृति की कोई भी शाखा इतनी प्रभावी नहीं रही है, इस प्रकार सिनेमा संस्कृति प्रचार-प्रसार का जन-माध्यम बन कर उभरा है।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए यह प्रस्ताव किया जाता है कि एन.एफ.डी.सी. को 11वीं योजना में इन कार्यों के लिए 30 करोड़ रुपए वार्षिक परिव्यय विविध भारतीय भाषाओं में फिल्म निर्माण के लिए रखा जाए क्योंकि इसकी आवश्यकता राज्य विकास निधियों के लिए होती है, इससे उन्हें इस दिशा में कार्य करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। 'विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्म निर्माण' योजना स्कीम के तहत 2008-09 के लिये 6.50 करोड़ रुपये वार्षिक परिव्यय आबंटित किया गया है। इन फिल्मों की सदैव बाजार कीमत नहीं होती है जिससे फिल्म में आई लागत को वसूल किया जा सके। इस सम्बन्ध में निगम की भूमिका विकासात्मक प्रकृति की होती है तथा इसमें लाभ कमाने का उद्देश्य निहित नहीं होता है। इस उद्देश्य के लिए निधियों के आबंटन की मांग सरकार से की जाती है। क्योंकि निगम के पास इस गतिविधि को निधि प्रदान करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं होते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय घरेलू सह-उत्पादन

एन.डी.एफ.सी. बहुत से घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय सह-उत्पादन कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार खुलने तथा प्रभावकारी कहानी की अंतर्राष्ट्रीय मांग के परिणामस्वरूप विदेशों में भारतीय फिल्मों के दर्शकों की बढ़ती मांग के कारण फिल्म निर्माण का कार्य अब विदेशों में भी पांव पसार रहा है। फिल्म निर्माता अब निम्न कारणों से अन्य देशों के फिल्म निर्माताओं से मिलकर फिल्म निर्माण कर रहे हैं।

(i) फिल्म के दर्शक आधार को बढ़ाना

(ii) फिल्म उत्पादन की लागत को कम करने के लिए विभिन्न देशों द्वारा दिए जाने वाले कर तथा अन्य सकल लाभों को प्राप्त करना।

जहां तक भारतीय फिल्म निर्माताओं का संबंध है, अंतर्राष्ट्रीय सह-उत्पादन अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है। हाल के वर्षों में विदेशी फिल्म निर्माताओं ने भारत को संयुक्त उत्पादन के लिए एक बेहतर बाजार माना है क्योंकि यह फिल्म बाजार की दृष्टि से अपार संभावनाओं वाला देश है। किसी दूसरे देश में आने वाले नए फिल्म निर्माताओं के पास उस देश के फिल्म निर्माताओं तक पहुंच नहीं होती है, ऐसा संबंधों की दृष्टि से तथा सह-निर्माताओं से भारी मात्रा में पूंजी निवेश करवाने की

दृष्टि से होता है। एनएफडीसी ने इस क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रस्ताव किया है तथा प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू सह-उत्पादों के लिए प्रारंभिक पूंजी मुहैय्या कराने की पहल की है।

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय फिल्मों को प्रोत्साहन

एनएफडीसी की निर्यात विशेषज्ञ कार्यनीति के प्राथमिक उद्देश्य तथा विदेशी फिल्मों एवं दूरदर्शन बाजार में भागीदारी इस प्रकार है :

1. विभिन्न प्रदर्शनी चैनलों के अंतर्राष्ट्रीय वितरण के लिए भारतीय फिल्मों का निर्यात
2. अंतर्राष्ट्रीय सह उत्पादों के लिए भागीदार का पता लगाना।
3. लाईन प्रोड्यूसर के रूप में एनएफडीसी की सेवाओं का उन्नयन।
4. भारत को शूटिंग स्थल के रूप में विकसित करना।
5. भारतीय बाजार के लिए विदेशी फिल्मों का आयात।

पटकथा का विकास

वास्तव में फिल्म उद्योग को पटकथा के विकास में बहुत अधिक जोर देने की आवश्यकता है। एनएफडीसी, पटकथा की गुणवत्ता, सीमा और भारतीय फिल्म पटकथाओं/परियोजना के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए फिल्म उद्योग को उपलब्ध के दायरे में व्यापक एवं बहुआयामी बनाने पर बल देगा। एनएफडीसी का उद्देश्य घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार को ध्यान में रखते हुए उच्च गुणवत्ता वाले बिक्री योग्य उत्पाद पटकथा तैयार करने की दृष्टि से पटकथा के विकास में प्रत्येक वर्ष अधिक से अधिक लेखकों की सहायता करता है।

पत्र सूचना कार्यालय

पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) भारत सरकार की नोडल एजेंसी है जिसके जरिए वह अपनी नीतियों, कार्यक्रमों एवं गतिविधियों के बारे में लोगों को जानकारी देता है। मीडिया (इलेक्ट्रानिक और प्रिंट) के साथ संवाद का प्रमुख साधन होने के नाते इसके जरिए सरकार अपनी नीतियों, गतिविधियों और कार्यक्रमों की जानकारी देती है और जन प्रतिक्रिया से सरकार को अवगत कराती है। पत्र सूचना कार्यालय तदनुसार सरकार को सूचना नीति के बारे में सलाह भी देता है। पीआईबी यह मान कर चलता है कि किसी भी लोकतंत्र में सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को सही ढंग से पेश किया जाना चाहिए ताकि प्रेस और मीडिया उसकी सही व्याख्या करें और लोग उनको ठीक ढंग से समझें क्योंकि लोगों के समर्थन से ही सरकार चलती है।

2. पत्र सूचना कार्यालय के अधिकारी विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से संबद्ध किए जाते हैं ताकि वे सूचनाएं प्राप्त कर सकें। ये सूचनाएं प्रेस को दी जाएं और ताकि उन पर जन प्रतिक्रिया जानी जा सके। ये अधिकारी मीडिया सलाहकार के रूप में काम करते हैं और प्रचार के काम में समन्वय लाते हैं।

3. पत्र सूचना कार्यालय के क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों को कंप्यूटर नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। इसका इंटरनेट पर अपना होमपेज है जिसमें से www.pib.nic.in के पते पर कोई सूचना ली जा सकती है। इस, होमपेज पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय इस्तेमाल के लिए प्रचार सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। इसकी विज्ञप्तियां अब ऑनलाईन महत्वपूर्ण अखबारों के संवाददाताओं और समाचारपत्रों को तथा इसके क्षेत्रीय शाखा कार्यालयों को भेजी जाती हैं। इस नेटवर्क के जरिए फीचर और ग्राफिक्स भी भेजे जाते हैं। इंटरनेट पर तो ये उपलब्ध होते ही हैं।

4. पत्र सूचना कार्यालय मीडिया प्रतिनिधियों को कार्यकारी सुविधाएं भी देता है। इस उद्देश्य से देशी और विदेशी समाचार प्रतिनिधियों को प्रत्यापित किया जाता है, न्यूज कैमरामैनों और तकनीशियनों को भी यह सुविधा दी जाती है। इस समय पत्र सूचना कार्यालय में 1165 संवाददाता, 332 कैमरामैन, मुख्यालय में प्रत्यायित हैं। साथ ही, 143 तकनीशियन और 67 संपादक/मीडिया क्रिटिक भी प्रत्यायित हैं। देश-विदेश के संवाददाताओं की जरूरतें पूरी करने के लिए इस कार्यालय में एक राष्ट्रीय प्रेस केंद्र है। नई दिल्ली स्थित इस केंद्र में सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं।

5. मीडिया तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए प.सू.का विभिन्न साधनों का प्रयोग करता है। जिनमें प्रमुख हैं, प्रेस विज्ञप्तियां, विशेष लेख, प्रेस ब्रीफिंग, पत्रकार सम्मेलन एवं निर्देशन भ्रमण आदि।

6. पत्र सूचना कार्यालय के कामकाज की मानीटरिंग खुद ही होती रहती है। हर दिन पता चलता रहता है कि उसके द्वारा जारी की गई कितनी विज्ञप्तियां, फीचर और समाचार फोटो आदि अखबारों में छपे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस कार्यालय की मानीटरिंग भी उसी प्रकार करता है जैसा कि अन्य मीडिया की करता है।

समग्र निष्पादन

2007-08 की वार्षिक योजना राशि 1512.00 लाख रुपये मंजूर की गई है। योजना के तहत दिसंबर, 2007 तक 492.00 लाख रुपये खर्च किए गए। वित्तीय खर्चों में वर्ष 2007-08 (दिसंबर, 2007 तक) के दौरान कार्य प्रगति इस प्रकार है :

(रुपये लाख में)

क्र.सं.		योजना	गैर-योजना	कुल जोड़
	वास्तविक व्यय 2006-07	87.17	2926.13	3011.30
1.	बजट अनुमान 2007-08	1013.00	2270.15	3283.15
2.	संशोधित अनुमान 2007-08	942.90	2237.00	3179.90
3.	वास्तविक खर्च दिसंबर 2007 तक	492.00	1671.31	2163.31
4.	बजट अनुमान 2008-09	1628.89	2236.00	3864.29

भारतीय प्रेस परिषद

लक्ष्य एवं उद्देश्य

भारतीय प्रेस परिषद एक अर्धन्यायिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है। प्रेस परिषद का प्रधान अध्यक्ष होता है इसके अलावा इसके 28 सदस्य हैं। परंपरागत रूप से भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश इसके अध्यक्ष हैं और इसके अतिरिक्त परिषद में 28 अन्य सदस्य शामिल हैं जिसमें से 20 प्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं पांच सदस्य संसद के दोनों सदस्य होते हैं और तीन सदस्य सामाजिक, साहित्यिक एवं कानूनी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें साहित्य अकादमी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं बार काउंसिल ऑफ इंडिया नामांकित करता है।

परिषद का प्रमुख कार्य प्रेस की स्वतंत्रता को बचाये रखना और प्रेस के स्तर को बनाये रखना तथा उसमें सुधार करना है। परिषद पत्रकारिता के लिये बनाई गई आचार-संहिता का उल्लंघन करने पर या प्रेस की स्वतंत्रता पर खतरा होने से संबंधित शिकायतों को सुनती है। परिषद जांच के बाद यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी समाचारपत्र या समाचार एजेंसी और पत्रकार जनता की रुचि का ध्यान में रखते हुये उच्च स्तर को बनाये रखें तथा अपनी जिम्मेदारी एवं अधिकार दोनों को निभाते रहें। आचार संहिता का उल्लंघन होने पर परिषद को समाचारपत्र के संपादक या पत्रकार के समाचार को सेंसर कर सकती है और फटकार लगा सकती है।

प्रेस की स्वतंत्रता में किसी तरह का हस्तक्षेप करने पर परिषद को उसके खिलाफ आदेश देने का अधिकार है। परिषद का निर्णय अन्तिम होता है और उसके किसी भी न्यायालय में इसके खिलाफ प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

कार्यकलाप

1. प्रेस द्वारा की गई कोई गल्ती या उसके खिलाफ प्राप्त शिकायतों पर निर्णय करना
2. प्रेस का स्तर बनाये रखना
3. प्रेस की स्वतंत्रता बनाये रखना
4. केन्द्र सरकार को इससे संबंधित मामलों पर सलाह देना।

विशेषताएं

1. प्रेस परिषद का पुर्नगठन
2. 17 राज्यों से भुगतान न करने वाले दोषियों की सूची को वेबसाइट में डालना।
3. लाइब्रेरी की सूची को कंप्यूटरीकृत बनाना।
4. 2006-07 के दौरान परिषद द्वारा लिये गये निर्णयों को वेबसाइट में डालना।
5. 2006-07 में लिये गये निर्णयों का हिंदी में अनुवाद करवाना और उन्हें वेबसाइट में डालना।

6. परिषद की वार्षिक रिपोर्ट को समय पर तैयार करना और उन्हें दोनों भाषाओं में संसद के दोनों सदनों में रखना।

7. भारत सरकार से परामर्श करके प्रेस परिषद अधिनियम में संशोधन के माध्यम से प्रेस परिषद को सुदृढ़ बनाना।

पहल

1. पत्रकारिता के संस्थानों को उनसे संबंधित निकायों से परापमर्श करके उसके स्तर को अवगत कराना।

2. प्रेस परिषद परिधि में आने वाले मामलों पर अनुसंधान को प्रोत्साहित करना।

3. परिषद के कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड का कंप्यूटरीकरण।

4. परिषद के कर्मचारियों के भविष्य निधि से रिकार्ड का कंप्यूटरीकरण।

5. पत्रकार-संहिता के मानदंडो का नवीनीकरण।

6. रिर्पोटिंग ऑफ कोर्ट प्रेसिडिंग बाई मीडिया एंड एडमीनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस- मार्च 29-30, 2008 पर विधि पत्रकारों/रिपोर्टरों के लिये सर्वोच्च न्यायालय के साथ मिलकर कार्यशाला करना।

लक्ष्य 2008-2009

1. पिछले वर्ष किये गये लक्ष्यों को पूरा करना।

2. प्रेस की स्वतंत्रता और उसके स्तर को बनाये रखने से संबंधित लगभग 600 मामलों को निपटाना

3. 1979 से लेकर अब तक परिषद में प्राप्त शिकायतों पर परिषद द्वारा दिये गये निर्णयों की सूची बनाकर उन्हें परिषद की वेबसाइट पर डालना ताकि वह लोगों तक पहुंच सके।

4. प्रेस और रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 8(ग) के अंतर्गत प्रेस एवं रजिस्ट्रेशन एपलेट बोर्ड के आदेशों की सूची बनाना और उन्हें परिषद की वेबसाइट पर डालना।

5. प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित निर्णय/फैसलों का सार तैयार करना।

6. पत्र-व्यवहार को फिर से प्रोत्साहित करना।

फोटो प्रभाग

फोटो प्रभाग, भारत सरकार की ओर से आंतरिक तथा बाह्य प्रचार के लिए फोटोग्राफ तैयार करने तथा दृश्य प्रलेखन के लिए उत्तरदायी मीडिया इकाई है। फोटो प्रभाग देश के विकास के विभिन्न पहलुओं तथा ऐतिहासिक घटनाओं का फोटोग्राफ के जरिए रिकार्ड रखता है और देश के लिए एक संपूर्ण फोटोग्राफिक दस्तावेज उपलब्ध

कराता है। युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए फोटो प्रतियोगिताएं तथा कार्यशालाओं का आयोजन भी किया जाता है। फोटो प्रभाग प्रचार न करने वाले संगठनों तथा आम जनता को 'मूल्य योजना' के तहत भुगतान करने पर फोटोग्राफ उपलब्ध कराता है। बेहतर सेवा, गुणवत्ता उपलब्ध कराने तथा प्रयोक्ताओं की मांग को पूरा करने के लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक प्लान योजना 'राष्ट्रीय फोटोग्राफी केंद्र' कार्यान्वित की जा रही है। इसमें फोटोग्राफिक उद्योग में आ रहे बदलावों को भी ध्यान में रखा जा रहा है। एक अन्य प्लान योजना 'पूर्वोत्तर, जम्मू और कश्मीर, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के लिए विशेष अभियान' भी शुरू की गई है। इसमें इन क्षेत्रों के विकास पर मुख्य जोर दिया गया है।

प्रकाशन विभाग

प्रकाशन विभाग देश के सबसे बड़े प्रकाशन-संस्थानों की सूची में शामिल है। विभाग द्वारा हिन्दी, अंग्रेजी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित पुस्तकों का उद्देश्य देशवासियों के ज्ञान और समझबूझ को बढ़ाना है।

2. प्रकाशन विभाग का कार्य पुस्तकों और पत्रिकाओं का प्रकाशन, बिक्री और वितरण है। ऐसा करते हुए वह निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति करता है:

(i) राष्ट्रीय महत्व के उन विषयों पर पुस्तकों का प्रकाशन जिन्हें आमतौर पर दूसरे प्रकाशक नहीं छापते और जनता को उन्हें वाजिब दाम पर मुहैया करवाना है।

(ii) विविधता में एकता की अवधारणा और भावना, सांप्रदायिक सद्भाव, राष्ट्रीय अखंडता आदि को बढ़ावा देना और सुदृढ़ करना है।

(iii) वर्ष 2008-2009 के दौरान 20 पत्रिकाएं और 120 पुस्तकें प्रकाशित करने का लक्ष्य है। प्रकाशन विभाग देश के विभिन्न भागों में स्थित विक्रय केंद्रों के नेटवर्क के जरिये अपनी पुस्तकों और पत्रिकाओं की बिक्री करता है। प्रकाशन विभाग ने समय के साथ चलते हुए अपने सभी विक्रय केन्द्रों को चरणबद्ध तरीके से आधुनिक बनाने का लक्ष्य रखा है। विभाग के कई विक्रय केंद्र अच्छी हालत में नहीं हैं। अधिकांश प्रतिस्पर्धी प्रकाशन संस्थानों के सुव्यवस्थित विक्रय केन्द्र प्रमुख स्थानों में स्थित हैं जिनके कारण उनकी बिक्री बेहतर होती है।

(iv) विक्रय केंद्र नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, चेन्नई, पटना और तिरुवनंतपुरम् में स्थित हैं। बंगलौर, गुवाहाटी और अहमदाबाद के योजना कार्यालयों में इसके सेल्स आउट्लेट हैं।

(v) वर्ष 2008-2009 का बजट आकलन गैर योजना में 1405.00 लाख रुपये और योजना में 42.90 लाख रुपये है।

एम्पलायमेंट न्यूज/रोजगार समाचार

साप्ताहिक रोजगार समाचार प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का प्रमुख प्रकाशन है। इस साप्ताहिक पत्र का मूल लक्ष्य सिविल सेवा के अभ्यार्थियों, प्रतियोगी परीक्षाओं और साक्षात्कारों में बैठने वाले तथा रोजगार अवसरों की खोज में जुटे युवा लोग हैं।

इस साप्ताहिक पत्र का उद्देश्य इसको पढ़ने वाले लोगों को जानकारी उपलब्ध कराना है ताकि वे अपने लिए सर्वोत्तम उपलब्ध कैरियर चुन सकें।

इस साप्ताहिक में नौकरियों के विज्ञापन, प्रवेश अधिसूचनाएं, प्रमुख अधिसूचनाएं और कर्मचारी चयन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग आदि जैसे संगठनों के परिणाम प्रकाशित होते हैं। इसके संपादकीय भाग में एक या दो लेख भी प्रकाशित होते हैं।

रोजगार समाचार ने अपनी वेबसाइट www.employmentnews.gov.in शुरू की है। इस वेबसाइट को रोज करीब तीन लाख लोग सर्च करते हैं। वेबसाइट आनलाइन कैरियर सलाह, अद्यतन सूचनाएं, रिक्तियों आदि के संबंध में सूचनाएं उपलब्ध कराती है।

भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक

भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक का कार्यालय (आरएनआई) प्रेस तथा पुस्तक पंजीकरण कानून, 1867 के अन्तर्गत देश में प्रकाशित होने वाले समाचारपत्रों/पत्रिकाओं का अद्यतन रिकार्ड तथा आंकड़े संभाल कर रखता है, नये प्रकाशनों के लिए शीर्षक उपलब्ध कराता है, पंजीकरण के प्रमाणपत्र जारी करता है, प्रकाशकों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक कथनों की समीक्षा करता है तथा ''भारत के समाचारपत्र'' नामक शीर्षक से प्रिंट मीडिया के हालात पर वार्षिक रिपोर्ट तैयार करता है। आरएनआई समाचारपत्रों के प्रसार के दावों पर भी नियन्त्रण रखता है। अपने वैधानिक कार्यों के अलावा, यह कार्यालय न्यूजप्रिन्ट के आयात के लिए समाचारपत्रों को पात्रता प्रमाणपत्र जारी करता है। इसके अतिरिक्त, आरएनआई समाचारपत्रों द्वारा अपेक्षित प्रिंटिंग मशीनरी तथा सम्बद्ध सामग्री के आयात के लिए अनिवार्यता को प्रमाणित करता है। समाचारपत्रों को तत्काल, कुशल एवं पारदर्शी सेवा प्रदान करने तथा पीआरबी अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के मद्देनजर 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में गुवाहाटी तथा केन्द्रीय क्षेत्र में भोपाल के दो नये क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाने हैं। आरएनआई की कार्ययोजना त्रैमासिक आधार पर पर रखे गये लक्ष्यों की तुलना में वित्तीय एवं वास्तविक उपलब्धियों के विश्लेषण द्वारा नियमित रूप से मॉनिटर की जाती है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न उप-शीर्षकों के तहत हुए खर्च की निगरानी आरएनआई द्वारा की जाती है। शीर्षक सत्यापन पत्र को आरएनआई की वेबसाइट पर रखने की नई पहल की गई है। अब आरएनआई के नई दिल्ली कार्यालय में आने की बजाय प्रार्थी इस वेबसाइट से अपना शीर्षक सत्यापन पत्र कभी भी, कहीं से भी डाउनलोड करके अपनी घोषणा फाईल कर अपना प्रकाशन शुरू कर सकता है। इससे विलम्ब नहीं होगा, अधिक पारदर्शिता आयेगी तथा प्रार्थी का समय और पैसा बचेगा। शिकायतों को दूर करने के लिए तथा पीआरबी अधिनियम, 1867 के तहत आने वाले प्रावधानों के बारे में आम जनता को शिक्षित करने के लिए आरएनआई ने 'तत्काल समाधान' नामक एक सत्र शुरू किया है। आम जनता के लाभ के लिए ऐसे सत्र देश के अन्य भागों में भी आयोजित करने का प्रस्ताव है।

गवेषणा, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग

गवेषणा, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन कार्यालय है। इस प्रभाग की भूमिका मीडिया इकाइयों को शोध के संबंध में एकत्रित, संकलित और तैयार सामग्री के प्रकाशन कार्य आदि में सहायता करना है। मीडिया इकाइयों के उपयोग के लिए महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी का सारांश निर्मित करना और सामयिक एवं अन्य विषयों पर मार्गदर्शन एवं पृष्ठभूमि नोट तैयार करना भी इस प्रभाग का दायित्व है।

यह प्रभाग प्रत्यक्ष रूप से आम जनता को कोई सेवा प्रदान नहीं करता है। वास्तविक लक्ष्यों को सामान्यत: वार्षिक बजट योजना के रूप में इस प्रभाग द्वारा मॉनीटर किया जाता है। मंत्रालय का प्रशासनिक विंग प्रभाग द्वारा प्रकाशित इंडिया-एक वार्षिक संदर्भ एवं प्रशिक्षण ग्रंथ निकालने जैसी गतिविधियों की निगरानी भी करता है।

सार्वजनिक सूचना प्रणाली के संबंध में प्रभाग की वेबसाइट (rrtd.gov.in) जन अधिकार के क्षेत्र में आती है और आम जनता इसकी गतिविधियों तक पहुंच सकती है।

गीत एवं नाटक प्रभाग

गीत एवं नाटक प्रभाग का गठन आकाशवाणी की एक इकाई के तौर पर किया गया था, जिसे 1956 में एक स्वतंत्र मीडिया यूनिट का दर्जा दिया गया। इसका उद्देश्य संचार विकास करना था। प्रभाग के गठन के पीछे निम्न उद्देश्य थे :

- जनता में सामाजिक, आर्थिक और लोकतांत्रिक आदर्शों के प्रति भावनात्मक लगाव व जागरूकता पैदा करना जो देश की प्रगति के अनुकूल है।
- सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों में रक्षा तैयारियों और बाकी देश की सांस्कृतिक एकता के साथ जुड़ने की भावना जगाना।
- दूर-दराज के अग्रिम क्षेत्रों में तैनात जवानों का आत्मबल बढ़ाने के लिए देशभर को शहरी मंच और लोक-कला के माध्यम से जीवंत मनोरंजन उपलब्ध कराना।

यह प्रभाग अभिनय कला को संचार का माध्यम बनाने वाला सबसे बड़ा संगठन है। यह प्रभाग कलाओं के विभिन्न स्वरूपों—नाटक, नृत्य-नाटिका, गीत-नाटक, लोक, पारंपारिक गायन, कठपुतली नृत्य का इस्तेमाल करता है। प्रभाग सांप्रदायिक सौहार्द्र, राष्ट्रीय एकता, धर्मनिरपेक्षता, सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने स्वास्थ्य, पर्यावरण शिक्षा जैसे राष्ट्रीय थीम पर ध्वनि एवं प्रकाश कार्यक्रमों के माध्यम से मंच प्रदर्शन भी करता है।

एफ. एम. रेडियो (निजी)

सरकार ने 1999 में निजी एजेंसियों के माध्यम से एफ एम रेडियो प्रसारण के संबंध में एक नीति लागू की और चरण II के अंतर्गत इसे 2005 में विस्तारित किया। नीति के तहत प्रसार भारती के टावरों का, जहां उपलब्ध हों, साझा इस्तेमाल आवश्यक बनाया गया, और प्रसार भारती के टावर उपलब्ध न होने की स्थिति में निजी एफ.एम. प्रसारकों के लिए सरकार मैसर्स बेसिल के माध्यम से नए टावर निर्मित करे। चरण II के अंतर्गत पहचाने गए 91 शहरों में से 84 शहरों में प्रसार भारती के टावर हैं और बाकी बचे सात शहरों-दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बंगलौर और जयपुर में नए टावरों का प्रस्ताव किया गया। ''निजी एफ.एम. रेडियो'' नामक एक योजना स्कीम के तहत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मैसर्स बेसिल के माध्यम से 18.18 करोड़ रुपये की कुल लागत से सात शहरों में नए टावरों के निर्माण का प्रस्ताव किया जिसे योजना आयोग ने 2006 में स्वीकृत किया। इन टावरों के निर्माण की लागत निजी एफ.एम. प्रसारकों से किराए की वसूली के जरिए पूरी की जाएगी, जैसा प्रसार भारती के टावरों के मामले में प्रसार भारती करता है। तत्पश्चात, दो अन्य शहरों में प्रसार भारती के टावर लगाए गए। इस बीच सरकार ने देहरादून में एक नया टावर लगाने का फैसला किया, क्योंकि वहां कोई प्रसार भारती टावर उपलब्ध नहीं था, और चार एफ.एम. चैनलों को लम्बित रख दिया। अत: छह शहरों-दिल्ली, कोलकाता,

चेन्नई, जयपुर, हैदराबाद और देहरादून में नए टावर लगाने की आवश्यकता है, योजना स्कीम दसवीं पंचवर्षीय योजना में दो वर्षों 2005-06 और 2006-07 के लिए स्वीकृत की गई। चूकि योजना आयोग की सैद्धांतिक मंजूरी जनवरी, 2006 में प्राप्त हुई और अग्रिम राशि मार्च, 2006 में जारी की गई, अत: वास्तविक कार्य अप्रैल, 2006 से ही शुरू हो पाया। इसके अतिरिक्त, बेसिल को साइट सौंपे जाने में देरी, आदि के कारण परियोजना परिकल्पित अवधि मार्च, 2007 तक पूरी नहीं हो सकी। चार शहरों- जयपुर, हैदराबाद, चेन्नई और दिल्ली में चार टावरों का निर्माण पूरा हो चुका है। चूंकि दो शहरों (बंगलौर और मुम्बई) के लिए टावरों के निर्माण का इरादा छोड़ दिया गया और देहरादून के लिए एक टावर बाद में जोड़ा गया, छह शहरों में टावरों के निर्माण की परियोजन के लिए संभावित कुल लागत 13.1124 करोड़ रुपये ठहरती है। अग्रिम के तौर पर 8.00 करोड़ रुपये की राशि मार्च, 2006 में मैसर्स बेसिल को जारी की गई। 0.63 करोड़ रुपये की एक अन्य किश्त 30.3.2007 को जारी की गई। 1.00 करोड़ रुपये की राशि 2007-08 के लिए रखी गई है और 3.50 करोड़ रुपये (लगभग) परियोजना के पूरे होने के लिए आवश्यक हैं।

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मानीटरिंग केंद्र

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मानीटरिंग केंद्र (इएमएमसी) की स्थापना निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए की गई है।

(i) भारत में डाउनलिंक किए जा रहे सभी टीवी चैनल की मानीटरिंग करना ताकि केबल, टेलीविजन नेटवर्क (नियमन) कार्यक्रम और विज्ञापन कोड के नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।

(ii) निजी एफ एम रेडियो स्टेशनों की मानीटरिंग और

(iii) सरकारी द्वारा समय-समय पर प्रसारण क्षेत्र से जुड़े अन्य सभी कार्यों की मानीटरिंग करना।

ईएमएमसी की स्थापना 19.65 करोड़ रुपये कुल व्यय योजना कार्यक्रम के अंतर्गत सक्षम अधिकारी द्वारा नवंबर 2007 में स्वीकृत की गई। वर्ष 2008-09 के लिए योजना 7.50 करोड़ रुपये तथा गैर योजना के अंतर्गत 3.00 करोड़ रूपये आबंटन किया गया। 2008-09 में परियोजना आरंभ हो जाने पर मानीटरिंग प्रणाली प्रारंभ कर दी जाएगी।

अन्तर्राष्ट्रीय चैनल

(मुख्य सचिवालय योजना)

भारत के एक वैश्विक शाक्ति के रूप में उभरने के परिणामस्वरूप ये आवश्यक हो गया है कि संवेदनशील मुद्दों पर भारतीय स्थिति और दृष्टिकोण को जितना संभव हो, ज्यादा से ज्यादा देशों में यथाशीघ्र पहुंचाया जाए। भारत का प्रमुख उद्देश्य भारत की स्थिति को दुनियाभर में उसी प्रकार प्रचारित किया जाए, जैसा कि अल-जज़ीरा, बीबीसी, सीएनएन,सीसीटीवी, आदि चैनलों पर होता है। इसके लिए डीडी इंडिया, जिसे बहुत से देशों में देखा जाता है, पर प्रसारण के साथ-साथ वर्तमान डीडी न्यूज चैनल के जरिए अंतर्राष्ट्रीय समाचारों और कार्यक्रमों की शुरुआत करनी होगी।

सामुदायिक रेडियो

सामुदायिक रेडियो के लिए आईईसी गतिविधियां

संचार माध्यम के रूप में रेडियो की देश के सामाजिक-सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारत जैसे विशाल देश में ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में जहां नियमित तौर पर बिजली की आपूर्ति बाधित रहती है और अक्सर बिजली नहीं रहती ऐसी स्थिति में रेडियो एक सशक्त संचार माध्यम बन गया है। ऐसे कई क्षेत्रों में लोग सूचना, शिक्षा और मनोरंजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिये केवल रेडियो पर ही निर्भर करते हैं। सामुदायिक रेडियो सार्वजनिक प्रसारण में कुछ भिन्न होता है जो छोटे-छोटे समुदायों और आम आदमी की दैनिक जरूरतों को पूरा करता है और स्थान विशेष की दिक्कतों और आवश्यकताओं को समझता है। यह समुदायों के विकास और शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, कृषि और ग्रामीण आवश्यकताओं से संबंधित मुद्दों पर ज़ोर देता है। इसके कार्यक्रमों के विषय सामाजिक, सांस्कृतिक और स्थानीय मुद्दे होते हैं और कार्यक्रमों की शैली, निर्माण प्रस्तुतिकरण और भाषा से स्थान विशेष की झलक मिलती है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के माध्यम से इन्हें स्थापित करके देश के विभिन्न भागों में कई कार्यशालाएं और गोष्ठियों के माध्यम से लोगों को जागरूक बनाने का प्रस्ताव रखा है।

सूचना भवन का निर्माण

सूचना भवन का निर्माण सूचना और प्रसारण मंत्रालय की एक प्रमुख परियोजना है। मंत्रालय की विभिन्न मीडिया इकाइयों को यथोचित स्थान उपलब्ध कराने की दृष्टि से, यह निर्णय किया गया कि विभिन्न स्थलों पर बिखरे मीडिया इकाइयों के कार्यालयों (आकाशवाणी महानिदेशालय और दूरदर्शन महानिदेशालय के अतिरिक्त) को एक स्थान पर लाने के लिये मंत्रालय को स्वयं का एक भवन निर्मित करना चाहिए। योजना आयोग ने इस स्कीम को मंजूर किया और इसे पांचवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया। तदनुसार, 1981 में मंत्रालय को लोधी रोड के एनवलप संख्या 8 पर 8364.3 वर्गमीटर आकार का भूमि का टुकड़ा आबंटित किया गया। हालांकि, इस पर निर्माण कार्य 1985 में शुरू हो पाया। वित्तीय बाधाओं के चलते, निर्माण कार्य चरणों में किया जा रहा है। इस भवन का निर्माण कार्य आकाशवाणी के सिविल कंस्ट्रक्शन विंग द्वारा किया जा रहा है। अब तक I, II, III चरण IV और पूरे हो चुके हैं। इन चार चरणों के तहत, केवल 38 प्रतिशत क्षेत्र (27,259 वर्ग मीटर) पर निर्माण कार्य हुआ है। सूचना भवन के निर्माण के चरण V के लिये कार्यवृत्त शुरू कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत बचे हुए 62 प्रतिशत क्षेत्र (45,500 वर्गमीटर) पर निर्माण किया जायेगा।

विकास पहलों का आर्थिक विश्लेषण (नई योजना)

अर्थव्यवस्था के तहत मनोरंजन और मीडिया क्षेत्र में 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) के दौरान उच्च वृद्धि की उम्मीद है। विकास की इस गति से लाभ उठाने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा फिल्म, सूचना और प्रसारण क्षेत्र संबंधी विभिन्न स्कीम/कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ताकि निर्धारित लक्ष्यों/उद्देश्यों को हासिल किया जा सके। 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) की वार्षिक योजना 2007-08 में इस नई स्कीम को शामिल किया गया है।

इसके लिए 0.08 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है। स्कीम के तहत 2007-08 के दौरान भारतीय जन संचार संस्थान को ''जम्मू और कश्मीर तथा उत्तर-पूर्व में विभिन्न मास मीडिया का प्रभाव और प्रवेश पर एक अध्ययन का कार्य सौंपा गया है। वार्षिक योजना 2008-09 के लिए 0.28 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रदान किया गया है।''

इस स्कीम के उद्देश्य इस प्रकार हैं :

-फिल्म, सूचना और प्रसारण क्षेत्र में प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) को विकसित करना।

-फिल्म, सूचना और प्रसारण क्षेत्रों से संबंधित नियामक और विकास नीतियों के प्रभाव का अध्ययन और मूल्यांकन करना।

मानव संसाधन विकास के लिये प्रशिक्षण

(मुख्य सचिवालय योजना)

11वीं योजना के अंतर्गत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रस्ताव में भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों के लिये विदेशों में स्थित संस्थानों में मानव संसाधन विकास का प्रशिक्षण संबंधी नई योजना शामिल की गई हैं। इसके लिये वर्ष 2008-09 में 19 लाख रुपयों का प्रावधान रखा गया है।

प्रसार भारती

आकाशवाणी

प्रसार भारती के एक अभिन्न अंग के रूप में आकाशवाणी प्रसार भारती अधिनियम, 1990 के तहत उसे सौंपे गए कार्य निरंतर निष्पादित कर रहा है। आकाशवाणी विभिन्न केन्द्रों से प्रसारित अपने कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को सूचना, शिक्षा तथा मनोरंजन उपलब्ध कराता है। यह देश के लोगों को सरकार की नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों और उपलब्धियों के बारे में जानकारी देता है। आकाशवाणी यह कार्य ध्वनि प्रसारण के माध्यम से करता है। आकाशवाणी संस्कृति, शिक्षा, विज्ञान, स्वास्थ्य तथा स्वच्छता, सामाजिक तथा आर्थिक मुद्दों, महत्वपूर्ण समाचारों और विषयगत अभिरुचि के सम-सामयिक घटनाक्रमों पर कई प्रकार के कार्यक्रमों का ध्वनि प्रसारण करता है। आकाशवाणी संतुलन तथा निष्पक्षता बनाए रखने, शिक्षा तथा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए अलग-अलग दृष्टिकोण पेश करता है।

आकाशवाणी के लिए वर्ष 2008-09 के गैर-योजना बजट के वास्ते प्रत्यक्ष बजटीय सहायता के रूप में 537.65 करोड़ रुपये रखे गए हैं। विभिन्न प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने के लिए यह धनराशि सहायता अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई गई है। योजना बजट 2008-09 के लिए प्रत्यक्ष बजटीय सहायता 195 करोड़ रुपये और पूंजी शीर्ष के तहत 183.23 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं। यह धनराशि मुख्यतया जम्मू-कश्मीर विशेष पैकेज के लिए है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेष पैकेज, महानगरों में कर्मचारी आवासों के निर्माण तथा ग्यारहवीं योजना की कुछ स्कीमों के लिए राजस्व विविध तथा राजस्व सॉफ्टवेयर शीर्ष के तहत 11.77 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। जहां, पूंजीगत योजना स्कीमों का वित्तपोषण सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण से किया जाता है वहीं राजस्व योजना स्कीमों के कोष सहायता अनुदान के रूप में उपलब्ध कराए जाते हैं। (अध्याय-II)

सही मायनों में एक सार्वजनिक प्रसारण के रूप में संगठन का और आगे विकास करने के लिए आकाशवाणी ने नीतिगत फैसलों के आधार पर कई कदम उठाए

हैं। आम आदमी की जरूरतों और विशेष रूप से लक्षित समूहों को ध्यान में रखते हुए इन उपायों को निष्पादित किया जाएगा है। (अध्याय-3)

वार्षिक योजना 2006-07 तथा 2007-08 (दिसम्बर 2007 तक) योजना स्कीमों का स्कीम-वार वित्तीय तथा प्रत्यक्ष निष्पादन अध्याय-4 में दर्शाया गया है। वार्षिक योजना 2006-07 के लिए स्वीकृत परिव्यय 71.67 करोड़ रुपये और व्यय 65.57 करोड़ रुपये था। इसी प्रकार, वार्षिक योजना 2007-08 का कुल परिव्यय 78.95 करोड़ रुपये है।

बजट अनुमान और हाल के संशोधित अनुमान तथा मौजूदा वित्तीय वर्ष (2007 की तीसरी तिमाही तक) का शीर्षवार विवरण अध्याय-5 में दिया गया है। प्रसार भारती (आकाशवाणी) ने प्रासंगिक नियमों के अनुसार पिछले वित्तीय वर्ष 2006-07 में जारी सहायता अनुदान के बारे में उपयोग संबंधी प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर दिए हैं और कोई भी उपयोग संबंधी प्रमाणपत्र लंबित नहीं हैं। प्रसार भारती, आकाशवाणी के कार्य निष्पादन के बारे में सरकार की रिपोर्ट अध्याय-6 में दी गई है।

प्रसार भारती
दूरदर्शन

सार्वजनिक प्रसारणकर्ता दूरदर्शन की शुरुआत सितंबर 1959 को एक प्रायोगिक प्रसारण के आधार पर दिल्ली में की गई थी, जिसे बाद में 1965 में एक स्थायी सेवा के तौर पर जारी किया गया। अन्य शहर (मुंबई) में टेलीविजन की शुरुआत 1972 में की गई। आरंभ में टेलीविजन ऑल इंडिया रेडियो की ही एक इकाई था। 1976 में इसे एआईआर से पृथक किया गया और तब दूरदर्शन अस्तित्व में आया। रंगीन टीवी एवं राष्ट्रीय प्रसारण की शुरुआत 1982 में की गई थी और तब से दूरदर्शन निरंतर प्रगति कर रहा है। प्रसार भारती (ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) 23 नवंबर, 1997 को एक जनसेवा प्रसारक के रूप में अस्तित्व में आया था और दूरदर्शन सूचना, शिक्षा एवं जन मनोरंजन और देश में प्रसारण के समुचित विकास हेतु इसका स्थायी अंग बना। टेरिस्ट्रियल नेटवर्क का मौजूदा स्वरूप, भिन्न क्षेत्रों जैसे समाचार, चैनल, स्टूडियो, डीटीएच, डिजिटलीकरण एवं नेटवर्किंग आदि में इसकी उपलब्धियों की जानकारी अध्याय-1 में दी गई है।

2008-09 के नॉन-प्लान के लिए प्रत्यक्ष बजटीय सहयोग के अंतर्गत दूरदर्शन का बजट 425.99 करोड़ रुपये रहा है, जो भिन्न प्रशासनिक खर्चों की पूर्ति हेतु ग्रांट्स-इन-ऐड के आधार पर निर्गत किया जाता है। 2008-09 के लिए कुल बजटीय सहयोग 280 करोड़ रुपये है जिसमें कैपिटल प्लान (194.17 करोड़ रुपये) एवं राजस्व प्लान (85.83 करोड़ रुपये) है। कैपिटल कार्यक्रम योजना सरकार द्वारा जारी राशि एवं राजस्व कार्यक्रम योजना भिन्न विषयों पर कार्यक्रम निर्माण हेतु ग्रांट्स-इन-ऐड के अधीन जारी राशि से पूर्ण किए जाते हैं। वार्षिक योजना 2008-09 की प्रमुख विशिष्टताएं जम्मू-कश्मीर के लिए विशेष पैकेज, पूर्वोत्तर हेतु विशेष पैकेज, डीटीएच, एचडीटीवी, स्टाफ के रहन-सहन का इंतजाम, ट्रांसमीटरों का डिजिटलीकरण, राष्ट्रमंडल खेल, भारतीय गौरव-ग्रंथ रचनाओं पर निर्माण, उर्दू चैनल, पूर्वोत्तर सेटेलाइट सेवा इत्यादि (अध्याय-2)।

दूरदर्शन ने अनेक नई शुरुआत की हैं। इसमें मोबाइल टीवी, एचडीटीवी, समाचार संकलन, व्यावसायिक विज्ञापनों हेतु मसौदा एवं पूर्वोत्तर एवं द्वीपीय क्षेत्रों को विशेष पैकेज।

वार्षिक योजना 2006-07 एवं 2007-08 (दिसंबर 2007 तक) की कैपिटल कार्यक्रम योजना के अनुसार भूमिका भी संबंधित अध्याय में इंगित है। तीसरी तिमाही तक 2007-08 की स्वीकृत योजना का प्रारूपण 306.64 करोड़ रुपये एवं खर्च 200.48 करोड़ रुपये रहा है।

मॉनीटरिंग क्रियाविधि

दूरदर्शन के वार्षिक कार्यक्रम योजनाओं का रख-रखाव प्रसार भारती को जारी राशि की मासिक खर्च विवरण के आधार पर किया जाता है। जारी राशि व्यय एवं मंत्रालय द्वारा निर्धारित अन्य कारकों के आधार पर की जाती है। इसके अतिरिक्त, अर्द्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट योजना आयोग द्वारा जारी फॉर्मेट के अनुसार संपूर्ण की जाती है।

प्रसार भारती (दूरदर्शन) का भिन्न योजनाओं का वित्तीय लेखा-जोखा, एक मासिक स्टेटमेंट के आधार पर प्लान कोऑर्डिनेशन सेल द्वारा लगातार मॉनीटर किया जाता है। इस प्रगति को मॉनीटर करने हेतु सचिव (सूचना एवं प्रसारण) स्तर की बैठकें भी संपन्न की गई थीं।

अध्याय-1

अधिदेश, लक्ष्य तथा उद्देश्य, नीतिगत स्वरूप और नीति विवरण

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

सीबीएफसी की वार्षिक योजना 2008-09 में निम्नांकित कार्यक्रम शामिल हैं :

i) कम्प्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली की स्थापना और सीबीएफसी में बुनियादी सुविधाओं का उन्नयन

इस कार्यक्रम के अंतर्गत सीबीएफसी के समूचे कामकाज का कम्प्यूटरीकरण किया जाना है। इस कार्य में एनआईसी की सहायता ली जा रही है। इसके अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों को तकनीकी उपकरण प्रदान करना और सीबीएफसी में बुनियादी सुविधाओं का उन्नयन शामिल है। क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए टीवी, डीवीडी, और अन्य तकनीकी उपकरण भी खरीदे जायेंगे। 11वीं योजना स्कीम के लिए स्वीकृत लक्ष्य 350 लाख रुपये है जिसमें से 51 लाख रुपये वर्ष 2007-08 के लिए सीबीएफसी में कंम्प्यूटरीकरण और बुनियादी विकास के लिए हैं। दिसम्बर, 2007 तक 6.12 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं। वार्षिक योजना 2008-09 में कम्प्यूटरों के रखरखाव और तत्संबंधी वार्षिक रखरखाव अनुबंध, सीबीएफसी के प्रिव्यू थिएटर का नवीकरण, कोलकाता, मुंबई में कार्यालय स्थित लाइब्रेरी गोदाम का नवीकरण तथा क्षेत्रीय कायलियों के लिए टीवी, वीसीडी, डीवीडी और अन्य तकनीकी उपकरणों की खरीद के प्रावधान शामिल हैं। कार्यक्रम के अंतर्गत वित्त वर्ष 2008-09 के लिए 5800 लाख रुपये आबंटित किए गए हैं।

ii) नई दिल्ली, कटक और गुवाहाटी में सीबीएफसी के क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना

नई दिल्ली, कटक और गुवाहाटी में सीबीएफसी के क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का प्रावधान है। इस कार्यक्रम को एसएफसी की अनुमति मिलनी है। वर्ष 2007-08 के लिए 90 लाख रुपये प्रदान किए गए हैं। 2007-08 में 56 लाख रुपये प्रदान किए गए हैं। यद्यपि, एसएफसी की गैर-स्वीकृति के चलते आबंटित धन खर्च नहीं किया गया।

iii) प्रमाणन प्रक्रिया की जांच और आधुनिकीकरण

इस कार्यक्रम के अंतर्गत फिल्म प्रमाणन बोर्ड के परीक्षण अधिकारियों/बोर्ड के सदस्यों और पैनल सदस्यों की कार्यशालाओं, सेमिनार आदि की व्यवस्था का प्रावधान है। इसके अंतर्गत प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में एक कार्यशाला, और सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में एकरूपता के लिए अखिल भारतीय पैनल कार्यशाला आयोजित की जाएगी। इसके अतिरिक्त टाटा इंस्टिट्यूट आफ सोशल साइंसिज़ आदि संगठनों के जरिए अध्ययन से जानकारी भी प्राप्त की जाएगी। देश के विभिन्न भागों में सिनेमाघरों द्वारा किए जाने वाले सेंसरशिप के उल्लंघन की जांच करने के लिए प्राइवेट खुफिया एजेंसियों को तैनात करने की भी व्यवस्था थी लेकिन फरवरी, 2007 से खुफिया एजेंसियों की सेवाएं हटा ली गईं। 11वीं पंचवर्षीय योजना में पांच करोड़ रुपये के आबंटन की मंजूरी दी गयी। इस कार्यक्रम के लिए 2007-08 में 60 लाख रुपये आबंटित किए गए हैं। वर्ष 2008-09 के लिए 86 लाख रुपये प्रदान किए गए हैं।

बाल फिल्म समिति, भारत

संगठन की गतिविधियां

1. **उत्पादन एवं खरीद :** समिति बच्चों तथा युवाओं के लिए फिल्म तथा वीडियो फार्मेट में फीचर फिल्म, लघु फीचर फिल्म, कार्टून, लघु फिल्म, कठपुतली फिल्म तथा टीवी सीरियल बनाता है। संगठन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में लोकप्रिय रहीं कुछ फिल्मों के प्रदर्शन अधिकार भी खरीदता है। इन फिल्मों तथा समिति द्वारा निर्मित फिल्मों की विभिन्न भारतीय भाषाओं में डबिंग की जाती है।

2. फिल्म समारोह

अ. **अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह :** समिति हर दूसरे साल प्रतियोगी बाल फिल्म समारोह का आयोजन करती है। अंतर्राष्ट्रीय बाल एवं युवा फिल्म केंद्र जो कि दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों को नियंत्रित करने वाली यूनेस्को से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, ने इसे 'ए' श्रेणी में रखा है।

ब. **अतंर्राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह में भागीदारी :** समिति की फिल्में विभिन्न समारोहों में प्रदर्शित हुई हैं। इससे विदेशों में बच्चों की फिल्मों को बढ़ावा देने में मदद मिली है। हर दूसरे साल होने वाले अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह में राष्ट्रीय डिजिटल फिल्म समारोह आयोजित करने का भी प्रस्ताव है।

3. आधुनिकीकरण तथा संवर्धन : समिति ने अपने कार्यालय का कंप्यूटरीकरण किया है तथा मौजूदा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का उन्नयन किया जा रहा है।

4. एनिमेशन तथा फिल्म निर्माण पर कार्यशालाएं : समिति बच्चों को फिल्म-निर्माण के विभिन्न पहलुओं की जानकारी देने के लिए फिल्म निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया तथा एनिमेशन पर कार्यशालाएं आयोजित करती है। इनमें एनिमेशन कार्यशाला, पटकथा लेखन कार्यशाला, फिल्म समालोचना कार्यशाला तथा फिल्म निर्माण कार्यशाला शामिल हैं।

5. डिजिटल रूपांतरण तथा वेबकास्टिंग : समिति द्वारा निर्मित, डब की हुई तथा उप-शीर्षक सहित सभी फिल्मों को अभिलेखन के उद्देश्य से डिजिटल रूप में रूपांतरित करना तथा उन्हें इंटरनेट/वेब पर उपलब्ध कराना।

6. फिल्मों का प्रदर्शन और वितरण

i **निजी प्रदर्शन :** कई स्कूल और व्यक्ति स्कूलों या सिनेमा हाल में 35 मि.मी./16 मि.मी. प्रोजेक्टरों के जरिए गैर-व्यावसायिक प्रदर्शनों के लिए नियत शुल्क देकर इन फिल्मों को किराए पर लेते हैं।

ii **जिला और राज्य स्तर के समारोह :** यह गतिविधि जिला प्रशासनों के साथ मिलकर की जाती है। विभिन्न प्रदेशों में कुछ जिलों को चिह्नित कर वहां मामूली प्रवेश शुल्क पर फिल्में दिखाई जाती हैं। सरकारी निगम स्कूलों या जिला परिषद के स्कूलों में जाने वाले बच्चों को ये फिल्में देखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जिला शिक्षा विभाग टिकटों को बेचने में सहयोग करते हैं। इसलिए समिति के लिए फिल्म समारोह आय का बड़ा साधन भी होते हैं। समिति ने वर्ष 2007-08 से निर्णय लिया है कि समिति के फिल्मों के प्रदर्शन में बच्चों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

iii **सिनेमा हाल के बाहर मुफ्त प्रदर्शन :** ग्रामीण और मनोरंजन के दूसरे साधनों से वंचित बच्चों के लिए समिति ने सरकारी स्कूलों के बच्चों और आदिवासी बच्चों

को मुफ्त फिल्में दिखाने की एक नई योजना शुरू की है। नेहरू युवा केंद्र संगठन जैसे गैर-सरकारी संगठनों की इसमें मदद ली जा सकती है। मुफ्त प्रदर्शनों पर होने वाला खर्च समिति, इस मद में सरकार से मिलने वाले सहायक अनुदान से पूरा करती है। इस योजना में, सुधार गृहों, अनाथालयों आदि में रहने वाले बच्चों को भी बच्चों की फिल्में देखने का मौका दिया जाता है, जो अन्यथा इसी तरह के मनोरंजन से वंचित हैं।

iv **वितरकों के जरिए प्रदर्शन :** समिति, स्कूलों और सिनेमा हालों में फिल्मों के प्रदर्शन के लिए वितरकों/ आयोजकों से भी सहयोग लेती है। एक तय मासिक शुल्क लेकर फिल्में ले लेते हैं और आबंटित इलाके में उनका प्रदर्शन करते हैं।

v **टेलीविजन पर फिल्मों का प्रदर्शन :** समिति की फिल्में दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क और क्षेत्रीय चैनलों के अलावा निजी चैनलों पर भी दिखाई जाती हैं।

vi **पूर्वोत्तर क्षेत्र और जम्मू कश्मीर में गतिविधियां :** समिति पूर्वोत्तर राज्यों सहित क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्मों के निर्माण, कार्यशालाओं के आयोजन और प्रदर्शन के जरिए उन्हें प्रोत्साहन देती है।

विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय

विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी) भारत सरकार की बहु-मीडिया विज्ञापन एजेंसी है। यह विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की नीतियों, कार्यक्रमों और उपलब्धियों को विभिन्न संचार माध्यमों के जरिए जनता तक पहुंचाने का कार्य करती है। यह अनेक स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों की प्रचार आवश्यकताओं को भी पूरा करती है। समाज से संबंधित संदेशों को निचले स्तर तक पहुंचाने के लिए निम्नांकित माध्यमों का सहारा लिया जाता है :

(क) समाचारपत्रों में विज्ञापन

(ख) श्रव्य/दृश्य स्पॉट, जिंगल्स आदि।

(ग) मुद्रित प्रचार, पुस्तिकाएं, ब्रोशर, पोस्टर आदि।

(घ) बाह्य मीडिया-होर्डिंग्स, वॉल पेंटिंग्स, बस पैनल, किऑस्क आदि।

(ङ) ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में भीड़भाड़ वाले स्थानों जैसे मेलों आदि में महत्वपूर्ण विषयों पर फोटो प्रदर्शनियों का आयोजन।

कुल मिलाकर विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय कई वर्षों से सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक विकास के क्षेत्र में उत्प्रेरक की भूमिका निभा रहा है। यह आम जनता में जागृति पैदा करने और विकास गतिविधियों में उनकी भागीदारी में सहायक सिद्ध हो रहा है। सामाजिक बुराइयों को दूर करने और गरीबी उन्मूलन में भी इस निदेशालय की अहम भूमिका है।

मुद्रित माध्यम प्रचार और श्रव्य-दृश्य प्रचार का निर्देशन भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी क्रमश: विज्ञापन नीति और श्रव्य-दृश्य नीति द्वारा किया जाता है।

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय, कल्याण स्कीमों, नीतियों एवं कार्यक्रमों तथा सरकार की उपलब्धियों का 22 क्षेत्रीय केन्द्रों तथा 207 क्षेत्र प्रचार यूनिटों के माध्यम से प्रचार-प्रसार करता है। क्षेत्र प्रचार निदेशालय अपनी प्रचार गतिविधियों जैसे-फिल्म शो, गीत व ड्रामा कार्यक्रम, फोटो प्रदर्शनी रैली, सामूहिक विचार-विमर्श, वादविवाद, क्विज तथा सेमीनारों के माध्यम से प्रचार-प्रसार करने के लिए विविध फार्मेटों का उपयोग करता है। इसमें चयनित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में क्रमवार व्यापक प्रचार किया जाता है जिसमें दूर-दराज के क्षेत्रों, जनजातीय तथा पिछड़े क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। निदेशालय के निम्नलिखित कार्य/उद्देश्य हैं :

(i) सरकार के कार्यक्रमों एवं नीतियों को अपने लोगों एवं उत्पादों तथा सामग्री से आम लोगों को रूबरु कराना ताकि लोगों के लिए तैयार की गई स्कीमों एवं नीतियों की उनको जानकारी दी जा सके।

(ii) लोकतंत्र, समाजिकता तथा धर्म निरपेक्षता के संघीय राष्ट्रीय मूल्यों के बारे में लोगों को जानकारी देना और लगातार व्यक्तिगत सम्पर्क से लोगों का विश्वास उन मूल्यों पर बनाए रखना।

(iii) विकासात्मक गतिविधियों में लोगों की सक्रीय भागीदारी के लिए ग्रामीण स्तर पर लोगों के साथ अपनी साख बनाए रखना तथा कल्याण तथा विकासात्मक कार्यक्रमों के पक्ष में जनमत जुटाना।

(iv) सरकार द्वारा उचित और सुधारात्मक कारवाई करने के लिए और ग्रामीण स्तर पर उनका कार्यान्वयन करने के वास्ते सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों में जन-सूचना एकत्र करना।

फिल्म समारोह निदेशालय

फिल्म समारोह निदेशालय को अच्छे सिनेमा को बढ़ावा देने तथा भारत में अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों का आयोजन करने, देश और विदेश में भारतीय फिल्मों को बढ़ावा देने, फिल्म सप्ताहों का आयोजन तथा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

निदेशालय भारत में और विदेशों में सर्वश्रेष्ठ भारतीय सिनेमा को प्रदर्शित करने के प्रयास भी करता है। निदेशालय द्वारा आयोजित फिल्म समारोह भारत और विदेश के एक जैसी सोच वाले पेशेवरों के लिए विचार विनिमय और अपने दृष्टिकोण और अवधारणाओं को एक-दूसरे के साथ बांटने के एक मंच के रूप में काम करता है।

निदेशालय की गतिविधियां ''भारत और विदेशों में फिल्म समारोह के जरिए निर्यात संवर्धन'' योजना के माध्यम से चलाई जाती हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

(क) भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह।

(ख) भारत और विदेशों में आयोजित फिल्म समारोहों में भारतीय पैनोरमा फिल्मों का प्रदर्शन।

(ग) भारतीय पैनोरमा फिल्मों का चयन।

फिल्म समारोहों के जरिए निर्यात संवर्धन की योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के दृष्टिकोण से निदेशालय को एक तकनीकी रूप से सुसज्जित प्रिंट यूनिट, जो प्रिंटों को लम्बी अवधि तक भंडारण में मदद करेगी, प्रदान करने के लिए एक नई योजना का भी 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रावधान है।

इसके अलावा सीरीफोर्ट फिल्म समारोह परिसर के रख-रखाव तथा देखभाल की जिम्मेदारी भी निदेशालय की है। सुविधाओं में सुधार/परिसर की मरम्मत ''फिल्म समारोह परिसर-संवर्धन तथा बदलाव'' नामक कार्ययोजना के तहत किया जाता है।

फिल्म प्रभाग

फिल्म प्रभाग उन वृत्तचित्रों, एनीमेशन और छोटी फिल्मों का निर्माण करती है। जिन्हें भारत सरकार को अनुदेश और सांस्कृतिक कार्य हेतु सूचना, शिक्षा, प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। फिल्म प्रभाग का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। परिवार कल्याण विभाग, रक्षा मंत्रालय और अन्य सरकारी संस्थानों द्वारा प्रायोजित विषयों पर वृत्तचित्र बनाने हेतु एक उप-इकाई नई दिल्ली में भी स्थित है। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण कथाओं पर मनोरंजक तत्वयुक्त फीचर/वीडियो फिल्मों को निर्माण हेतु दो प्रादेशिक केंद्र बंगलौर और कोलकाता में भी स्थापित किये गए हैं। चौदह मुख्य कैमरामैन और बारह सहायक कैमरामैनों को भिन्न राज्यों की राजधानियों में विशेष और सांस्कृतिक महत्व वाली राष्ट्रीय घटनाओं के कवरेज हेतु नियुक्त किया गया है। दस शाखा कार्यालयों के नेटवर्क के जरिये फिल्मों का वितरण किया जाता है। फिल्म प्रभाग को महाराष्ट्र और अन्य फिल्म इकाइयों की मदद से द्वैवार्षिक फिल्म समारोह भी आयोजित करता है। पिछला फिल्म समारोह 3 से 9 फरवरी, 2006 के दौरान संपन्न किया गया। 10वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह फरवरी 2008 में संपन्न हुआ।

वर्ष 2007-08 के दौरान (दिसंबर 2007 तक) फिल्म प्रभाग ने कुल 457.75 लाख रुपये राजस्व एकत्र किया था जो गैर-योजना बजट व्यय का 50 प्रतिशत है यह 2006-07 के दौरान 661.02 लाख रुपये था।

भारत और विदेश में फिल्म बाजारों में भागीदारी

(मुख्य सचिवालय योजना)

11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सूचना और प्रसारण मंत्रालय का फिल्म स्कंध मुख्य सचिवालय में ''भारत और विदेश में फिल्म बाजारों में भागीदारी'' नाम का कार्यक्रम लागू कर रहा है। अब इस कार्यक्रम को ''फिल्मों का निर्यात और विपणन'' नाम के एक अन्य कार्यक्रम का घटक बना दिया गया है। ''भारत और विदेश में फिल्म बाजारों में भागीदारी'' घटक का कामकाज मंत्रालय के मुख्य सचिवालय द्वारा संचालित किया जा रहा है, जबकि ''भारत और विदेश में फिल्म समारोहों के जरिए निर्यात संवर्द्धन'' घटक डीएफएफ द्वारा लागू किया जा रहा है। इन दोनों कार्यक्रमों का विलय योजना आयोग की सलाह पर किया गया।

2. ''भारत और विदेश में फिल्म बाजारों में भागीदारी'' घटक के कार्यान्वयन का प्रयोजन भारतीय फिल्मों की पहुंच को वैश्विक आधार प्रदान करना है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म बाजारों में भारतीय फिल्मों की भागीदारी से उनके परिचय को बढ़ावा मिलता है और फिल्मों की उपलब्धता की जानकारी प्रचारित होती है। निर्यात की संभावनाएं मौजूदा बाजारों और छोटे तथा गैर-पारंपरिक बाजारों जैसे लेटिन अमरीका, चीन और स्केंडिनेवियन देशों में बढ़ाने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म बाजारों में भागीदारी के जरिए हम अन्य देशों में अपनी फिल्में प्रदर्शित कर यह सब हासिल कर सकते हैं। इन बाजारों में केंस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह और बाजार, बर्लिन फिल्म समारोह और अमरीकन फिल्म बाजार-लॉस ऐंजेल्स, आदि शामिल हैं।

पारंपरिक फिल्म बाजारों के अतिरिक्त, योजना के अंतर्गत एनीमेशन फिल्म समारोह/बाजारों, बाल फिल्म बाजार और/अथवा वृत्तचित्र फिल्म क्षेत्र में भागीदारी का

प्रस्ताव है। योजना का लक्ष्य फ्रांस में एन्नेसी-एनीमेशन फिल्म समारोह/बाजार अथवा केंस में अक्टूबर में आयोजित ऑडियो-विजुअल कंटेंट इंडस्ट्री बाजार (मिपकौम) में भागीदारी का है।

अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के साथ फिल्म बाजार का भी आयोजन किया जाता है। इन बाजारों में भागीदारी की संभावनाओं का आकलन वार्षिक आधार पर किया जाता है और यह भिन्न-भिन्न वर्षों के लिए अलग-अलग हो सकता है। उपरोक्त कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए सरकार की प्रशासनिक मंजूरी एसएफसी द्वारा इस कार्यक्रम पर विचार करने के बाद 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दी गयी थी। इसके लिए 11 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था।

3. वर्ष 2008-09 के लिए इस योजना के अंतर्गत बजट अनुमान के रूप में योजना आयोग द्वारा 2.20 करोड़ रुपये मंजूर किए गए।

ऐनीमेशन, गेमिंग और विशेष प्रभावों के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना

4. तीव्र प्रौद्योगिकी विकास ने एनीमेशन, गेमिंग और विशेष दृश्य प्रभावों के क्षेत्र में विकास को बढ़ावा दिया है। एनीमेशन सॉफ्टवेयर कार्यक्रमों को इस्तेमाल कंटेंट विकसित करने के लिए 2 डी सैल एनीमेशन तथा 3 डी सैल एनीमेशन तकनीकों का इस्तेमाल होता है। 3 डी मोशन केप्चर एनीमेशन तकनीकों का इस्तेमाल लो रिजोल्युशन गेम, इंटरनेट करेक्टर्स, विशेष प्रभाव इत्यदि में होता है। इसी तरह, गेमिंग उद्योग गेम डिजाइजन, प्लेटफार्म डिजाइन तथा प्ले करेक्टरि स्टिम्स के लिए आधुनिक गेमिंग सॉफ्टवेयर पर निर्भर है। भारतीय गेमिंग उद्योग मोबाइल तथा ऑन लाइन गेमिंग क्षेत्र में अवसरों का इस्तेमाल करना चाहती है। एनीमेशन, गेमिंग तथा दृश्य प्रभाव उद्योग प्रौद्योगिकी तथा तकनीकी/व्यावसायिक दोनों जनशक्ति की मांग वाला क्षेत्र है। भारतीय उद्योग पहले से ही विरोध का सामना कर रहा है। ऐसे में जब इन उद्योगों में भारत का एक छोटा हिस्सा है, वैश्विक मांग और भारत में आईटी व्यावसायिकों का विशाल पूल होने के नाते अत्यधिक संभवनाएं हैं।

4.1 दृश्य प्रभाव एक उच्च कौशल वाली गतिविधि है और ऑडियो-वीडियो उद्योग में काफी महत्व रखती है। इस संबंध में, हॉलीवुड की 'मिशन इंपोसिबल' और 'मेट्रिक्स' तथा भारत की 'धूम 2' और 'डॉन' दिमाग में आती हैं। यह कौशल विकास एनीमेशन और गेमिंग के अनुरूप होगा और इसमें राजस्व की अत्यंत संभावनाएं हैं।

4.2 यद्यपि, तेजी से बढ़ रहे एनीमेशन और गेमिंग तथा दृश्य प्रभाव उद्योग को प्राशिक्षित व्यावसायिकों की कमी का पहले से ही सामना करना पड़ रहा है। विभिन्न रिपोर्टों से अनुमान लगाया गया है कि वर्तमान में लगभग 10,000 एनीमेशन व्यावसायिकों की आवश्यकता है जबकि मात्र 3000 व्यावसायिक ही उपलब्ध हैं। इसी प्रकार गेमिंग उद्योग में लगभग 6000 व्यावसायिक हैं जबकि मांग इससे कहीं अधिक है। उद्योग की गति को देखते हुए कुशल व्यावसायिकों की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इसलिए यह आवश्यक है कि भारत एनीमेशन, गेमिंग और दृश्य प्रभाव क्षेत्र प्राशिक्षित कार्मिकों की संख्या बढ़ाने के उपाय सुनिश्चित करे। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए, एक एचआर योजना की इस क्षेत्र को आवश्यकता है ताकि प्राशिक्षित कार्मिकों की संख्या तीव्रता से बढ़े। इस प्रकार उच्च शिक्षा में स्कूल करीकुलम तथा एनीमेशन प्राशिक्षण के बीच स्पष्ट-सह-संबंध स्थापित करने की आवश्यकता है। उपर्युक्त उद्देश्यों के साथ यह विचार किया गया है कि सार्वजनिक/निजी भागीदारी में एनीमेशन, गेमिंग और विशेष प्रभाव क्षेत्र के लिए एक विशेषीकृत प्रशिक्षण और परामर्श संस्थान स्थापित किया जाए। यह संस्थान इन क्षेत्रों में स्तरीय अध्ययन और प्रशिक्षण के क्षेत्र में एक बेंच मार्क स्थापित करे और संपूर्ण क्षेत्र के लिए नेतृत्व प्रदान करे।

4.3 भारत में अपनी तरह का एकमात्र संस्थान होने के चलते संस्थान क्षेत्र में अनुसंधान अवसरों को भी प्रदान करेगा। इससे प्रौद्योगिकीय पहल और सॉफ्टवेयर विकास में सहायता मिलेगी। आगे चलकर, अनुसंधान न केवल बौद्धिक संपदा पैदा करने बाल्कि राजस्व बढ़ाने तथा संबंधित क्षेत्र में नेतृत्व की स्वीकृति प्रदान करता है।

5. मानव संसाधन योजना परामर्शिकी की लागत लगभग 0.25 करोड़ आएगी जबकि सार्वजनिक/निजी भागीदारी में एनीमेशन, गेमिंग और दृश्य प्रभावों के प्रस्तावित विशेषीकृत प्रशिक्षण, परामर्श और अनुसंधान संस्थान कहीं अधिक होगा। सार्वजानिक/निजी भागीदारी का मॉडल अथवा पैटर्न परामर्श रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद का अगला कदम होगा। स्कीम 11वीं योजना के दौरान अमल में लाई जाएगी। वर्ष 2008-09 की वार्षिक योजना में एक करोड़ रुपये का आबंटन रखा गया है।

6. योजना लागू होना इस क्षेत्र में शीघ्र कुशल और प्रशिक्षित जनशक्ति की पर्याप्त संख्या में उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए मानव संसाधन योजना तैयार करने के लिए नियुक्त परामर्शक की रिपोर्ट पर आधारित होगा। वार्षिक योजना 2008-09 में परामर्शक से रिपोर्ट प्राप्त करना और इसकी सिफारिशों पर आधारित आगे की आवश्यक कार्यवाही करना है।

भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे

इस संस्थान की स्थापना 1960 में फिल्म निर्माण कला और तकनीक में प्रशिक्षण के लिए की गई थी। 1974 से इसने दूरदर्शन कर्मचारियों को फिल्म निर्माण में प्रशिक्षित करने का काम शुरू किया और इसका नाम भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान कर दिया गया। यह अपने ढंग का अग्रणी संस्थान है और फिल्म निर्माण एवं टेलीविजन प्रशिक्षण की पूरी जिम्मेदारी संभाले हुए है।

शैक्षिक गतिविधियां

संस्थान द्वारा संचालित शैक्षिक पाठयक्रम

क्र.सं.	पाठ्यक्रम	छात्रों की संख्या
(अ)	**फिल्म एवं टेलीविजन में तीन वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा**	
1.	निर्देशन	34
2.	सिनेमाटोग्राफी	32
3.	संपादन	31
4.	आडियोग्राफी	26
(ब)	**दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठयक्रम**	
1.	अभिनय	40
2.	कला निर्देशन एवं प्रोडक्शन डिजाईन	23
(स)	**1-1/2 वर्षीय पाठयक्रम**	
	एनीमेशन एवं कंप्यूटर ग्राफिक्स में प्रमाणपत्र	24
(द)	**टेलीविजन में एक वर्षीय स्नातकोत्तर सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम**	
1.	निर्देशन	10
2.	इलेक्ट्रानिक सिनेमाटोग्राफी	09
3.	वीडियो संपादन	10
4.	आडियोग्राफी एवं टी.वी. इंजीनियरी	02
(य)	**फीचर फिल्म स्क्रीनप्ले राइटिंग में एक वर्षीय स्नातकोत्तर सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम**	**12**
	कुल	**253**

लघु-अवधि पाठयक्रम

एफटीआईआई कार्यरत व्यावसायिकों और अन्य लोगों के लिए कम अवधि के पाठयक्रम आयोजित करता है।

योजना कार्यक्रम

योजना शीर्ष के अंतर्गत आने वाली निधियों का मूल उद्देश्य प्रशिक्षण सुविधाओं एवं तरीकों का आधुनिकीकरण एवं संवर्धन करना है ताकि जनशक्ति को प्रशिक्षित किया जा सके और मूल सुविधा के साथ उपलब्ध सुविधाएं विकसित की जा सकें। राजस्व अर्जित करने के लिए बाहरी फिल्म निर्माताओं को सुविधाएं उपलब्ध कराना भी एक कार्यक्रम है ताकि संस्थान को स्वावलंबी बनाया जा सके।

ग्यारहवीं योजना के लिए निम्नलिखित दो योजनाओं का प्रस्ताव किया गया है।

अ. चल रही स्कीम

फिल्म एवं टेलीविजन इंस्टीट्यूट, पुणे का उन्नयन

i. मशीनें एवं उपकरण

ii. भवन निर्माण एवं बिजली का काम

iii. एफटीआईआई, पुणे का कम्प्यूटरीकरण एवं आधुनिकीकरण

iv. सामुदायिक रेडियो की व्यवस्था

v. कैप्टिव टीवी चैनल की स्थापना

vi. छात्रों के लिए विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ आदान-प्रदान कार्यक्रम एवं छात्रवृति सहित मानव संसाधन पक्ष

ब. नई स्कीम

ग्लोबल फिल्म स्कूल (नया)

क. चल रही योजनाएं

1) एफ.टी.आई.आई. पुणे को प्रदान की गयी सहायक अनुदान।

इस योजना का वांछित उद्देश्य मूल सुविधाओं में कमियों को दूर करना और वर्तमान सुविधाओं को उद्योग की आधुनिक सुविधाओं के अनुरूप बनाना है। इससे संस्थान के छात्रों और प्रशिक्षार्थियों को सीधा लाभ मिलेगा।

यह योजना मानव संसाधन विकास के साथ जुड़ी हुई है। कुछ शुरुआती प्रयास किए जा चुके हैं जिनसे संस्थान के छात्रों एवं शिक्षकों को लाभ हुआ है। इस योजना के कुछ तत्वों को फिर से संयोजित करने की जरूरत पड़ सकती है और इसे जारी रखना जरूरी है।

ग. नई स्कीम

ग्लोबल फिल्म स्कूल (नया)

अगले वर्ष के दौरान विभिन्न अवधि के और नए पाठयक्रम शुरू करने और संस्थान को आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत है। इन पाठयक्रमों के लिए यह संस्थान अन्य विश्वविद्यालयों और फिल्म संस्थानों के साथ सहयोग करेगा। उनके साथ सहयोग छात्रों और शिक्षकों के आदान-प्रदान कार्यक्रम, छात्रों के लिए क्रेडिट ट्रांसफर और संयुक्त डिग्री कार्यक्रम के रूप में होगा। एफ.टी.आई.आई. हर प्रकार की इंटरनेट टेक्नालाजी से लाभान्वित होने की कोशिश कर रहा है ताकि देश-विदेश से संपर्क हो सके और ऐसा करके इसे सही अर्थों में एक ग्लोबल फिल्म स्कूल बनाया जा सके।

सत्यजित राय फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान, कोलकाता

परिणाम बजट 2008-09 (योजना/गैर योजना)

फिल्म तथा टेलीविजन कार्यक्रमों की विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षित मानवशक्ति के अभाव को सदैव सम्बद्ध उद्योगों द्वारा महसूस किया जाता रहा है। फिल्म तथा टेलीविजन कार्यक्रमों की विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षित मानवशक्ति उपलब्ध कराने के मकसद से भारत सरकार ने एक स्वायत्त शैक्षणिक संस्थान के रूप में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन कोलकाता के सत्यजीत राय फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान की स्थापना की थी और इसे पश्चिम बंगाल सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1961 के तहत पंजीकृत करवाया था। कोलकाता में यह संस्थान खासकर पूर्वी तथा उत्तर-पूर्वी भारत के लिए फिल्म तथा टेलीविजन कार्यक्रमों के बारे में प्रशिक्षण देने के लिए स्थापित किया गया था।

संस्थान का प्राथामिक मूल उद्देश्य छात्रों के लिए फिल्म और टेलीविजन के बारे में विभिन्न पाठ्यक्रम चलाना है। प्रति वर्ष यहां से लगभग 40 छात्र निकलते हैं। मुख्य उद्देश्य फिल्म तथा टेलीविजन उद्योग दोनों ही के लिए प्रशिक्षित मानवशक्ति उपलब्ध कराना है।

सत्यजित राय फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान, भारत सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय स्तर का दूसरा संस्थान है। यह संस्थान, निर्देशन और पटकथा लेखन, चलचित्रिकी छायांकन, सम्पादन और ध्वन्यांकन में तीन साल का स्नातकोत्तर डिप्लोमा कोर्स कराता है। इनमें से प्रत्येक शाखा में दस-दस छात्र लिए जाते हैं। फिल्म तथा टेलीविजन से जुड़े अन्य क्षेत्रों में बुनियादी डिप्लोमा कोर्सों के अतिरिक्त समाजशास्त्र, संस्कृति और फिल्म तथा टेलीविजन टेक्नोलाजी के बारे में अनुसंधान और खोजी अध्ययनों पर भी यह संस्थान ध्यान देता है।

विभागानुसार छात्रों की वर्तमान संख्या निम्न तालिका में दर्शाई गई है।

क्रमांक	पाठ्यक्रम	छात्रों की वर्तमान संख्या
(क)	फिल्म तथा टेलीविजन में तीन साल का स्नातकोत्तर डिप्लोमा कोर्स	
1	निर्देशन	18
2	छायांकन	18
3	सम्पादन	20
4	ध्वन्यांकन	18
	कुल	74

बुनियादी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के अलावा संस्थान, विभिन्न संगठनों और फिल्म उद्योग की मांग पर विभिन्न अल्पावधि पाठ्यक्रम और विभिन्न प्रोजेक्ट कराता है।

योजना कार्यक्रम

आरम्भ में कोर्सों को चलाने के लिए संस्थान में जो बुनियादी ढांचा तैयार किया गया था, वह केवल एक ही बैच के लिहाज से था। धीरे-धीरे और बैच आते गए लेकिन बुनियादी ढांचे में अधिक वृद्धि नहीं की गई जिसका परिणाम यह हुआ है कि संस्थान को एकसाथ तीन बैच चलाने के लिए बुनियादी ढांचे तथा मानवशक्ति की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। अपर्याप्त ढांचे और मानवशक्ति के परिणामस्वरूप शैक्षणिक समय-सारणी में विलम्ब हो रहा है और छात्रों में बार-बार असंतोष फैलता है। दरअसल अपर्याप्त मानवशक्ति और बुनियादी ढांचे की मदद के बिना संस्थान की स्थापना का उद्देश्य ही गड़बड़ा गया है और विफल हो गया है।

संस्थान 10वीं योजनावधि और 11वी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान अपनी चालू योजनाओं को जारी रखेगा। प्रत्येक योजना के परिणामों के बारे में संक्षेप में नीचे दिया गया है।

अधिक विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए संस्थान ने बुनियादी ढांचे और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर निम्नलिखित नए कोर्सों का प्रस्ताव किया है।

11वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित स्कीमों का प्रस्ताव है।

(क) नई स्कीम

1. ऐनीमेशन और इलेक्ट्रोनिक इमेजिंग विभाग
2. फिल्म तथा टेलीविजन में निर्माण प्रबंधन विभाग

(ख) जारी स्कीम

1. सामुदायिक रेडियो स्टेशन की स्थापना
2. केप्टिव टी वी सॉफ्टवेयर निर्माण केंद्र की स्थापना
3. प्रशिक्षण तथा कौशल विकास...जिम्मेदार फिल्म निर्माण
4. छात्रवृत्ति, छात्र/संकाल विनिमय कार्यक्रम
5. मानव शक्ति सहित ढांचे के लिए प्रावधानों सहित कम्प्यूटरीकरण और आधुनिकीकरण
6. मानव संसाधन विकास पहलु/छात्रवृत्ति/विनिमय कार्यक्रम

जारी कार्यक्रम

सामुदायिक रेडियो स्टेशन की स्थापना

प्रस्तावित सामुदायिक रेडियो स्टेशन (सीआरएस) की अवधारणा में संस्थान में एफएम पर आधारित एक रेडियो स्टेशन खोलने का सोचा गया है ताकि छात्रों को ऑन-लाइन प्रसारण में व्यावहारिक (हैंड्स-ऑन) अनुभव प्राप्त हो सके। एफएम चैनलों की बढ़ती लोकप्रियता से पता चलता है कि जन शिक्षा और मनोरंजन के तथा स्थानीय

हितों और स्वरूप के अनुकूल बनाए जाने वाले कारगर प्रचार माध्यम के रूप में स्थानीय प्रसारण प्रणालियों के परिचालन के लिए उत्साहवर्द्धक माहौल मौजूद है। अपने मौजूदा बुनियादी ढांचे तथा युवा और ऊर्जावान छात्र संसाधनों के बल पर सत्यजीत राय फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान सामुदायिक रेडियो स्टेशन की स्थापना और परिचालन के लिए सर्वथा उपयुक्त है तथा यह उसे सफलतापूर्वक चला सकता है। इस प्रोजेक्ट को निम्नलिखित बातों से बल मिलता है:

- आन-लाइन प्रसारण परिचालन में व्यावहारिक अनुभव।
- सामाजिक अत्यावश्यक मुद्दों पर में सूचना के कारगर प्रसार की कला में व्यावहारिक प्रशिक्षण।
- छात्रों के खाली समय के लिए एक रचनात्मक आफ-लाइन गतिविधि का विकास।
- उपलब्ध बुनियादी ढांचे और संसाधनों का अधिकतम उपयोग।

अनिवार्यतया इस स्कीम का उद्देश्य संस्थान में प्रदान किए जाने वाले प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करना है जिससे कि छात्रों को रोजगार की बेहतर संभावनाएं मिल सकें और क्षेत्र में वे उत्कृष्टता हासिल कर सकें। वैसे, इसे प्रोजेक्ट के सुगठित हो जाने के बाद सम्बद्ध सरकारी विभागों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों आदि से प्रायोजकों के मिलने की संभावना है जिससे तैयार किए जाने वाले टेलीविजन कार्यक्रमों की निर्माण लागत पूरी तरह से या आंशिक तौर पर निकल आएगी।

कैप्टिव टीवी सॉफ्टवेयर निर्माण केंद्र की स्थापना

कैप्टिव टीवी सॉफ्टवेयर निर्माण केंद्र की स्थापना का उद्देश्य स्थानीय स्तरों पर विशेष दर्शक-वर्ग को ध्यान में रखकर दूरदर्शन द्वारा हाल ही में शुरू किए गए नए अपने टेलीविजन (नैरो कास्टिंग) प्रयोग के लिए फीडर आधार तैयार करना है। इस प्रोजेक्ट का अंतर्निहित उद्देश्य आन-लाइन प्रसारण की कला और तकनीक तथा छात्रों को दिए जा रहे प्रशिक्षण के मूल्य-वर्द्धन के रूप में उनके लिए व्यावहारिक अनुभव की व्यवस्था करना है। इसमें अनिवार्यतया निम्न शक्ति/उच्च शक्ति ट्रांसफार्मरों के माध्यम से प्राप्त किए जाने वाले दैनिक/साप्ताहिक स्लॉट्स के लिए छात्रों और संकाय द्वारा समय-सारणी के मुताबिक विशेष टेलीविजन साटवेयर तैयार करना शामिल है। ये कार्यक्रम मुख्यतया परिवार कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा के सामाजिक मुद्दों और विशेष मनोरंजन से सम्बंधित स्थानीय रुचियों के अनुसार होंगे।

जिम्मेदार फिल्म निर्माण के संदर्भ में प्रशिक्षण और कौशल विकास

संस्थान द्वारा फिल्म क्षेत्र के 120 प्रतिभाशाली युवा उम्मीदवारों के लिए तीन साल का एक फिल्म तथा टेलीविजन डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाया जाता है। इन उम्मीदवारों का चयन एक देशव्यापी परीक्षा से किया जाता है। इस प्रोजेक्ट में फिल्म तथा टेलीविजन क्षेत्र के युवा छात्रों को संस्थान द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रशिक्षण बहु-प्रतीक्षित मूल्य-वर्द्धन का अनिवार्य रूप से समावेश करने पर जोर दिया जाता है। इस योजना के तहत प्रस्तावित तत्वों को संस्थान की मौजूदा प्रशिक्षण गतिविधियों की पूर्ति करना है ताकि उद्योग की चुनौतियों के लिए स्वयं को तैयार करने वाले संस्थान के युवा छात्रों की मदद की जा सके।

छात्रवृत्तियां, छात्र/संकाय आदान-प्रदान कार्यक्रम

इस स्कीम में संस्थान के प्रतिभाशाली छात्रों के लिए एक आधार तैयार करने का प्रावधान है ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों/मंचों के अनुभवों और विदेशों में प्रतिष्ठित फिल्म स्कूलों के साथ छात्र विनिमय कार्यक्रमों के माध्यम से उभरती नई फिल्म प्रौद्योगिकियों और तकनीकों के बारे में परिचित हो सकें। आज की तेजी से बदलती हुई दृश्य-श्रव्य प्रौद्योगिकी में पारंगत होने के लिए अपने युवा फिल्मी पेशेवरों को अनुभव दिलाने की उभरती जरूरत से इस स्कीम को मजबूती मिलती है।

अलग-थलग पड़ जाने और नवीनतम टेक्नोलाजी के मामले में पिछड़ जाने के खतरे से बचने के लिए बाहरी दुनिया के साथ परस्पर वार्तालाप से विचारों और अनुभवों

के आदान-प्रदान तथा नए कौशल सीखने से मदद मिलेगी। इस स्कीम से संकाय सदस्यों को भी शिक्षा और फिल्म तथा टेलीविजन के प्रशिक्षण के क्षेत्रों में बदलते रुझानों को समझने में मदद मिलेगी। इस स्कीम में प्रतिभाशाली छात्रों को छात्रवृत्तियां और विदेशी उद्योग तथा फिल्म संस्थानों के साथ आदान-प्रदान कार्यक्रमों को भी शामिल किया गया है।

कम्प्यूटरीकरण, आधुनिकीकरण और मानव संसाधनों सहित बुनियादी ढांचे की व्यवस्था

संस्थान का मूल उद्देश्य फिल्म तथा टेलीविजन के बारे में विभिन्न कोर्सों में प्रशिक्षण प्रदान करना है ताकि फिल्म और टेलीविजन दोनों ही माध्यमों के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार किए जा सकें। वर्तमान में संस्थान द्वारा निर्देशन और पटकथा लेखन, सम्पादन, ध्वन्यांकन और चलचित्र की छायांकन के चार विषयों में तीन साल के स्नातकोत्तर डिप्लोमा कोर्स कराए जा रहे हैं। आरम्भ में कोर्सों को चलाने के लिए संस्थान में जो बुनियादी ढांचा तैयार किया गया था, वह केवल एक ही बैच के लिहाज से था। धीरे-धीरे और बैच आते गए लेकिन बुनियादी ढांचे में अधिक वृद्धि नहीं की गई जिसका परिणाम यह हुआ है कि संस्थान को एक साथ तीन बैच चलाने के लिए बुनियादी ढांचे तथा मानवशक्ति की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है।

एचआरडी पहलू/छात्रवृत्ति/आदान-प्रदान कार्यक्रम

इस योजना से संस्थान के सुपात्र छात्रों के लिए अंतराष्ट्रीय फिल्म समारोहों/फोरमों में तथा विदेशों में प्रतिष्ठित फिल्म स्कूलों के साथ आदान-प्रदान कार्यक्रमों के जरिए फिल्म निर्माण की उभरती प्रौद्योगिकी तथा तकनीकों को सीखने के लिए एक आधार तैयार होगा। इस तरह के प्रयासों से सुपात्रों को सहायता प्रदान करने तथा छात्रों के बीच प्रति स्वर्धात्मक भावना पैदा करने के दोहरे उद्देश्यों की प्राप्ति होगी।

नये कार्यक्रम

ऐनीमेशन और इलेक्ट्रोनिक इमेजिंग विभाग

पिछले कुछ सालों में दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के निर्माण की दुनिया में जबरदस्त परिवर्तन आया है। एक प्रमुख क्षेत्र जिसमें उल्लेखनीय विकास हुआ है, वह ऐनीमेशन और मल्टी-मीडिया प्रयोगों का है। एनीमेशन की लोकप्रियता और संभावनाओं के बारे में हर कोई जानता है और इस बारे में अलग से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। वैब से जुड़े प्रयोगों और ऐनीमेशन फिल्मों के साथ-साथ मल्टी-मीडिया सीडी-रोम्स/गेम्स का एक विशाल गतिशील और संभावनाओं से भरा बाज़ार मौजूद है। अगले कुछ सालों में भारत ऐनीमेशन से जुड़े काम के लिए एक प्रमुख केंद्र बन जाएगा। इन गतिविधियों में मदद करने वाले प्रशिक्षित मानव संसाधन की भारी मांग है। इस प्रकार दृश्य-श्रव्य कला के बदलते परिवेश के साथ कदम से कदम मिला कर चलने के लिए इस कोर्स को चलाने का यह सही समय है।

बदलते रुझानों और इस क्षेत्र में प्रशिक्षित मानव संसाधनों की कमी को ध्यान में रखते हुए, संस्थान में अध्ययन की एक नई शाखा जोड़ना वक्त की मांग है। इसीलिए संस्थान ने 'ऐनीमेशन और इलेक्ट्रानिक इमेजिंग' में दो साल का एक स्नातकोत्तर डिप्लोमा कोर्स आरम्भ करने का प्रस्ताव किया है जिसमें प्रत्येक बैच में 10-10 छात्रों को लेने का प्रस्ताव है। अगर इस स्कीम को मान लिया गया और मंजूरी प्रदान कर दी गई तो फिलहाल यह कोर्स योजनावधि के चौथे साल से शुरू किया जाएगा, जिसके लिए वांछित बुनियादी ढांचा विकसित किया जाएगा तथा लोगों की भर्ती की जाएगी।

फिल्म तथा टेलीविजन कार्यक्रम प्रबंध विभाग

दृश्य-श्रव्य मीडिया, एक बहु-शाखीय मीडिया है और वह भी व्यापक विविधताओं को लिए। एक सफल कार्यक्रम के निर्माण के लिए सभी विविधताओं को एक व्यवस्थित और किफायती एकजुटता में बांधना जरूरी है। इसमें कुशल और पेशेवर प्रबंधन को लाने के लिए मीडिया के कार्यकलापों के बारे में व्यावहारिक ज्ञान रखने वाले

योग्यता प्राप्त प्रबंधकों का होना अनिवार्य है। ये प्रबंधक व्यापार से जुड़ा अनुशासन और पारदर्शिता लाने में कामयाब हो सकेंगे जिससे कार्यक्रम निर्माण आर्थिक दृष्टि से व्यावहारिक और विश्वसनीय बन सकेगा। आज विशेषज्ञता में बारीकी का युग है, इसलिए उद्योग की जरूरतों के अनुसार मानव संसाधनों को प्रशिक्षित और प्रयोग करना जरूरी हो गया है।

फिल्म तथा टेलीविजन निर्माण प्रबंध में विशेष रूप से प्रशिक्षित मानव संसाधनों की बढ़ती मांग को देखते हुए, संस्थान का फिल्म तथा टेलीविजन निर्माण प्रबंध में दो साल का एक स्नातकोत्तर कोर्स शुरू करने का प्रस्ताव है। इस कोर्स के प्रत्येक बैच में 10-10 छात्र लिए जा सकेंगे।

गैर-योजना

संस्थान का मुख्य उद्देश्य फिल्म तथा टेलीविजन उद्योग दोनों ही के लिए प्रशिक्षित मानवशक्ति उपलब्ध कराना है। संस्थान द्वारा निर्देशन और पटकथा लेखन, चलचित्र की छायांकन, सम्पादन और ध्वन्यांकन में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। संस्थान के पाठ्यक्रमों में कुल क्षमता 120 छात्रों की है जो एक साथ चलने वाले तीन बैचों में बंटी हुई है। पाठ्यक्रम चलाने के लिए नियमित रूप से निरंतरता, मिस-ऐन-सीन, विज्ञापन-प्रोमो, वृत्तचित्र, प्ले बैक तथा डिप्लोमा फिल्में आदि आयोजित किए जाते हैं। कक्षाओं में की जाने वाली पढ़ाई के पूरक के रूप में प्रख्यात फिल्मी हस्तियों द्वारा विभिन्न कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। फिल्म निर्माण के आधुनिक रुझानों और तकनीकों को बेहतर ढंग से समझाने के लिए स्वदेशी और विदेशी फिल्मों का नियमित प्रदर्शन भी किया जाता है।

अंतिम वर्ष के 35 छात्र अपने अंतिम प्रोजेक्ट पूरे करेंगे। जूनियर बैच निर्धारित समयसारणी के अनुसार अध्ययन के अपने पाठ्यक्रम पूरे करेंगे। निर्धारित अवधि में छात्रों के नए बैच के लिए दाखिले किए जाएंगे। संस्थान के गैर-योजना व्यय इस प्रकार बुनियादी ढांचा बनाए रखने की आवश्यकता है ताकि संस्थान के उद्देश्यों को पूरा किया जा सकें।

भारतीय जनसंचार संस्थान

संगठन और परिचय

भारतीय जनसंचार संस्थान की स्थापना देश के सर्वांगीण विकास की रणनीति के एक हिस्से के रूप में संचार संसाधनों के कुशल एवं प्रभावी प्रयोग के लिए एक प्रणाली तंत्र और एक प्रक्रिया विकसित करने के लिए की गयी थी। भारतीय जनसंचार संस्थान की स्थापना परामर्श, प्रशिक्षण, शोध और विकास, खासकर राष्ट्रीय आर्थिक तथा सामाजिक विकास की सहायता में जनसंचार के उपयोग हेतु दायित्वों को पूरा करने के लिए ''जनसंचार में एक आधुनिक केंद्र'' के रूप में की गयी थी।

इस संस्थान ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के एक विभाग के रूप में 17 अगस्त, 1965 को एक छोटी शुरुआत की थी जिसमें स्टाफ की संख्या कम थी परंतु उनमें यूनेस्को के दो परामर्शदाता शामिल थे। बाद में इसे 1860 के सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट (XXI) के अंतर्गत 22 जनवरी, 1966 को एक स्वायत्त संगठन के रूप में दर्ज किया गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, आईआईएमसी सोसायटी एवं कार्यकारी परिषद का प्रत्येक दो वर्षों पर गठन करता है।

लक्ष्यों में घोषित निर्देशों की दिशा में यह संस्थान प्रशिक्षण और शिक्षण कार्यक्रमों को चलाता है, शोध के फ्रेमवर्क का विकास करता है और एक ऐसे सूचना ढांचे के निर्माण में योगदान करता है, जो न केवल भारत के लिए बल्कि सभी विकासशील देशों के लिए अनुकूल हो। यह देश में अन्य संस्थानों को विशेषज्ञता और परामर्श सेवाएं प्रदान करता है तथा विदेश स्थित संस्थानों के साथ सहयोग करता है।

पिछले 42 वर्षों में संस्थान ने विकास किया है और आज संचार शिक्षण, प्रशिक्षण और शोध के क्षेत्र में एक 'उत्कृष्ट केंद्र' के रूप में स्थापित है। यह युवा संचारकों को प्रिंट, फोटोग्राफी, रेडियो और टेलीवीजन, विकास संचार, संचार शोध, विज्ञापन एवं पब्लिक रिलेशनों जैसी कई विधाओं में ज्ञान एवं कौशल प्रदान करता है।

यह संस्थान एक ऐसे सूचना ढांचे का निर्माण करता है, जो न केवल भारत के लिए बल्कि सभी विकासशील देशों के लिए अनुकूल हो। इस दिशा में यह भारत एवं विदेशों में अन्य संस्थानों को विशेषज्ञता एवं परामर्शदायी सेवाएं प्रदान करता है। संस्थान केंद्रीय एवं राज्य सरकारों के विभागों, सावजनिक क्षेत्र उद्यमों, विश्वविद्यालयों एवं अन्य शैक्षणिक अंगों के निवेदन पर प्रशिक्षण, शोध एवं परामर्शदायी सेवाएं प्रदान करता है और प्रशिक्षण, सेमिनारों और वर्कशॉपों तथा संयुक्त शोध परियोजनाओं के आयोजन में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ सहयोग भी करता है।

संस्थान की गतिविधियां तीन प्रमुख क्षेत्रों जैसे – शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान पर केंद्रित हैं। इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए संस्थान निम्नलिखित पाठ्यक्रमों का संचालन करता है :

1. भारतीय सूचना सेवा (ग्रुप ए) के अधिकारियों के लिए अनुकूलन पाठ्यक्रम;
2. नई दिल्ली और ढेंकनाल (उड़ीसा) में अंग्रेजी में पत्रकारिता का स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम;
3. हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम;
4. विज्ञापन और जनसंपर्क में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम;
5. रेडियो और टीवी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम;
6. उड़िया पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम; तथा
7. विकास पत्रकारिता में डिप्लोमा पाठ्यक्रम।

क्रम संख्या-7 का पाठ्यक्रम तीसरी दुनिया के देशों के लिए है और अफ्रीका, एशिया तथा लातिन अमरीका के मध्य स्तरीय कार्यकारी पत्रकार इस पाठ्यक्रम में शामिल होने के लिए इच्छुक रहते हैं। इस पाठ्यक्रम में औसतन 20-25 पत्रकारों को प्रवेश दिया जाता है।

इस संस्थान में कई शीर्ष मीडिया प्रोफेशनलों ने पढ़ाया है और इसके बहुत प्रशिक्षुओं/छात्रों ने इस व्यवसाय में अपनी पहचान बनायी है। संस्थान के विकासशील देशों के लिए मिड कैरियर संवर्धन कोर्सों से कई विदेशी देशों खास तौर पर एशिया एवं अफ्रीका के पत्रकारों को लाभ मिला है।

भारतीय सूचना सेवा फाउंडेशन पाठ्यक्रम

भारतीय जनसंचार संस्थान भारतीय सूचना सेवा अधिकारियों (आई आई एस) के प्रशिक्षण के लिए शीर्ष केंद्र है। यह संस्थान संचार तकनीकों में इस सेवा के लिए सीखने का आधार प्रदान करता है और उन्हें सार्वजनिक सूचना तंत्र की तरफ ले जाता है। इस पाठ्यक्रम का फोकस सूचना नीतियों एवं रणनीतियों पर होता है।

लघु पाठ्यक्रम, वर्कशाप, सेमिनार एवं सम्मेलन

यह संस्थान भारत एवं अन्य विकासशील देशों के संदर्भ में जनसंचार की बेहतर समझ प्रदान करने की दृष्टि से संचार की विविध विषय वस्तुओं पर सेमिनार (संगोष्ठी) एवं सम्मेलन आयोजित कर रहा है।

यह संस्थान सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की विभिन्न मीडिया इकाइयों के कर्मियों के लिए नियमित एवं अल्पावधि शैक्षणिक कार्यक्रम चलाता है। रक्षा अधिकारियों और केंद्र/राज्य सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के विविध मीडिया/प्रचार संगठनों में काम करने वाले कर्मियों की व्यावसायिक प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक सप्ताह से लेकर तीन महीने की अवधि के कई विशिष्ट लघु पाठ्यक्रम चलाये जाते हैं। आईआईएमसी ने अभी तक 2007-08 के दौरान सफलतापूर्वक 19 पाठ्यक्रम आयोजित किए हैं।

स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश

आईआईएमसी अपने वर्तमान कोर्सों के विषय को समृद्ध करने का लगातार प्रयास करता है। इस संस्थान द्वारा चलाये जा रहे वर्तमान कोर्सों के मूल्य संवर्धन के लिए प्राध्यापकों और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, विज्ञापन, जनसंपर्क, प्रसारण और प्रिंटिंग के क्षेत्रों के विशेषज्ञों/व्यवसायियों के बीच विस्तृत वार्तालाप कराया जाता है। इस उद्योग द्वारा प्राप्त की गयी सूचना के आधार पर पाठ्यक्रमों को ज्यादा व्यावहारिक एवं ज्ञानप्रद बनाने के लिए पाठ्यक्रमों का नवीनीकरण किया जा रहा है। इस क्षेत्र से लाये गए विशेषज्ञों/व्यवसायियों द्वारा विशेष व्याख्यान दिए जाते हैं।

शैक्षणिक सत्र

इस संस्थान द्वारा चलाये जा रहे विविध स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अधिसूचना फरवरी, 2007 में शीर्ष समाचार पत्रों के माध्यम से जारी की गयी थी।

प्रवेश के लिए परीक्षा 20 मई, 2007 को भुवनेश्वर में उड़िया पत्रकारिता के लिए आयोजित की गयी थी और देश के विभिन्न हिस्सों में 21 मई, 2007 को 8 केंद्रों (जिसमें नई दिल्ली भी शामिल है) में आयोजित की गयी थी। पत्रकारिता कोर्सों के लिए कुल उम्मीदवारों की संख्या थी 1634, रेडियो एवं टीवी पत्रकारिता के लिए 1826, विज्ञापन एवं जनसंपर्क के लिए 1621 और उड़िया पत्रकारिता के लिए 84। इस परीक्षा के बाद व्यक्तिगत साक्षात्कार/सामूहिक वाद-विवाद आयोजित किया गया। 21 जुलाई, 2007 को उम्मीदवारों के अंतिम चयन की घोषणा की गयी और आईआईएमसी वेबसाइट पर भी परिणाम रखे गए थे।

कुल 45 छात्रों ने विज्ञापन एवं जन संपर्क में प्रवेश लिया; 30 छात्रों ने रेडियो व टीवी पत्रकारिता में; 117 छात्रों ने नई दिल्ली और ढेंकनाल में पत्रकारिता (हिंदी/अंग्रेजी) में; और 15 छात्रों ने ढेंकनाल में उड़िया पत्रकारिता में प्रवेश लिया।

सामुदायिक रेडियो स्टेशन

भारतीय जन संचार संस्थान ने एक प्रभावी सूचना यंत्र का विकास करने एवं अपने सामाजिक दायित्वों के निर्वाह करने की दृष्टि से ''अपना रेडियो एम एम 96.9 मेगाहर्ट्ज'' के नाम से एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन की स्थापना की थी। सामुदायिक रेडियो छात्रों को जन सेवा प्रसारण में व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने में एक विशेष साधन मुहैया कराता है। समुदाय संबंधित कार्यक्रमों का प्रसारण एक सप्ताह में 5 दिन किया जाता है।

(दोपहर एक बजे से 2 बजे तक तथा यही प्रसारण शाम तीन बजे से चार बजे तक किया जाता है।)

विकास पत्रकारिता में डिप्लोमा पाठ्यक्रम

गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रयास की परंपरा को जारी रखते हुए विकासशील देशों में पत्रकारिता कौशल में सुधार लाने के साथ-साथ एक तीसरी दुनिया का दृष्टिकोष विकसित करने के लिए यह संस्थान विकास पत्रकारिता में डिप्लोमा कोर्स प्रस्तुत करता है। प्रत्येक वर्ष, चार महीनों की अवधि के दो ऐसे पाठ्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। इस शृंखला में 48वां डिप्लोमा पाठ्यक्रम 3 जनवरी, 2007 से शुरू किया गया था। 22 प्रतिभागियों ने इस पाठ्यक्रम में भाग लिया जो अप्रैल, 2007 में खत्म हुआ। इस शृंखला (अगस्त-नंवबर) में 49वें पाठ्यक्रम की शुरुआत 1 अगस्त 2007 को हुई जो 30 नंवबर 2007 को खत्म हुआ। इसमें प्रतिभागियों की संख्या 24 थी।

शोध एवं मूल्यांकन अध्ययन

संचार का एक सुव्यवस्थित अध्ययन इस संस्थान के शैक्षणिक लक्ष्य का एक अखंड हिस्सा है। आई आई एम सी ने बहुत शोध परियोजनाओं का दायित्व लिया

है और वर्षों में इसने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, सरकारी और गैर सरकारी निकायों के लिए कई शोध अध्ययन आयोजित किए।

वर्ष 2007-08 के दौरान निम्नलिखित शोध अध्ययन किये गए :

1. रेडियो कार्यक्रम ''जीवन है अनमोल'' (नाको द्वारा प्रायोजित) का मूल्यांकन
2. मल्टीमीडिया अभियान का प्रभाव (नाको द्वारा प्रायोजित)
3. पूर्वोत्तर में और जम्मू-कश्मीर में भिन्न मास मीडिया का प्रस्तुतीकरण (सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित)
4. कैस नॉन-एसटीबी घरों पर अध्ययन (ट्राई द्वारा प्रायोजित)

भारतीय जनसंचार संस्थान की शाखाएं

नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जन संचार के क्षेत्र में गुणवत्ता शिक्षा के लिए बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए और सुदूर क्षेत्रों में संचार शिक्षा विकसित करने के लिए देश भर में चार स्थानों को भारतीय जन संचार केंद्रों की स्थापना के लिए चुना गया था :

ढेंकनाल (उड़ीसा), दीमापुर (नागालैंड), कोट्टायम (केरल) और झबुआ (मध्य प्रदेश)। 1993 से ढेंकनाल में भारतीय जनसंचार संस्थान पूर्ण रूप से कार्यरत है और पूर्वी क्षेत्रों से छात्रों की बड़ी संख्या को आकर्षित कर रहा है।

इस शाखा के पास अच्छी बुनियादी सुविधा है और यह पत्रकारिता (अंग्रेजी और उड़िया) में दो स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों का आयोजन कर रहा है।

भारतीय जनसंचार संस्थान की भविष्य योजनाएं

अपने नियमित डिप्लोमा पाठ्यक्रमों, अल्पअवधि प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों और शोध परियोजनाओं के अलावा इस संस्थान की ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना ''भारतीय जन संचार संस्थान को अन्तर्राष्ट्रीय मीडिया विश्वविद्यालय में परिवर्तित करना'' की नवीन योजना नीति के क्रियान्वयन की योजना है।

भारत का राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय

विश्वभर में कलाकृतियों एवं एतिहासिक दस्तावेजों के रूप में फिल्म को संरक्षित करने की आवश्यकता महसूस की गयी है। सिनेमा को उसकी सभी विविधतापूर्ण अभिव्यक्तियों और स्वरूपों के साथ संरक्षित करने का दायित्व किसी ऐसे राष्ट्रीय संगठन को दिया जाता है जिसके पास पार्याप्त संसाधन, एक स्थायी व्यवस्था और फिल्म उद्योग का भरोसा हो। इस प्रकार फरवरी 1964 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वतंत्र प्रचार माध्यम इकाई के रूप में भारत के राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय की स्थापना हुई।

भारत का राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय (एनएफएआई) सरकार के इस बोध का परिणाम है कि फिल्में भी पुस्तकों तथा अन्य ऐतिहासिक दस्तावेजों की भांति बहुमूल्य होती हैं और देश की फिल्म विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए संजोकर रखना जरूरी है। भारत के राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय का मूल उद्देश्य राष्ट्रीय सिनेमा, सर्वश्रेष्ठ विश्व सिनेमा की प्राप्ति और संरक्षण, फिल्म वर्गीकरण, प्रलेखन और शोध तथा फिल्म छात्रवृत्तियों और देश में फिल्म संस्कृति को बढ़ावा देना है।

एनएफएआई अपनी कार्यप्रणाली और उद्देश्यों की वजह से केवल मात्र एक सरकारी संगठन ही नहीं है बल्कि अपनी निश्चित अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के साथ एक राष्ट्रीय संगठन के रूप में बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अन्य मीडिया इकाइयों की श्रेणी में आता है।

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड

परिचय

देश में भारतीय फिल्म उद्योग के बेहतर सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड की स्थापना केंद्रीय ऐजेंसी के रूप में की गई। एनएफडीसी का मुख्य कार्य भारतीय फिल्म उद्योग के समेकित और कुशल विकास की योजना बनाना, उसे प्रोत्साहित करना और उसका संचालन करना है।

निगम द्वारा वित्तपोषित/निर्मित फिल्मों और उनसे जुड़े कलाकारों ने अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किए हैं। एनएफडीसी (पूर्ववर्ती फिल्म वित्तपोषण निगम सहित) ने अब तक 15 भारतीय भाषाओं में 315 के करीब फिल्मों का निर्माण/वित्तपोषण किया है तथा 17 से अधिक फिल्मों का अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ सह-निर्माण किया है।

मिशन

उत्कृष्ट फिल्मों के निर्माण तथा आडियो-विजुअल मीडिया (दृश्य श्रव्य प्रचार माध्यम) के माध्यम से संस्कृति व परस्पर समझदारी को बढ़ावा देने में अग्रणी नेतृत्व प्रदान करना।

संगठन

इस निगम की प्रचालनात्मक संरचना ज्ञापन एवं आर्टिकल आफ एसोशिएशन के अनुरूप है, निदेशक मण्डल प्राथमिक रूप से उत्तरदायी है जो कार्यनीति संबंधी निर्देश तैयार करता है तथा इस निगम की कार्यप्रणाली पर नजर रखता है।

उद्देश्य

निगम का प्राथमिक उद्देश्य भारतीय सिनेमा को बढ़ावा देना तथा इस क्षेत्र में उभरती प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना है। पिछले कुछ वर्षों में, निगम का यह उद्देश्य भारी घाटे के चलते कमजोर हुआ है। एनएफडीसी ने अब भारतीय सिनेमा को बढ़ावा देने की अपनी वचनबद्धता को नई गतिविधियों के माध्यम से पूरा करने का प्रस्ताव बनाया है। यह मौजूदा कार्य के अतिरिक्त आने वाले समय में पूरा किया जायेगा। यद्यपि, उपर्युक्त के साथ-साथ एनएफडीसी को पहले की व्यावसायिक गतिविधियों को भी देखना है और ऐसा विश्वास है कि 2010 तक, एनएफडीसी अपने पैरों पर खड़ा हो जायेगा। ऐसा माना जा रहा है कि भारत सरकार से मांगी गई वित्तीय मदद भी प्राप्त होगी। एनएफडीसी के आगामी उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- **प्रतिभा विकास तथा सभी भाषाओं में भारतीय सिनेमा के विकास को बढ़ावा देना:**
  - किसी भी भारतीय भाषा में बनने वाली सिनेमा निर्देशक की पहली फिल्म की शत-प्रतिशत निर्माण लागत वहन कर नई प्रतिभा को प्रोत्साहित करना।

- नई फिल्म पटकथाओं के विकास में सहायता करना।
- व्यावसायिक रूप से उपयुक्त अच्छी फिल्मों का भारतीय तथा विदेशी फिल्मकारों के साथ मिलकर सह-निर्माण।
- भारतीय सिने कलाकार कल्याण कोष (सीएडब्ल्यूएफआई) के माध्यम से जरूरतमंद कलाकारों के लिये सामाजिक सुरक्षा और कल्याण की पहल करना।

- **भारतीय सिनेमा के माध्यम से भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना:**
  - विदेशी दर्शकों के लिये भारतीय सिनेमा का विपणन/संवर्द्धन
  - विश्व भर के फिल्म समारोहों में भारतीय फिल्मों की भागीदारी/प्रतिनिधित्व
  - फिल्म कार्यक्रमों का आयोजन
  - फिल्मों की शूटिंग डेस्टिनेशन के रूप में भारत का नाम आगे बढ़ाना (अतुल्य भारत कार्यक्रम के साथ भागीदारी)
  - भारतीय सिनेमा के माध्यम से भारत को पर्यटन डेस्टिनेशन के रूप में प्रचारित करना।

- **फिल्म उद्योग की आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी एक सहयोगी संगठन के रूप में-**
  - सृजनात्मक उत्कृष्टता की संस्कृति को मजबूती प्रदान करना
  - मानव संसाधनों का उपयुक्त संतुलन
  - प्रमुख क्षेत्रों में नई प्रतिभाओं को जोड़ना (जहां वर्तमान में कुशल व्यक्ति उपलब्ध न हों)
  - प्रदर्शन आधारित पारिश्रमिक लागू करना

- **एक मजबूत बेलेंस शीट बनाये रखना**
  - बेलेंसशीट की शुद्धता
  - प्रबंधन योग्य राशि तक लेखा प्राप्तियों की कमी
  - कर्मचारीगत पूंजी का पुनर्आबंटन तथा उपयुक्त आकार बनाये रखना
  - कार्य पूंजी को मजबूत करना।
  - पूंजी प्रवेश

- **आय विवरण के ढांचे को मजबूत करना:**
  - आय विवरण में विभिन्न शीर्षों का पुनर्संयोजन
  - राजस्व के नये स्रोतों की पहचान तथा उनका विकास करना
  - प्रशासनिक तथा वैयक्तिक लागतों में कमी लाना

- दूरदर्शन से फिल्म वितरण राजस्वों पर निर्भरता कम कर आय विवरण के जोखिम कम करना (वर्तमान में दूरदर्शन से प्राप्त होने वाला राजस्व कुल का 85 प्रतिशत) तथा गतिविधियों को बहुक्षेत्रीय आधार पर फैलाकर राजस्व प्राप्ति के नये क्षेत्र विकसित करना।

रोजगार

निगम में वर्तमान में कुल 211 कर्मचारी हैं।

स्थान

निगम का मुख्यालय मुंबई में है तथा क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली, कोलकाता तथा चेन्नई में हैं। तिरुअनंतपुरम में निगम का शाखा कार्यालय है।

पत्र सूचना कार्यालय

1. पत्र सूचना कार्यालय भारत सरकार की उन प्रमुख एजेंसियों में से एक है जिनका काम नीतियों, कार्यक्रमों और विभिन्न क्षेत्रों में सरकार की उपलब्धियों के बारे में सूचनाएं उपलब्ध कराना है। वर्तमान में इसके आठ क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, भोपाल, चंडीगढ़, गुवाहाटी, लखनऊ और हैदराबाद में स्थित हैं। इसके 26 शाखा कार्यालय, 5 कार्यालय - सह-सूचना केंद्र और दो सूचना केंद्र हैं जो देश भर में फैले हुए हैं। इन स्थानों से अनेक पत्र-पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं और नित्य प्रति बड़ी संख्या में पत्रकार वहां आते रहते हैं। कभी-कभी अति विशिष्ट व्यक्तियों/मंत्रियों/सचिवों एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भारत सरकार की नीतियों की जानकारी देने के लिए प्रेस कांफ्रेस/प्रेस ब्रीफिंग आयोजित करनी होती है, ऐसी हालत में ये कार्यालय बहुत सहायक सिद्ध होते हैं।
2. पिछले कुछ वर्षों के दौरान समाचार जगत में दो बड़े घटनाक्रम हुए हैं, - प्रथम, इंटरनेट के बहुत बड़े पैमाने पर विस्तार और दूसरे-चौबीसों घंटे चलने वाले न्यूज चैनलों का अभ्युदय। इन दोनों के कारण संचार की गति बहुत तेज हो गई है, राष्ट्रों की सीमाएं महत्वहीन हो रही हैं और समाचार संग्रह तथा वितरण में बहुत तेजी और त्वरित महत्व आ गया है। इन हालात में जहां परंपरागत मीडिया-खासतौर से प्रिंट मीडिया का महत्व बना हुआ है, वहीं अब पत्र सूचना कार्यालय को नए माध्यमों की जरूरतें पूरी करने के लिए भी काम करना है। नए उभरते साधनों का इस्तेमाल करते हुए अब उसे पूरी जनसंख्या तक पहुंचना है।
3. आजकल इंटरनेट के जरिए सूचनाएं जल्दी मिल जाती हैं और उनमें पारदर्शिता रहती है अत: इस कार्यालय के पुराने साधनों को आधुनिक और आज की मीडिया की जरूरतों के अनुकूल बनाने की आवश्यकता है। इसलिए पत्र सूचना कार्यालय को आज के ग्राहकों को तुरन्त और रोचक तरीके से सूचना पेश करने के लिए नई गतिविधियां शुरू करनी चाहिए।
4. पत्र सूचना कार्यालय अखबारों और अन्य मीडिया से मिलने वाली प्रतिक्रिया विभिन्न सरकारी विभागों को उपलब्ध कराता है ताकि वे उसके अनुकूल कदम उठा सकें और अपने प्रयासों को नई दिशा दे सकें।
5. इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वर्ष 2007-08 में निम्नलिखित गतिविधियों/स्कीमों/परियोजनाओं का प्रस्ताव किया गया है :

1. नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रेस केन्द्र की स्थापना

पत्र सूचना कार्यालय के पास विदेशों की तरह इस समय कोई प्रेस केन्द्र नहीं है जहां आधुनिकतम सुविधाएं उपलब्ध हों।

अब जबकि अर्थव्यवस्था का भूमंडलीकरण हो रहा है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने सरकार की नीतियों में अभूतपूर्व रुचि दिखाई है। इसे देखते हुए अब अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सुनियोजित और साधनों से लैस मीडिया केन्द्र की जरूरत महसूस की जा रही है ताकि भारतीय और विदेशी मीडिया की तकनीकी जरूरतें पूरी की जा सकें। पिछले कुछ वर्षों से सूचना और प्रसारण मंत्रालय का ध्यान इस बात पर रहा है। इसलिए दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रस्तावित राष्ट्रीय प्रेस केन्द्र में अब तक की आधुनिकतम और भविष्य में काम आने वाली सभी सुविधायें जुटाई जा रही हैं जिनसे प्रिन्ट और इलेक्ट्रानिक मीडिया लाभ उठा सकेगा। यहां पर एक विशेष कैफेटेरिया होगा जहां भोजन और बार सुविधाएं उपलब्ध होंगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की व्यय वित्त समिति ने 25-01-2005 को आयोजित बैठक में 35 करोड़ रुपये की लागत से राष्ट्रीय प्रेस केंद्र की स्थपाना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 10वीं योजना के अंर्तगत आवश्यक संदर्भ अधिकारी की प्रशासनिक मंजूरी भी दे दी गई है। पत्र सूचना कार्यालय ने इस परियोजना के लिए एनबीसीसी के साथ एक करार पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। निर्माण के लिए आवश्यक भूमि का स्थानांतरण/अधिग्रहण 24-2-2008 को पूरा कर लिया गया। करार पत्र की धारा 2 (iii) के अंतर्गत मंजूर राशि का 20 प्रतिशत (7 करोड़ तक) एनबीसीसी को दे दिया गया है।

पत्र सूचना कार्यालय ने ग्यारहवीं योजना के दौरान दिल्ली में राष्ट्रीय प्रेस केंद्र के लिए अलग से एक भवन बनाने का फैसला किया है। वर्ष 2007-08 के दौरान 10 करोड़ की राशि मंजूर की गई थी किंतु डीयूएसी/सीपीडब्ल्यूडी से बिल्डिंग प्लान नहीं मिल पाने के कारण उक्त राशि वापस करनी पड़ी। ईएफसी मेमो के अनुसार परियोजना के लिए 28.00 करोड़ की राशि की आवश्यकता है। 2008-09 के दौरान इस हेतु 4.37 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

2. मीडिया आउटरीच

इस स्कीम का उद्देश्य सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में सूचनाएं प्रचारित करना है। इसके लिए सार्वजनिक सूचना अभियान चलाने, प्रेस वार्ताएं मीडिया के साथ सूचना के आदान प्रदान के सत्र, सफलता की कहानियों का प्रचार एवं निर्देशन, प्रेस भ्रमण, विशेष कार्यक्रमों का प्रचार आदि कार्यक्रम चलाए जा रहे है। ग्यारहवीं योजना के तहत इस कार्यक्रम के लिए 16-11-2007 को 49 करोड़ की राशि को प्रशासनिक मंजूरी दी गई। वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस मद में दिसंबर 2007 तक 5.08 करोड़ रुपये की तुलना में 4.10 करोड़ रुपये खर्च किए गए। प्रशासकीय मंजूरी के तहत वर्ष 2008-09 के लिए इस योजना के अंतर्गत 10 करोड़ रुपये की राशि तय की गई है। लेकिन बजट अनुमान 2008-09 के तहत इस परियोना के तहत पत्र सूचना कार्यालय को 9.60 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है।

3. विशेष घटनाओं का प्रचार- इस योजना के चार घटक हैं—

अ. अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह

जहां भी फिल्म समारोह आयोजित किया जाता है वहीं पर मीडिया सेन्टर खोल कर पत्रकारों को जरूरत की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके लिए प्रत्यायन व्यवस्था, प्रेस, वार्ताएं, प्रेस विज्ञप्तियों आदि की व्यवस्था की जाती है और एक संवाददाता कक्ष बनाया जाता है जहां कम्प्यूटर, इंटरनेट, टेलीफोन, समाचारपत्र लिखने-पढ़ने की सामग्री और फोटोग्राफी की मशीनों जैसी सुविधाएं जुटाई जाती हैं। वर्ष 2007-08 में 1 लाख रुपये प्रस्तावित किए गए। गोवा में नवंबर-दिसंबर 2007 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का व्यय गैर-योजना मद से किया गया क्योंकि उसे योजना की मंजूरी नहीं मिल पाई थी। योजना आयोग की 'सैद्धांतिक' मंजूरी 17 जनवरी 2008 को प्राप्त हुई। वर्ष 2008-09 में इस योजना के लिए 6.60 लाख रुपये की राशि मंजूर की गई है।

ब. प्रवासी भारतीय दिवस समारोह

पत्र सूचना कार्यालय प्रवासी भारतीय दिवस समारोह के दौरान मीडिया की सुविधा के लिए अपने अधिकारी भेजता है जो मौके पर ही पत्रकारों को विशेष प्रत्यायन

की व्यवस्था करते हैं और मौके पर ही मीडिया केन्द्र बनाकर उसके लिए सुविधाएं जुटाते हैं। वर्ष 2007-08 के लिए इस मद में 1 लाख की राशि मंजूर की गई है। पत्र सूचना कार्यालय ने 7-9 जनवरी 2008 में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस के लिए अपने अधिकारियों को तैनात किया।

स. मीडिया आदान-प्रदान कार्यक्रम

इस स्कीम का प्रमुख लक्ष्य विभिन्न देशों के बीच बेहतर समझ विकसित करने और मीडियाकर्मियों के बीच सूचनाओं को आदान-प्रदान के जरिए अधिक सम्पर्क के द्वारा क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना है। साथ ही इस बात पर भी जोर देना है कि लोकतंत्रीय मूल्यों और विभिन्न समाजों में सहनशीलता को बढ़ावा देने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में सूचनाओं के आदान-प्रदान के जरिए देशों के बीच मित्रतापूर्ण संबंध सुदृढ़ बनाए जाते हैं और सूचना तथा मास मीडिया के क्षेत्र में निकट संबंध विकसित करके लोगों में एक जैसी इच्छाओं की प्रेरणा प्रदान की जाती है। इस स्कीम के प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं -

1. सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम
2. संयुक्त कार्यदल
3. सूचना क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता

वर्ष 2007-08 के दौरान इस कार्यक्रम के लिए 1 लाख रुपये की राशि रखी गई। कार्यक्रम के लिए योजना आयोग की सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है और इसके अंतर्गत 43.69 लाख रुपये तक की राशि रखी गई है।

द. राष्ट्रमंडल युवा खेल पुणे -2008 एवं राष्ट्रमंडल खेल दिल्ली-2010

पत्र सूचना कार्यालय एक योजनागत कार्यक्रम 'राष्ट्रमंडल खेल 2010 नई दिल्ली एवं राष्ट्रमंडल युवा खेल 2008 पुणे के लिए मुख्य प्रेस केंद्र एवं अन्य मीडिया केंद्र' पर कार्य कर रहा है। कार्यक्रम की कुल लागत 20 करोड़ तीन वित्तीय वर्षों में वर्ष 2008-09 से 2010-2011 तक पूरा होगा। वर्ष 2008-09 के दौरान अनुमानित बजट 2008-09 में 1.80 करोड़ तक की राशि आबंटित की गई है।

राष्ट्रमंडल युवा खेल

राष्ट्रमंडल युवा खेल, पुणे 2008 तक राष्ट्रमंडल खेल, दिल्ली 2010 - पसूका ने राष्ट्रमंडल खेल पुणे - 2008 तथा राष्ट्रमंडल खेल दिल्ली-2010 के लिये पुने का दिल्ली में 20 करोड़ रुपये वित्तीय वर्ष 2008-09 तथा 2010-11 के लिये मुख्य प्रेस केंद्र तथा अन्य मीडिया केंद्र बनाने के लिये आबंटित किये हैं। वर्ष 2008-09 के अनुमानित बजट में इस कार्य के लिये 1.80 करोड़ रुपये दिये गये हैं।

भारतीय प्रेस परिषद

भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना प्रथम प्रेस आयोग की सिफारिश पर वर्ष 1966 में की गई थी। इसके दो प्रमुख कार्यकलापों में प्रेस की स्वतंत्रता को बचाये रखना और प्रेस को स्तर के बनाए रखना तथा उसमें और सुधार करना शामिल है। परिषद की बहुमुखी भूमिका रहती है। एक तरफ यह अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण के रूप में

कार्यरत है जिसमें सिविल कोर्ट की सभी शक्तियां हैं। सलाहकार के रूप में, यह प्रेस एवं प्राधिकारियों की सहायता करने के साथ-साथ प्रेस की स्वतंत्रता बनाए रखने संबंधी सभी मामलों में कार्य करती है।

प्रेस परिषद का प्रधान अध्यक्ष होता है जो पारंपरिक रूप से भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश/सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। इसके अतिरिक्त परिषद में 28 अन्य सदस्य शामिल हैं, जिसमें से 20 प्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं, पांच संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं तथा तीन सामाजिक, साहित्यक एवं कानूनी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें साहित्य अकादमी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं बार काउंसिल ऑफ इंडिया नामांकित करता है।

प्रेस की ओर नामांकित परिषद के 20 सदस्य पत्रकारों के कई संगठनों, संपादकों, समाचार-पत्र मालिकों का प्रबंधकों और समाचार एजेंसियों में से होते हैं। यद्यपि इन 20 सीटों को परिषद द्वारा निर्धारित प्रक्रिया द्वारा भरा जाता है और शेष आठ सीटों को केन्द्र सरकार की पहल पर भरा जाता है। केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त आठ सीटों के नाम प्राप्त होने के बाद परिषद 20 नामों का चयन करके केंद्र सरकार को भेजती है। परिषद को निधि देश के पंजीकृत समाचार पत्रों से प्राप्त शुल्क जो उनकी बिक्री की संख्या के अनुसार होता है, से अर्जित की जाती है तथा घाटे की पूर्ति सरकार के अनुदान से की जाती है। यद्यपि कुछ हद तक परिषद सरकार से प्राप्त अनुदानों पर निर्भर है तथापि जहां तक इसकी स्वायत्तता का प्रश्न है यह अपने अर्ध-न्यायिक कार्यकलापों के लिये किसी बाहरी दबाव में नहीं आती।

एक अर्धन्यायिक संस्था के रूप में परिषद में प्राप्त शिकायतों को मोटे तौर पर दो श्रेणियो में बांटा जा सकता है: किसी समाचार पत्र द्वारा की गई शिकायत जो उसकी स्वतंत्रता के हनन से संबंधित है और परिषद द्वारा तैयार संहिता का हनन करने पर किसी समाचारपत्र के खिलाफ शिकायतें। प्रेस से संबंधित कोई भी व्यक्ति जो यह महसूस करता है कि प्रेस की स्वतंत्रता को किसी तरह का खतरा है तो वह परिषद के पास आ सकता है। इसी तरह कोई भी व्यक्ति किसी प्रकाशन या समाचारपत्र या पत्रिका द्वारा हताहत या जनहित में उसके द्वारा प्रकाशित जानकारी से हताहत महसूस करने पर या परिषद द्वारा पत्रकार-संहिता का उल्लंघन करने पर परिषद के पास आ सकता है। परिषद का काम ऐसे घटनाक्रम पर नजर रखना भी है जिससे जनहित की खबरों का प्रसार बाधित होता है। प्रेस के खिलाफ शिकायतों के संबंध में अगर किसी समाचारपत्र या समाचार एजेंसी को पत्रकारिता की आचार संहिता का उल्लंघन करने या जनहित को देखते हुये दोषी पाया गया या किसी संपादक/पत्रकार को दोषी पाया गया तो परिषद उसे फटकार लगा सकती है और समाचार पत्र मास समाचारपत्र एजेंसी की खबरों को सेंसर कर सकती है।

परिषद उच्च मानदंड स्थापित करने में प्रयासरत है। परिषद का निर्णय अंतिम होता है और किसी भी न्यायालय में उसके खिलाफ सवाल नहीं उठाया जा सकता। परिषद द्वारा दिये गये निर्णय सामान्य तथा मीडिया और उससे जुड़े लोगों को मान्य होते हैं।

फोटो प्रभाग

फोटो प्रभाग का प्रमुख कार्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकास कार्यों तथा देश में आ रहे सामाजिक परिवर्तनों को फोटोग्राफ के माध्यम से संजोकर रखना है। प्रभाग, पत्र सूचना कार्यालय को आंतरिक तथा बाह्य प्रचार हेतु भारत में समाचार पत्रों को वितरित करने के लिए फोटोग्राफ की आपूर्ति करता है। विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय को प्रदर्शनियों के लिए तथा एक्स पी डिविजन को विदेशों में प्रचार के लिए फोटोग्राफ उपलब्ध कराता है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त फोटो प्रभाग केंद्र/राज्य सरकार के विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों तथा आम जनता को 'मूल्य योजना' के तहत फोटोग्राफ उपलब्ध कराता है।

वार्षिक योजना 2008-09 में निम्न प्लान योजनाएं हैं—

(रुपये करोड़ में)

क्रम संख्या	योजना का नाम	वार्षिक योजना 2008-09
1.	राष्ट्रीय फोटोग्राफी केंद्र	0.51
2.	पूर्वोत्तर, जम्मू और कश्मीर, अंडमान तथा निकोबार और लक्षद्वीप के लिए विशेष अभियान	0.04
	कुल	**0.55**

प्रकाशन विभाग

प्रकाशन विभाग देश के सबसे बड़े प्रकाशन-संस्थानों में एक है। विभाग हिन्दी, अंग्रेजी और दूसरी प्रमुख भारतीय भाषाओं में ऐसी किताबों और पत्रिकाओं का प्रकाशन करता है, जो देश के लोगों की समझ विकसित कर सके। इन प्रकाशनों का उद्देश्य है देश के लोगों के जीवन के रंग-बिरंगे पहलुओं के बारे में जानकारियों का प्रसार। साथ ही पंचवर्षीय योजनाओं और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में दर्ज हो रहे विकास की जानकारी देना। प्रकाशन विभाग ने जिन महत्वपूर्ण प्रकाशनों को अंजाम दिया है उनमें महत्वपूर्ण हैं — महात्मा गांधी के लेखों, भाषणों और वक्तव्यों के संग्रहों की प्रतिष्ठित शृंखला, राष्ट्रीय नेताओं के भाषणों का संग्रह, राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न विषयों पर शिक्षाप्रद और जानकारियों से भरी किताबों का प्रकाशन। विभाग इनके अलावा बच्चों का साहित्य और 'रोजगार समाचार' भी छापता है।

विभाग राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर किताबों और पत्रिकाओं का प्रकाशन, बिक्री और वितरण तो करता ही है, आंतरिक और बाह्य प्रचार की सामग्री भी तैयार और प्रकाशित करता है ताकि देश-विदेश के लोगों को भारत के बारे में सटीक और ताज़ा जानकारी मिल सके। ऐसा करते हुए विभाग के उद्देश्य निम्नलिखित हैं-

(i) राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर किताबों का प्रकाशन, जिन्हें साधारण तौर पर दूसरे प्रकाशक नहीं छापते। साथ ही इन प्रकाशनों को वाजिब दाम पर जनता तक पहुंचाना भी प्रकाशन विभाग का उद्देश्य है।

(ii) प्रकाशन विभाग का उद्देश्य है—विविधता में एकता की अवधारणा को मजबूत करना। इसके अलावा यह अपने प्रकाशनों से सांप्रदायिक सौहार्द और राष्ट्रीय अखंडता को भी बढ़ावा देता है।

वर्ष 2006-07 और वर्ष 2007-08 के दौरान प्रकाशित पुस्तकों की सूची अनुलग्नक में दी गई है।

अनुलग्नक

वर्ष 2007-08 (दिसंबर 2007 तक) के दौरान प्रकाशित पुस्तकों की सूची :

क्र.सं.	पुस्तक का नाम
1.	सफलता का मंत्र (हिंदी)
2.	भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास (हिंदी)
3.	लाल बहादुर शास्त्री (अंग्रेजी) (डीलक्स)
4.	अहिल्याबाई होलकर (हिंदी)
5.	भोजपुर की लोक संस्कृति एवं परंपराएं (हिंदी)
6.	झारखंड की लोक कथाएं (हिंदी)
7.	यूनाइटेड नेशन्स इन द सर्विस ऑफ द कॉमन मैन (अंग्रेजी)
8.	भारत के समाचार-पत्र 2005-06 (हिंदी)
9.	भारतेन्दु हरीशचंद्र पुरस्कार 2004-05 (हिंदी)
10.	1857 (पंजाबी)
11.	1857 की जंगे-आजादी (उर्दू)
12.	ग्रेट मैन ग्रेट डीड्स (मलयालम)
13.	स्पीचेज़ ऑफ प्रेसीडेंट डा. एपीजे अब्दुल कलाम आजाद वाल्यूम-1 (अंग्रेजी)
14.	कहावतों की कहानियां (हिंदी)
15.	1857 रिवोल्ट (उर्दू)
16.	अ गाइड टू होम गार्डनिंग (अंग्रेजी)
17.	एनशियेन्ट इंडिया (अंग्रेजी)
18.	वैभव और वैराग्य (हिंदी)
19.	किले का रहस्य (हिंदी)
20.	कवि सूरदास (हिंदी)
21.	मायामृग (हिंदी)
22.	महान गणितज्ञ - आर्यभट्ट (हिंदी)
23.	रवीन्द्रनाथ ठाकुर की बाल कहानियां (मलयालम)
24.	एस. श्रीनिवास आयंगर (बीएमआई)
25.	द चरखा एण्ड द रोज़ (अंग्रेजी) पुनर्मुद्रण
26.	भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास (खंड-4) (हिंदी) पुनर्मुद्रण
27.	ये कारवां हमारा (हिंदी)
28.	रामानंद चट्टोपाध्याय (बांग्ला) (बीएमआई)

29. एमीनेण्ट ब्राडकास्टर्स (तेलुगु)
30. नेहरू - अ पिक्टोरियल बायोग्राफी (उड़िया)
31. हाऊ टू ऐज़ ग्रेसफुली एण्ड बी हैप्पी (अंग्रेजी)
32. भारतीय विज्ञान मंजूषा (अंग्रेजी) (डीलक्स) पुनर्मुद्रण
33. 1857 स्वतंत्रता संग्राम (हिंदी) पुनर्मुद्रण
34. उत्तराखंड के आदिवासी (हिंदी) पुनर्मुद्रण
35. शहीद बच्चों की गौरव गाथा (हिंदी)
36. थिरकते पंख (हिंदी) पुनर्मुद्रण
37. आयुर्वेद - सामान्य रोग एवं उपचार (हिंदी) पुनर्मुद्रण
38. काला पानी (हिंदी) पुनर्मुद्रण
39. वीर कुंवर सिंह (हिंदी)
40. तात्या टोपे (हिंदी)
41. मॉय बुक ऑफ ह्यूमन राइट्स (अंग्रेजी)
42. लीजेन्ड्स एण्ड फॉक टेल्स फ्राम एण्ड अराउण्ड एशिया (अंग्रेजी)
43. स्लेक्टेड स्पीचेज़ ऑफ प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह - (वाल्यूम-3) (अंग्रेजी)
44. स्पीचेज़ ऑफ डॉ. राजेन्द्र प्रसाद (वाल्यूम-3) (अंग्रेजी)
45. इंडियन क्लासिकल डांस (अंग्रेजी) पुनर्मुद्रण
46. सरदार पटेल (पिक्टोरियल) (अंग्रेजी) पुनर्मुद्रण
47. उदाहरण (मैथिली)
48. संगीत बच्चों के लिए (हिंदी) पुनर्मुद्रण
49. भारत के बौद्ध विहार (हिंदी)
50. 1857 सचित्र झांकी (हिंदी) पुनर्मुद्रण
51. इन्सपायरिंग हिस्टॉरिकल स्टोरीज़ (वाल्यूम-1) (अंग्रेजी)
52. इन्सपायरिंग हिस्टॉरिकल स्टोरीज़ (वाल्यूम-2) (अंग्रेजी)
53. भगतसिंह - द इटर्नल रेबल (अंग्रेजी)
54. इंडिया-2008 (अंग्रेजी)
55. शहीद भगत सिंह (हिंदी)
56. भारत-2008 (हिंदी)
57. मौलाना जलालुद्दीन रूमी (हिंदी)
58. मदर टेरेसा (तेलुगु)

अप्रैल 2006 से मार्च 2007 के दौरान प्रकाशित पुस्तकें
अंग्रेजी

क्र.सं.	पुस्तक का नाम
1.	वाल्मीकी एण्ड व्यास
2.	चिल्ड्रन्स रामायण
3.	प्रेस इन इंडिया
4.	ग्रेट मास्टर्स ऑफ इंडियन सिनेमा - दादा साहेब फालके अवार्ड विनर्स
5.	अ कैरियर फॉर यू
6.	डॉ. जाकिर हुसैन (बीएमआई) (डीलक्स)
7.	स्पीचेज़ ऑफ प्रेसीडेंट डॉ. राजेन्द्र प्रसाद (बीएमआई) (डीलक्स) पुनर्मुद्रण
8.	फॉक टेल्स ऑफ कश्मीर
9.	कैटलॉग 2006 (अंग्रेजी एवं हिंदी)
10.	5000 ईयर्स ऑफ इंडियन आर्कीटेक्ट पुनर्मुद्रण
11.	सेक्शनल कैटलॉग-2006 (पांच भाग)
12.	द स्टोरी ऑफ इंडियाज़ स्ट्रगल फॉर फ्रीडम (डीलक्स) (उड़िया)
13.	इंडियन एम्ब्रायडरी पुनर्मुद्रण
14.	स्लेक्टेड स्पीचेज़ ऑफ सुभाष चंद्र बोस (डीलक्स) (उड़िया)
15.	स्लेक्टेड स्पीचेज़ ऑफ प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह (वाल्यूम-2) (डीलक्स)
16.	एस्पेक्टस ऑफ इंडियन म्यूजिक पुनर्मुद्रण
17.	हिस्टरी ऑफ इंडियन रेलवे (डीलक्स) पुनर्मुद्रण
18.	फोल्क आर्ट्स एंड सोशल कम्यूनिकेशन (डीलक्स) पुनर्मुद्रण
19.	इकानामिक हिस्टरी ऑफ इंडिया, खंड-1 (डीलक्स) पुनर्मुद्रण
20.	इकानामिक हिस्टरी ऑफ इंडिया, खंड-2 (डीलक्स) पुनर्मुद्रण
21.	गोपाल भांड पुनर्मुद्रण
22.	अमीर खुसरो (डीलक्स) पुनर्मुद्रण
23.	इंडिया-2007 संदर्भ वार्षिकी
24.	टेल्स फ्राम इंडिया एंड एबरॉड
25.	कैसल्स इन द एयर - टेल्स फ्राम राजस्थान

26. इंडियन नेवी - ए पर्सपेक्टिव (डीलक्स)
27. प्रेस इन इंडिया 2005-2006
28. वार्षिक रिपोर्ट खंड-1 (सू. और प्र. मंत्रालय) 2006-2007
29. वार्षिक रिपोर्ट खंड-2 (सू. और प्र. मंत्रालय) 2006-2007
30. परिणाम बजट 2007-08
31. स्पीचेज़ ऑफ डॉ. राजेन्द्र प्रसाद खंड-2 (डीलक्स) पुनर्मुद्रण
32. टेल्स फ्राम तवी
33. 100 ईयर्स ऑफ सत्याग्रह (डीलक्स)

हिंदी

क्र.सं.	पुस्तक का नाम
1.	प्रेस इन इंडिया 2004-05
2.	कहावतों की कहानियां
3.	भारत छोड़ो आंदोलन
4.	हमारे पक्षी (डीलक्स)
5.	परिधि से बाहर
6.	संगीत बच्चों के लिए
7.	चार बातें
8.	जलियांवाला बाग पुनर्मुद्रण
9.	हिंदी सिनेमा का इतिहास (डीलक्स)
10.	जब्तशुदा गीत
11.	उपग्रह के बाहर भीतर (डीलक्स)
12.	अनोखी दुनिया अनोखे लोग
13.	कहानियां बलिदान की (पुनर्मुद्रण)
14.	उपभोक्ता संरक्षण अभियान और उपभोक्ता अधिकार
15.	इंडोनेशिया के संस्कृत शिलालेख (डीलक्स)
16.	लहरों के कहर (डीलक्स)
17.	क्रांतिकारी महिलाएं पुनर्मुद्रण
18.	मैत्रेयी पुनर्मुद्रण

19. पन्ना धाय पुनर्मुद्रण
20. कमला देवी चट्टोपाध्याय पुनर्मुद्रण
21. एनी बेसेंट पुनर्मुद्रण
22. प्रकाश भारती
23. छत्रपति शिवाजी
24. नंददास
25. तुलसीदास पुनर्मुद्रण
26. भूले-बिसरे क्रांतिकारी (डीलक्स) पुनर्मुद्रण
27. भारत के गौरव (भाग-3) पुनर्मुद्रण
28. आयुर्वेद सामान्य रोग और उपचार
29. विज्ञान हमारे आस-पास
30. विवेकानंद चित्रावली
31. भारत के गौरव (भाग-1)
32. संस्कृति के पड़ाव
33. सी. राजगोपालाचारी (बीएमआई)
34. भारत के गौरव (भाग-2)
35. भारतीय कला के हस्ताक्षर (डीलक्स)
36. सरदार पणिक्कर (बीएमआई)
37. भारत-2007 संदर्भ वार्षिकी
38. भारत की वीरांगनाएं पुनर्मुद्रण
39. देश-विदेश के महापुरुष पुनर्मुद्रण
40. भारतीय वेशभूषा
41. अकबर पुनर्मुद्रण
42. आर.एन. ठाकुर चित्रकथा पुनर्मुद्रण
43. ये गाथा वीर जवाहर की पुनर्मुद्रण
44. परिणाम बजट 2007-08
45. वार्षिक रिपोर्ट 2006-07 भाग-1
46. वार्षिक रिपोर्ट 2006-07 भाग-2
47. विज्ञान में महानता की ओर्

भाषा : क्षेत्रीय भाषाएं

क्र.सं.	पुस्तक का नाम
1.	लाल बहादुर शास्त्री (कन्नड़)
2.	भारतेन्दु हरिश्चंद्र (उर्दू)
3.	गांधी - ए पिक्टोरियल बायोग्राफी (उड़िया)
4.	कल्पना चावला (पंजाबी)
5.	इंडियन कास्ट्यूम्स (मलयालम)
6.	कल्पना चावला (उड़िया)
7.	एन एप्रोच टू 11 फाईव ईयर प्लान (कन्नड़)
8.	एन एप्रोच टू 11 फाईव ईयर प्लान (बांग्ला)
9.	एन एप्रोच टू 11 फाईव ईयर प्लान (पंजाबी)
10.	एन एप्रोच टू 11 फाईव ईयर प्लान (उड़िया)
11.	एन एप्रोच टू 11 फाईव ईयर प्लान (तमिल)
12.	एन एप्रोच टू 11 फाईव ईयर प्लान (तेलुगु)
13.	एन एप्रोच टू 11 फाईव ईयर प्लान (असमिया)
14.	एन एप्रोच टू 11 फाईव ईयर प्लान (मलयालम)
15.	एन एप्रोच टू 11 फाईव ईयर प्लान (गुजराती)
16.	एन एप्रोच टू 11 फाईव ईयर प्लान (मराठी)
17.	एन एप्रोच टू 11 फाईव ईयर प्लान (उर्दू)
18.	सुलभ पंचतंत्र (मराठी)
19.	सी.एन. अन्नादुरई (बीएमआई) पुनर्मुद्रण (डीलक्स)
20.	आजकल और प्रेमचंद (उर्दू)
21.	ग्रेट मैन एंड वुमेन ऑफ इंडिया (डीलक्स) (तेलुगु)
22.	एनसिएंट इंडिया (डीलक्स) (तेलुगु)
23.	दि स्टोरी ऑफ टेलीकम्यूनिकेशंस (तमिल) (डीलक्स)
24.	गीत रामायण (मराठी)
25.	सिग्नीफिकेंस ऑफ गांधी एज़ ए मैन एंड थिंकर (उर्दू)
26.	गुरु नानक से गुरु ग्रंथ साहिब तक (पंजाबी)
27.	रोचक ऐतिहासिक कहानियां (भाग-2) (तमिल)
28.	देश-विदेश की कहानियां (तेलुगु)

वर्ष 2006-07 के अंतर्गत प्रकाशित कुल शीर्षक

अंग्रेजी	33
हिंदी	47
क्षेत्रीय भाषाएं	28
कुल	108

एम्पलायमेंट न्यूज/रोज़गार समाचार

साप्ताहिक रोजगार समाचार अंग्रेजी, हिन्दी तथा उर्दू में प्रकाशित होता है। यह प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार का प्रमुख प्रकाशन है।

इस साप्ताहिक पत्र में केंद्रीय एवं राज्य सरकारें, सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमों, स्वायत्त निकायों, विश्वविद्यालयों, विदेशी संस्थानों जैसे फोर्ड फाउंडेशन, ब्रिटिश काउंसिल आदि में नौकरियों के विज्ञापन, व्यावसायिक पाठयक्रमों के लिए प्रवेश अधिसूचनाएं, भारतीय संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग जैसे संगठनों तथा अन्य सामान्य भर्ती निकायों की परीक्षा अधिसूचनाओं और उनके परिणामों तथा मध्य-स्तरीय रोजगार उन्नयन के अवसरों (प्रतिनियुक्तियों) की सूचनाएं प्रकाशित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त एक सम्पादकीय हिस्सा भी बनाया गया है जो कैरियर से सम्बन्धित दो लेख प्रकाशित करता है।

इस साप्ताहिक पत्र का मूल लक्ष्य सिविल सेवा के अभ्यर्थियों, प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं तथा साक्षात्कार में बैठने वाले उम्मीदवारों, अपने कैरियर तथा पेशे को चुनने के लिए तैयार युवाओं की आवश्यकताओं को पूरा करना है।

यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि अपनी सामाजिक जिम्मेवारी, जिसके लिए इस पत्र को शुरू किया गया था, निभाने के साथ-साथ एम्पलॉयमेंट न्यूज/ रोजगार समाचार नियमित रूप से पर्याप्त लाभ कमा रहा है। यह पत्र, जिसे सबसे अधिक प्रसारित साप्ताहिक पत्रों में शामिल होने का गौरव प्राप्त है, हर शनिवार को देश के कोने-कोने में उपलब्ध होता है।

सरकार के इस सचित्र कैरियर साप्ताहिक को अपनी कैरियर वेबसाइट www.employment.news.gov.in खोलकर अपने खाते में एक और उपलब्धि दर्ज की है। यह वेबसाइट बहुत अधिक सफल रही है तथा युवाओं में बहुत लोकप्रिय हो रही है। हर रोज 3 लाख से अधिक लोग इस वेबसाइट को खोलते हैं। सरकारी क्षेत्र में यह सबसे अधिक हिट पेज है। वेबसाइट के जरिए पेश की जा रही ऑनलाइन सेवाओं में कैरियर परामर्श सरकारी क्षेत्र में नौकरी रिक्तताओं के बारे में अग्रिम जानकारी तथा जानकारी सीधे पाठकों के ई-मेल पर उपलब्ध कराना शामिल है।

भारत के समाचार-पत्रों के पंजीयक (आरएनआई)

भारत के समाचार-पत्रों के पंजीयक का कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबद्ध है। इसका गठन प्रेस और पुस्तक पंजीकरण कानून, में संसद द्वारा किए गए संशोधन के बाद 1 जुलाई, 1956 को किया गया। अधिनियम के तहत इसके सांविधिक कार्य इस प्रकार हैं—

i) भारत में प्रकाशित सभी समाचार-पत्रों/पत्रिकाओं के विवरण को रजिस्टर में संकलित करना और उसका रखरखाव;

ii) संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित शीर्षकों की उपलब्धता की जांच के बाद समाचार-पत्रों/पत्रिकाओं के लिए पंजीकरण का प्रमाणपत्र देना;

iii) यह सुनिश्चित करना कि समाचार-पत्र/पत्रिकाएं प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम के उपबंधों के अनुसार प्रकाशित हो रही हैं;

iv) प्रकाशकों द्वारा किए गए प्रसार संख्या संबंधी दावों की जांच करना;

v) भारत में प्रेस के विषय में सूचनाओं और आंकड़ों की, विशेषकर विभिन्न प्रकार के समाचार-पत्रों/पत्रिकाओं की प्रवृत्तियों की वार्षिक रिपोर्ट तैयार कर के सरकार को प्रस्तुत करना।

इसके अतिरिक्त भारत के समाचार-पत्रों के पंजीयक के कार्यालय को अपने सांविधिक कार्यों के अतिरिक्त भी कुछ कार्य करने पड़ते हैं। वे कार्य इस प्रकार हैं—

(क) समाचारपत्रों/पत्रिकाओं को अखबारी कागज आयात करने का पात्रता प्रमाणपत्र या देश में स्थित अखबारी कागज मिलों से कागज खरीदने हेतु आबंटन प्रमाणपत्र जारी करना।

(ख) प्रिंटिंग तथा संबद्ध मशीनरी और सामग्री के संबंध में समाचार-पत्र संस्थाओं की आवश्यकताओं का आकलन करके उन्हें प्रमाणपत्र देना।

गवेषणा, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग

गवेषणा संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन कार्यालय है जो मीडिया इकाइयों को शोध के संबंध में एकत्रित, संकलित एवं तैयार सामग्री के प्रकाशन कार्य आदि में सहायता करता है। मीडिया इकाइयों के उपयोग के लिए महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी का सार संक्षेप निर्मित करना और समसामयिक एवं अन्य विषयों पर मार्गदर्शन तथा पृष्ठभूमि नोट तैयार करना भी इस प्रभाग का दायित्व है। 1945 में स्थापित यह प्रभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा इसके अधीन विभिन्न मीडिया इकाइयों के लिए सूचना उपलब्ध कराने वाली एक इकाई के रूप में कार्य करता है। यह प्रभाग जनसंचार क्षेत्र की प्रवृत्तियों का अध्ययन करते हुए जनसंचार की संदर्भ एवं प्रलेखन सेवा को कायम रखता है। यह प्रभाग मंत्रालय, इसकी मीडिया इकाइयों तथा जनसंचार से जुड़े अन्य माध्यमों को उपयोग के लिए पृष्ठभूमि, संदर्भ एवं शोध सामग्री उपलब्ध कराता है। यह प्रभाग भारतीय जनसंचार संस्थान (भाजसंसं) के सहयोग से भारतीय सूचना सेवा (भासूसे) के अधिकारियों की प्रशिक्षण व्यवस्था को भी देखता था। यह कार्य मंत्रालय के कैडर प्रबंधन प्रभाग को हस्तांतरित कर दिया गया है। प्रशिक्षण को अधिकारियों के कैरियर प्रगति से जोड़ दिया गया है।

यह प्रभाग वर्ष के दौरान दो वार्षिक संदर्भ ग्रंथ तैयार करता है, इंडिया—संदर्भ वार्षिकी, यह केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य/संघ शासित क्षेत्रों तथा पी.एस.यू./स्वायत्त निकायों द्वारा किए गए विकास और उन्नति का संकलन है। भारत में मास मीडिया (मास मीडिया इन इंडिया) यह भारत के जनसंचार पर एक विस्तृत प्रकाशन है। साथ ही इंडिया को हिंदी में भारत शीर्षक से प्रकाशित किया जाता है। गवेषणा संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग ने 31 दिसंबर 2007 को वार्षिक संदर्भ ग्रंथ इंडिया-2008 के 52वें संस्करण को सफलतापूर्वक जारी किया।

यह प्रभाग नियमित रूप से हर पखवाड़े 'डायरी ऑफ इवेंट्स' निकालता है। यह पाक्षिक अभिलेख और संदर्भ के लिए महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर

केंद्रित होता है। यह प्रभाग विषय विशेष पर आधारित पत्रिकाओं की मासिक रिपोर्ट भी तैयार करता है और छटनी के बाद इसे मंत्रालय भेज देता है। इन पत्रिकाओं में एफडीआई की हिस्सेदारी होती है और ये विषय विशेष से संबंधित होती हैं जिसके लिए इन्हें भारत में प्रकाशित करने की अनुमति दी जाती है। इन पत्रिकाओं का अनुवीक्षण सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों पर सख्ती से किया जाता है।

संदर्भ पुस्तकालय

गवेषणा और संदर्भ क्षेत्र से जुड़े किसी भी संस्थान के लिए एक सुसज्जित पुस्तकालय जीवन रेखा की तरह होता है। गसंप्रप्र (आरआरटीडी) शोध से संबंधित सामग्री के संचयन, संकलन और तैयारी में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मीडिया इकाइयों की सहायता करता है। इस प्रभाग का पुस्तकालय विभिन्न विषयों पर दस्तावेजों के बड़े संग्रह, चुनी हुई पत्रिकाओं के सजिल्द ग्रंथों तथा मंत्रालय की विभिन्न रिपोर्टों से सुसज्जित है जो पाठकों, समितियों और आयोगों के लिए वैयक्तिक सहायता प्रदान करता है। इसके संग्रह में पत्रकारिता, जनसंपर्क, विज्ञापन एवं दृश्य-श्रव्य प्रचार माध्यम, सभी प्रमुख विश्वकोष, सम-सामयिक लेख और वार्षिकी शामिल हैं। पुस्तकालय की सुविधाएं भारतीय और विदेशी माध्यम प्राप्त पत्रकारों तथा सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध हैं।

राष्ट्रीय जनसंचार प्रलेखन केन्द्र

राष्ट्रीय जनसंचार प्रलेखन केन्द्र (एनडीसीएमसी) का गठन 1976 में मंत्रालय की ओर से गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया। इसकी पत्रिका सेवाओं के माध्यम से जन संचार माध्यम की प्रवृत्तियों और उनसे जुड़ी घटनाओं की जानकारी एकत्र कर उनकी व्याख्या करना उसका मुख्य दायित्व है। एनडीसीएमसी जनसंपर्क/संचार पर उपलब्ध बड़े समाचारों, लेखों तथा सूचनाओं का प्रलेखन करता है। यह पूरे देश में जनसंचार के विकास के लिए ही नहीं बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय सूचना प्रवाह में शामिल होने के लिए सूचना के संग्रहण और प्रलेखन से लेकर इसके प्रचार-प्रसार तक समसामयिक गतिविधियों का केन्द्रीय क्षेत्र है।

विभिन्न सेवाओं के द्वारा एकत्रित सूचना को अनुरक्षित एवं प्रचारित किया जाता है जैसे—'समसामयिक जागरूकता सेवा'—केन्द्र द्वारा अंशदायी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में मास मीडिया पर चुनिंदा लेखों की प्रकाशित सूची, 'सन्दर्भ ग्रंथ सेवा' - केन्द्र द्वारा अंशदायी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में पिछले एक वर्ष के दौरान प्रकाशित मास मीडिया पर लेखों की विषय सूची, 'फिल्म बुलेटिन'-भारत के फिल्म उद्योग के विकासों का एक सारांश, 'संदर्भ सूचना सेवा' - मास मीडिया क्षेत्र के प्रासंगिक हितों के विषयों पर पृष्ठभूमि दस्तावेज; - 'हूज हू इन मास मीडिया' 'लोक प्रसिद्ध विभिन्न मीडिया व्यक्तियों की जीवनियां', 'जनसंचार में कौन क्या है', 'जनसंचारकों को दिए गए पुरस्कार' - वर्ष के दौरान जनसंचारकों को दिए गए पुरस्कारों के साथ-साथ घोषित राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की झलकियां और 'मीडिया अपडेट' - यह प्रलेख और संदर्भ के लिए बड़ी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को केंद्रित करती है।

वर्ष 2007-08 की झलकियां :

- गवेषणा संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग ने 31 दिसंबर 2007 को वार्षिक संदर्भ ग्रंथ इंडिया-2008 के 52वें संस्करण को सफलतापूर्वक जारी किया।
- आरआरटीडी की इकाई राष्ट्रीय जनसंचार प्रलेखन केन्द्र ने वर्ष 2007-08 (दिसंबर 2007) के दौरान मास मीडिया के विभिन्न पहलुओं पर 45 सेवाएं जारी कीं।
- आरआरटीडी के प्रशिक्षण प्रभाग ने दिसम्बर 2007 तक मंत्रालय के अधीन विभिन्न मीडिया इकाइयों के 33 भासूसे के अधिकारियों के लिए 8 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक आयोजन किया।

गीत और नाटक प्रभाग

परिचय

इस प्रभाग की स्थापना 1954 में संचार के काम में परंपरागत लोककला रूपों के इस्तेमाल से फायदा उठाने के लिए एक छोटी यूनिट के रूप में की गई थी। इसे जीवंत माध्यम माना जाता है, यह संचार के काम में बहुत प्रभावशाली सिद्ध हुआ। लोगों के साथ तुरंत तादात्म्य स्थापित कर सकने और समसामयिक विषय शामिल कर सकने की अपनी क्षमता के कारण यह बहुत प्रभावी रहा। इसी कारण इसे अधिक पहुंच और संचार-सक्षम बनाने के लिए इसका क्षेत्र और आकार बढ़ाया गया ताकि इसकी पहुंच, उपलब्धता और प्रभाव जमीनी स्तर तक खासकर पहुंच से बाहर पहाड़ी, रेगिस्तानी और सीमावर्ती क्षेत्रों तक संदेश पहुंचाने की कोशिश हो।

उद्देश्य

इस प्रभाग के प्रमुख उद्देश्य हैं जैसा कि अधिकारिक वेबसाइट में विस्तारित किया गया है, आम जनता में सामाजिक, आर्थिक एवं लोकतंत्रीय आदर्शों के प्रति सम्मान एवं भावनात्मक लगाव पैदा करना और जागरूकता फैलाना। ये प्रवृत्तियां देश की प्रगति के अनुकूल हैं। इनके द्वारा सीमावर्ती इलाकों के लोगों में रक्षा तैयारी और देश की सांस्कृतिक एकजुटता में विश्वास पैदा किया जाता है। ग्रामीण और शहरी कला रूपों का इस्तेमाल करते हुए दूरदराज में तैनात सैनिकों का आत्मबल बनाए रखने और लोक कलाओं का इस्तेमाल करके उनका मनोरंजन करना भी प्रमुख उद्देश्य है।

इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए यह प्रभाग अनेक प्रकार के कला रूपों—नाटक, बैले नृत्य नाटिका, ओपेरा, लोक नृत्यों, कठपुतली, वाचिक परंपरा और यहां तक कि जादूगरी का भी इस्तेमाल करता है। साथ ही, यह प्रभाग आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करके सांप्रदायिक सद्भाव, राष्ट्रीय एकता, धर्मनिरपेक्षता, सांस्कृतिक विरासत की रक्षा, स्वास्थ्य पर्यावरण, शिक्षा, महिला सशक्तीकरण जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर ध्वनि और प्रकाश कार्यक्रम पेश करता है।

देश के विभिन्न भागों में प्रचलित अनेक लोक एवं पारंपरिक कला रूपों का इस्तेमाल करके एक तरफ यह प्रभाग इन कलारूपों का उद्धारक बन गया है, वहीं सैकड़ों कलाकारों को प्रोत्साहन और रोजगार देने वाला बन गया है, जो अपने कौशल का उपयोग अपनी ही भाषा, बोलियों, मुहावरों आदि का प्रयोग उद्देश्यपरक संचार के लिए करते हैं।

निदेशक इस प्रभाग के प्रमुख होते हैं। प्रभाग इन स्तरों पर कार्यरत है—(i) दिल्ली में मुख्यालय, (ii) बंगलौर, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, कोलकाता, लखनऊ, पुणे और रांची में दस क्षेत्रीय केंद्र तथा, (iii) सात सीमा केंद्र जो एक सहायक निदेशक के अधीन काम करते हैं। ये केंद्र हैं दरभंगा, गुवाहाटी, जम्मू, जोधपुर, इंफाल, नैनीताल और शिमला, (iv) छः विभागीय नाटक मंडलियां एक प्रबंधक के नेतृत्व में भुवनेश्वर, दिल्ली, हैदराबाद, पटना, पुणे और श्रीनगर (जम्मू) में हैं। इस प्रभाग की फील्ड यूनिटें प्रचारपरक कार्यक्रम तैयार करके उन्हें प्रस्तुत करने और मानीटरिंग का काम संभालती हैं।

इसके अलावा, इस प्रभाग की नौ मंडलियां (आठ दिल्ली में, एक चेन्नई में) हैं जिनमें एएफईडब्ल्यू योजना के तहत सशस्त्र सेना मनोरंजन स्कंध के कलाकार काम करते हैं। ये मंडलियां दूरदराज के इलाकों में जा कर सैनिकों का मनोरंजन करती हैं।

वार्षिक योजना 2008-09
योजना कार्यक्रमों का विवरण

नये कार्यक्रम

ग्रामीण भारत के लिए जीवंत कला और संस्कृति (आई सी टी स्कीम का पुनर्गठन)

(i) पर्वतीय, जनजातीय, रेगिस्तानी, संवेदनशील और सीमावर्ती इलाकों में आई सी टी गतिविधियां एवं उनका मूल्यांकन

यह प्रभाग संवेदनशील और जम्मू कश्मीर, पंजाब एवं पूर्वोत्तर जैसे विशेष इलाकों में विशेष प्रचार करता है ताकि सीमापार से होने वाले दुष्प्रचार का मुकाबला किया जा सके, यहां के लोगों को राष्ट्रीय मुख्य धारा में लाया जा सके, और विभागीय मंडलियों, निजी टोलियों और सूचीबद्ध किए हुए कलाकारों तथा किराये के वाहनों की सहायता से विशेष सेवा ब्यूरो, सीमा सुरक्षा बल और रक्षा एजेन्सियों के निकट सहयोग से इन इलाकों में विशेष प्रचार अभियान चलाए जा सकें।

यह प्रभाग पर्वतीय, जनजातीय और रेगिस्तानी इलाकों में दूर-दराज में रहने वाले लोगों में उनके कल्याण के लिए शुरू की गई विकास गतिविधियों के बारे में जागरूकता पैदा करता है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य दूर-दराज के निवासियों को देश के साथ जोड़ना और विकास गतिविधियों में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देना है। स्थानीय कलाकारों को मिलाकर मंडलियां बनाई जाती हैं जो स्थानीय बोली और मुहावरों तथा कलारूपों का इस्तेमाल करते हुए स्थानीय जनता के लिए कार्यक्रम पेश करती हैं।

इस प्रभाग ने 3520 कार्यक्रम पेश करने का प्रस्ताव किया है। इनमें वर्ष 2008-09 के दौरान किए गए रु. 216 करोड़ के बजट आबंटन के जरिए क्षेत्र विशेष के लिए उपयुक्त कार्यक्रम दिखाने की व्यवस्था है। उक्त राशि में मॉनिटरिंग, आने-जाने, सम्पर्क साधने, मूल्यांकन तथा मुख्यालय और देश के विभिन्न भागों में सभी जरूरी इंतजाम करने का खर्च शामिल है।

(ii) राष्ट्रीय/सामाजिक विषयों पर मंच कार्यक्रम का प्रस्तुतीकरण

गीत और नाटक प्रभाग के ध्वनि और प्रकाश कार्यक्रम ऐसी सचल व्यवस्था है जिसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। इस कार्यक्रम में 25 से 30 घटक होते हैं जो नाटक प्रस्तुतीकरण के विशेष विषयों से संबंधित होते हैं। किराये के वाहनों की भी मदद ली जाती है। इस माध्यम का इस्तेमाल आम जनता को और खास तौर से युवा वर्ग को देश की सांस्कृतिक विरासत की जानकारी देने और महापुरुषों के विचार और शिक्षाओं से अवगत कराने तथा प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी बड़े प्रभावी ढंग से देने में किया जाता है। इस गतिविधि की खास बात यह है कि इसमें 100 से लेकर 120 तक स्थानीय कलाकारों और तकनीशियनों को शामिल किया जाता है। प्रभाग का प्रस्ताव है कि दिल्ली और बंगलौर की यूनिटों के माध्यम से ध्वनि और प्रकाश का इस्तेमाल करते हुए 2008-09 के दौरान 42 कार्यक्रम तैयार किए जाएं। इसके लिए 0.51 करोड़ रुपये का वित्तीय आबंटन है।

(iii) गीत एवं नाटक प्रभाग का आधुनिकीकरण

इस प्रभाग ने अपने बंगलौर और दिल्ली के ध्वनि एवं प्रकाश एकांशों को दसवीं योजना के दौरान एक उचित समय सीमा के अंदर पूरी तरह कम्प्यूटरीकृत करने का प्रस्ताव किया था। इसी तरह से 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो नये केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है, उन्हें भी मौजूदा फील्ड यूनिटों की तरह आधुनिक और नए से नए तकनीकी उपकरणों से लैस करने का प्रस्ताव है। प्रभाग ने ऐसे उपकरणों/टेक्नालाजी की खरीद पर 0.04 करोड़ रुपये के खर्च का प्रस्ताव किया है।

(iv) चिह्नित 76 जिलों में गतिविधियां

योजना आयोग ने निह्नित 76 ज़िलों में कवरेज जारी रखने के लिए 2760 जीवंत कार्यक्रम आयोजित करने के लिए 0.38 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये हैं, कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय एकता, सांप्रदायिक सद्भाव, आतंकवाद की खिलाफत तथा देशभक्ति होगा।

(v) न्यूनतम साझा कार्यक्रम के प्रचार पर

इस योजनागत योजना के अंतर्गत प्रभाग वर्ष 2008-09 के दौरान न्यूनतम साझा कार्यक्रम के प्रचार पर 480 कार्यक्रम प्रस्तुत करेगा। प्रभाग ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम

के तहत स्वास्थ्य परिवार कल्याण, शिक्षा ग्रामीण विकास और रोजगार पर फोकस करने का प्रस्ताव किया है। इसके तहत 0.32 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

(vi) जम्मू कश्मीर व पूर्वोत्तर क्षेत्रों में विशेष गतिविधियां

प्रभाग ने इस मद में वर्ष 2008-09 के दौरान 0.40 करोड़ रुपये के आबंटन के साथ कुल 440 कार्यक्रम आयोजित करने का प्रस्ताव किया है। यह पैकेज सरकार के निर्देश के अनुसार पूर्वोत्तर के सामान्य बजटीय आबंटन से अधिक है।

एफ. एम. रेडियो (निजी)

सूचना और प्रसारण मंत्रालय रेडियो, टेलीविज़न, फिल्मों, प्रेस, प्रकाशनों, एवं विज्ञापनों जैसे जनसंचार माध्यमों और नाट्य व नाटक जैसे पारम्परिक तरीकों से आम लोगों तक सूचना के युक्त प्रवाह को बनाए रखने में प्रभावी भूमिका अदा करता है। मंत्रालय विभिन्न आयु समूहों की मनोरंजन एवं बौद्धिक आवश्यकताओं की पूर्ति तथा राष्ट्रीय एकता, पर्यावरणीय सुरक्षा, स्वास्थ्य रक्षा, आदि के मुद्दों पर लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के कार्य में संलिप्त है, जिसके लिए यह अपने चार खण्डों-सूचना खण्ड, प्रसारण खण्ड, फिल्म खण्ड और समन्वित वित्त खण्ड से सहायता प्राप्त करता है। योजना स्कीम ''निजी एफ.एम. रेडियो'' निजी एफ.एम. प्रसारकों को मूलभूत ढांचा उपलब्ध कराती है जो उन्हें स्पेक्ट्रम के प्रभावी उपयोग के लिए अपनी प्रसारण सुविधाएं एक स्थान पर स्थापित करने में मदद देगी।

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मानीटरिंग केंद्र

पहले केंद्रीय अनुश्रवण सेवा इस मंत्रालय के अंतर्गत एक अधीनस्थ कार्यालय के रूप में कार्य कर रहा था। इसका काम विभिन्न देशों के रेडियो तथा टेलीविजन चैनलों की मॉनिटरिंग कर भारत विरोधी दुष्प्रचार पर नजर रखना था इसके अलावा यह टेलिविजन तथा रेडियो तथा प्रसारणों को भी मानिटर करता था ताकि केबल टेलिविजन नेटवर्क (नियमन) कानून 1995 तथा इससे संबंधित नियमों के तहत निर्धारित प्रचार एवं कार्यक्रम कोड के उल्लंघन पर नजर रखी जा सके। सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय के अनुरूप इसे 1 अप्रैल 2005 से एन.टी.आर.ओ. को हस्तांतरित कर दिया गया। एन.टी.आर.ओ. की जरूरतें मंत्रालय की जरूरतों से बिल्कुल अलग हैं। इसलिये यह निर्णय किया गया कि प्रसारण में शामिल विषयों का जिम्मा इस मंत्रालय के पास रहे और इसी मकसद से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर की स्थापना की गई। इसके उद्देश्य हैं:-

1. भारत से डाउनलिंक किए जा रहे टी.वी. चैनलों के द्वारा केबल टेलिविजन नेटवर्क (नियमन) कानून 1995 तथा इससे संबंधित नियमों के तहत निर्धारित प्रचार एवं कार्यक्रम कोड के उल्लंघन पर नजर रखना।
2. निजी एफ.एम. चैनलों पर नजर रखना।
3. समय-समय पर सरकार द्वारा प्रसारण क्षेत्र की विषय-वस्तु से संबंधित किसी भी मॉनिटरिंग कार्य को पूरा करना।

अन्तर्राष्ट्रीय चैनल
(मुख्य सचिवालय योजना)

अल-जज़ीरा, बीबीसी, सीएनएन आदि की तर्ज पर भारत की उपस्थिति दर्ज करने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय चैनल खोलने की आवश्यकता महसूस की गई। यह चैनल एशियाई देशों के लोगों की आकांक्षाओं और जीवन को उजागर करेगा तथा एशियाई परिप्रेक्ष्य में अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं पर नजर रखेगा। यह चैनल पेशेवरों द्वारा चालित तथा सम्पादकीय रूप से स्वतन्त्र होगा जिसे उद्देश्यपूर्ण, जांच-पड़ताल तथा सही पत्रकारिता के सर्वश्रेष्ठ उसूलों पर चलाया जाएगा।

सामुदायिक रेडियो

सामुदायिक रेडियो के लिए आईईसी गतिविधियां

दिसंबर 2007 में, भारत सरकार ने सामुदायिक रेडियो के लिये नीति को लचीला बनाया है और गैर-लाभकारी संगठनों को सामुदायिक रेडियो स्थापित करने के लिये अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया है। ये संगठन वे होंगे जो सोसाइटी अधिनियम या ऐसे किसी अन्य अधिनियम के अंतर्गत शैक्षिक संस्थानों के अलावा ऐसी गतिविधियों में संलग्न होंगे और जो अहर्ता शर्तों को पूरा करते हों। जैसे- नागरिक सोसाइटी और स्वैच्छिक संगठन, राज्य कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), कृषि विज्ञान केंद्र।

सूचना भवन का निर्माण

सूचना भवन के निर्माण पर होने वाले व्यय योजना आयोग की मंजूरी के पश्चात इस मंत्रालय को उपलब्ध कराये गये योजना बजट से पूरा किया जाता है। अब तक उपलब्ध निर्मित स्थान विभिन्न मीडिया इकाइयों को आबंटित किया गया है, जैसे सिविल कंस्ट्रक्शन विंग, गीत एवं नाट्य प्रभाग, फोटो प्रभाग, फिल्म प्रभाग, प्रकाशन विभाग, गवेषणा संदर्भ एवं प्रशिक्षण प्रभाग, मुख्य सचिवालय का प्रधान लेखा नियंत्रक, भारतीय प्रेस परिषद, विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (अंशत:) और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम। सूचना भवन के चरण V के पूरा होने पर उपलब्ध निर्मित स्थान का उपयोग बाकी बची मीडिया इकाइयों को दिया जाएगा और यदि फिर स्थान बचता है, तो उसे अन्य विभागों के किराये पर उपलब्ध कराया जाएगा।

विकास पहलों का आर्थिक विश्लेषण (नई योजना)

अर्थव्यवस्था के तहत मनोरंजन और मीडिया क्षेत्र में 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) के दौरान उच्च वृद्धि की उम्मीद है। विकास की इस गति से

लाभ उठाने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा फिल्म, सूचना और प्रसारण क्षेत्रों संबंधी विभिन्न स्कीम/कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ताकि निर्धारित लक्ष्यों/उद्देश्यों को हासिल किया जा सके। 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) की वार्षिक योजना 2007-08 में इस नई स्कीम को शामिल किया गया है। इसके लिए 0.08 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है। स्कीम के तहत 2007-08 के दौरान भारतीय जन संचार संस्थान को ''जम्मू और कश्मीर तथा उत्तर-पूर्व में विभिन्न मास मीडिया का प्रभाव और प्रवेश पर एक अध्ययन का कार्य सौंपा गया है। वार्षिक योजना 2008-09 के लिए 0.28 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रदान किया गया है।''

इस स्कीम के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- फिल्म, सूचना और प्रसारण क्षेत्र में प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) को विकसित करना।

- फिल्म, सूचना और प्रसारण क्षेत्रों से संबंधित नियामक और विकास नीतियों के प्रभाव का अध्ययन और मूल्यांकन करना।

प्रत्येक स्कीम/कार्यक्रम से संबंधित कार्ययोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा तैयार की जाएगी जिसमें भौतिक और वित्तीय दोनों तरह से माह-वार लक्ष्यों और उपलब्धियों को दर्शाया जाएगा। कार्यान्वयन प्रगति की मंत्रालय स्तर पर भी निगरानी की जाएगी। इन स्कीमों/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा त्रैमासिक आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी तथा रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाएगा।

मानव संसाधन विकास के लिये प्रशिक्षण

मुख्य सचिवालय योजना

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की सूचना, प्रसारण और फिल्म क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका है। यह मंत्रालय मीडिया से संबंधित नीतियों को बनाने और उन्हें लागू करने के लिये जिम्मेदार है। अपने कई मीडिया इकाईयों के माध्यम से यह मंत्रालय सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिये जिम्मेदार है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, समाचार पत्रों और फिल्मों सहित संचार के कई माध्यमों के ज़रिये मनोरंजन उपलब्ध कराने और जागरुकता फैलाने के लिये जिम्मेदार है। इसके लिये मंत्रालय के अधीन मीडिया इकाईयां, स्वायत्त संस्थान और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भी अपनी भूमिका अदा करते हैं। इन सभी मीडिया इकाईयों में इंजीनियरिंग सेवा, कार्यक्रम सेवा, भारतीय सूचना सेवा, केन्द्रीय सचिवालय सेवा और अन्य सेाओं से संबंधित अधिकारियों की केन्द्रीय कर्मचारी योजना के अंतर्गत प्रतिनियुक्ति की जाती है।

विभिन्न मीडिया इकाईयों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये ख्याति प्राप्त विदेशी संस्थानों/विश्वविद्यालयों के प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव रखा गया है। इन प्रशिक्षणों का उद्देश्य इन इकाईयों में कार्यरत व्यक्तियों को राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक प्रौद्योगिकी के बदलते परिदृश्य से अवगत कराना है ताकि वह जन संचार क्षेत्र में मुख्य भूमिका निभा सकें। अधिकारियों को संगठन के विकास और उसे अधिपक उपयोगी बनाने के लिये मानव संसाधन विकास की जरूरत के बारे में अवगत कराये जाने की भी आवश्यकता है

मुख्य सचिवालय योजना के अंतर्गत मानव संसाधन विकास के प्रशिक्षण के दो भाग हैं:

(क) मंत्रालय में कार्यरत अधिकारियों को विदेशों में स्थित संथानों में प्रशिक्षण देना

(ख) भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण देना।

(क) भाग के अंतर्गत विभिन्न कैडट/सेवाओं जैसे आईएएस, आईआरएस, आइआईएस, सीएसएस, आईईएस के 10-12 ऐसे अधिकारियों जो मंत्रालय में अवर सचिव/उप सचिव/निदेशक/संयुक्त सचिव के स्तर पर कार्यरत हैं उन्हें प्रत्येक वर्ष योग्यता बढ़ाने के लिये विदेशों में थॉमसन फाउंडेशन यू.के., कैनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट, हावर्ड यूनिवर्सिटी, रेडियो नीदरलैंड, बी.बी.सी. जैसे ख्याति प्राप्त संस्थानो में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये भेजा जाता है। प्रशिक्षण के लिये अधिकारियों का चयन मंत्रालय की जरूरत के अनुसार किया जाता है। इनमें कई बार अधिकारियों को 2-3 दिन के प्रशिक्षण कार्यशाला के लिये भारतीय जन संवचार संस्थान में भी भेजा जाता है। जहां पर विदेशों से अंतराष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों को व्याख्यान/भाषण देने के लिये बुलाया जाता है। (ख) भाग के अंतर्गत, मंत्रालय ने भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों (ए+बी) के लिये विशेष रूप से तैयार कार्यक्रम का प्रशिक्षण देना है ताकि उनका कैरियर हमेशा विकासमान हो और विभिन्न मीडिया इकाईयों के भविष्य में आने वाली चुनौतियों का वह डटकर सामना कर सकें। भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों को भारतीय जनसंचार संस्थान में आयोजित प्रशिक्षण का भी प्रावधान है। हालांकि अधिकारियों को आईआईएम और आईआईटी जैसे संस्थानों में प्रबंधन, नेतृत्व विकास और व्यक्तित्व विकास आदि के प्रशिक्षण के लिये भी भेजने का प्रस्ताव है।

सेवा के बीच में हर पदोन्नति के बाद प्रशिक्षण का प्रस्ताव है इसके अलावा नई प्रौद्योगिकी से अवगत कराने और सही मानसिकता विकसित करने के लिये समय समय पर प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव है। प्रत्येक वर्ष 120-140 आईआईएस अधिकारियों को प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव है। भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिये वास्तविक कार्यक्रम शीघ्र ही तैयार हो जाएगा। इस योजना के लिये किया जाने वाला खर्च राजस्व व्यय में ही शामिल है। प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में लघु अवधि दीर्घावधि प्रशिक्षण कार्यक्रमों का मिलाजुला कार्यक्रम रहेगा जो मंत्रालय और पाठ्यक्रम की जरूरत पर निर्भर करता है। संस्थानों/विश्वविद्यालयों में चुने गये कुछ पाठ्यक्रमों के प्रशिक्षण के लिये अधिकारियों का चयन मंत्रालय द्वारा भी किया जा सकता है।

प्रसार भारती: आकाशवाणी

प्रसार भारती नाम से भारतीय प्रसारण निगम की स्थापना के प्रावधान बनाए गए। प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 को 15 सितंबर 1997 से लागू किया गया। इस अधिनियम में प्रावधान है कि निगम सर्व साधारण को जानकारी देने, शिक्षित करने और मनोरंजन के लिए सार्वजनिक सेवा प्रसारण का कार्य करेगा। यानि जो कार्य पहले आकाशवाणी और दूरदर्शन करते थे, वह कार्य अब यह निगम करेगा। निगम के सामान्य पर्यवेक्षण निर्देशन और प्रबन्ध के कार्य प्रसार भारती बोर्ड को सौंपे जाएंगे। यह बोर्ड अपने ऐसे सभी अधिकारों का इस्तेमाल और अपने ऐसे सभी कार्य उसी प्रकार करेगा जिस प्रकार इस अधिनियम के तहत निगम द्वारा किए जाते हैं।

निगम अपने कार्य सुचारू रूप से कर सके, इसके लिए अधिनियम में प्रावधान है कि संसद द्वारा कानूनी तौर पर इस बारे में विधिवत विनियोजन किए जाने के बाद केंद्र सरकार आवश्यकतानुसार निगम को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इक्विटी सहायता अनुदान या ऋण के रूप में धनराशि प्रदान कर सकती है। निगम का अपना कोष होगा और निगम की सारी प्राप्तियां इसी कोष में जमा की जाएंगी और निगम सभी भुगतान इसी कोष से करेगा।

1. इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निगम का प्राथमिक दायित्व सर्वसाधारण को जानकारी देने, शिक्षित करने और मनोरंजन के लिए सार्वजनिक प्रसारण सेवा को संचालन करना तथा रेडियो और टेलीविजन पर प्रसारण का संतुलित विकास सुनिश्चित करना होगा।

स्पष्टीकरण-शंका दूर करने के लिए एतद् द्वारा यह घोषणा की जाती है कि इस खण्ड के प्रावधान भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अलावा होंगे, न कि अधिनियम के प्रावधानों के विरूद्ध होंगे।

2. निगम अपने कार्यों के निर्वहन में निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान में रखेगा:

(क) देश की एकता और अखण्डता तथा संविधान में निहित मूल्यों का संरक्षण

(ख) सार्वजनिक हित, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय मामलों के बारे में मुक्त, सच्ची तथा निष्पक्ष सूचना प्राप्त करने के नागरिक के अधिकार का संरक्षण तथा अपनी विचारधारा या किसी राय को जोड़े बिना विविध दृष्टिकोणों सहित सूचना की निष्पक्ष तथा संतुलित प्रस्तुति

(ग) शिक्षा के क्षेत्र में एवं साक्षरता, कृषि, ग्रामीण विकास, पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और विज्ञान एवं तकनीक पर विशेष ध्यान देना।

(घ) उपयुक्त कार्यक्रमों के प्रसारण द्वारा देश के विविध क्षेत्रों की सांस्कृतिक विविधता एवं भाषाओं को पर्याप्त कवरेज प्रदान करना।

(ङ) क्रीड़ा एवं खेल को पर्याप्त कवरेज प्रदान करना जिससे कि स्वस्थ प्रतियोगिता एवं खेल भावना को बढ़ावा मिले।

(च) युवाओं की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त कार्यक्रम प्रदान करना।

(छ) महिलाओं की स्थिति एवं समस्याओं के संबंध में राष्ट्रीय चेतना बढ़ाना तथा महिला उत्थान पर विशेष ध्यान देना।

(ज) शोषण, असमानता को दूर करने, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने एवं छुआ-छूत जैसी बुराई को दूर करने तथा समाज को कमजोर वर्गों का कल्याण के लिए काम करना।

(झ) कामगारों के अधिकारों की रक्षा करना एवं उनके कल्याण को बढ़ावा करना।

(ञ) कमजोर एवं ग्रामीण वर्ग तथा सीमावर्ती क्षेत्र, पिछड़े एवं सुदूर क्षेत्रों के लोगों की भलाई के लिए कार्य करना।

(ट) अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय समुदायों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त कार्यक्रम प्रदान करना।

(ठ) बच्चों, अंधों, बूढ़ों, अपंगों एवं जनता के अन्य कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा के लिए विशेष कदम उठाना।

(ड) राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने के लिए, ऐसे प्रसारण करना जो भारत में विभिन्न भाषाओं के जरिए संवाद को बढ़ाते हों और हर राज्य में वहां की भाषा में क्षेत्रीय प्रसारण को बढ़ावा देना।

(ढ) उपयुक्त तकनीक द्वारा समग्र प्रसारण कवरेज प्रदान कराना तथा प्रसारण फ्रीक्वेंसी का सर्वोत्तम उपयोग एवं उच्च-स्तरीय उपलब्धियां सुनिश्चित करना।

(ण) रेडियो एवं टेलीविजन प्रसारण के निरंतर विकास के क्रम में शोध एवं विकास कार्य को आगे बढ़ाना।

(त) विभिन्न स्तरों पर प्रसारण के विभिन्न चैनलों की स्थापना द्वारा प्रसारण सुविधाओं का विस्तार।

3. विशेष रूप से एवं बिना पूर्णग्रह के सामान्य रूप से, वर्तमान प्रावधानों के अनुरूप, निगम कुछ कदम उठा सकता है।

(क) कार्यक्रमों के निर्माण एवं उपलब्धता को लोकसेवा के रूप में संचालित करने के लिए प्रसारण को सुनिश्चित करना।

(ख) रेडियो एवं टेलीविजन के लिए समाचार एकत्र करने के लिए एक व्यवस्था की स्थापना।

(ग) खेल प्रतियोगिताओं, अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं, फिल्मों, सीरियलों, समारोहों बैठकों तथा जनहित की अन्य घटनाओं के कार्यक्रमों की प्रसारण के लिए खरीद अथवा प्राप्ति के लिए बातचीत करना और ऐसे कार्यों की प्रक्रिया निर्धारित करना।

(घ) रेडियो, टेलीविजन या अन्य सामग्री के लिए लाइब्रेरी की स्थापना एवं देखभाल।

(ङ) समय-समय पर कार्यक्रम, दर्शक शोध, बाजार या तकनीकी सेवाओं को संचालित या प्रारंभ करना, जो उपयुक्त व्यक्तियों को उपयुक्त तरीकों और नियमों एवं शर्तों के अनुसार कार्य किए जा सके।

(च) नियमों द्वारा विर्निदिष्ट हो सकने वाली अन्य सेवाओं को प्रदान करना।

4. उपखंड (2) और (3) निगम की कोई बात निगम को, ऐसे नियमों एवं शर्तों के अनुसार जो सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट हों, विदेशी सेवाओं के प्रसारण और ऐसे विदेशी प्रसारण की निगरानी से नहीं रोक सकती जिनके प्रसारण के लिए केंद्र सरकार से भुगतान किया जाना हो।

5. इस खंड में स्थापित उद्देश्यों को बढाने के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध कराया गया है, इनकी सुनिश्चितता के उद्देश्य के लिए विज्ञापन के संबंध में केन्द्र सरकार को प्रसारण समय की अधिकतम सीमा के निर्धारण की शक्ति होगी।

6. निगम की मात्र इस आधार पर कोई भी सिविल जवाबदेही नहीं होगी कि वह इस खंड के किसी भी प्रावधान को पूरा करने में असफल रहा है।

7. निगम को विज्ञापन या ऐसे कार्यक्रम, जो नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट हो, के संबंध में फीस या अन्य सेवा शुल्क निर्धारित करने का अधिकार होगा।

अन्यथा कि, इस खंड के अधीन इकट्ठा किए गए फीस या अन्य सेवा शुल्क समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित वैसी सीमाओं से बाहर नहीं हो।

लक्ष्य तथा उद्देश्य

आकाशवाणी (ऑल इंडिया रेडियो), प्रसार भारती का एक अभिन्न भाग है, जो उपरोक्त दिए गए आदेशों को निरंतर पूरा कर रहा है। आकाशवाणी अपने विभिन्न स्टेशनों से प्रसारित कार्यक्रमों द्वारा लोगों को सूचना देता है, शिक्षित करता है और उनका मनोरंजन करता है। यह पूरे देश की जनता को सरकारी नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों और उपलब्धियों की सूचना श्रव्य-प्रसारण के माध्यम से देता है और संस्कृति, शिक्षा, विज्ञान, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों पर विभिन्न कार्यकम प्रसारित करता है। यह पूरे देश की जनता को महत्वपूर्ण समाचार तथा सम-सामयिक घटनाओं की जानकारी देता है। यह विचारों के विभिन्न बिंदुओं को प्रस्तुत करता है ताकि इसके द्वारा प्रसारित कार्यक्रम संतुलित एवं निष्पक्ष हों। यह शिक्षा एवं राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है। यह प्राकृतिक आपदाओं के दौरान अपने तीव्र प्रसार के द्वारा जनता एवं सरकारी विभागों को समय पर सूचना प्रदान करता है। यह एक व्यवसायिक सेवा (विविध भारती) भी संचालित करता है जो कि वस्तुओं एवं सेवाआं की बिक्री के विज्ञापन भी देती है। इसका विदेश सेवा प्रभाग विदेशी श्रोताओं के लिए कार्यक्रम प्रसारित करता है। इसका समाचार सेवा प्रभाग 24 घंटे ताजा समाचार उपलब्ध कराता है। इसके अलावा आकाशवाणी का एफएम और डीटीएच चैनल दिन रात संगीत, गाने आदि के जरिये लोगों का मनोरंजन करते हैं।

दृष्टिकोण वक्तव्य

आकाशवाणी का स्वतंत्रतापूर्व एवं स्वातंत्र्योत्तर गौरवशाली इतिहास रहा है और इसने एफएम ट्रांसमीटर समेत विभिन्न ट्रांसमीटरों, सहायक रिसीवर केंद्रों, एवं प्रसारण केंद्रों की स्थापना के जरिए कवरेज में काफी प्रगति हासिल की है। (क्षेत्रफल और आबादी दोनों के हिसाब से) आकाशवाणी प्रसार भारती के कार्य-क्षेत्र को आगे बढ़ाते हुए निर्धारित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयासरत है। 86 चयनित केंद्रों से किसान वाणी कार्यक्रम, पर्यावरण, परिवार कल्याण कार्यक्रम, ग्रामीण बच्चों पर केन्द्रित बाल कार्यकम, महिला कार्यक्रम, शैक्षणिक (इग्नू, एनसीईआरटी, सीआईटी) प्रसारण, इग्नू के साथ मिलकर सामाजिक जागरुकता कार्यक्रम (एड्स एवं अन्य स्वास्थ्य जागरुकता), राष्ट्रीय विज्ञापन पत्रिका, वित्त मंत्रालय के जरिए सीसेम स्ट्रीट कार्यक्रम जैसी कई नई पहल आकाशवाणी ने की हैं। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी पर प्रसारित संगीत एवं नाटक कार्यक्रम के अतिरिक्त हैं। अभियांत्रिकी पक्ष पर, जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर एवं द्वीप समूह क्षेत्र के विशेष पैकेज, एफएम सेवाओं के विस्तार, निर्माण कार्यक्रमों एवं प्रसारण सुविधाओं का डिजीटलीकरण, नई प्रौद्योगिकीयों को लागू करने के जरिए विभिन्न पहल आकाशवाणी ने की हैं। समाचार सेवा प्रभाग तथा

अनुसंधान एवं विकास गतिविधि के तहत भी कई कदम उठाये गये हैं। इस बात पर विशेष बल दिया जा रहा है कि इन कदमों का उचित ढंग से समय पर क्रियान्वयन किया जाए।

प्रसार भारती: दूरदर्शन

भूमिका

सार्वजनिक प्रसारणकर्ता दूरदर्शन की शुरुआत सितंबर 1959 को एक प्रायोगिक प्रसारण के आधार पर दिल्ली में की गई थी, जिसे बाद में 1965 में एक स्थायी सेवा के तौर पर जारी किया गया। 1976 तक दूरदर्शन ऑल इंडिया रेडियो का ही हिस्सा रहा, तत्पश्चात इसे अलग किया गया और तब दूरदर्शन अस्तित्व में आया। 1972 में ही दूरदर्शन की अन्य शहर मुंबई में सेवाएं शुरू की गई थीं। रंगीन टीवी एवं राष्ट्रीय प्रसारण की शुरुआत 1982 में की गई थी। तब से दूरदर्शन निरंतर प्रगति कर रहा है और इसने अपने नेटवर्क का विस्तार भी किया है जिसमें अब 66 स्टूडियो एवं भिन्न क्षमताओं वाले 1397 ट्रांसमीटर हैं। आज दूरदर्शन की गिनती विश्व की सबसे विशाल प्रसारण संस्थाओं में से एक में की जाती है।

दूरदर्शन एक पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है। इसके इस समय 30 चैनल हैं जिनमें से सात (7) नेशनल चैनल (डीडी नेशनल, डीडी न्यूज, डीडी भारती, डीडी स्पोर्ट्स, डीडी राज्य सभा, डीडी ज्ञान दर्शन एवं डीडी उर्दू), एक अंतर्राष्ट्रीय चैनल डीडी इंडिया, ग्यारह प्रादेशिक भाषा के सेटेलाइट चैनल एवं ग्यारह राज्य नेटवर्क हैं। सब राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक भाषा चैनल 24 घंटे की प्रसारण सेवाएं हैं।

सांगठनिक ढांचा

डायरेक्टर जनरल, दूरदर्शन (मुख्यालय)

5 क्षेत्रीय कार्यालय (दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता एवं गुवाहाटी में)

दूरदर्शन केंद्र - कुल 66 (टीवी कार्यक्रम निर्माण सुविधायुक्त)

टीवी रिले केंद्र - कुल 1401 (निर्माण सुविधा रहित)

दूरदर्शन रख-रखाव केंद्र - कुल 129 (एलपीटी एवं वीएलपीटी कंट्रोलयुक्त)

दूरदर्शन अर्थ स्टेशन - कुल 37 (डीडी कार्यक्रमों की अपलिंकिंग सुविधा)

2007-08 के दौरान विकास गतिविधियां (अभियांत्रिकी विभाग)

2007-08 के दौरान दूरदर्शन की प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार हैं :

2.1 दिसम्बर 2007 तक उपलब्धियां

(क) कार्यक्रम निर्माण केंद्र : कालीकट एवं राजौरी में दो नए स्टूडियो की कमिशनिंग एवं इन स्टूडियो की कमिशनिंग के साथ ही, दूरदर्शन के स्टूडियो केंद्रों

की कुल संख्या बढ़कर 66 तक जा पहुंची। उपरोक्त स्टूडियो केंद्रों में कर्मचारियों को स्थानांतरित कर कार्य आरंभ किया गया है चूंकि स्टूडियो हेतु कर्मचारियों की कमी थी। इसके अतिरिक्त, शिलांग की सचिवालय इमारत में भी रिकॉर्डिंग हेतु एक छोटा स्टूडियो निर्मित किया गया है।

(ख) टैरेस्ट्रियल ट्रांसमीटर : निम्न हाई पावर ट्रांसमीटर (एचपीटी) को वर्ष के दौरान स्थापित किया गया–

(1) एचपीटी हिसार (डीडी1 एवं डीडी न्यूज) - प्रत्येक 20 किलोवाट क्षमता वाला

(2) एचपीटी बीकानेर - 10 किलोवाट

(3) एचपीटी धार्मशाला - 20 किलोवाट

(4) एचपीटी कोकराझार (अंतरिम सेटअप) - 1 किलोवाट

(5) एचपीटी बलूरघाट - 10 किलोवाट

(6) एचपीटी कुपवाड़ा (कशीर चैनल एवं डीडी-1 हेतु स्थायी सेटअप) - 10 किलोवाट

(7) एचपीटी जलगांव (स्थायी सेटअप) - 10 किलोवाट

(8) एचपीटी चेन्नई - (बदलाव)

डीडी न्यूज (20 किलोवाट)

प्रादेशिक (1 किलोवाट)

(9) ऑटोमोड एलपीटी–

मौजूदा वर्ष में, दूरदर्शन ने मनिन्दरगढ़ (छत्तीसगढ़), पठानमथिया (केरल), होस्पेट (कर्नाटक) एवं अकबरपुर (उत्तर प्रदेश) में चार ऑटोमोड एलपीटी (1+1 कन्फिग्रेशन में 500 एलपीटी के) पुराने एलपीटी (100 वाट) के स्थान पर स्थापित किए हैं। मेहसाना एवं बांसवाड़ा में दो अन्य ऑटोमोड एलपीटी की स्थापना की जा रही है और यह कार्य 2007-08 के अंत से पहले पूर्ण किए जाने की उम्मीद है।

100 अतिरिक्त एलपीटी की ऑटोमोड एलपीटी के साथ बदले जाने की योजना पारित हो चुकी है। 50 ऑटोमोड एलपीटी हेतु उपकरणों की खरीद का आदेश दिया जा चुका है और 50 अन्य ऑटोमोड एलपीटी की स्थापना के लिए ऑर्डर भी दिया जा चुका है। उपरोक्त 100 ऑटोमोड एलपीटी की 2008-09 के अंत तक भिन्न चरणों में पूर्ण होने की संभावना है। प्रत्येक ऑटोमोड एलपीटी स्टेशन पर, पूर्ण बाहुल्यता मुहैया कराने वाले 500 वाट के दो सॉलिड स्टेट ट्रांसमीटरों की स्थापना की जा चुकी है। इन्हें चलाने में कम व्यक्ति चाहिए होंगे और यह बिना रुकावट ट्रांसमिशन उपलब्ध करा सकेंगे।

2.2 पूर्णता के निकट परियोजनाएं

2007-08 के अंत तक परिपूर्ण होने वाली और उसके निकट पहुंच चुकी परियोजनाओं की सूची इस प्रकार है :

(1) स्टूडियो गोरखपुर (स्थायी सेटअप)

(2) स्टूडियो पोर्ट ब्लेयर (संवर्द्धन)

(3) एचपीटी छतरपुर - 150 मीटर ऊंचे टावर पर 20 किलोवाट का एंटीना युक्त ट्रांसमीटर (एलपीटी के बदले)

(4) एचपीटी पोर्ट ब्लेयर (डीडी। एवं डीडी न्यूज) - 1 किलोवाट ट्रांसमीटर्स (मौजूदा एलपीटी के बदले)

(5) एचपीटी बाड़मेर - 100 मीटर टावर पर स्थित एंटीना 10 किलोवाट ट्रांसमीटर (अंतरिम सेटअप में सुधार)

(स्थायी सेटअप)

(6) एचपीटी चेन्नई - 20 किलोवाट ट्रांसमीटर्स (अंतरिम सेटअप में बदलाव) डीडी। एचपीटी

(7) एचपीटी वडोदरा - 150 मीटर टावर पर एंटीना सहित दो 10 किलोवाट टावर (स्थायी सेटअप) (अंतरिम सेटअप में वृद्धि)

(8) एचपीटी सहरसा - अंतरिम सेटअप में 45 मीटर ऊंचे टावर पर एंटीना स्थापित

(9) 10 स्थानों पर वीएलपीटी

2.3 डीटीएच सेवा ''डीडी डायरेक्ट प्लस''

दूरदर्शन ने दिसम्बर 2004 में 33 चैनलों के साथ अपनी शुल्करहित डीटीएच सेवा ''डीडी डायरेक्ट प्लस'' की शुरुआत की थी। डीटीएच अर्थ स्टेशन की 50 टीवी चैनल टेलीकास्ट करने की क्षमता में व्यापक बढ़ोतरी करते हुए इसको 59 चैनलों तक किया गया है। इसके प्रमाण हेतु, दूरदर्शन ने चुनिंदा राज्यों के गांवों में 10000 डीटीएच इकाइयों की स्थापना की थी। मौजूदा वर्ष में 20000 डीटीएच इकाइयां हिमाचल प्रदेश सरकार को किन्नौर, लहौल स्पीती एवं चम्बा ज़िलों के लिए उपलब्ध कराया गया है। डीटीएच सेटों के ऑर्डर दिए जा चुके हैं एवं आपूर्ति जारी है।

अधिदेश (भिन्न योजनाओं के अनुसार)

1) दूरदराज क्षेत्रें की संपूर्ण कवरेज, और 2) 2015 (अथवा 2017) से पूर्व समयबद्ध डिजिटलीकरण। निरूपण योजना, निवेश एवं टीवी हेतु रेगुलेटरी योजनाएं जिससे वह नवीन तकनीकों का पूर्ण इस्तेमाल कर सकें और मोबाइल टेलीफोन सरीखी मीडिया सॉल्यूशन्स का कार्यान्वयन। यह सब पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की महती भूमिकाओं का आकलन करने के बाद ही जारी किया जाना है। 11वीं योजना में भी डीटीएच के इस्तेमाल और एलपीटी से एचपीटी में संवर्द्धन कर देश के दूर-दराज क्षेत्रों में प्रसारण शुरू करना है। डीटीएच सेवा के प्रस्तावित विस्तारण में अंडमान और निकोबार द्वीपों को सी-बैंड के अधीन कवर करने और चैनलों की संख्या 200 तक बढ़ाने की योजना है। एनालॉग ट्रांसमीटरों का नए डिजिटल अनुरूप ट्रांसमीटरों से बदलाव। हालांकि, एनालॉग ट्रांसमिशन की कट-ऑफ तारीख तक एनालॉग और डिजिटल ट्रांसमिशन का एक साथ प्रसारण किया जाएगा। इस परियोजना के पूर्ण होने में अभी समय लगेगा चूंकि अभी तक कई विकसित देशों ने भी प्रसारण का पूर्ण डिजिटलीकरण नहीं किया है, और भारत में रंगीन सेवा भी पूर्णतया उपलब्ध नहीं है, जो डिजिटलीकरण, आधुनिकीकरण एवं निर्माण सुविधा में वृद्धि में मदद करता है।

लक्ष्य

टैरेस्ट्रियल प्रसारण एवं निर्माण में 100 प्रतिशत डिजिटलीकरण। आधुनिकीकरण, संवर्द्धन, और मौजूदा सुविधाओं में बदलाव और वृद्धि।

1. योजना का कार्यरूप

एनालॉग ट्रांसमिशन की स्विच ऑफ डेट और डीटीएच सहित भिन्न योजनाओं हेतु पीपीपी मॉडल।

मौजूदा जनसंख्या जिनके पास टीवी सेट हैं उन्हें एनालॉग ट्रांसमीशन देखने के लिए केवल यागी एंटीना की जरूरत होती है जबकि डिजिटल ट्रांसमीटरों से देखने हेतु, एक दर्शक को 'डिजिटल सेट टॉप बॉक्स' (डीएसटीबी) और यागी एंटीना की आवश्यकता होती है। डीएसटीबी की कीमत 4000 से 5000 रुपये प्रति टीवी सेट होगी। इसलिए, एनालॉग ट्रांसमीशन को अचानक ही बंद नहीं किया जा सकता।

एनालॉग सिंगल ट्रांसमीटर केवल एक ही चैनल प्रसारित कर सकता है जबकि सिंगल डिजिटल टैरेस्ट्रियल ट्रांसमीटर 6 से 8 चैनल प्रसारित करने की क्षमता रखता है।

प्रमुख चैनलों की सूची (सॉटवेयर/प्रोग्राम विंग)

* भारतीय गौरव-ग्रंथ
* डीडी उर्दू
* डीडी न्यूज
* आरएलएसएस
* डीडी अभिलेखागार
* डीडी इंडिया
* डीडी भारती

अन्य मिश्रित सॉटवेयर योजनाएं (स्व-वित्तपोषित योजनाएं, टीएएम सीसीयू सहित दर्शक शोध)

अधिदेश

एक जन सेवा प्रसारक के तौर पर दूरदर्शन हमारे समाज के समग्र विकास की दिशा में जनता को सूचना, शैक्षणिक एवं मनोरंजन उपलब्ध कराता है। इसी सामाजिक दायित्व के आधार पर दूरदर्शन ने अपनी सेवा के 50 वर्ष पूर्ण किए हैं। इस समय दूरदर्शन के 30 से अधिक चैनल हैं जो देश भर में सूचना प्रसारण का कार्य का रहे हैं और इस प्रक्रिया में यह न केवल लोगों के बीच ज्ञान प्रसार कर रहा है बल्कि देश के भिन्न संप्रदायों से संबंधित मुद्दों की जानकारी उपलब्ध करा रहा है जो कि हमारे बहुविध समाज का आधार भी है। अत: यह स्पष्ट है कि दूरदर्शन और उसका जन सेवक प्रसारक का प्रारूप अन्य निजी चैनलों से सर्वथा पृथक है जो केवल मुख्यत: व्यावसायिक दृष्टिकोण के आधार पर ही अस्तित्व में आए हैं।

लक्ष्य

गुणवत्ता के आधार पर कार्यक्रम निर्माण, उपरोक्त लक्ष्यों जिनमें दूरदर्शन चैनलों के जरिए सूचना, शिक्षा एवं मनोरंजन उपलब्ध कराना प्रमुख है और महिलाओं, बच्चों, जरूरतमंदों, विशेष भाषा समूहों, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को ध्यान में रखकर कार्यक्रम निर्माण।

भारतीय गौरव-ग्रंथ

'गीतांजलि - टैगोर को श्रद्धांजलि' नामक 30 कड़ियों का धारावाहिक संपूर्ण। सीरियल में टैगोर के चुनिंदा गीतों का हिंदी अनुवाद कर उन्हें दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क से देशभर के दर्शकों हेतु प्रसारित किया जा रहा है। 13 कड़ियों का अन्य संगीतमय धारावाहिक 'रागमाला' भी निर्मित किया जा चुका है और शीघ्र ही प्रसारित किया जाएगा।

भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री के जीवनकाल पर एक पांच कड़ियों की शृंखला 'धरती के लाल' भी संपूर्ण कर 26 जनवरी 2008 को पांच भाषाओं में राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारित की गई।

यूपीए सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर आधारित सत्तर कड़ियों की शृंखला 'प्रगतिशील भारत' का भी इस दौरान प्रसारण किया गया।

महाराजा रंजीत सिंह के जीवनकाल पर आधारित एक 52 कड़ियों का ऐतिहासिक धारावाहिक कमीशंड होकर निर्मित किया जा रहा है। यह धारावाहिक श्री राज बब्बर द्वारा निर्मित किया जा रहा है। चुनिंदा विषयों जैसे 'भारत के किले', 'गणतंत्र के संस्थान', 'साझा उपासना केंद्र' को भी निर्माण हेतु कमीशंड किया जा चुका है और उनका निर्माण जारी है।

पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग ट्रस्ट के सहयोग के साथ दूरदर्शन ने अनेक विषयों पर वृत्तचित्रों का निर्माण जारी रखा है। इस पहल के अधीन इस वर्ष निर्मित चार वृत्तचित्रों को राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है।

डीडी उर्दू

1. क) उर्दू में अंतर्राष्ट्रीय संगीत कन्सर्ट के अंतर्गत भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और दक्षिण-एशियाई मूल के उन कलाकारों को शामिल किया जाता है जिन्होंने कलात्मक विधाओं में ख्याति अर्जित की है परंतु यूरोप, अमेरिका और मध्य-पूर्व में रहते हैं।

ख) इसी तरह भारत और बाहर रहने वाले उर्दू साहित्य के मौजूदा शायरों को भी मुशायरे में हिस्सा लेने के लिए भारत आमंत्रित किया जाता है। इसका लक्ष्य डीडी उर्दू के व्यापक अधिदेश हेतु जमीन तैयार करना है।

2. अन्य शैलियों के साथ, दूरदर्शन सिनेमा की जानी-मानी हस्तियों को उर्दू गौरव-ग्रंथों पर फिल्म बनाने हेतु प्रोत्साहित करेगा जिनमें श्री नसीरुद्दीन शाह, श्री फारुख शेख़, श्री विधु विनोद चोपड़ा, श्री प्रकाश मेहरा, श्री सागर सरहदी, श्री मुज़फ़र अली इत्यादि प्रमुख हैं। यह डीडी के इतिहास में नवीन पहल है।

डीडी न्यूज़

केंद्रीय समाचार सेटअप एवं प्रादेशिक केंद्रों में स्थानीय और बाह्य स्तरों पर समाचार एकत्र करने की स्वचालित प्रक्रिया होती है। घटनाओं एवं सूचनाओं की अपलिंकिंग एवं डाउनलिंकिंग में संवर्द्धन कर डीडी न्यूज को प्रसार भारती का वैश्विक स्तर पर देखा जाने वाला चैनल बनाया जा सकता है। इसके लिए कार्मिकों एवं साजो-सामान के साथ प्रोफेशनल प्रशिक्षण को आवश्यक बजट सहयोग के साथ पुख्ता बनाया जा रहा है।

श्रोता अनुसंधान स्कंध

पैनल डायरी के अनुसार कार्यक्रम रेटिंग अध्ययन भी शहरी इलाकों में 9 से 17 स्थानों पर और डाटा विश्लेषण एवं रिपोर्टिंग हेतु कम्प्यूटर/सॉफ्टवेयर भी प्राप्त किया जाएगा।

टीएएम रेटिंग एवं अन्य बेसलाइन डाटा

इन-हाउस सर्वेक्षण के अतिरिक्त, दूरदर्शन टीएएम मीडिया रिसर्च प्रा. लि. से रेटिंग डाटा एवं एमआरयूसी से बेसलाइन डाटा प्राप्त करेगा।

डीडी भारती

पुराने दोहराऊ कार्यक्रमों के स्थान पर नए कमीशंड कार्यक्रमों को प्रसारित किया जाएगा। अनेक नए विषयों पर कार्यक्रम तैयार होंगे। इनमें कवि सम्मेलन, मुशायरा,

यात्रा वृत्तांत, विशिष्ट शख्सियत आधारित कार्यक्रम, पुरस्कृत कला फिल्में, प्रात: भक्ति कार्यक्रम एवं भिन्न विषयों पर वृत्तचित्र। इसके साथ ही चैनल को भी व्यापक स्तर पर प्रचारित किया जाएगा।

मौजूदा तंग बैंड्स को भी रद्द किया जाएगा जो दीर्घ समयावधियों वाले तीन खंडों में अंतर रखते हैं। नवीन फिक्सड प्वाइंट चार्ट को प्रत्येक आधा घंटा के अनुसार दर्शकों की जरूरत के अनुसार कार्यक्रम प्रसारण हेतु सुलभ बनाया जाएगा।

चैनल की नवीन विशेषताओं की यथोचित स्थापना के साथ ही, नए कमीशंड कार्यक्रमों के दूसरे एवं श्रेष्ठ सेट की प्रस्तावना रखी जाएगी। इससे पूर्व दूरदर्शन के डायरेक्टर जनरल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित करेंगे।

प्रादेशिक भाषा सेटेलाइट सेवा

प्रादेशिक भाषा सेटेलाइट सेवा क्षेत्रीय आकांक्षाओं एवं अस्तित्व को एक झरोखा प्रदान करता है और भारत के शानदार अतीत को भिन्न पहलुओं में प्रस्तुत करता है। इसे भविष्य में और मजबूत बनाया जाएगा।

डीडी अभिलेखागार

अपने क्षेत्रीय एवं केंद्रीय अभिलेखागार में दूरदर्शन अमूल्य अभिलेखकीय महत्व के असाधारण कार्यक्रमों को बचा कर रखता है। ऐसे सॉटवेयर्स का रख-रखाव आधुनिक इलेक्ट्रो-मेग्नेटिक यंत्रों की मदद से किया जाता है और इन्हें प्रसार भारती ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए अतिरिक्त राजस्व हेतु वीसीडी एवं डीवीडी बनाकर बेचा जाता है।

स्व वित्तपोषित कमीशनिंग (एसएफसी)

डीडी एसएफसी कार्यक्रमों के लिए सभी प्राइम-टाइम एवं मिड-प्राइम समय प्राप्त करने को प्रतिबद्ध है। इन प्राइम टाइम एवं मिड-प्राइम समय के अतिरिक्त, एसएफसी कार्यक्रमों के लिए गैर-प्राइम समय प्राप्त करने की भी योजना है।

मौजूदा समय में केवल प्रादेशिक केंद्र डीडीके केंद्र, मुंबई ही एसएफसी योजना के अंतर्गत कुछ कार्यक्रमों का प्रसारण कर रहा है।

भविष्य में सभी राज्यों की राजधानियों स्थित केंद्र प्रायोजित श्रेणी के अधीन प्रसारित कार्यक्रमों के स्थान एसएफसी कार्यक्रम प्रसारित करेंगे।

यह भी बताया जाना जरूरी है कि प्रत्येक वर्ष निर्माण मूल्य में वृद्धि होती है और अन्य सेटेलाइट चैनलों से प्रतिस्पर्धा हेतु हमें प्रति एपीसोड मूल्य वृद्धि इसी अनुसार से करनी पड़ती है।

अध्याय–2

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य/परिणाम	परिव्यय 2008–09			परिमाणनीय/ वितरण योग्य/ भौतिक नतीजे	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया/ समयब(ता	टिप्पणी/ जोखिम घटक
1	2	3	4			5	6	7	8
			4 (i)	4 (ii)	4 (iii)				
			गैर–योजना बजट	योजना बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
1.	कम्प्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली की स्थापना और सीबीएफसी में बुनियादी सुविधओं का उन्नयन	एनआईसी सहायता से सीएफसी के समूचे कामकाज का आधुनिकीकरण और क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए तकनीकी उपकरण प्रदान करना	–	0.58	–	सीबीएफसी में नेटवार्किंग विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में इंटरनेट/इंटरनेट सुविधाएं। पंजीकरण और प्रमाणीकरण मोड्यूल पर फीडबैक, सर्च मैनेजमेंट, कंप्यूटरों की वार्षिक रखरखाव की डाटा एंट्री; सॉफ्टवेयर लाइसेंस का नवीनीकरण मोडेम, इंटरनेट गेट वे, लीज लाइनों का किराया तथा तकनीकी उपकरणों की खरीद तथा सीबीएफसी में ढांचागत विकास।	चेन्नई, हैदराबाद, कोलकत्ता, तिरुअनंतफरम, बंगलूर, गुवाहटी क्षेत्रीय कार्यालयों की नेटवर्किंग सभी उपकरणों और वेब एनेब्लिंग एप्लीकेशन तथा प्रमाणीकरण प्रणाली पहले से चालू है। इससे क्षेत्रीय कार्यालयों में डाटा और संचार में तेजी आएगी, आवेदक फिल्म प्रमाणीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इससे समय बचेगा और डुप्लीकेशन नहीं होगा। सर्च मैनेजमेंट मौड्यूल से फराने डाटा और प्रमाणित फिल्मों की जानकारी रखने में मदद मिलेगी। पे रोल पैकेज से हर कर्मचारी को ये स्लिप प्राप्त होगी।	इंटरनेट के जरिए	सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में कम्प्यूटरीकरण का कार्य प्रगति पर है।

2.	नई दिल्ली, कटक और गुवाहाटी में बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना।	इन क्षेत्रों में बनने वाली फिल्मों के प्रमाणन की व्यवस्था करना		0.56		योजना आयोग ने बजट प्रावधन को मंजूरी दे दी है।			
3.	प्रमाणन प्रक्रिया की जांच और आधुनिकीकरण	बोर्ड सदस्यों/ पैनल के लिए कार्यशालाओं का आयोजन, अध्ययन करवाना।		0.86		नियमित अंतराल पर बोर्ड के सदस्यों और सलाहकार पैनल के सदस्यों के लिए कार्यशालाओं का आयोजन।	आयोजित कार्यशालाओं/ सेमिनारों की कुल संख्या का विवरण इस प्रकार है : 1. 12.5.07 को तिरुअनंफरम में कार्यशाला आयोजित। 2. 7.9.07 को मुंबई में कार्यशाला आयोजित 3. 10.9.07 को नई दिल्ली में बोर्ड बैठक-सह-कार्यशाला। 4. 15 और 16.12.07 को शिलांग में बोर्ड बैठक-सह-कार्यशाला 5. 29.12.07 को नई दिल्ली में कार्यशाला आयोजित 6. 8.1.08 को मुंबई में कार्यशाला-सह-सेमिनार आयोजित		बोर्ड सदस्यों और पैनलों के लिए कार्यशालाएं/ सेमिनार आयोजित। चूंकि खर्चों में प्राइवेट खुफिया एजेंसियों का खर्च शामिल किया गया था और फरवरी, 2007 से इसे बंद कर दिया गया। इस प्रकार कम खर्च प्रत्याशित है।

बाल फिल्म समिति, भारत

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम (चालू योजनाएं)	ग्यारहवीं योजना के लिए उद्देश्य/परिणाम	गैर-योजना बजट	योजना बजट	पूरक अतिरिक्त बजट	वास्तविक प्रतिफल/ मात्रात्मक परिणाम (2007-08)	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिय/ समयबद्धता	टिप्पणी/जोखिम संबंधी घटक
1	2	3		4		5		6	78
			4(i) गैर योजना बजट	4(ii) योजना बजट	4(iii) पूरक अतिरिक्त बजट				
	जारी कार्यक्रम								
1	**फिल्म निर्माण** तथा अन्य गतिविधियां	1. उद्देश्य: फिल्मों के माध्यम से शिक्षा तथा संस्कृति को बेहतर बनाना और स्वस्थ मनोरंजन के लिए बच्चों में फिल्म समालोचना को प्रोत्साहन देना। 2. परिणाम : 12 फीचर फिल्मों तथा दो लघु/ एनीमेशन फिल्मों का निर्माण	0.84	3.55	-	5 फीचर फिल्में + 2 लघु फिल्में, 14 डबिंग, 6 उपशीर्षक दो या तीन फिल्में खरीदी जाएंगी।	राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मानकों की बाल फिल्में उपलब्ध कराई गईं	31 मार्च 2009	बाल फिल्मों की समालोचना की कला का विकास तथा भारतीय भाषाओं की फिल्मों की डबिंग कर उन्हें अधिक दर्शकों तक पहुंचाना।
2	अ. डिजिटलीकरण	1. उद्देश्य : समिति की सभी फिल्में (निर्मित, डब तथा उप-शीर्षक सहित) अभिलेख तथा आम प्रदर्शन के उद्देश्य से डिजिटल रूप में रूपांरित की जाएंगी (170 घंटे की फिल्मों का डिजिटलीकरण किया जाएगा) 2. परिणाम : समिति की 170 घंटों की फिल्मों का डिजिटलीकरण		0.05	-	अभिलेख के उद्देश्य से समिति की फिल्मों का डिजिटलीकरण	समिति की सभी फिल्में डिजिटल रूप में उपलब्ध होंगी जिससे सुगमता से उन्हें संग्रहित किया जा सके	31 मार्च 2008	समिति की फिल्मों को डिजिटल रूप देना ताकि उनका आदान-प्रदान तथा वितरण सुगमता से हो
ब.	वेबकास्टिंग	1. उद्देश्य : समिति की फिल्में (निर्मित, डब तथा उप-शीर्षक सहित) को डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में रखना तथा इंटरनेट पर उपलब्ध कराना। 2. परिणाम : समिति की फिल्मों को इंटरनेट पर उपलब्ध कराना		0.00	-	लाइब्रेरी के रूप में समिति की फिल्मों की वेबकास्टिंग तथा समिति की फिल्मों की इंटरनेट पर उपलब्धता	समिति की फिल्मों की वेबकास्टिंग तथा उन्हें इंटरनेट पर दिखाना	31 मार्च 2008	खरीद आदि के उद्देश्य से इंटरनेट के जरिए समिति की फिल्में उपलब्ध कराना।

1	2	3		4		5	6	7	8
3	सरकारी स्कूलों में बाल फिल्मों का प्रदर्शन	1. उद्देश्य : राज्य तथा जिला प्रशासन, नेहरू युवा केंद्रों तथा स्वयं-सेवी संस्थाओं के सहयोग से देश के सभी बच्चों तक पहुंचना 2. परिणाम : लगभग 30,000 प्रदर्शनों का आयोजन	–	0.40	–	एक लाख बच्चों के लिए 5,000 प्रदर्शन	देश के दूर-दराज के क्षेत्रों के ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचना	31 मार्च 2008	
	कुल		0.84	4.00					

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय

योजना स्कीम

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2008-09		मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम वास्तविक प्रतिफल	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक
1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i)	4(ii)				
			योजना बजट	पूरक अतिरिक्त बजट संसाधन				
I.	**राजस्व (नई स्कीम)** (i) दौरे आयोजित करना/दक्षता उन्नयन	इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के नेताओं, रिसोर्स पर्सन सहित सामाजिक कार्यकर्ता, गैर-सरकारी संगठन, किसान, दस्तकारों, शिक्षकों, विद्यार्थियों आदि के सफल कार्यक्रमों पर तथा देश के विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे विकासात्मक कार्यों पर विचार जानना।	49.00	शून्य	22 क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा दस दौरे/कौशल उन्नयन कार्यक्रम आयोजित	टूर सदस्य केंद्र सरकार की नीतियों के वाहक बन जाते हैं। शिक्षित और जागरूक लोगों ने दौरों, कृषि परिव्यय में सुधार, एस.एस.आई, की स्थापना साक्षरता तथा स्वास्थ्य परिचर्चा आदि में सुधार से काफी कुछ सीखा है, और अनुभव लिया है।	सक्षम अधिकारी की स्वीकृति और क्षेत्र के साथ परामर्श के बाद टूर वर्ष के दौरान पूर्ण होंगे।	
II.	**पूंजी (नई योजना)** क्षेत्रीय कार्यालयों/ यूनिटों का कंप्यूटरीकरण और आधुनिकीकरण	हाल ही में सूचना का अधिकार को लागू करने की दिशा में प्रत्येक नागरिक सरकार की नीतियों संबंधी जानकारी चाहता है। 22 क्षेत्रीय कार्यालयों और 207 क्षेत्रीय प्रचार इकाइयों के माध्यम से सूचना मुहैया कराना।	100.00	-	डी.एफ.पी. की योजना 150 कम्प्यूटर (खरीदने तथा अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए 150 कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।	निदेशालय की सभी 207 यूनिटों को कंप्यूटर और इंटरनेट से लैस किया जायेगा जिन्हें क्षेत्रीय कार्यालयों से जोड़ा जायेगा। लगभग 15-20 अधिकारी प्रशिक्षित किये जायेंगे।	टेंडर प्रक्रिया पूरी करना आपूर्ति आर्डर देना और बिल भुगतान। शर्तें पूरी होने पर ये कार्य वर्ष के दौरान पूर्ण हो जायेगा।	

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2008-09		मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम वास्तविक प्रतिफल	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक
1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i)	4(ii)				
			योजना बजट	पूरक अतिरिक्त बजट संसाधन				
(ख)	ए.बी.हार्डवेयर का उन्नयन/ डाटा प्रोजेक्टर की खरीद डी.वी.डी. प्लेयर/ वायरलेस पब्लिक एड्रेस सिस्टम/ डिजिटल वीडियो कैमरा प्राप्त करना।	फिल्म शो, परस्पर वार्ता कार्यक्रम, चुनिन्दा विषयों पर विशेष कार्यक्रम के माध्यम से सरकार के संदेशों/स्कीमों एवं नीतियों को लोगों तक पहुंचाने के लिए क्षेत्र यूनिटों को उचित आडियो/वीडियो उपकरण प्रदान करना	51.00	-	फिल्म प्रभाग से मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, 35 डी.वी.डी. प्लेयर तथा 6 डिजिटल वीडियो कैमरा, वायरलैस पीए सिस्टम और सीडी/डीवीडी में फिल्म प्राप्त करना	उपकरणों का इस्तेमाल लोगों के बीच सूचना संप्रेषण तथा सामाजिक मुद्दों पर शिक्षित करने में होगा	टेंडर प्रक्रिया पूरी करना आपूर्ति आर्डर देना और बिल भुगतान। शर्तें पूरी होने पर ये कार्य वर्ष के दौरान पूर्ण हो जायेगा।	
		कुल	200.00					

गैर-योजना बजट

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2008-09		मात्रात्मक लाभ/	अनुमानित परिणाम वास्तविक प्रतिफल	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक
1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i)	4(ii)				
			गैर-योजना बजट	पूरक अतिरिक्त बजट संसाधन				
1.	लघु कार्य	उत्तर पूर्व क्षेत्र के कार्यालयों में निर्माण/मरम्मत कार्य	40.12	शून्य	एफपीओ, सेप्पा परिसर में बाऊंडरी दिवार एवं स्टाफ कांप्लेक्स का निर्माण हेतु प्रावधान	इससे अधिकारियों एवं कर्मचारियों में अपने-कार्य को सुचारू रूप से निपटाने में प्रोत्साहन एवं सहायता मिलेगी तथा इससे अधिकारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी जिसके परिणामस्वरूप संगठन का कार्यनिष्पादन बेहतर होगा।	कार्य का निष्पादन वर्ष के दौरान स्लम अधिकारी द्वारा अनुमानों की मंजूरी के पश्चात किया जायेगा।	
2.	अन्य अधिभार	सरकार की नीतियों एवं कल्याण स्कीमों का फिल्म शो, परस्पर वार्ता कार्यक्रमों, और चुनिन्दा विषयों पर विशेष कार्यक्रमों के माध्यम से जन समूह में प्रचार-प्रसार करना। क्षेत्र प्रचार निदेशालय की 207 यूनिटें 22 क्षेत्रीय कार्यालयों के निरीक्षण में यह कार्य संपादित करती हैं।	69.93	शून्य	60,000 फिल्म शो, 8040 विशेष कार्यक्रम 63,000 सामूहिक विचार विमर्श, तथा 25,000 फोटो प्रदर्शनी	इस कार्यक्रम का उपयोग सामाजिक विषयों एवं सरकार की नीतियों एवं स्कीमों के बारे में लोगों को जानकारी देने तथा इन्हें शिक्षित करने के लिए एक उपकरण के रूप में किया जाएगा, प्रत्येक कार्यक्रम फार्मेट में लगभग 100 लोगों की भागीदारी से क्षेत्र प्रचार	कार्यक्रमों के लिये कार्ययोजना बनाना। कार्यक्रम आयोजित करना एवं फीडबैक एकत्रित करना यह कार्य वर्ष के दौरान पूरा किया जायेगा।	

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2008-09		मात्रात्मक लाभ/	अनुमानित परिणाम वास्तविक प्रतिफल	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक
1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i)	4(ii)				
			गैर-योजना बजट	पूरक अतिरिक्त बजट संसाधन				
						निदेशालय जागरूकता पैदा करने तथा प्रति वर्ष 1-1.5 करोड़ लोगों में सूचना का प्रचार-प्रसार करने में समर्थ होगा।		
3.	पेट्रोल, ऑयल, लुब्रिकेंट	सरकार की नीतियों एवं कल्याण स्कीमों का फिल्म शो, परस्पर वार्ता कार्यक्रमों, और चुनिन्दा विषयों पर विशेष कार्यक्रमों के माध्यम से जन समूह में प्रचार-प्रसार करना। क्षेत्र प्रचार निदेशालय की 207 यूनिटें 22 क्षेत्रीय कार्यालयों के निरीक्षण में यह कार्य संपादित करती हैं।	170.40	शून्य	गतिशीलता प्रचार-प्रसार कार्यक्रमों का एक अनिवार्य और अभिन्न अंग होती है। ये कार्यक्रम बहुधा सीमावर्ती, जनजातीय एवं पिछड़े क्षेत्रों में आयोजित किए जाते हैं, पोल का उपयोग एक वर्ष में 24,000 टूरिंग दिन पूरे करने में किया जाता है जिसमें प्रत्येक यूनिट द्वारा औसतन 12-15 टूरिंग दिन पूरे किए जाते हैं।	लोगों को जानकारी देने और उन्हें सामाजिक विषयों पर सरकारी नीतियों एवं स्कीमों के बारे में परिचित कराने के लिए सूचना व प्रचार-प्रसार करने के लिए पहचान किए गए क्षेत्रों में कर्मचारियों एवं मशीनों आदि को ले जाने के लिए गाड़ियों की आवश्यकता होती है। प्रत्येक कार्यक्रम के लिए गाड़ी की आवश्यकता होती है। प्रत्येक कार्यक्रम फार्मेट के लिए 100 स्रोतों/ भागीदारों के साथ क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय प्रतिवर्ष औसतन 1 से 1.5 करोड़ लोगों में जागरूकता एवं सूचना का प्रचार-प्रसार करता है।	वर्ष के दौरान सामान्य खर्च	

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2008-09		मात्रात्मक लाभ/	अनुमानित परिणाम वास्तविक प्रतिफल	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक
1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i)	4(ii)				
			गैर-योजना बजट	पूरक अतिरिक्त बजट संसाधन				
4.	घरेलू यात्रा व्यय	सरकार की नीतियों एवं कल्याण स्कीमों का फिल्म शो, परस्पर वार्ता कार्यक्रमों, और चुनिन्दा विषयों पर विशेष कार्यक्रमों के माध्यम से जन समूह में प्रचार-प्रसार करना। क्षेत्र प्रचार निदेशालय की 207 यूनिटें 22 क्षेत्रीय कार्यालयों के निरीक्षण में यह कार्य संपादित करती हैं।	152.78	शून्य	गतिशीलता प्रचार-प्रसार कार्यक्रमों का एक अनिवार्य और अभिन्न अंग होती है। ये कार्यक्रम बहुधा सीमावर्ती, जनजातीय एवं पिछड़े क्षेत्रों में आयोजित किए जाते हैं, पोल का उपयोग एक वर्ष में 24,000 टूरिंग दिन पूरे करने में किया जाता है जिसमें प्रत्येक यूनिट द्वारा औसतन 12-15 टूरिंग दिन पूरे किए जाते हैं।	लोगों को जानकारी देने और उन्हें सामाजिक विषयों पर सरकारी नीतियों एवं स्कीमों के बारे में परिचित कराने के लिए सूचना व प्रचार-प्रसार करने के लिए पहचान किए गए क्षेत्रों में कर्मचारियों एवं मशीनों आदि को ले जाने के लिए गाड़ियों की आवश्यकता होती है। प्रत्येक कार्यक्रम के लिए गाड़ी की आवश्यकता होती है। प्रत्येक कार्यक्रम फार्मेट के लिए 100 स्रोतों/भागीदारों के साथ क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय प्रतिवर्ष औसतन 1 से 1.5 करोड़ लोगों में जागरूकता एवं सूचना का प्रचार-प्रसार करता है।	वर्ष के दौरान सामान्य खर्च	

विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय

वित्तीय परिव्यय, अनुमानित वास्तविक प्रतिफल तथा परिणाम

(करोड़ रुपये में)

क्र. स.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य परिणाम	परिव्यय 2008-09			परिमाणनीय/ हस्तांतरणीय/ वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया समय सीमा	टिप्पणी/ जोखिम घटक
1	2	3	4			5	6	7	8
	प्लान योजना का नाम		4 (i) गैर-योजना बजट	4 (ii) योजना बजट	4 (iii) पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
1	विकासात्मक प्रचार कार्यक्रम लोगों तक पहुंचना- धारणा और संप्रेषण	1. स्थापना 2. प्रदर्शनी 3. डिस्प्ले वर्गीकृत 4. रेडियो स्पॉट 5. मुद्रित प्रचार 6. वितरण 7. बाह्य प्रचार	15.06 1.15 32.42 0.12 2.40 0.95 0.50	0.00 0.04 5.00 14.00 0.04 0.00 0.01		- 650 18000 3442 137 - 250	सांप्रदायिक सद्भाव, राष्ट्रीय एकता, सामाजिक आर्थिक उत्थान के बारे में विभिन्न माध्यमों-बाह्य प्रचार, रेडियो, दूरदर्शन, समाचारपत्र और पोस्टर/ पुस्तिकाओं, के जरिए प्रचार करने से जन समुदाय में जागरूकता पैदा होगी और विकास में उनकी भागीदारी को प्रेरित किया जा सकेगा।	आवश्यकता अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य किए जाते हैं।	
		कुल (1)	52.60	19.09					
2	डीएवीपी का आधुनिकीकरण	1.कम्प्यूटरीकरण और डिजिटलीकरण 2.कार्यालय ढांचा 3.मानव संसाधन विकास		1.60 1.00 0.07			कंप्यूटरीकरण और डिजिटलीकरण, कार्यालय ढांचा और मानव संसाधान विकास		
		कुल (2)		2.67					
		कुल (1 और 2)	52.60	21.76					

फिल्म समारोह निदेशालय

योजना

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2008-09	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता
1	2	3	4	5	6	7
1.	भारत और विदेशों में फिल्म समारोहों के जरिए निर्यात प्रोत्साहन (योजना राजस्व क. भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह ख. विदेशी फिल्म समारोहों में भाग लेना ग. भारतीय पैनोरमा फिल्मों का चयन।	इस योजना को 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया ताकि फिल्म समारोहों में भाग लेकर और निर्यात को प्रोत्साहन देकर बेहतर भारतीय सिनेमा को बढ़ावा दिया जा सके।	4.00	क. भारत के अंतराष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन। ख. विभिन्न देशों में आयोजित 45 विदेशी फिल्मों में भारतीय फिल्मों की भागीदारी। ग. 21 फीचर और 21 गैर-फीचर फिल्मों का चयन।	फिल्म समारोहों में निर्यात को प्रोत्साहन देकर बेहतर भारतीय सिनेमा को बढ़ावा देना। इससे पूरे विश्व में भारत की समृद्ध और विविध संस्कृति को सिनेमा के माध्यम से फैलाने में मदद मिलेगी।	2008-09
2.	फिल्म समारोह परिसर-फेरबदल और अतिरिक्त निर्माण-प्रमुख कार्य (योजना पूंजी)	सिरी फोर्ट परिसर का नवीनीकरण और सुविधाओं में सुधार ताकि इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के परिसर की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।	4.00	अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नवीनीकृत ऑडिटोरियम	घरेलू और निर्यात क्षमता वाली भारतीय फिल्मों को अधिक से अधिक प्रोत्साहन देने के लिए तथा समृद्ध एवं विविध भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए भी केन्द्र/नवीनीकृत ऑडिटोरियम/परिसर को अन्य पार्टियों को किराए पर देकर अधिक राजस्व अर्जित करना।	वही

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2008-09	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता
1	2	3	4	5	6	7
3.	पूंजी अनुभाग डीएफएफ में प्रिंट यूनिट का उन्नयन	इस नई योजना के अंतर्गत फिल्म समारोह निदेशालय को एक तकनीकी रूप से सुसज्जित प्रिंट यूनिट प्रदान किया जायेगा जिससे प्रिंटों के लम्बे समय तक भंडारण में मदद मिलेगी। यह फिल्म समारोहों के जरिए भारत तथा विदेश में निर्यात संवर्धन की योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के मंतव्य से है।	0.30		उपकरण रैंकों तथा तकनीकी सुविधाओं जैसे तापमान तथा आर्द्रता को ठंडा बनाए रखने के साथ प्रिंटों को लम्बे समय तक भंडार करने हेतु उचित सुविधा का सृजन।	भारतीय तथा विदेशी फिल्म समारोहों में भारतीय फिल्मों की भागीदारी के जरिए अच्छे भारतीय सिनेमा के निर्यात को बढ़ावा देना जिससे समृद्ध भारतीय संस्कृति को बढ़ावा मिल सके।

फिल्म समारोह निदेशालय

गैर-योजना

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2008-09	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता
1	2	3	4	5	6	7
1.	प्रशासन से संबंधित व्यय	वेतन, मजदूरी, और ओई, डीटीई आदि	124.65			-
2.	छोटे-मोटे कार्य	सिरीफोर्ट सांस्कृतिक परिसर का रख-रखाव व देखभाल।	308.00	पूर्ण रूप से सुसज्जित सुंदर आडिटोरियम जिसमें कला, संस्कृति, सिनेमा आदि क्षेत्र में उच्च स्तर के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सके।	इस परिसर का अधिकतम उपयोग करके अधिक से अधिक राजस्व अर्जित करना।	2008-09
3.	सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के तहत फिल्म समारोह		25.00	सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के तहत भारत और विदेशों में 12 फिल्म समारोहों का आयोजन।	भारतीय सिनेमा को प्रोत्साहन तथा सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के तहत आने वाले रास्ते के साथ सबंधों को मजबूत बनाना।	2008-09
4.	राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार	सिनेमा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए राष्ट्रीय स्तर की मान्यता।	200.00	राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करना।	भारतीय कला और संस्कृति के क्षेत्र में सुधार लाना तथा बेहतर प्रतिभाओं को मान्यता प्रदान करना ताकि भारतीय सिनेमा को बेहतर बनाया जा सके।	2008-09
		कुल	657.65			

फिल्म प्रभाग

योजना

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम	उद्देश्य/उपलब्धियां	वित्तीय परिव्यय ब.अ. 2008-09	वास्तविक मात्रात्मक उपलब्धियां	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया/अवधि	टिप्पणी/ जोखिम के घटक
1	अन्तर्राष्ट्रीय वृत्तचित्र, लघु और एनिमेशन फिल्म समारोह	मुख्य लक्ष्य मुंबई में दो-वर्षीय वृत्तचित्र, लघु एवं एनीमेशन फिल्म अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह संपन्न कराना। परिणामत: 11 वर्षों में 3 फिल्म समारोह।	10.00	3-9 फरवरी 2008 तक होने वाले 10वें एमआईएफएफ 2008 का गृह कार्य संपन्न कराना। **प्रमाणित डिलिवरेबल:** देश में वृत्तचित्र अभियान को प्रोत्साहन (फिल्मों के सशक्त माधयम से वैश्विक स्तर पर भारत की सकारात्मक छवि का प्रदर्शन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय श्रेणियों में एमआईएफएफ के लिए प्रविष्टियां स्वीकृत और चुनाव कमेटी स्क्रीनिंग भी संपन्न। समारोह हेतु अन्य महत्वपूर्ण तैयारियां जारी। वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में बड़े वित्त घटक इस्तेमाल किए जाएंगे। मौजूदा वित्त वर्ष में एमआईएफएफ 2008की तैयारियों के बाद गृह कार्य भी संपूर्ण किया जाएगा।	10वें एमआईएफएफ 2008 का गृह कार्य और 11वें एमआईएफएफ 2010 का शुरुआती कार्य पूर्ण।	द्विवार्षिक एमआईएफएफ समारोह में विश्व भर से फिल्मकारों द्वारा पत्र/प्रविष्टियां आमंत्रित और प्रतिष्ठित ज्यूरी की सिफारिश पर प्रवेषकों को 28.50 लाख राशि के पुरस्कार।	विशिष्ट जटिलता नहीं
2	फिल्म प्रभाग की फिल्मों की वेबकास्टिंग और डिजीटलीकरण	इंटरनेट के माध्यम से वृत्तचित्र, लघु एवं एनीमेशन फिल्मों को वैश्विक पहचान दिलाना। इसके लिए फिल्मों का डिजिटलीकरण कर हाई डेफिनेशन तकनीक के माध्यम से डीवीडी में बदला जाता है।	600.00	वैश्विक उपलब्धता हेतु स्वातंत्र्योत्तर भारत के ऑडियो-विजुअल एन्साइक्लोपीडिया के जरिए फिल्मस डिवीजन की फिल्मों को वेबकास्ट किया जाता है और एफडी की फिल्मों को संरक्षण हेतु डिजिटल फॉर्मेट में भी बदला जाता है।	वेबसाइट में फिल्म सामग्री में लगातार बदलाव और फिल्मों को डीवीडी में डालना।	फिल्मों को बाहरी एजेंसी द्वारा वेबसाइट पर कूटबद्ध किया जाता है। फिल्मों को डीवीडी में बदलने हेतु टेंडर मंगवाए जाते हैं। वेबकास्टिंग एक निरंतर प्रक्रिया है। 11वीं योजना काल में फिल्मों का	कोई जोखिम नहीं।

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम	उद्देश्य/उपलब्धियां	वित्तीय परिव्यय ब.अ. 2008-09	वास्तविक मात्रात्मक उपलब्धियां	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया/अवधि	टिप्पणी/ जोखिम के घटक
		परिणामत: एफडी फिल्मों को उनकी आधिकारिक वेबसाइट www.filmsdivision.org पर देखा जा सकता है।		**प्रमाणित डिलिवरेबल** वेबसाइट के फिल्मी कथ्यों में लगातार बदलाव और फिल्मों का डीवीडी में बदलाव। गत वर्ष के बकाया बिलों की वित्तीय देयता को भी चुका दिया गया है। मौजूदा वित्त वर्ष में अभिलेखागार की 1058 फिल्मों को पहचाना गया है और 507 का डिजिटलीकरण किया गया।		डिजिटलीकरण पूर्ण होगा।	
3	चलचित्र संग्रहालय की स्थापना	पर्यटकों/फिल्म प्रेमियों के लिए फिल्म निर्माण, जाने-माने फिल्मकारों की फिल्मों का प्रदर्शन, निर्माताओं, संस्थानों हेतु कलात्मक वस्तुओं हेतु एक स्थायी संग्रहालय निर्माण। फिल्मकारों और फिल्म विद्यार्थियों हेतु सेमिनार कार्यशाला।	500.00	ऑडियो-विजुअल प्रदर्शन के जरिए भारतीय सिनेमा का इतिहास प्रदर्शित करने वाले और भारतीय सिनेमा से जुड़ी प्रमुख वस्तुओं हेतु संग्रहालय की स्थापना। **प्रमाणित डिलिवरेबल** मुंबई में फिल्मस डिवीजन एनबीसीसी द्वारा मंत्रलय के दिशा-निर्देशों पर तैयार प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर संग्रहालय स्थापित करेगी। मंत्रालय नीति योजना के अंतर्गत भौतिक एवं वित्तीय प्रगति पर नजर रख रही है। इस दिशा में एमओएमआई में फिल्म वाल्टज़ मुद्दे को मंत्रालय ने एनबीसीसी से विमर्श हेतु उठाया है। एनबीसीसी द्वारा जारी आर्किटेक्चरल एवं कान्सेप्ट डिजाइन योजना मंत्रालय द्वारा पारित की गई है। एनबीसीसी ने अंतिम	मुंबई में फिल्मस डिवीजन एनबीसीसी द्वारा मंत्रलय के दिश-निर्देशों पर तैयार प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर संग्रहालय स्थापित करेगी।	एनबीसीसी को प्रस्तावित एमओएमआई की प्रोजेक्ट रिपोर्ट मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के जरिए तैयार करनी है।	योजना के अंतर्गत अधिक समय लगना एक जटिल पक्ष है चूंकि यह सीधे एनबीसीसी द्वारा तैयार प्रोजेक्ट रिपोर्ट और उनके द्वारा कांट्रेक्ट प्रदान किए जाने के सापेक्ष होगा।

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम	उद्देश्य/उपलब्धियां	वित्तीय परिव्यय ब.अ. 2008-09	वास्तविक मात्रात्मक उपलब्धियां	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया/अवधि	टिप्पणी/ जोखिम के घटक
				डीपीआर मंत्रालय में जमा की है जिसमें प्रोजेक्ट की कुल राशि का अनुमान 44.20 करोड़ रुपये आंका गया है जिसके अतिरिक्त डीपीआर की तैयारी हेतु 1.65 करोड़ रुपये की भी राशि है। मंत्रालय के निर्देश द्वारा फिल्म प्रभाग और एनबीसीसी द्वारा पीएमसी की समूची परियोजना का नियत प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कार्य और खर्चे का प्रत्येक तिमाही में पुन: आकलन किया जाएगा।			
4	पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा जम्मू कश्मीर के लिए वृत्तचित्रों का निर्माण	समय को देखते हुए पूर्वोत्तर और जम्मू-कश्मीर के पृथक पड़े लोगों को मुख्यधारा में सम्मिलित होने हेतु प्रोत्साहन के लिए बाहरी निर्माताओं द्वारा वृत्तचित्रों का निर्माण जिनमें समस्याओं और उनके समाधानों पर जोर दिया जाएगा।	490.00 (10% योजनाएं पूर्वोत्तर हेतु जारी की जाएंगी)	सरकार के राष्ट्र निर्माण कार्यक्रम में क्षेत्रवासियों के अधिकाधिक सहयोग हेतु लोगों के लिए वृत्तचित्रों का निर्माण। **प्रमाणित डिलिवरेबल** 11वीं पंचवर्षीय योजना की नई नीति।	सरकार के राष्ट्र निर्माण कार्यक्रम में क्षेत्रवासियों के अधिकाधिक सहयोग हेतु लोगों के लिए वृत्तचित्रों का निर्माण।	सरकार के राष्ट्र निर्माण कार्यक्रम में क्षेत्रवासियों के अधिकाधिक सहयोग हेतु लोगों के लिए वृत्तचित्रों का निर्माण।	कोई जोखिम नहीं।
	कुल		**1600.00**				

फिल्म प्रभाग

गैर-योजना

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम	उद्देश्य/उपलब्धियां	परिव्यय ब.अ. 2008-09 (गैर-योजना बजट)	वास्तविक मात्रात्मक उपलब्धियां	अनुमानित परिणाम		प्रक्रिया/अवधि	टिप्पणी/ जोखिम के घटक
					इंटरमीडियेट/ पार्शियल	फाइनल		
1	निर्माण	मुख्य उद्देश्य जनसूचना, शिक्षा तथा सांस्कृतिक उद्देश्य के लिये वृत्तचित्र, एनीमेशन और लघु फिल्में बनाना है।	2497.00	26 वृत्त चित्र और 10 समाचार पत्रिकाएं	18	36	01.04.2008 31.03.2009	वृत्तचित्र का सिनेमा और गैर-सिनेमा रिलीज/वृत्त चित्र ज्यादा निर्माण होने की संभावना है क्योंकि समाचार पत्रिकाओं के निर्माण में कमी हुई है।
2	वृत्तचित्रों को सिनेमा हेतु वितरण	वितरण शाखा कार्यालयों के माध्यम से किया जाता है। स्टॉक शाट्स की बिक्री मुंबई के मुख्यालय से ही की जाती है।		14000	7000	14000	01.04.2008 31.03.2009	वृत्तचित्र का सिनेमाई रिलीज
3.	प्रशासन	प्रशासन का मुख्य उद्देश्य निर्माण और वितरण शाखाओं को मानिटर करना है।					01.04.2008 31.03.2009	प्रशासन से जुड़े खर्चे
	कुल:		**2497.00**					

(*) गैर-योजना पर खर्च

निर्माण	36%
वितरण	51%
प्रशासन	13%

भारत और विदेश में फिल्म बाजार में भागीदारी

(मुख्य सचिवालय योजनाएं)

(करोड़ रुपये में)

क्र. स.	योजना/कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य/परिणाम	परिव्यय 2008-09			परिमाणनीय/ वितरण योग्य/ भौतिक नतीजे	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणियां/ जोखिम घटक
1	2	3	4			5	6	7	8
			4 (i)	4 (ii)	4 (iii)				
			गैर-योजना बजट	योजना बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
1.	विदेशी फिल्म समारोह/बाजारों में भागीदारी	भारतीय फिल्मों के निर्यात को प्रोत्साहित करना और भारतीय फिल्मों के लिए बाजार का विस्तार करते हुए फिल्मों को एक उद्योग के रूप में मजबूती प्रदान करना।	–	2.20	–	• केन्स फिल्म बाजार-मई, 2007 में भागीदारी, • मिपकॉम 2008, अक्टूबर में भागीदारी • अमरीकी हागकांग फिल्म बाजार-नवंबर, 2008 में भागीदारी। • फिल्म बाजार/ आईएफएफआई का आयोजन- नवंबर-दिसंबर 08 • एन्नेसी फिल्म समारोह जून, 2008 में भागीदारी	विश्व बाजार में भारतीय फिल्मों की उपस्थिति बढ़ाना और भारतीय फिल्मों के निर्यात को बढ़ावा देना।	मंत्रालय द्वारा उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ प्रत्येक कार्यक्रम में हिस्सेदारी की योजना पर विचार करने के लिए बाजारों के शुरू होने से काफी समय पहले बैठकें आयोजित की जायेंगी।	कालम पांच में वर्णित कार्यों के अतिरिक्त फिल्मों की उपस्थिति बढ़ाने के उपायों पर अतिरिक्त खर्च।

						• बर्लिन रोटर्डम फिल्म समारोह -फरवरी, 2009 में हिस्सा लेना। • फिक्की द्वारा आयोजित वार्षिक सम्मेलन-फ्रेम्स में भागीदारी • विदेश स्थित भारतीय मिशनों की सहायता से भारतीय फिल्मों का प्रचार।			
2.	ऐनीमेशन, गेमिंग और विशेष प्रभाव के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना संबंधी नयी योजना	उच्च प्रौद्योगिकी विषयवस्तु उद्योग में कार्मिकों की समस्या के समाधान के लिए ऐनीमेशन, गेमिंग और विशेष प्रभाव में उत्कृष्टता के लिए सरकारी-निजी भागीदारी में केंद्र की स्थापना।	-	1.00	-	(i) एच आरडी आवश्यकता के लिए परामर्श की रिपोर्ट प्राप्त करना मई-2008 (ii)संस्थान पर डीपी आर के लिए परामर्शक की नियुक्ति अगस्त-2008 (iii) डीपीआर पर सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन-मार्च 2009	परामर्शदाता सभी आवश्यक ब्योरे देते हुए परियोजना की व्यापक रिपोर्ट तैयार करेगा।	परियोजना रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद 'उत्कृष्टता केंद्र' की स्थापना के लिए अपेक्षित धन की व्यवस्था और स्थापना में लगने वाले समय के मुद्दे स्पष्ट होंगे।	यह योजना सरकारी-निजी भागीदारी में लागू की जानी है। इसलिए निजी पार्टियों के योगदान की पहचान करनी होगी।

भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे

भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान पुणे—इस संस्थान की स्थापना 1960 में फिल्म निर्माण में प्रशिक्षण करना शुरू किया और इसका नाम भारतीय फिल्म एवं टेलिविजन संस्थान कर दिया गया। यह अपने ढंग का अग्रणी संस्थान है, जो फिल्म निर्माण एवं टेलीविजन प्रशिक्षण की पूरी जिंमेदारी संभाले हुए है। एफ.टी.आई.आई. फिल्म एवं टेलिविजन में तीन वर्षीय स्नात्कोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम के साथ और भी कई सारे पाठ्यक्रम चलाता है। जैसे-निर्देशन, सिनेमाटोग्राफी, आडियोग्राफी और संपादन, दो वर्षीय स्नात्कोत्तर पाठ्यक्रम जैसे- अभिनभ व कला निर्देशन और निर्माण की रूपरेखा, $1/_{2}^{1}$ वर्षीय पाठ्यक्रम के तहत एनिमेशन और कंप्यूटर ग्राफी, विडियो संपादन और आडियोग्राफी, टेलीविजन यांत्रिकी में एक वर्षीय पाठ्यक्रम। कथा चित्र कटकथा लेखन में एक वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम। एफ.टी.आई.आई. कार्यरत व्यवसायिकों और अन्य लोगों के लिए कम अवधि के पाठ्यक्रम आयोजित करता है।

एफटीआईआई द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के लिए कई प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्थान द्वारा चलाये जा रहे पाठ्यक्रम की मांग है और समाज द्वारा सराहा जाता है। इस संस्थान से निकले छात्र फिल्म क्षेत्र में काफी नाम कमा रहे हैं। संस्थान में विशाल संख्या में डिप्लोमा फिल्में हैं जिन्हें राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुये हैं।

भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे

परिणाम और मदों पर खर्च व्यय (2008-09)

योजना

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	पाठ्यक्रम/स्कीम के नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2008-09	भौतिक परिव्यय का काम आता है	कार्यालय एवं परिणाम	प्रक्रिया/समय बद्धता	टिप्पणी/
अ	**चल रही योजना**						
(क)	**एफटीआईआई पुणे को अनुदान राशि**						
(i)	मशीनरी एवं उपकरण	1. फिल्म एवं टेलीविजन उद्योग दोनों में आधुनिक एवं तकनीकी प्रगति के अनुरूप पुराने एवं अप्रचलित उपकरणों की प्राप्ति और संसाधनों में वृद्धि।	3.78	मंत्रालय के एस.एफ.सी. से अनुमोदन मिलने पर सामग्री एकत्र की जायेगी तथा कार्य पूरा किया जायेगा। वित्त वर्ष प्रारंभ होने से पूर्व तिमाही भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किये जायेंगे तथा विभागीय बैठकों में उपलब्धियों पर नजर रखी जायेगी तथा मासिक व्यय की रिपोर्ट एवं तिमाही रिपोर्ट मंत्रालय को दी जायेगी।	विसतृत टिप्पणी अलग से संलग्न की जा रही है।		
(ii)	भवन निर्माण	2. नई तकनीकों जैसे हाई डेफिनेशन टी.वी. विकसित कंप्यूटर एनिमेशन, डिजिटल फिल्म रिकार्डिंग आदि को लाना।	0.80				
(iii)	कंप्यूटरीकरण एवं आधुनिकीकरण	3. कार्यक्रमों के लिए एफटीआईआई के वर्तमान प्रांगण में स्थान की कमी है वर्तमान योजना में एफ.टी.आई.आई. के भवन में जहां तक संभव हो सके कुछ स्थानों को बढ़ाने का प्रस्ताव है। एक आधुनिक स्त्रोत एवं ज्ञान के केंद्र की योजना भी बनाई जा रही है	0.24	रिपोर्ट और प्रैमासिक आय			

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	पाठ्यक्रम/सकीम के नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2008-09	भोतिक परिव्यय का काम आता है	कार्यालय एवं परिणाम	प्रक्रिया/समय बद्धता	टिप्पणी
		जिससे सभी स्त्रोतों जैसे : पुस्तकालय, ई-लाइब्रेरी इंटरनेट व्यूबिंग स्टूडेंट्स सेंटर फेक्ल्टी एवं कांफ्रेसिंग केंद्र के लिए चर्चा कक्ष आदि को एक जगह लाया जा सके।					
(iv)	सामुदायिक रेडियो की स्थापना	यह योजना विद्याथियों को रेडियों कार्यक्रमों, श्रोताओं एवं नये क्षेत्रों में अनुसंधान करने तथा प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से बनाई गयी है।	0.15	10वीं योजना समाप्त होने के साथ रेडियो कार्यक्रम नियमित रूप से प्रसारित किये जाते है। कार्यक्रमों के रिले एवं निर्माण के लिए प्रावधान किये गए है।			
(v)	कैप्टिव टी.वी. चैनल की स्थापना	यह भी पहले से जारी योजना है जिसे कार्यक्रमों एवं ब्रोडकास्टिंग के क्षेत्र में छात्रों के अनुसंधान, परिवर्तन प्रयोग के उद्देश्य से 10वीं योजना के आरंभ से प्रारंभ किया गया मूल विचार यह है कि लक्षित श्रोताओं के साथ पारस्परिक संबंध और नजदीकी बनाई जा सके।	0.20	कार्यक्रमों की फिल्म बना ली गयी है तथा कार्यक्रम की अतिरिक्त फिल्म बनाने एवं उसके प्रसारण की व्यवस्था की जा रही है।			

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	पाठ्यक्रम/स्कीम के नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2008-09	भौतिक परिव्यय का काम आता है	कार्यालय एवं परिणाम	प्रक्रिया/समय बद्धता	टिप्पणी/
(vi)	एच.आर.डी का पक्ष जिसमें छात्रों के लिए छात्रवृति तथा विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ कार्यक्रमों का आदान-प्रदान शामिल है।	एफ.टी.आई. की गति विधियों को और आगे बढ़ाना। छात्रों एवं संकाय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिक गतिविधियों का अध्ययन एच.आर.डी. कार्यक्रम के आदान-प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत किया जाना।	0.27	आदान-प्रदान कार्यक्रम की गतिविधि से छात्र अपने क्षेत्र से बाहर निकलकर फिल्म स्कूलों से मिलकर फिल्म निर्माण के नये विचार प्राप्त करेंगे ताकि अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में आधुनिक तकनीक से परिचित हो एफ.टी.आई.आई. की योजना है कि भारत के विश्वविद्यालयों एवं फिल्म स्कूलों के साथ-साथ अपने देश में अपनी गतिविधि बढ़ाएं। आदान-प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित संस्थानों से छात्रों के दौरे के लिए हस्ताक्षर किये है : क म. अमीन फाउंडेशन नैरोबी, केन्या ख मीडिया विश्वविद्यालय शुटगोर्ट, जर्मनी			
		कुल : (क)	5.44				

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	पाठ्यक्रम/स्कीम के नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2008-09	भौतिक परिव्यय का काम आता है	कार्यलय एवं परिणाम	प्रक्रिया/समय बद्धता	टिप्पणी/
(B)	**नयी योजना** ग्लोबल फिल्म स्कूल (नया)	1. एफ.टी.आई.आई. आधुनिक इंटरनेट तकनीक से लाभान्वित होने के लिए प्रयासरत है जिससे वह देश और देश से बाहर समान उद्देश्य वाली संस्थाओं के साथ मिलकर ग्लोबल फिल्म स्कूल का भाग बन सके।	2.56	यह एक नयी योजना है प्रस्तावित व्यय एफ.टी.आई.आई.; पुणे के मास्टर प्लान में सिनेमारो ग्राफी एवं टी.वी. इंजिनियरिंग, विभाग की मशीनरी एवं उपकरणों के लिए है, जिसमें ऑडिटोरियम, क्लास-कम-थियेटर, इंटरनाल रोड, पैदल यात्री पार्किंग रोड़ तथा भवन निर्माण स्टूडियों फ्लोर, आडिटोरियम प्रिव्यू रंगशाला, छात्रावास और कर्मचारी निवास			
		कुल : (ख)	2.56				
		कुल : (क + ख)	8.00				

सत्यजित राय फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान, कोलकाता

योजना

(करोड़ रुपये में)

क्रमांक	स्कीम का नाम	उद्देश्य/प्रगति	परिव्यय (लाख रु.)	भौतिक प्रगति	अनुमानित प्रगति	प्रक्रिया/समयोचितता		टिप्पणी/ जोखिम घटक
						मध्यवर्ती	अंतिम	
1	सत्यजित राय फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान, कोलकाता में अपना टीवी चैनल स्कीम	सत्यजित राय फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान, कोलकाता में ''एक फीडर टेलीविजन साफ्टवेयर आधार'' के विकास के लिए प्रस्तावित योजना।	**4.00**	सत्यजित राय फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान, कोलकाता में ''एक फीडर टेलीविजन साफ्टवेयर आधार''के विकास के लिए प्रस्तावित योजना। इसे समाज और सामुदायिक विकास के लक्ष्य वाले नए उभरते स्थानीय टेलीविजन नेटवर्कों के छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए आन-लाइन टेलीविजन के क्षेत्र में मदद के लिए तैयार किया गया था।	अनिवार्यतया इस स्कीम का उद्देश्य संस्थान में प्रदान किए जाने वाले प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करना है जिससे कि छात्रों को रोजगार की बेहतर संभावनाएं मिल सकें और क्षेत्र में वे उत्कृष्टता हासिल कर सकें। वैसे, इस प्रोजेक्ट के सुगठित हो जाने के बाद सम्बद्ध सरकारी विभागों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों आदि से प्रायोजकों के मिलने की संभावना है जिससे तैयार किए जाने वाले टेलीविजन कार्यक्रमों की निर्माण लागत पूरी तरह से या आंशिक तौर पर निकल आएगी।			
2	सत्यजित राय फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान, कोलकाता में सामुदायिक रेडियो स्टेशन की स्थापना	इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य रेडियो के क्षेत्र में छात्रों के लिए आफ-लाइन प्रशिक्षण आधार तैयार करना है।	**5.00**	सामुदायिक रेडियो की इस स्कीम में परिवार कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा के सामाजिक मुद्दों पर जन जागरूकता और स्थानीय रुचियों के अनुसार विशेष मनोरंजन पर जोर दिया गया है। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य रेडियो के क्षेत्र में छात्रों के लिए आफ-लाइन प्रशिक्षण आधार तैयार करना है।	अनिवार्यतया इस स्कीम का उद्देश्य संस्थान में प्रदान किए जाने वाले प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करना है जिससे कि छात्रों को रोजगार की बेहतर संभावनाएं मिल सकें और क्षेत्र में वे उत्कृष्टता हासिल कर सकें। वैसे, इस प्रोजेक्ट के सुगठित हो जाने के बाद सम्बद्ध सरकारी विभागों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों आदि से प्रायोजकों के मिलने की संभावना है जिससे तैयार किए जाने वाले टेलीविजन कार्यक्रमों की निर्माण लागत पूरी तरह से या आंशिक तौर पर निकल आएगी।			

3	सत्यजित राय फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान, कोलकाता में छात्रवृत्तियां और विनिमय कार्यक्रम समेत मानव संसाधन विकास के पहलू	इस स्कीम में विदेशों में प्रतिष्ठित फिल्म स्कूलों के साथ निरंतर छात्र/संकाय आदान-प्रदान की व्यवस्था है ताकि वे फिल्म निर्माण के उभरते नए रुझानों और प्रौद्योगिकी के बारे में ज्ञान का आदान प्रदान कर सकें।	15.00	छात्र आदान-प्रदान कार्यक्रम चलाना • छात्रवृत्ति प्रदान करना • राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह आयोजित करना	अनिवार्यतया इस स्कीम का उद्देश्य संस्थान में प्रदान किए जाने वाले प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करना है जिससे कि छात्रों को रोजगार की बेहतर संभावनाएं मिल सकें और क्षेत्र में वे उत्कृष्टता हासिल कर सकें।		
4	सामाजिक रूप से उपयोगी फिल्मों के निर्माण के संदर्भ में प्रशिक्षण और कौशल विकास	इस प्रोजेक्ट में फिल्म तथा टेलीविजन क्षेत्र के युवा छात्रों को संस्थान द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रशिक्षण के बहु-प्रतीक्षित मूल्य-वर्द्धन का अनिवार्य रूप से समावेश करने पर जोर दिया जाता है। इस योजना के तहत प्रस्तावित तत्वों को संस्थान की मौजूदा प्रशिक्षण गतिविधियों की पूर्ति करना है ताकि उद्योग की चुनौतियों के लिए स्वयं को तैयार करने वाले संस्थान के युवा छात्रों की मदद की जा सके।	34.00	1. फिल्म टीवी क्षेत्र में आधुनिक प्रौद्योगिकीय विकास से परिचित होने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना 2. सामाजिक महत्व वाली फिल्मों का निर्माण 3. न्यूजलैटर कर प्रकाशन	इस स्कीम से संकाय सदस्यों को सिनेमा तथा टेलीविजन के प्रशिक्षण के क्षेत्रों में बदलते रुझानों को समझने में मदद मिलेगी। आवासीय कार्यक्रम में कलाकार विख्यात राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सृजनशील कलाकार के साथ वे विचारों और सोच का आदान-प्रदान कर सकेंगे। छात्रों को विभिन्न स्तरों पर परस्पर विचार-विनिमय का अवसर मिलेगा। फिल्म निर्माण के प्रावधान से छात्रों को फिल्म तथा टेलीविजन कार्यक्रमों के निर्माण का अत्यंत आवश्यक व्यावहारिक अनुभव मिल सकेगा जिससे वे अपने पेशेवर कैरियर की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो सकेंगे। इसके अलावा, सार्वजनिक मंचों और टेलीविजन पर अपनी फिल्मों के प्रदर्शन की संभावना से उन्हें संस्थान के छात्रों के रूप में प्राप्त अपने ज्ञान का मूल्यांकन करने का अवसर भी मिलेगा। छात्र फिल्म समारोह की इस स्कीम में 'क्लैपस्टिक' और 'डोसेज' (डाक्यूमेंटरी पिचिंग सैशन) से युवा छात्रों और फिल्म प्रेमियों में फिल्म जागरूकता फैलाने में मदद मिलेगी। संस्थान के शैक्षणिक कार्यकलापों और कार्यक्रमों को उजागर करने की योजना के तहत एक उच्च कोटि का न्यूज़लैटर भी प्रकाशित किया जाएगा।		

5	कम्प्यूटरीकरण, आधुनिकीकरण और मानव संसाधनों सहित बुनियादी ढांचे की व्यवस्था	प्राजेक्ट में अनिवार्यतया बुनियादी सुविधाओं (उपकरण आधार) का वांछित स्तर तैयार करने और एकसाथ पढ़ने वाले तीन बैचों को फिल्म तथा टेलीविजन के क्षेत्र में पेशेवर प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रावधान है। मौजूदा सुविधाएं 120 छात्रों के तीन बैचों का दबाव झेलने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।	626.00	1. नए फिल्म स्टूडियो और ध्वन्यांकन ब्लॉक का निर्माण 2. विशेष सोफ्टवेयर के साथ उपकरण प्राप्त करना 3. ईआरपी के तहत कंप्यूटरीकरण	संस्थान की स्थापना का लक्ष्य पूरा हो जाएगा और यह आत्म-निर्भर हो जाएगा। छात्र समुदाय लाभान्वित होगा और समय पर अपने कोर्स पूरे कर सकेगा। नियमित गतिविधियों को व्यवस्थित करने के बारे में संस्थान भारतीय मीडिया के समग्र स्तर को सुधारने के लिए अपनी गतिविधियों को और अधिक विकसित और विविधीकृत कर सकता है।		
6	ऐनीमेशन और इलेक्ट्रानिक इमेजिंग विभाग	पिछले कुछ सालों में दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के निर्माण की दुनिया में जबरदस्त परिवर्तन आया है। एक प्रमुख क्षेत्र जिसमें उल्लेखनीय विकास हुआ है, वह ऐनीमेशन और मल्टी-मीडिया प्रयोगों का है। एनीमेशन की लोकप्रियता और संभावनाओं के बारे में हर कोई जानता है और इस बारे में अलग से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। वैब से जुड़े प्रयोगों और ऐनीमेशन फिल्मों के साथ-साथ मल्टी- मीडिया सीडी-रोम्स/ गेम्स का एक विशाल गतिशील और संभावनाओं से भरा बाज़ार मौजूद है। अगले कुछ वर्षों में भारत	56.00	1. इमेजिंग और इलेक्ट्रानिक खंड के लिए नए ब्लॉक का निर्माण 2. उपकरणों को प्राप्त करना	संस्थान की स्थापना का लक्ष्य पूरा हो जाएगा और छात्र समुदाय लाभान्वित होगा तथा उसे एक नए कोर्स के अध्ययन का अवसर मिलेगा। एक नए उभरते क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। संस्थान, भारतीय मीडिया के समग्र स्तर को सुधारने के लिए अपनी गतिविधियों में अधिक विविधता ला सकेगा और क्षेत्र में प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध कराके उद्योग को सहारा दे सकेगा।		

		ऐनीमेशन से जुड़े काम के लिए एक प्रमुख केंद्र बन जाएगा। इन गतिविधियों में मदद करने वाले प्रशिक्षित मानव संसाधन की भारी मांग है। इस प्रकार दृश्य-श्रव्य कला के बदलते परिवेश के साथ कदम से कदम मिला कर चलने के लिए इस कोर्स को चलाने का यह सही समय है। बदलते रुझानों और इस क्षेत्र में प्रशिक्षित मानव संसाधनों की कमी को ध्यान में रखते हुए, संस्थान में अध्ययन की एक नई शाखा जोड़ना वक्त की मांग है। इसीलिए संस्थान ने 'ऐनीमेशन और इलेक्ट्रानिक इमेजिंग' में दो साल का एक स्नातकोत्तर डिप्लोमा कोर्स आरम्भ करने का प्रस्ताव किया है जिसमें प्रत्येक बैच में 10-10 छात्रों को लेने का प्रस्ताव है। दृश्य-श्रव्य मीडिया, एक बहु-शाखीय मीडिया है और वह भी व्यापक विविधताओं लिए। एक सफल कार्यक्रम के निर्माण के लिए सभी विविधताओं को एक व्यवस्थित					

7	फिल्म तथा टेलीविजन कार्यक्रम प्रबंध विभाग	और किफायती एकजुटता में बांधना जरूरी है। इसमें कुशल और पेशेवर प्रबंध को लाने के लिए मीडिया के कार्यकलापों के बारे में व्यावहारिक ज्ञान रखने वाले योग्यता प्राप्त प्रबंधकों का होना अनिवार्य है। ये प्रबंधक व्यापार से जुड़ा अनुशासन और पारदर्शिता लाने में कामयाब हो सकेंगे जिससे कार्यक्रम निर्माण आर्थिक दृष्टि से व्यावहारिक और विश्वसनीय बन सकेगा। आज विशेषज्ञता का युग है, इसलिए उद्योग की जरूरतों के अनुसार मानव संसाधनों को प्रशिक्षित और प्रयोग करना जरूरी हो गया है। फिल्म तथा टेलीविजन निर्माण प्रबंध में विशेष रूप से प्रशिक्षित मानव संसाधनों की बढ़ती मांग को देखते हुए, संस्थान का फिल्म तथा टेलीविजन निर्माण प्रबंध में दो साल का एक स्नातकोत्तर कोर्स शुरू करने का प्रस्ताव है। इस कोर्स के प्रत्येक बैच में 10-10 छात्र लिए जा सकेंगे। यह कोर्स वर्ष 2011-12 में शुरू होगा।	60.00	1. नए ब्लॉक का निर्माण 2. निर्माण के लिए कंप्यूटर सोफ्टवेयर प्राप्त करना	संस्थान की स्थापना का लक्ष्य पूरा हो जाएगा और छात्र समुदाय लाभान्वित होगा तथा उसे एक नए कोर्स के अध्ययन का अवसर मिलेगा। संस्थान, भारतीय मीडिया के समग्र स्तर को सुधारने के लिए अपनी गतिविधियों में अधिक विविधता ला सकेगा और क्षेत्र में प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध कराके उद्योग को सहारा दे सकेगा।		
	कुल		**800.00**				

भारतीय जनसंचार संस्थान

योजना

करोड़ रुपये में

क्रम सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य/परिणाम	परिव्यय 2008-09			मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम घटक
1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i) गैर-योजना	4(ii) योजना बजट	4(iii) पूरक अतिरिक्त बजटीय संशोधन				
ए :	आईआईएमसी को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया विश्व-विद्यालय में परिवर्तित करना	प्रस्तावित विश्वविद्यालय प्रदान करेगा (क) वर्तमान सामान्य सीटों के साथ ओबीसी उम्मीदवारों को 27% आरक्षण और (ख) तीसरे विश्व देशों के भागीदारों को मास मीडिया में आधुनिक प्रशिक्षण और अनुसंधान अवसर प्रदान करना। इससे विकसित और विकास-शील देशों को कक्षाओं/ कैंपस वातावरण में बहु-सांस्कृतिक छात्रों की आपसी बातचीत के जरिये और पास आने में मदद मिलेगी।	-	1.00	-	2008-09 के दौरान निम्न-लिखित कार्यक्रमों को लागू करने के लिए संस्थान निम्न-लिखित प्रारंभिक कार्य शुरू करेगा : 1.उचित स्तरों पर फैकल्टी एवं अन्य पदों का निर्माण 2. भवन निर्माण के लिए स्थलों की पहचान और विविध एजेंसियों की मंजूरी प्राप्त करना 3. आवश्यक नवीनीकरण का काम करना 4. कम्प्यूटर लैब की स्थापना के लिए योजनाओं की तैयारी 5. समर्थ प्राधिकरणों की मंजूरी प्राप्त करने के बाद तकनीकी समितियों की मदद से प्रशिक्षण सहयोग यंत्र तय करना और उनके लिए आदेश निर्गत करना 6. पुस्तकालय विस्तार के लिए योजना की तैयारी और विविध प्राधिकरणों की मंजूरी के लिए प्रस्तुत करना 7. कक्षाओं/प्राध्यापक कक्षों की सजावट	प्रस्तावित विश्वद्यिालय पत्रकारिता और मास मीडिया के क्षेत्र में तीसरे विश्व देशों की प्रशिक्षण तथा अनुसंधान आवश्यकताओं को पूरा करेगा। यह कैंपस में छात्रों को बहु-संस्कृति का माहौल भी प्रदान करेगा और विकसित तथा विकासशील देशों को नजदीक आने में मदद करेगा, और वैश्विक प्लेसमेंट के लिए उपयुक्त प्रशिक्षु छात्र तैयार करेगा।	1. प्रथम चरण के अंतर्गत 5 अतिरिक्त कक्षों का निर्माण 2. लाइब्रेरी का विस्तार (चरण 1) 3. 18 अतिरिक्त संकाय सदस्यों की नियुक्ति 4. सुविधाओं के आधुनिकीकरण के लिए उपकरणों की खरीद 5. छात्रावास सुविधा का विस्तार 6. चरणबद्ध तरीके से ओबीसी आरक्षण को लागू करने के लिए वित्त वर्ष के दौरान 18% अधिक छात्रों को प्रवेश।	

ख :	जनसंचार में प्रशिक्षण, शिक्षण और अनुसंधान	पत्रकारिता/जनसंचार के क्षेत्र में आईआईएमसी द्वारा आयोजित अनुसंधान अध्ययन और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम देश में सामाजिक-आर्थिक विकास के साथ चलने में उपयोगी हैं।	3.95 (शुद्ध सहायता)	-	*2.35	नई दिल्ली और ढेंकनाल में पत्रकारिता (अंग्रेजी) में पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों का आयोजन; इसके अलावा नई दिल्ली में पत्रकारिता (हिंदी), रेडियो और टीवी पत्रकारिता, विज्ञापन और जन-संपर्क में पी.जी. डिप्लोमा तथा ढेंकनाल में उड़िया पत्रकारिता में पी.जी. डिप्लोमा।	आईआईएमसी द्वारा संचालित विभिन्न, डिप्लोमा कार्यक्रमों में कुल 225 छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। संस्थान सूचना और प्रसारण मंत्रालय की आवश्यकतानुसार आईआईएस अधिकारियों के लिए भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगा।	विभिन्न डिप्लोमा कार्यक्रमों में प्रवेश पूर्ण करने के बाद (जुलाई 2008 तक) ये पाठ्यक्रम एक अगस्त 2008 से शुरू हो जाएंगे और अप्रैल 2009 में समाप्त हो जाएंगे।	मास मीडिया संबंधी विषयों में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और अनुसंधान अध्ययनों का आयोजन ही आईआईएमसी का मुख्य उद्देश्य है और ये अकादमिक गतिविधियां प्रत्येक अकादमिक वर्ष के दौरान आयोजित की जाती हैं।

भारत का राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय

(करोड़ रुपये में)

क्रम. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2008-2009			मात्रात्मक लाभ/वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक
1.	2.	3.	4.			5.	6.	7.	8.
			4 (i) गैर-योजना बजट	4 (ii) योजना बजट	4 (iii) पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
1.	अभिलेख फिल्मों की प्राप्ति एवं प्रदर्शन	फिल्मों की प्राप्ति एवं फिल्म संस्कृति का प्रचार-प्रसार करना	1.64	3.00	कोई नहीं	600-फिल्में/डीवीडी प्राप्त करना, 80 फिल्मों का डिजीटीकरण करना, और 16 फिल्मों की मरम्मत करना	फिल्मों की प्राप्ति, डिजीटीकरण और फिल्म संस्कृति का प्रचार-प्रसार करना	वार्षिक आधार	वार्षिक बजट आबंटन का प्रयोग करना
	कुल		1.64	3.00					

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम

परिणाम बजट 2008-09

योजना

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2008-09		मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक
1	2	3	4		5	6	7	8
			(i) योजना बजट	(ii) पूरक अतिरिक्त बजट संसाधन				
1.	क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्मों का उत्पादन	-	6.50	शून्य	3 फिल्में	3 फिल्में	-	-
2.	इक्विटी भागीदारी	-	8.00	शून्य	0	0	-	-

पत्र सूचना कार्यालय

योजना

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	कार्यक्रम योजना का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2008-09 योजना बजट	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक
1.	नई दिल्ली में राष्ट्रीय मीडिया केंद्र की स्थापना	नई दिल्ली में पीआईबी के लिए राष्ट्रीय मीडिया केंद्र का निर्माण	4.37	मिट्टी का काम खुदाई, नींव का काम, आरसीसी काम, तहखाने हेतु, भूतल, प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय तल, सभी मंजिलों की फिनिशिंग	कालम 5 में वर्णन के अनुसार	पहली तिमाही-मिट्टी का काम नींव का काम, निचले तहखाने का आरसीसी कार्य दूसरी तिमाही - बाकी काम ऊपरी तहखाना, भूतल का आरसीसी कार्य, निचले तहखाने की फिनिशिंग तीसरी तिमाही - भूतल का शेष कार्य प्रथम तल, ऊपरी और निचले तल की फिनिशिंग, प्रथम तल का आरसीसी कार्य चौथी तिमाही - दूसरे, तीसरे तल का फिनिशिंग कार्य, भूतल और प्रथम तल की फिनिशिंग	कालम 7 में बताए गए अनुसार लक्ष्य पूरे किए जाएंगे
2.	मीडिया आउटरीच कार्यक्रम	सार्वजनिक सूचना अभियान (पी.सी.आई.) चला कर,प्रेस वार्ताएं आयोजित करके, सफलता समाचार देकर	960.00	100 सार्वजनिक सूचना अभियान चलाना, 4 प्रेस वार्ताएं, 100 सफलता समाचार और 10 दौरे	कालम 5 में वर्णन के अनुसार	**प्रथम तिमाही** 20 पीआईसी, एक प्रेस वार्ता, 25 सफलता समाचार और पत्रकारों के 2 दौरों की व्यवस्था करना, 2 कार्यक्रम विदेशों में भारत की प्रगति दर्शाते हुए।	स्तंभ 7 में दर्शाए गए समय के अनुसार लक्ष्य पूरे किए जाएंगे

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	कार्यक्रम योजना का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2008-09 योजना बजट	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक
		और मौके पर पत्रकारों को ले जाकर सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में सूचना देना।		पत्रकारों के आयोजित करना एवं भारत की प्रगति को दर्शाना 6 कार्यक्रम विदेशों में आयोजित करना।		**दूसरी तिमाही** 20 पीसीआई, 25 सफलता और पत्रकारों के 3 दौरे आयोजित करना। कार्यक्रम विदेशों में भारत की प्रगति दर्शाने कालम 7 में बताएं गए अनुसार लक्ष्य पूरे किए जाएंगे। **तीसरी तिमाही** 30 पीसीआई, प्रेस वार्ता, 25 सफलता समाचार और पत्रकारों के 2 दौरे आयोजित करना **चौथी तिमाही** 30 पीसीआई, प्रेस वार्ताएं, 25 सफलता समाचार और पत्रकारों के 3 दौरे आयोजित करना। कार्यक्रम विदेशों में भारत की आर्थिक प्रगति दर्शाते हुए।	
3	विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रचार इस योजना के तीन अंग हैं।						- वही -
i	भारत का अंतर्राष्ट्रीय समारोह	मौके पर मीडिया केंद्र की स्थापना करके पत्रकारों को ये सुविधाएं उपलब्ध कराना। विशेष प्रत्यायन, प्रेस वार्ताएं, विज्ञप्तियां, कंप्यूटर, इंटरनेट, टेलीफोन, अखबार, फोटोकापी आदि की व्यवस्था	0.0660	मौके पर मीडिया केंद्र खोलना सुविधाओं की व्यवस्था करना और पत्रकारों को विज्ञप्तियों, इंटरनेट, फोन, कंप्यूटर, फोटो कापी आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराना	कालम 5 में वर्णन के अनुसार	**तीसरी तिमाही** कालम 5 में वर्णित सभी गतिविधियां तीसरी तिमाही में शुरू की जाएंगी। फिल्म समारोह हर साल नवंबर-दिसंबर में गोवा में होता है।	

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	कार्यक्रम योजना का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2008-09 योजना बजट	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक
ii	प्रवासी भारतीय दिवस समारोह	पसूका विशेष प्रत्यायन हेतु अधिकारी भेजता है। वे पत्रकारों के लिए तैयार मीडिया सेंटर के लिए कंप्यूटर आदि सुविधाएं भी जुटाते हैं।	0.0100	प्रवासी दिवस समारोह में पसूका का विशेष, प्रत्यायन के लिए अधिकारी भेजता है। वे पत्रकारों के लिए तैयार मीडिया सेंटर के लिए कंप्यूटर आदि सुविधाएं भी जुटाते हैं। सुविधाएं- मीडिया सेंटर में पत्रकारों की सुविधा हेतु कंप्यूटर किराए पर लेते हैं।	कालम 5 में दिए विवरण के अनुसार	**चौथी तिमाही** कालम 5 में वर्णित सभी गतिविधियां चौथी तिमाही में की जाएंगी क्योंकि प्रवासी भारतीय दिवस समारोह हर वर्ष नई दिल्ली में जनवरी में होता है।	लक्ष्य कालम 7 की समय तालिका के अनुसार पूरे किए जाएंगे।
iii	मीडिया आदान-प्रदान कार्यक्रम	सूचना एवं मास मीडिया क्षेत्रों में सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम एवं संयुक्त कार्यकारी आयोग/समझौते	0.4369	सूचना एवं मास मीडिया क्षेत्र में सांस्कृतिक आदान-प्रदान के 6 कार्यक्रम और 2 कार्यकारी आयोग/ समझौते	कालम 5 में दिए विवरण के अनुसार	प्रथम तिमाही-2 सां.अ.प्र. (1 आएगा, 2 जाएंगे) दूसरी तिमाही-2 सां.अ.प्र. (1 आएगा 1 जाएगा), 1 संयुक्त दल आएगा तृतीय तिमाही-1 स.अ.प्र (1 आएगा 1 जाएगा) 1 संयुक्त दल आएगा चतुर्थ तिमही-1 सां.अ.प्र. (1 संयुक्त जाएगा) 1 संयुक्त कार्यकारी दल जाएगा।	सभी लक्ष्य कालम 7 के अंतर्गत विवरण के अनुसार पूरे किए जाएंगे।

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	कार्यक्रम योजना का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2008-09 योजना बजट	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक
4.	राष्ट्रमंडल खेल 2010 एवं राष्ट्रमंडल युवा खेल पुणे 2008 हेतु मीडिया प्रबंधन एवं सुविधा प्रस्ताव	पत्रकारों के लिए प्रेस सेंटर तथा मीडिया सेंटर की स्थापना तथा पत्रकारों के लिये प्रेस सम्मेलन, प्रेस रिलीज, देना और कंप्यूटर, इंटरनेट, टेलीफोन, समाचार पत्र, फोटोकॉपी आदि सुविधाओं सहित वर्क रूम की स्थापना	1.80	रुचि जगाना, समय पर सटीक सूचना देना, इन खेलों के प्रति मीडिया में जागरूकता लाना। ये खेल नई दिल्ली में 2010 में होंगे।	कालम 5 में दिए विवरण के अनुसार	प्रेस केंद्र तथा मीडिया केंद्र की स्थापना के लिये कार्य शुरु करना तीसरी ति. - 1 सा.अ.प्र. (1 जाएगा और 1 संयुक्त कार्यकारी आयोग आएगा) चौथी ति. - सां.आ.प्र. (1 जाएगा और संयुक्त कार्यकारी आयोग बाहर जाएगा)	- वही -
		कुल	**16.2829**				

भारतीय प्रेस परिषद

(रुपये करोड़ में)

क्र. सं.	योजना एवं कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य एवं परिणाम	परिव्यय 2008-09		मात्रात्मक/निष्पादन प्रतिफल	अनुमानित/परिणाम	प्रक्रिया समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक
1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i)	4(iii)				
			गैर-योजना बजट	कांप्लेमेंट्री अतिरिक्त बजट संसाधन				
1.	एक अर्द्ध-न्यायिक संस्था के रूप में कार्य करती है किसी तरह की योजना के संबद्ध नहीं है?	प्रेस की स्वतंत्रता को बनाये रखना और भारत में समाचार एजेंसियों के स्तर को सुधारना और उसे कायम रखना।	2.63	परिषद प्रेस परिषद अधिनियम 1978 की धारा 16 के अंतर्गत रजिस्टर्ड समाचार पत्रों/पत्रिकाओं और समाचार एजेंसियों की फीस के रूप में धन अर्जित करती है। वर्ष 2008-9 में परिषद ने 0.45 रुपये एकत्र करने का लक्ष्य रखा है। जो कि परिषद फीस के रूप में और भारत सरकार से अनुदान के रूप प्राप्त में करेगा।	क्योंकि प्रेस परिषद एक अर्द्ध-न्यायिक संस्था के रूप में कार्य करती है और प्रेस की स्वतंत्रता और स्तर को नियंत्रित करती है। इसके परिणाम को मात्रा के रूप में नहीं देखा जा सकता।	क्योंकि प्रेस परिषद एक अर्द्ध-न्यायिक संस्था के रूप में कार्य करती है और प्रेस की स्वतंत्रता और स्तर को नियंत्रित करती है। इसके परिणाम को मात्रा के रूप में नहीं देखा जा सकता।	पषिद द्वारा की गई जांच और मामलों की जरूरतों को पूरा होने पर निर्भर करता है।	परिषद में आई के मामलों को निबटाने में कोई जोखिम शामिल नहीं है।

फोटो प्रभाग

गैर-योजना

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	व्यय 2008-09	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समय सीमा	टिप्पणी/ जोखिम घटक
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	प्रलेखन, प्रचार तथा अन्योन्य संदर्भ, फोटो द्वारा सरकारी विकास कार्यक्रमों का प्रसार	राजनीतिक, अर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तन का प्रचार तथा अभिलेख तैयार करना।	गैर-योजना 2.43 रुपये	नियमित फोटो प्रलेखन भावी पीढ़ियों के लिए परिवर्तन की दृश्य रिपोर्ट होगा। संभवत: ये अत्यधिक मूल्यान प्रलेख होंगे जिन्हें जब जरूरत होगी दुबारा प्रयोग किया जाएगा।	यह प्रलेखन अन्योन्य संदर्भ द्वारा देश के सही इतिहास को जानने में मदद करेगा।		

योजना

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	व्यय 2008-09	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समय सीमा	टिप्पणी/ जोखिम घटक
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	राष्ट्रीय फोटोग्राफी केन्द्र	मूल्य इकाई की पुन: डिजाइनिंग/आधुनिककरण, ई-वाणिज्य की शुरुआत, फोटो को वेबसाइट पर डालना।	0.51	प्रभाग की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए दूर-दराज के प्रयोक्ताओं/ उपभोगकर्ताओं को सुविधा उपलब्ध कराना। डिजिटल रूप में संग्रहित/उपलब्ध फोटोग्राफ के बेहतर संरक्षण द्वारा राष्ट्रीय महत्व की विभिन्न फोटोग्राफ से फोटो अभिलेखागार को समृद्ध करना।	प्रचार प्रदर्शनी आदि के लिए बेहतर फोटो उपलब्ध कराना, देश के किसी भी स्थान का व्यक्ति संदर्भ के लिए उपलब्ध फोटोग्राफ को प्राप्त कर सकता है।	एक वर्ष	

2.	पूर्वोत्तर, जम्मू और कश्मीर, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के लिए विशेष अभियान	पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू और कश्मीर, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह और लक्ष्यद्वीप के जीवन तथा पर्यावरण और निर्दिष्ट विकास परियोजनाओ की पहचान तथा संचयन	0.04	विकास गतिविधियों का फोटो प्रलेखन	इन क्षेत्रों का विशेष प्रलेखन इन क्षेत्रों में हो रहे तीव्र विकास तथा सरकार की चिंता से विश्व को अवगत कराएगा।	एक वर्ष	

प्रकाशन विभाग

गैर योजना

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2008-09		मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक (वार्षिक आधार पर)
1	2	3	4		5	6	7	8
			4 (I)	4 (II)				
			गैर-नियोजित बजट	पूरक अतिरिक्त बजट संसाधन				
1.	–	पत्रिकाएं और किताबें प्रकाशित करना	14.05	–	20 पत्रिकाएं और 120 पुस्तकें प्रकाशित करना।	विभाग का उद्देश्य इन लक्ष्यों को प्राप्त करना है- (i) राष्ट्रीय महत्व की उन पुस्तकों और पत्रिकाओं को प्रकाशित करना, जो आमतौर पर दूसरे प्रकाशक प्रकाशित नहीं करते। साथ ही इन्हें जनता तक वाजिब मूल्यों में पहुंचाना भी विभाग का लक्ष्य है। (ii) विविधता में एकता की अवधारणा और भावना, सांप्रदायिक सौहार्द और राष्ट्रीय अखंडता को मजबूत करना।	वार्षिक आधार पर	

योजना

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2008-09		मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक
1	2	3	4		5	6	7	8
			4 (I)	4 (II)				
			योजना बजट	पूरक अतिरिक्त बजट संसाधन				
1.	प्रकाशन विभाग का आधुनिकीकरण	–	42.90	–	–	–	–	–
2.	योजना और कुरुक्षेत्र के पुराने अंकों को डिजीटलाइज करना	लेखों और लिखित सामग्रियों को कंप्यूटर पर टाइप कराना ताकि उन्हें मूल्यवान संदर्भों के तौर पर सुरक्षित रखा जा सके।	10.50	–	योजना के तमिल और तेलुगु भाषा में प्रकाशित अंकों को डिजिटाइजड रूप में उपलब्ध कराना।	ऑटोमेशन से सारी प्रक्रिया पारदर्शी होगी और लेखों को सुरक्षित रखा जा सकेगा।	वार्षिक आधार पर	
3.	योजना की वेब-साइट्स तैयार करना	ब्रांड और विस्तृत सामग्री देकर पाठकों के दायरे में विस्तार। लेखकों और पाठकों के दायरे को बढ़ाना है।	0.04	–	वांछित भाषा में लेख सामग्री का अनुवाद।	इस योजना के तहत सिर्फ एक क्लिक से सारी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी।	वार्षिक आधार पर	
4.	योजना दफ्तरों का कंप्यूटरीकरण और आधुनिकीकरण	योजना दफ्तरों का कंप्यूटरीकरण और आधुनिकीकरण	12.00	–	योजना की 6 इकाइयों में 2 कंप्यूटर प्रति इकाई लगने हैं, यूपीएस प्रिंटर्स और स्कैनर्स समेत इनकी खरीद होगी साथ ही इनमें आधुनिक फर्नीचर लगेंगे। दो-दो एयरकंडीशनर सभी 6 इकाइयों में लगेंगे।	योजना लागू होने से कार्य संस्कृति सुधरेगी और अच्छी सेवाएं दी जा सकेंगी।	योजना 11वीं पंच वर्षीय योजना के दूसरे साल पूरी हो जाएगी।	

योजना

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2008-09		मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक
1	2	3	4		5	6	7	8
			4 (I)	4 (II)				
			योजना बजट	पूरक अतिरिक्त बजट संसाधन				
5.	व्यापार दफ्तरों और बिक्री केंद्रों का आधुनिकीकरण	दो बिक्री केंद्रों का आधुनिकीकरण और उन्हें मोबाइल बुक/वैन देना।	20.00		बिक्री केंद्रों का आधुनिकीकरण और हर साल एक मोबाइल वैन की खरीद	बिक्री केंद्रों का पूरी तरह से ऑटोमेशन होगा ताकि इवेंटरी मैनेजमेंट सुचारू हो	वार्षिक आधार पर	
		कुल	42.90					

रोज़गार समाचार

अनुलग्नक-II (योजना)

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2008-09		मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक
1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i)	4(ii)				
			यौजना बजट	पूरक अतिरिक्त बजट संसाधन				
1.	रोजगार समाचार का आधुनिकीकरण	अनुलग्नक	0.06	–	(क) अनुभागों का पुनरुद्धार (ख) 1 कम्प्यूटर एवं प्रिंटर की खरीद (ग) साफ्टवेयर का अधिग्रहण (घ) स्टाफ का प्रशिक्षण (5 कर्मचारी) (ङ) 1 एसी की खरीद (च) दो आकस्मिक डाटा एंटरी आपरेटरों की सेवाएं	(क) रोकड़ तथा प्रसार अनुभागों का पुनरुद्धार (ख) रोकड़ और प्रसार अनुभागों में कम्प्यूटर तथा सॉफ्टवेयर की आधुनिकतम तकनीक का प्रावधान (ग) साफ्टवेयर के परिचालन के लिये प्रशिक्षण	8-12 महीने	पुनरुद्धार/ अधिग्रहण का कार्य चालू काम को बिना बाधा पहुंचाए किया जाएगा तथा सुनिश्चित किया जाएगा कि यह पूर्णतया स्वचालित कार्य माहौल में तब्दील हो जाए।

रोजगार समाचार का आधुनिकीकरण

निरन्तर आधुनिकीकरण, नूतन पहलें तथा उन्नयन रोजगार समाचार के विकास की धुरी है। यह प्रक्रिया प्रकाशन, मुद्रण, डिजाइनिंग, प्रेषण, विज्ञापन को जारी करने तथा लेखा एवं वितरण व प्रसार प्रक्रियाओं आदि के सभी पहलुओं के लिए अपेक्षित है। इसके लिए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, उपकरणों, मशीनरियों, सभी प्रकार की संचार सुविधाओं तथा कार्यालय मूलभूत ढांचा आदि पर खर्च होगा। इसलिए, ऐसा प्रस्ताव है कि सभी अनुभागों की दीवारों पर टाइलें, कम्प्यूटरों के लिए वर्क स्टेशन, फाइलों के भंडारण आदि के लिए अलमारियां आदि लगाकर पुनरुद्धार किया जाये।

अनुलग्नक-II (गैर-योजना)

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2008-09		मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक
1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i)	4(ii)				
			गैर-योजना बजट	कॉम्प्लीमेंटरी अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
1.	एम्पलायमेंट न्यूज/रोजगार समाचार	एम्पलायमेंट न्यूज/ रोजगार समाचार का प्रकाशन	28.19	-	अंग्रेजी, हिन्दी तथा उर्दू में एम्पलायमेंट न्यूज/ रोजगार समाचार के 52 साप्ताहिक अंक निकालना	एम्पलायमेंट न्यूज प्रकाशित करके यह एकक निम्नलिखित लक्ष्य प्राप्ति का उद्देश्य रखता है। (i) केंद्र तथा राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों में नौकरियां, यूपीएससी, एसएससी, राष्ट्रीयकृत बैंकों, रेलवे भर्ती बोर्ड तथा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों के परिणामों तथा प्रवेश अधिसूचनाओं/परीक्षा	-	

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2008-09		मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम समयबद्धता	प्रक्रियाएं/ जोखिम	टिप्पणी/ संबंधी घटक
1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i)	4(ii)				
			गैर-योजना बजट	कॉम्प्लीमेंटरी अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
						अधिसूचनाओं की जानकारी देना। (ii) स्व-उद्यमिता तथा विभिन्न उभरते क्षेत्रों तथा परम्परागत क्षेत्रों में कैरियर पर लेखों की शृंखला निकालकर रोजगार के आयामों की जानकारी लोगों को देना। (iii) एम्पलायमेंट न्यूज की वेबसाइट के जरिए सरकारी क्षेत्र में नौकरी रिक्तताओं की जानकारी उपलब्ध की जा रही है। :- वेबसाइट के जरिए आधुनिकतम मूल्य-संबंधित सेवाएं जैसे ऑनलाइन कैरियर काउंसलिंग तथा पाठकों को सीधे ई-मेल पर जानकारी उपलब्ध कराना आदि प्रदान की जा रही हैं।		

भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक (आरएनआई)

गैर-योजना

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2008-09		मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक
			गैर योजना बजट	कंप्लीमेंटरी अतिरिक्त बजट संसाधन				
1	2	3	4		5	6	7	8
1.	-	कार्यालय के विभिन्न कार्यों को पूरा करना जैसे, शीर्षक जारी करना, पंजीयक प्रमाणपत्र जारी करना, अखबारी कागज के आयात के लिए पावता प्रमाणपत्र जारी करना, रियायती शुल्क पर प्रिंटिंग मशीनरी के आयात के लिए अनिवार्यता प्रमाण पत्र जारी करना, प्रिंट मीडिया के विकास पर वार्षिक रिपोर्ट 'प्रेस इन इंडिया' का प्रकाशन इत्यादि।	2.34	शून्य	शीर्षक सत्यापन-22,000 पंजीकरण मामले-3,000 समाचार पत्र प्रमाणपत्र-कोई नहीं अखबारी कागज के आयात के लिए प्रकाशकों को पावता प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे* प्रिंटिंग मशीन के आयात के लिए प्रकाशनों को अनिवार्यता प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे* प्रसार के दावों की समीक्षा* प्रकाशकों से प्राप्त आवेदन पत्रों/प्रार्थनाओं पर आधारित	इन गतिविधियों से पीआरबी अधिनियम 1867 में निर्धारित प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा। इसके अतिरिक्त मीडिया परिदृश्य के प्रभाव का आकलन किया जा सकता है। प्रसार दावों की समीक्षा के बाद आरएनआई द्वारा जारी प्रमाण-पत्रों के आधार पर इन प्रकाशनों को डीएवीपी द्वारा सरकारी विज्ञापन जारी किए जाएंगे। इससे प्रिंट मीडिया द्वारा सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों का प्रचार करने में मदद मिलेगी।	ये मामले निर्धारित समय-सीमा के अनुसार निपटा लिए जाएंगे।	

योजना

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2008-09		मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक
			योजना बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
1.	आरएनआई को मजबूत करना	समाचार-पत्रों को तत्काल, कुशल एवं पारदर्शी सेवा प्रदान करने तथा पीआरबी अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के मद्देनजर 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007-12 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में गुवाहाटी तथा केन्द्रीय क्षेत्र में भोपाल में दो नये क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाने हैं	0.20	–	गुवाहाटी तथा भोपाल में आरएनआई के क्षेत्रीय कायालिय स्थापित किए जायेंगे तथा चालू किए जायेंगे।	अन्तिम उपभोक्ता यानी जनता, जो आरएनआई के साथ सम्बन्धित हैं, को बहुत फायदा होगा चूंकि वे शीर्षक सत्यापन एवं शीर्षकों के पंजीकरण, प्रसार दावों आदि के सत्यापन से सम्बंधित सभी मामलों के लिए आरएनआई के नई दिल्ली स्थित कार्यालय में आये बिना क्षेत्रीय कार्यालयों से संपर्क कर सकते हैं।	कार्यालय 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चालू किए जायेंगे।	

गवेषणा, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2008-09			मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक
1	2	3		4		5	6	7	8
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
			गैर-योजना बजट	योजना बजट	मानार्थ अतिरिक्त बजट संसाधन				
1.	**गैर-योजना** अ) मास मीडिया के विविध पहलुओं से सम्बंधित प्रलेखन सेवाओं को प्रदर्शित करना	मास मीडिया में इसकी पत्रिका सेवाओं के माध्यम से इसकी घटनाओं और प्रवृत्तियों की सूचना एकत्रित, व्याख्यायित और प्रचार-प्रसारित करना	बजट में अलग-अलग से प्रावधान नहीं। व्यय सामान्य तौर पर कार्यालय खर्चे से पूरा किया जाता है (0.28 रुपये)	-	-	इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2008-09 के दौरान प्रभाग का लक्ष्य 56 प्रलेखन सेवाओं को लाने का है। (विस्तृत जानकारी अध्याय-1 में दी गई है)	सभी वास्तविक प्रतिफल कॉलम 5 में दिए गए हैं।	सम्यावधि के अनुसार	कोई विशेष जोखिम नहीं है।
	ब) भारत में मास मीडिया का संकलन और संपादन—एक वार्षिक प्रकाशन	मास मीडिया पत्रकारिता से संबंधित मीडिया कर्ताओं, मीडिया नीति-निर्धारकों,	- वही -	-	-	भारत में मास मीडिया-2009 एक वार्षिक प्रकाशन निकालना	जैसा वही 5 में है	- वही -	- वही -

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2008-09			मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक
1	2	3		4		5	6	7	8
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
			गैर-योजना बजट	योजना बजट	मानार्थ अतिरिक्त बजट संसाधन				
		शेष---- अध्यापकों और छात्रों को सूचना का बहुमूल्य स्रोत प्रदान करता है							
	स) इंडिया एक वार्षिक संदर्भ का संकलन और संपादन	देश के विविध पहलुओं इसके भौगोलिक और जन सांख्यिकीय आकारों, राज्य व्यवस्था, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पक्षों को सूचना का बहुमूल्य स्रोत प्रदान करता है।	- वही -	-	-	इंडिया — एक वार्षिक संदर्भ - 2009 को निकालना	- वही -	- वही -	- वही -

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2008-09			मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक
1	2	3		4		5	6	7	8
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
			गैर-योजना बजट	योजना बजट	मानार्थ अतिरिक्त बजट संसाधन				
	द) घटनाक्रमों की डायरी एक पाक्षिक सेवा तैयार करना	मंत्रालय और इसकी मीडिया इकाइयों को राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय दैनिक महत्वपूर्ण विकासों के बराबर रखना।	- वही -	-	-	इस योजना के अन्तर्गत कार्यालय ने 24 पाक्षिक 'डायरी ऑफ इवेंट्स' निकालने का लक्ष्य रखा है।	कॉलम 5 में दिए गए सभी वास्तविक प्रतिफल	- वही -	- वही -
			-	-	शून्य		कॉलम 5 में दिए गए सभी वास्तविक प्रतिफल	कार्यक्रम के अनुसार	

योजना

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2008-09			मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक
1	2	3		4		5	6	7	8
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
			गैर-योजना बजट	योजना बजट	मानार्थ अतिरिक्त बजट संसाधन				
1.	गवेषणा इकाई मास मीडिया में अनुसंधान	किसी विशेष मीडिया संबंधी मुद्दे पर शोध किया जाएगा और जनता की राय ली जाएगी। ताकि नई नीति बनाई जा सके, जिसे सूचना एवं प्रसारण अपने मीडिया यूनिटों के माध्यम से राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर लागू कर सके।	-	0.17	-	11वीं पंचवर्षीय योजना की यह योजना वर्ष 2008-09 में दूसरे वर्ष में प्रवेश कर रही है। इस वर्ष इस योजना के तहत राष्ट्रीय क्षेत्रीय और स्थानीय विषय/ शीर्षक पर 20 शोध पत्र निकाले जाएंगे।	सभी वास्तविक प्रतिफल कॉलम पांच में दिये गये हैं।	यह नयी योजना है। बहुत कुछ बाहरी संस्थानों, छात्रों और विशिष्ट व्यक्तियों पर निर्भर करेगा। इससे गहन निगरानी की आवश्यकता है।	- वहीं -
2.	अ-संदर्भ यूनिट-लाइब्रेरी का आधुनिकीकरण	इस योजना के तहत प्रस्तावित राष्ट्रीय मीडिया लाइब्रेरी केंद्रीय मीडिया संदर्भ लाइब्रेरी कार्य करेगी। इस लाइब्रेरी का उपयोग सूचना प्रसारण मंत्रालय, और उसकी मीडिया यूनिटों के अलावा पत्रकार, शोधकर्ता और विशिष्ट व्यक्ति भी कर सकेंगे। इस लाइब्रेरी को देश-	-	0.09	-	वर्ष 2008-09 में इस प्रभाग ने 50 बुकरैक, एक हजार किताबें/ई-बुक आवर्ती पत्रिकाएं और सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों के लिए एएमसी खरीदने की कार्य योजना बनायी है।	सभी वास्तविक प्रतिफल कॉलम 5 में दर्शाये गये हैं।	- वही -	- वही -

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2008-09			मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक
1	2	3		4		5	6	7	8
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
			गैर-योजना बजट	योजना बजट	मानार्थ अतिरिक्त बजट संसाधन				
2.	ब-संदर्भ यूनिट राष्ट्रीय मीडिया पुरस्कार	विदेश की महत्वपूर्ण लाइब्रेरियों से जोड़ा जाएगा और 11वीं योजना के चौथे और पांचवें वर्ष में इस लाइब्रेरी को यतार्थ लाइब्रेरी में तब्दील कर दिया जाएगा। • मीडिया को सामाजिक प्रतिबद्धता स्मरण कराने के लिए • जनता की भलाई के लिए मीडिया की शक्ति का उपयोग करना • सामाजिक कल्याण के प्रति सरकार की जिम्मेदारी निभाने हेतु सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढावा देने में मीडिया की		0.74		इस योजना के तहत प्रभाग ने सर्वोच्च समिति के सुझाव पर 28 राष्ट्रीय मीडिया पुरस्कार प्रतिवर्ष गठित करने का प्रस्ताव किया है। दो व्यक्तिगत श्रेणी के पुरस्कार होंगे। लाइफटाइट एचीवमेंट पुरस्कार एक प्रिंट और एक इलैक्ट्रोनिक मीडिया के लिए होगा। पुरस्कार की राशि पांच लाख रुपये होगी। दो-दो लाख रुपये के दो पुरस्कार 'वर्ष का उदयीमान पत्रकार' के तौर पर एक इलेक्ट्रोनिक मीडिया	- वही -	- वही -	

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2008-09			मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक
1	2	3		4		5	6	7	8
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
			गैर-योजना बजट	योजना बजट	मानार्थ कंप्लीमेंटरी अतिरिक्त बजट संसाधन				
		मदद लेना। • उत्कृष्ट पत्रकारिता को बढावा देने के लिए प्रतिस्पर्धा कराना। • राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर आम सहमति बनाने के लिए कार्य करना। • निजी मीडिया को प्रभावशाली भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करना और सार्वजनिक प्रसारण में से समय स्लॉट देकर उन्हें भागीदार बनाना।				और एक प्रिंट मीडिया को दिया जाएगा। 22 पुरस्कार सर्वोत्तम पत्रकार के रूप में दिये जाएंगे। इनमें प्रिंट व इलेक्ट्रोनिक पत्रकारों की संख्या बराबर होगी। बजट घटा दिया गया है। मंत्रालय से विस्तृत जानकारी आने की प्रतीक्षा की जा रही है।			

गीत एवं नाटक प्रभाग

योजना

(रुपये करोड़ में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य का परिणाम	वर्ष 2008-09 का परिव्यय			मात्रात्मक / प्रत्यक्ष	अनुमानित परिणाम से वांछित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम तत्व
1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
			गैर-योजना बजट	योजनागत बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
1.	ग्रामीण भारत के लिए जीवंत कला एवं संस्कृति	प्रचार कार्यक्रम	–	4.00	–	5242 कार्यक्रम	5242 कार्यक्रम	2008-09	
	घटकवार विवरण :								
	अ. पर्वतीय/जनजातीय/रेगिस्तानी /संवेदनशील/सीमावर्ती क्षेत्रों में आईसीटी गतिविधियां के तहत प्रचार एवं प्रभाव मूल्यांकन	– वही –	–	2.16	–	3520	3520	2008-09	
	ब. 76 चिन्हित जिलों में गतिविधियां	– वही –	–	0.38	–	760	760	2008-09	
	स. न्यूनतम साझा कार्यक्रम का प्रचार	– वही –	–	0.32	–	480	480	2008-09	
	द. जम्मू-कश्मीर व पूर्वोत्तर में विशेष गतिविधियां	– वहीं –	–	0.40	–	440	440	200809	
	ध. राष्ट्रीय/सामाजिक मुद्दों पर मंच कार्यक्रम		–	0.51	–	42	42	2008-09	
	च. गीत एवं नाटक प्रभाग का आधुनिकीकरण		–	0.04	–	–	–	2008-09	
	छ. अनुसंधान/विकास एवं प्रशिक्षण			0.15				2008-09	
	ज. आईआईएमसी द्वारा प्रभाव मूल्यांकन			0.04				2008-09	

योजना

(रुपये करोड़ में)

क्र. सं.	स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य का परिणाम	परिव्यय 2008-09		मात्रात्मक/प्रत्यक्ष	वांछित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम तत्व
1	2	3		4	5	6	7	8
			4 (i) गैर-योजना मानार्थ बजट	4 (iii) अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
1.	पीएसएस	विभागीय/निजी/ सूचीबद्ध कलाकारों द्वारा कार्यक्रम	3.05	-	6010 कार्यक्रम	6010 कार्यक्रम	2008-09	
2.	आपूर्ति एवं सामग्री		0.30	-	450 मंचन	450 मंचन	2008-09	

उक्त तालिका का स्तंभ-2

वांछित परिणाम

1. अ. 46800 कार्य दिवस रोजगार उपलब्ध कराये जाएंगे।

   ब. 23,40,000 लोगों तक संदेश/सूचना पहुंचेगी।

2. अ. 8000 कार्य दिवस रोजगार उपलब्ध कराये जाएंगे।

   ब. 4,00,000 लोगों तक संदेश/सूचना पहुंचेगी।

3. अ. 6800 कार्य दिवस रोजगार उपलब्ध कराये जाएंगे।

ब. 3,40,000 लोगों तक संदेश/सूचना पहुंचेगी।

4. अ. 8600 कार्य दिवस रोजगार उपलब्ध कराये जाएंगे।

ब. 4,30,000 लोगों तक संदेश/सूचना पहुंचेगी।

5. अ. 10,000 कार्य दिवस रोजगार उपलब्ध कराये जाएंगे।

ब. 2,00,000 लोगों तक संदेश/सूचना पहुंचेगी।

6. कार्यक्रमों की गुणवत्ता में कई गुणा सुधार होगा।

7. कार्यक्रमों की गुणवत्ता में कई गुणा सुधार होगा।

8. कार्यक्रमों की गुणवत्ता में कई गुणा सुधार होगा।

वार्षिक योजना 2008-09
योजना कार्यक्रमों का विवरण

नये कार्यक्रम

ग्रामीण भारत के लिए जीवंत कला और संस्कृति (आई सी टी स्कीम का पुनर्गठन)

(i) पर्वतीय, जनजातीय, रेगिस्तानी, संवेदनशील और सीमावर्ती इलाकों में आई सी टी गतिविधियां एवं उनका मूल्यांकन

यह प्रभाग संवेदनशील और जम्मू कश्मीर, पंजाब एवं पूर्वोत्तर जैसे विशेष इलाकों में विशेष प्रचार करता है ताकि सीमापार से होने वाले दुष्प्रचार का मुकाबला किया जा सके, यहां के लोगों को राष्ट्रीय मुख्य धारा में लाया जा सके, और विभागीय मंडलियों, निजी टोलियों और सूचीबद्ध किए हुए कलाकारों तथा किराये के वाहनों की सहायता से विशेष सेवा ब्यूरो, सीमा सुरक्षा बल और रक्षा एजेन्सियों के निकट सहयोग से इन इलाकों में विशेष प्रचार अभियान चलाए जा सकें।

यह प्रभाग पर्वतीय, जनजातीय और रेगिस्तानी इलाकों में दूर-दराज में रहने वाले लोगों में उनके कल्याण के लिए शुरू की गई विकास गतिविधियों के बारे में जागरूकता पैदा करता है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य दूर-दराज के निवासियों को देश के साथ जोड़ना और विकास गतिविधियों में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देना है। स्थानीय कलाकारों को मिलाकर मंडलियां बनाई जाती हैं जो स्थानीय बोली और मुहावरों तथा कलारूपों का इस्तेमाल करते हुए स्थानीय जनता के लिए कार्यक्रम पेश करती हैं।

इस प्रभाग ने 3520 कार्यक्रम पेश करने का प्रस्ताव किया है। इनमें वर्ष 2008-09 के दौरान किए गए रु. 216 करोड़ के बजट आबंटन के जरिए क्षेत्र विशेष के लिए उपयुक्त कार्यक्रम दिखाने की व्यवस्था है। उक्त राशि में मॉनिटरिंग, आने-जाने, सम्पर्क साधने, मूल्यांकन तथा मुख्यालय और देश के विभिन्न भागों में सभी जरूरी इंतजाम करने का खर्च शामिल है।

(ii) राष्ट्रीय/सामाजिक विषयों पर मंच कार्यक्रम का प्रस्तुतीकरण

गीत और नाटक प्रभाग के ध्वनि और प्रकाश कार्यक्रम ऐसी सचल व्यवस्था है जिसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। इस कार्यक्रम में 25 से 30 घटक होते हैं जो नाटक प्रस्तुतीकरण के विशेष विषयों से संबंधित होते हैं। किराये के वाहनों की भी मदद ली जाती है। इस माध्यम का इस्तेमाल आम जनता को और खास तौर से युवा वर्ग को देश की सांस्कृतिक विरासत की जानकारी देने और महापुरुषों के विचार और शिक्षाओं से अवगत कराने तथा प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी बड़े प्रभावी ढंग से देने में किया जाता है। इस गतिविधि की खास बात यह है कि इसमें 100 से लेकर 120 तक स्थानीय कलाकारों और तकनीशियनों को शामिल किया जाता है। प्रभाग का प्रस्ताव है कि दिल्ली और बंगलौर की यूनिटों के माध्यम से ध्वनि और प्रकाश का इस्तेमाल करते हुए 2008-09 के दौरान 42 कार्यक्रम तैयार किए जाएं। इसके लिए 0.51 करोड़ रुपये का वित्तीय आबंटन है।

(iii) गीत एवं नाटक प्रभाग का आधुनिकीकरण

इस प्रभाग ने अपने बंगलौर और दिल्ली के ध्वनि एवं प्रकाश एकांशों को दसवीं योजना के दौरान एक उचित समय सीमा के अंदर पूरी तरह कम्प्यूटरीकृत करने का प्रस्ताव किया था। इसी तरह से 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो नये केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है, उन्हें भी मौजूदा फील्ड यूनिटों की तरह आधुनिक और नए से नए तकनीकी उपकरणों से लैस करने का प्रस्ताव है। प्रभाग ने ऐसे उपकरणों/टेक्नालाजी की खरीद पर 0.04 करोड़ रुपये के खर्च का प्रस्ताव किया है।

(iv) चिह्नित 76 जिलों में गतिविधियां

योजना आयोग ने निह्नित 76 ज़िलों में कवरेज जारी रखने के लिए 2760 जीवंत कार्यक्रम आयोजित करने के लिए 0.38 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये हैं, कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय एकता, सांप्रदायिक सद्भाव, आतंकवाद की खिलाफत तथा देशभक्ति होगा।

(v) न्यूनतम साझा कार्यक्रम के प्रचार पर

इस योजनागत योजना के अंतर्गत प्रभाग वर्ष 2008-09 के दौरान न्यूनतम साझा कार्यक्रम के प्रचार पर 480 कार्यक्रम प्रस्तुत करेगा। प्रभाग ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य परिवार कल्याण, शिक्षा ग्रामीण विकास और रोजगार पर फोकस करने का प्रस्ताव किया है। इसके तहत 0.32 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

(vi) जम्मू कश्मीर व पूर्वोत्तर क्षेत्रों में विशेष गतिविधियां

प्रभाग ने इस मद में वर्ष 2008-09 के दौरान 0.40 करोड़ रुपये के आबंटन के साथ कुल 440 कार्यक्रम आयोजित करने का प्रस्ताव किया है। यह पैकेज सरकार के निर्देश के अनुसार पूर्वोत्तर के सामान्य बजटीय आबंटन से अधिक है।

एफ. एम. रेडियो (निजी)

मैसर्स ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कन्सल्टेंट्स इंडिया लि. (बेसिल) इस मंत्रालय की ओर से छह शहरों में एफ.एम. टावरों की स्थापना के लिए 'निजी एफ.एम. रेडियो' नामक परियोजना कार्यान्वित कर रहा है। परियोजना के लिए कोष की व्यवस्था मंत्रालय करता है। 'निजी एफ.एम. रेडियो' परियोजना का परिणाम बजट (2008-09) संलग्नक के रूप में प्रस्तुत है।

छह शहरों में 6 ट्रांसमीटर, टावर लगाने के लिए 'निजी एफ.एम. रेडियो' परियोजना मैसर्स बसिल को सौंपी गई है। 13.1124 करोड़ रुपये के संशोधित प्रावधान में से 8.63 करोड़ रुपये की राशि मार्च, 2007 तक जारी कर दी गई थी। इस कार्य में स्थल तैयारी, टावर लगाने के लिए आंरभिक कार्य, ट्रांसमीशन एंटीना लगाना, आदि शामिल हैं। परियोजना की प्रगति की समीक्षा इस मंत्रालय द्वारा मासिक, त्रैमासिक, छमाही और वार्षिक आधार पर की जाती है।

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मानिटरिंग सेंटर

योजना/गैर-योजना

(रुपये करोड़ में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	उद्देश्य का परिणाम	वर्ष 2007-08 का परिव्यय			मापनयोग देय/ भौतिक उत्पादन	अनुमानित उपलब्धियां	प्रक्रियाएं/ समयसीमा	टिप्पणी/ जोखिम घटक
1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
			गैर-योजना बजट	योजनागत बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
1	इलेक्ट्रानिक मीडिया मानिटरिंग सेंटर की स्थापना	निजी तथा विदेशी टी.वी. चैनलों पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रमों की निगरानी ताकि केबल टेलिविजन नेटवर्क (नियमन) कानून 1995 के प्रावधानों तथा इससे संबंधित नियमों के पालन को सुनिश्चित किया जा सके।	रुपये 3.00	रुपये 7.500	शून्य	मानिटरिंग परियोजना होने के कारण परिणाम को मापना संभव नहीं है। लेकिन इस कार्यक्रम को चालू करना और सुचारू कार्य को सुनिश्चित करना एक भौतिक उपलब्धि होगी।	यह सुविधा सरकार को केबल टेलिविजन नेटवर्क (नियमन) कानून 1995 के तहत निर्धारित प्रचार एवं कार्यक्रम कोड के उल्लंधन की निगरानी रखने में मदद करेगी	वित्तीय साधनों की उपलब्धता होने पर यह प्रोजेक्ट 2008-09 की प्रथम तिमाही में चालू किया जाएगा।	कुछ अपरिहार्य कारणों से पूर्व निर्धारित समयसूची के अनुसार यह प्रोजेक्ट लागू नहीं किया जा सका। इन कारणों में सी पी डब्ल्यू डी द्वारा पुष्पा भवन की छत पर एंटिना लगाने की अनुमति नहीं मिलना शामिल है हालांकि यह स्थान आबंटित किया गया था।

योजना/गैर-योजना

(रुपये करोड़ में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	उद्देश्य का परिणाम	वर्ष 2008-09 का परिव्यय		मापनयोग देय/ भौतिक उत्पादन	अनुमानित उपलब्धियां	प्रक्रियाएं/ समयसीमा	टिप्पणी/ जोखिम घटक
1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i)	4(ii)				
			योजना बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
1.	इलेक्ट्रानिक मीडिया मानिटरिंग सेंटर की स्थापना	निजी तथा विदेशी टी.वी. चैनलों पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रमों की निगरानी ताकि केबल टेलिविजन नेटवर्क (नियमन) कानून 1995 के प्रावधानों तथा इससे संबंधित नियमों के पालन को सुनिश्चित किया जा सके।	रुपये 3.00	रुपये 7.500	मानिटरिंग परियोजना होने के कारण परिणाम को मापना संभव नहीं है। लेकिन इस कार्यक्रम को चालू करना और सुचारू कार्य को सुनिश्चित करना एक भौतिक उपलब्धि होगी।	यह सुविधा सरकार को केबल टेलिविजन नेटवर्क (नियमन) कानून 1995 के तहत निर्धारित प्रचार एवं कार्यक्रम कोड के उल्लंधन की निगरानी रखने में मदद करेगी	वित्तीय साधनों की उपलब्धता होने पर यह प्रोजेक्ट 2008-09 की प्रथम तिमाही में चालू किया जाएगा।	कुछ अपरिहार्य कारणों से पूर्व निर्धारित समयसूची के अनुसार यह प्रोजेक्ट लागू नहीं किया जा सका। इन कारणों में सी पी डब्ल्यू डी द्वारा पुष्पा भवन की छत पर एंटिना लगाने की अनुमति नहीं मिलना शामिल है हालांकि यह स्थान आबंटित किया गया था।

अंतर्राष्ट्रीय चैनल

(मुख्य सचिवालय योजना)

चूंकि योजना आरंभिक चरण है इसके लिए वर्ष 2008-09 के बजट में एक करोड़ रुपये प्रावधान किया गया है।

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2008-09			मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक
			गैर-योजना बजट	गैर-योजना बजट	कांम्पली-मेंटरी अतिरिक्त बजट संसाधन				
1	2	3		4		5	6	7	8
1.	अन्तर्राष्ट्रीय चैनल	प्रमुख उद्देश्य दुनियाभर में भारत की स्थिति को उसी प्रकार प्रस्तुत करता है, जैसा अलजज़ीरा बीबीसी, सीएनएन, सीसीटीवी, आदि पर किया जाता है।	-	1.00	-	इसके लिये डीडी इंडिया जिसे बहुत से देशों में देखा जाता है, पर प्रसारण के साथ-साथ वर्तमान डीडी न्यूज़ चैनल के जरिये अंतर्राष्ट्रीय समाचारों और कार्यक्रमों की शुरुआत करनी होगी।	संवेदनशील मसलों पर भारत की स्थिति और दृष्टिकोण को संभवत: अधिकतम देशों में यथाशीघ्र पहुंचाना।	प्रस्ताव प्रतिपादन के चरण में है।	

सामुदायिक रेडियो

सामुदायिक रेडियो के लिए आईईसी गतिविधियां

सूचना एंव प्रसारण मंत्रालय ने लोगों को जागरुक बनाने के लिये एक प्रस्ताव रखा है। इस उद्देश्य के लिये सामुदायिक रेडियो स्टेशन की स्थापना और उसे चलाने के लिये संवाद कौशल के विकास के लिये स्वयंसेवी संगठनों और नागरिकों को शिक्षित करने और उन्हें सूचना उपलब्ध कराने हेतु देशभर के अलग-अलग भागों में सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित करने का निर्णय लिया गया है।

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2008-09		मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक
1	2	3	4		5	6	7	8
			4 (I)	4 (II)				
			योजना बजट	पूरक अतिरिक्त बजट संसाधन				
1.	सामुदायिक रेडियो के लिये आईईसी गतिविधियां	सामुदायिक रेडियो प्रसारण के लिये स्वीकृति प्रदान करना	0.40 रुपये	–	मौजूदा सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के संचालन की क्षमता निर्माण और नीति के संबंध में गैर-सरकारी संगठनों। नागरिक समितियों के बीच जागरुकता जगाना।	शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पर्यावरण जागरुकता, समाज के सांस्कृतिक, सामाजिक सामन्जस्य के माध्यम से सामुदायिक विकास	देश के विभिन्न भागों में कार्यशालायें, सेमिनार और परामर्श बैठकों का आयोजन	–

सूचना भवन का निर्माण

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2008-09			मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक
1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
			गैर-योजना बजट	योजना बजट	कांप्लीमेंटरी अतिरिक्त बजट संसाधन				
1.	सूचना भवन चरण-V का निर्माण (नई योजना)	पाकेट 'सी' की पांचवीं मंजिल के ऊपर सात मंजिलों का निर्माण	शून्य	3.53	शून्य	45,500 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र का निर्माण	सूचना भवन के चरण V का निर्माण	सीसीडब्ल्यू: एआईआर द्वारा तैयार फ्लोचार्ट के अनुसार	यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि सभी प्रक्रियाएं समयसीमा के अनुसार चलें

आर्थिक विश्लेषण इकाई

योजना

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य/परिणाम	परिव्यय 2008-09 (योजना)		परिमाणनीय/ वितरण योग्य/ भौतिक नतीजे	अनुमानित परिणाम	प्रोसेस/ समयबद्धता	अभियुक्ति/ जोखिम घटक
1.	2	3	4		5	6	7	8
			4 (i) योजना बजट	4 (ii) पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
1.	विकास संबंधी पहल का आर्थिक विश्लेषण	-फिल्म, सूचना और प्रसारण क्षेत्र में प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) विकसित करना; -फिल्म, सूचना और प्रसारण क्षेत्र के बारे में नियामक और विकास नीतियों के प्रभाव का अध्ययन और मूल्यांकन	0.28		• एमआईएस विकास • अध्ययन आयोजित करना	i) इससे मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र-इसकी विकास में आने वाली रुकावटें, विकास में इसके योगदान के बारे में मौजूदा ज्ञान के आधार का विस्तार होगा। ii) इससे मंत्रालय के स्तर पर नीति निर्माण प्रक्रिया मजबूत करने में सहायता मिलेगी। iii) लोक क्षेत्र के लिए सूचना संप्रेषण		

मानव संसाधन विकास के लिये प्रशिक्षण

मुख्य सचिवालय योजना

परिणाम बजट 2008-09 के तालिकाओं का प्रपत्र

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2008-09	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक
1.	आईआईएस अधिकारियों के लिये विदेशों में स्थित संस्थानों में मानव संसाधन विकास के लिये प्रशिक्षण	1. मानव संसाधन विकास के अंतर्गत मंत्रालय के अधिकारियों को प्रशिक्षण देना ताकि उनकी योग्यता में इजाफा हो। 2. मंत्रालय के अधिकारियों को मीडिया/प्रशासन से संबंधित कई क्षेत्रों में विदेशी संस्थानों में प्रशिक्षण देना। 3. अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण और जरूरतों को समझने के लिये विदेशों में स्थित संस्थान जैसे बी.बी.सी., थॉमसन फाउंडेशन, यू.के. रेडियो नीदरलैंड, हावर्ड यूनिवर्सिटी में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना। आईआईएस अधिकारियों को विभिन्न मीडिया इकाइयों में भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिये उनके कैरियर के निरंतर विकास के लिये तैयार कार्यक्रमों का प्रशिक्षण।	0.19	(क) विभिन्न सेवाओं जैसे आईएएस, आईआरएस, आईआईएस, सीएसएस, आईईएस के अधिकारियों जो मंत्रालय में अवर सचिव/उपसचिव/निदेशक/ संयुक्त सचिव के स्तर पर कार्यरत है ऐसे 10-12 अधिकारियों को विदेशों में स्थित संस्थानों जैसे थामसन फाउंडेशन, कैनेडी स्कूल ऑप गवर्नमेंट हावर्ड युनीवर्सिटी, रेडियो नीदरलैंड, बी.बी.सी. में प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव। (ख) प्रत्येक वर्ष भारतीय सूचना सेवा के 120-140 अधिकारियों को प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव है। आईआईएस अधिकारियों को प्रशिक्षण देने का वास्तविक कार्यक्रम शीघ्र ही प्रस्तुत होगा।	सभी वास्तविक परिणाम कॉलम 5 में मौजूद है।	यह एक नई योजना है जो विदेशी संस्थानों अनुसंधान करने वाले विद्यार्थियों और महत्वपूर्ण व्यक्तियों पर निर्भर करती है।	कर्मचारियों की कमी जैसी सामान्य समस्याओं के अलावा कोई नहीं।

प्रसार भारती: आकाशवाणी

वार्षिक योजना (2008-09)

परिणाम बजट की उपलब्धियां/लक्ष्य

क्रमांक	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	व्यय 2008-09 (योजना)	विवरण योग्य परिणाम/ भौतिक परिणाम	वांछित परिणाम	प्रक्रिया/समयबद्धता तिमाही लक्ष्य	टिप्पणी जोखिम घटक
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
अ	**चालू योजनाएं**						
1.	जम्मू एवं कश्मीर के लिए पैकेज	जम्मू एवं कश्मीर में रेडियो कवरेज विस्तार	6.21	करगिल में हॉस्टल की मरम्मत और छूट लम्बित कार्यों को छोड़कर लगभग सभी कार्य पूर्ण	छमाही में हास्टल का मरम्मत कार्य पूरा होगा	हॉस्टल की मरम्मत कल्याण योजना	जम्मू-कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों में कवरेज सुधरेगी
			पूंजी 2.41				
			राजस्व 3.80				
2.	पूर्वोत्तर के लिए विशेष पैकेज		39.03	1) 19 नये एफएम स्टेशन-स्थान का अधिग्रहण और एफ एफएम ट्रांसमीटरों की खरीद के प्रस्ताव की प्रतीक्षा है।	19 नये एफएम स्टेशनों के लिए राज्य सरकारों ने भूमि सौंप दी गयी है। दो स्थानों का भुगतान कर दिया गया है। तीन स्थानों की लागत पूछी जा रही है। पांच अन्य स्थानों की पहचान कर ली गयी है। पहले तिमाही आदेश जारी करने की उम्मीद। दूसरी तिमाही में सिविल कार्य शुरू होने की उम्मीद।	यह सीमावर्ती क्षेत्र के साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र में कवरेज को मजबूत करेगा।	विशेष पैकेज का दूसरा चरण सरकार ने मई 06 के अंतिम सप्ताह में। आकाशवाणी के कवरेज व सुविधा को मजबूत करेगा।
		पूंजी	36.00				
		राजस्व	3.03	2) सिल्वर-5 किलोवॉट एफएम ट्रांसमीटर का सिविल कार्य पूरा करना, केडब्लू ट्रांसमीटर की स्थापना का आदेश नवंबर 2007 में जारी किया गया।	2)सिल्वर-5 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर की भेजने की उम्मीद तीसरी तिमाही में सिविल कार्य पूरा, स्थापना की कार्यवाही शुरू चौथी तिमाही में स्थापना का कार्य पूरा।	पहली तिमाही में कार्य शुरू	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
				3. गंगटोक-10 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर, सिविल कार्य, और खरीद का कार्य करना।	3. गंगटोक-10 किलोवाट एफएम पहले तिमाही में सिविल कार्य ट्रांसमीटर के खरीदना, चौथे तिमाही में सिविल कार्य पूरा ट्रांसमीटर प्राप्त करना, स्थापना का कार्य शुरू		
				4. चिंसुरा-1000 किलोवाट एमएडब्लू ट्रांसमीटर का सिविल कार्य, ट्रांसमीटर की खरीद और एरियर की मरम्मत का कार्य करना। ट्रांसमीटर की खरीद के प्रस्ताव की मंजूरी की प्रतीक्षा, आदेश जल्दी जारी करने की उम्मीद।	4. चिंसुरा-1000 किलोवाट एमएडब्लू ट्रांसमीटर का सिविल कार्य करने को देना, चौथी तिमाही में सिविल कार्य पूरा होने और ट्रांसमीटर की प्राप्ति।		
				5. डीएसएनजी/टर्मिनल उपकरणों की खरीद। खरीद प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।	5. 5 डीएसएनजी/टर्मिनल प्रथम तिमाही उपकरणों की खरीद का आदेश जारी करना, चौथी तिमाही में उपकरणों को प्राप्त करना और स्थापित करना।		
				6. सी बैंड 19 टर्मिनल-खरीद प्रस्ताव प्रक्रियाधीन,	6. सी बैंड 19 टर्मिनल-तीसरी तिमाही तक उपकरण प्राप्त करने की उम्मीद है।		
				7. स्टूडियो ट्रांसमीटर-एनआईटी बेडा से सिल्चर और गंगटोक के बीच में कार्यक्रम संपर्क बनाना।	7. स्टूडियो ट्रांसमीटर-सिल्चर और गंगटोक के बीच में कार्य क्रम संपर्क-प्रथम तिमाही में आर्डर दिया जाएगा और चौथी तिमाही में प्राप्त किये जाने की उम्मीद है।		
				8. 100 दूर-दराज के क्षेत्रों में 100 वाट एफएम	8. 100 वाट एफएम रिल केंद्रो की स्थापना। अनुमति तौर पर		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
				रिले केंद्रों की स्थापना। राज्य सरकार की मदद से स्थान और आवास की पहचान की जाएगी। और रिले केंद्रों की स्थापना। राज्य सरकार की मदद से स्थान और आवास की पहचान की जाएगी। और ट्रांसमीटर स्थापना के लिए आर्डर दिया जाएगा।	100 स्थानों को तय कर लिया गया है। राज्य सरकार से उचित स्थान देने और बिजली आपूर्ति के लिए संपर्क किया गया है। 100 स्थानों को तय कर लिया गया है। राज्य सरकार से उचित स्थान देने और बिजली आपूर्ति के लिए संपर्क किया गया है। पहली तिमाही में ट्रांसमीटरों की डिलीवरी होने की संभवना है और चौथे तिमाही में उनको स्थापित किये जाने की संभावना है।		
3.	एमडब्लू सेवाओं का विस्तार।	प्राथमिक कवरेज क्षेत्र को मजबूत करने के लिए ट्रांसमीटर का आधुनिकीकरण करना	0.08	डूंगरपुर के 1 किलोवाट एमडब्लू ट्रांसमीटर और कोटा के 20 किलोवाट एमडब्लू का भुगतान लम्बित है।	वर्ष 2007-08 के दौरान स्टेशनों को पहले ही चालू कर दिया गया है।		
4.	एफएम सेवाओं का विस्तार।	बेहतरीन गुणवत्ता के कारण लोकप्रिय हुए एफएम कवरेज का विस्तार	39.03	10 किलोवाट एफएम 36 ट्रांसमीटर, प्राप्ति एवं स्थापना करना, 10 किलोवाट एमडब्लू के 41 ट्रांसमीटर के खरीद प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। मार्च 2008 में आर्डर जारी करने की उम्मीद है।	10 किलोवाट एफएम 36 ट्रांसमीटर चौथे तिमाही में प्राप्त और स्थापित किये जाएंगे।	चालू योजना के लागू होने पर एफएम का कवरेज बढ़ने की उम्मीद है।	
5.	निर्माण सुविधाओं को डिजिटल बनाना	सामग्री की तकनीकी गुणवत्ता	1.30	1. डिजिटल कंसोल के टेंडर का तकनीकी मूल्यांकन किया जा रहा है।	1. डिजिटल कंसोल-पहली तिमाही में आर्डर जारी होगा। तीसरी तिमाही में कुछ कंसोल के मिलने की उम्मीद और चौथी तिमाही में बाकी बचे कंसोलों के प्राप्त होने की उम्मीद।	डिजिटल कंसोल, अपलिंकिंग, डाउनलिंकिंग उपकरणों से कार्यक्रमों की गुणवत्ता बढ़ेगी।	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
6.	स्टूडियो सुविधाओं और अन्य योजनाओं का स्वचलन		26.02	सिल्चर में केप्टिव अर्थ स्टेशन की स्थापना (एनआईटी बेड़ा)	1. सिल्चर में केप्टिव अर्थ स्टेशन की स्थापना। प्रथम तिमाही में आर्डर जारी होने की उम्मीद। तीसरी तिमाही में उपकरण मिलने और स्थापित किये जाने की उम्मीद।	कंप्यूटरयुक्त वर्क स्टेशनों से कार्यक्रम उत्पादन की गुणवत्ता सुधरती है।	
				2. उपकरणों की खरीद जैसे-1 व्यवसायिक ध्वनि कार्ड 564 हार्ड डिस्क कार्य करने के स्थान बनाना, खरीद आदेश जल्दी ही दिया जायेगा।	2. उपकरणों की खरीद 1 व्यवसायिक ध्वनि कार्ड 564 हार्ड डिस्क कार्य करने के स्थान बनाना, दूसरी तिमाही में कुछ उपकरण मिलने की उम्मीद, तीसरी तिमाही में बाकी उपकरण मिलने की उम्मीद।	पुराने ट्रांसमीटरों को नये अति आधुनिक ट्रांसमीटरों में तब्दील किया जा रहा है। जिनकी क्षमता अधिक है।	
				3. 225 सीडी प्लेयर एनआईटी ने जारी किये	3. 225 सीडी प्लेयर - पहली तिमाही में आर्डर दिया जायेगा। दूसरी तिमाही में प्राप्त करने की उम्मीद।		
				4. 225 हाथ के उपयोग वाले रिकार्डर, एनआईटी ने जारी किये	4. 255 हाथ के उपयोग वाले रिकार्डर, पहली तिमाही में आदेश जारी करने की उम्मीद और चौथे तिमाही में सामग्री मिलने की उम्मीद।		
				5.राजकोट 1000 किलोवाट एमडब्ल्यू ट्रांसमीटर टॉवर-सिविल कार्य पूरा करना, ट्रांसमीटर और वायुरोधी की खरीद करना, नये वायुरोधी खरीद के आर्डर जुलाई 2008 तक जारी हो जायेंगे। तीन वर्तमान एरीयल की मरम्मत के आदेश भी अक्टूबर 2008	5. राजकोट 1000 किलोवाट एमडब्ल्यू ट्रांसमीटर टॉवर-दूसरी तिमाही में ट्रांसमीटर प्राप्त होने के बाद तकनीकी क्षेत्र के सिविल कार्य में सुधार करना, नये एरियल लगाने का कार्य पूरा करना, तीसरी तिमाही में तीन वर्तमान एरियल की मरम्मत कार्य पूरा करना और चौथी तिमाही में ट्रांसमीटर मिलने		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
				में जारी होकर लिये जायेंगे। ट्रांसमीटर की खरीद के प्रस्ताव मंजूरी की प्रतीक्षा में हैं। जल्दी ही आर्डर जारी करने की उम्मीद है। 6. लेह और तवांग में स्थायी स्टूडियो की स्थापना। (सीमित काम करने लायक मौसम के लिये) तकनीकी क्षेत्र का सिविल कार्य संपन्न। 7. जयपुर में स्थायी स्टूडियो-उपकरणों को स्थापित करने का कार्य। भवन कार्य संपन्न होने के नजदीक। 8. आईएसडीएन कोडेक्टस के 66 सेट। खरीद प्रक्रियाधीन।	की उम्मीद। 6. लेह और तवांग में स्थायी स्टूडियो की स्थापना। (सीमित काम करने लायक मौसम के लिये) पहली तिमाही में कार्य शुरू करना और चौथी तिमाही में कार्य संपन्न। 7. जयपुर में स्थायी स्टूडियो-उपकरणों को स्थापित करने का कार्य। पहली तिमाही में कार्य शुरू और चौथी में संपन्न। 8. आईएसडीएन कोडेक्टस के 66 सेट। तीसरी तिमाही में उपकरण मिलने की संभावना।	डिजिटल उपकरण जैसे डिजिटल कंसोल, डिजिटल अपलिंकिंग/डाउनलिंकिंग कार्यक्रमों की गुणवत्ता बढ़ाता है।	
7.	मेट्रो में स्टाफ क्वार्टर बनाना	प्रसार भारती के स्टाफ के लिए मेट्रो में स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण करना।	6.51	दिल्ली - निर्माण कार्य प्रगति पर है। कोलकाता - उम्मीद है कि स्थानीय निकाय मार्च 2008 तक भवन योजना को मंजूरी दे देगा। चेन्नई व मुम्बई में भी यही स्थिति है।	दिल्ली पहली तिमाही में निर्माण कार्य पूरा होने की उम्मीद। कोलकता पहली तिमाही में टेंडर जारी करने की उम्मीद। चेन्नई और मुंबई में भी यही स्थिति रहेगी।	कल्याणकारी गतिविधियां	
बी. 1.	**नयी योजनाएं** जम्मू-कश्मीर विशेष पैकेज चरण-दो।	सुविधाओं को मजबूत करने के लिए इस योजना को सितंबर 2007 में मंजूरी मिली।		जम्मू-कश्मीर स्टेशन के लिए डीजी सेट और यूपीएस की खरीद को मंजूरी मिल चुकी है। टेंडरों	पहली तिमाही में टेंडर प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया है। तीसरी तिमाही में उपकरण मिलने शुरू हो जाएंगे और		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	ट्रांसमीटर स्टूडियो, संपर्क और डीटीएच को डिजिटल बनाना।	एसडब्लू, डीआरएम ट्रांसमीटर के राष्ट्रीय स्तर के कवरेज को डिजिटल मोड में करना, एफएम विस्तार, स्टूडियो को डिजिटल बनाना और संपर्क बढ़ाना।	63.88	को अंतिम रूप दिया जा चुका है। व्यय की मंजूरी की प्रतीक्षा है। 1. एसएफसी ने छह 10 किलोवाट एमडब्लू डीआरम ट्रांसमीटर को खरीदने की मंजूरी दे दी है। इनका उपयोग पुराने मोबाइल ट्रांसमीटर बदलने के लिए किया जाएगा। एनआईटी के लिए विशेषताओं का अंतिम रूप दिया जा रहा है। 2. 44 सी बैंड टर्मिनल।	चौथी तिमाही तक सभी उपकरण प्राप्त होंगे और उनका परीक्षण शुरू हो जाएगा। 1. पहली तिमाही में टेंडर खोले और तकनीकी मूल्यांकन के लिए खोले जाने की उम्मीद है। तीसरी तिमाही में आर्डर जारी किये जाने की उम्मीद है। 2. 44 बैंड टर्मिनल। पहली तिमाही में आर्डर जारी करने की उम्मीद है। चौथी तिमाही में उपकरण मिलने की उम्मीद है।		
3.	विदेशी सेवा को मजबूत करने के लिए उसे डिजिटल बनाना।	एसडब्लू का डिजिटलीकरण।	4.74	दिल्ली और अलीगढ़ के दो-दो 250 किलोवाट शार्टवेव को डीआरएम मोड में बदलने के लिए उपकरणों की खरीद।	इन विदेशी सेवा ट्रांसमीटरों को डीआरएम सेवाओं को टारगेट श्रोताओं के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।		
4.	ई-गर्वनेंस, प्रशिक्षण, सुरक्षा अतिरिक्त कार्यालय परिसर, स्टाफ क्वार्टर आदि	संरचना में सुधार।	1.30	एसएफसी/ईएफसी प्रस्ताव विचाराधीन हैं।	चौथी तिमाही में श्रीनगर में हॉस्टल आवास का निर्माण कार्य संपन्न होने की उम्मीद।		
5.	नयी तकनीक और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	सेटेलाइट और टेरेस्ट्रियल मोड में मल्टीमीडिया प्रसारण, वेबकास्टिंग और पोडकास्टिंग	1.96	-एसएफसी/ईएफसी प्रस्ताव विचाराधीन हैं।			
6.	साफ्टवेयर अधिग्रहण		14.94 करोड़।	एसएफसी/ईएफसी प्रस्ताव विचाराधीन हैं।			
सी.	कुल आकाशवाणी		195.00				

अध्याय-3

(सुधार उपाय तथा नीतिगत पहलें)

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

जहां तक पारदर्शिता का संबंध है, सांगठनिक ढांचा, फिल्म प्रमाणन दिशा निर्देश, प्रवर्तन विवरणों, प्रमाणन प्रक्रिया संबंधी सभी सूचना वेबसाइट पर डाली गई है। आरटीआई एक्ट 2005 के अंतर्गत पीआईओ/एपीआईओ और सभी कर्मचारियों की सूचना वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है। नागरिक घोषणा पत्र, पूछताछ, शिकायतें तथा जन विचारों को वेबसाइट पर डाला गया है ताकि सीबीएफसी की फिल्म प्रमाणन प्रक्रिया संबंधी अथवा किसी भी व्यक्तिगत शिकायतों पर आम जनता प्रश्न पूछ सके।

बाल फिल्म समिति, भारत

(सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत स्वायत्तशासी निकाय)

समिति के अध्यक्ष ने फिल्म परिसर में महाराष्ट्र सरकार द्वारा कम से कम पांच एकड़ भूमि आबंटित करने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से अनुरोध किया। समिति का उद्देश्य यहां एक राष्ट्रीय महत्व के आधुनिक बाल फिल्म परिसर का निर्माण करना है, जिसमें फिल्म निर्माण के सभी पहलुओं सहित एक एनिमेशन तथा कठपुतली स्टूडियो का निर्माण शामिल है। इसका उद्देश्य अच्छी फिल्मों का निर्माण करना है। इस परिसर में बाल फिल्म अभिलेखागार स्थापित करने की भी योजना है।

विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय

विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय भारत सरकार की केंद्रीकृत विज्ञापन ऐजेंसी है जो देश के सामाजिक-अर्थिक उत्थान और राष्ट्रीय एकता, आतंकवाद विरोधी, सांप्रदायिक सद्भाव तथा स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों का समाचार पत्रों, प्रदर्शनियों, टी.वी. चैनल, रेडियो, बाह्य प्रचार के माध्यमों, मुद्रित प्रचार सामग्री आदि के जरिए व्यापक जनसमुदाय में प्रचार-प्रसार करता है। सरकार ने मुद्रित माध्यम के लिए नई विज्ञापन नीति शुरू की है तथा इलेक्ट्रानिक माध्यम के जरिए विज्ञापन/प्रचार के संबंध में आडियो-विजुअल नीति शुरू की है, जिससे प्रचार तथा विज्ञापन के विविध पहलुओं को सरल और कारगर बनाया जाए। इससे पारदर्शिता को भी बढ़ावा मिलेगा। डीए वी पी जनता को सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की नीतियों, कार्यक्रमों तथा उपलब्धियों के बारे में जानकारी देने और उन्हें सार्वजनिक-निजी भागीदारी से विभिन्न

मीडिया के जरिए विकास कार्यों में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए एक शीर्षस्थ संस्था है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए निदेशालय आधुनिक प्रौद्योगिकी, विज्ञापन तकनीक, कम्प्यूटर साक्षरता को अपना रहा है तथा संचार, प्रशासन और प्रबंधन में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभावी प्रयोग कर रहा है। इससे न केवल लोगों में संदेश का प्रचार प्रभावी ढंग से हो सकेगा, बल्कि संदेश को बेहतर ढंग से अपनाया भी जाएगा। इन योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए निदेशालय नई योजना 'डी ए वी पी का आधुनिकीकरण' पर भी कार्य कर रहा है, जो 11वीं योजना में शामिल की गई है। इससे योजना के कार्यन्वयन के लिए दक्षता तथा क्षमता का उन्नयन होगा तथा लक्षित लाभार्थी तक संदेश भेजने में सहायता मिलेगी।

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय

निदेशालय अपने कार्मिकों की संख्या को उचित स्तर पर लाकर स्वयं को नया स्वरूप दे रहा है ताकि इसकी कार्यक्षमता में सुधार हो। निदेशालय का मुख्य जोर जनजातीय, सीमावर्ती क्षेत्र, दूरदराज तथा पिछड़े क्षेत्रों में गतिविधियां बढ़ाने पर है जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की पहुंच से बाहर हैं। इस प्रक्रिया में, निदेशालय ने राज्यों की राजधानियों और बड़े शहरों की अपनी 61 क्षेत्रीय प्रचार इकाइयां या तो बंद कर दी हैं या उन्हें दूसरी इकाइयों में मिला दिया है तथा कर्मचारियों को ऐसी इकाइयों में भेजा गया है जहां कर्मचारियों की आवश्यकता है।

फिल्म समारोह निदेशालय

भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2008 तथा 54वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह के अलावा, निदेशालय अगले वर्ष में तीन निम्नलिखित प्रमुख कार्यक्रमों में भागीदारी करेगा :

(i) भारत में आस्ट्रेलियाई फिल्म समारोह का आयोजन

(ii) भारत में चीनी फिल्म समारोह का आयोजन

(iii) भारत में रूसी वर्ष मनाने के एक भाग के रूप में रूसी फिल्मों का समारोह आयोजित करना

निदेशालय वर्ष भर विश्व में फिल्म समारोहों में भागीदारी जैसी अपनी नियमित गतिविधियों में लगा रहेगा।

फिल्म प्रभाग

1. वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर व्यय में कमी हेतु कड़ी आर्थिक शुरुआत कर अनुकूल परिणाम प्राप्त किये गये हैं

2. वित्त मंत्रालय द्वारा ओ.एम. नं. 2(1)पीईआरएस/ईकोड/ओबी/2005 दिनांक: 12/12/07 को जारी दिशा निर्देशों से कथित ओ.एम. के लक्ष्यों को पूरा किया जायेगा।

3. दिनांक 01.07.2005 से लागू संशोधित आम वित्त नियमों के अनुसार प्रोक्योरमेंट स्टोरों का निर्माण।

भारत और विदेश में फिल्म बाज़ारों में भागीदारी
(मुख्य सचि. योजना)

1. परंपरागत दृष्टि से सरकार लोगों के कल्याण के वांछित लक्ष्य हासिल करने में प्रमुख भूमिका अदा करती रही है। बात चाहे विकास की हो, सामाजिक, राजनीतिक अथवा गतिविधि-उन्मुखी हो, सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लोग सही विकल्प चुनें। इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर देश में समूचा ढांचा तैयार किया गया है। किंतु पिछले कुछ वर्षों के दौरान नई प्रौद्योगिकियों के उदय से मनोरंजन उद्योग का पूरी दुनिया में जबरदस्त विकास हुआ है। पिछले दो सालों में सरकार की एकाधिकार की स्थिति में अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिला है। प्राइवेट कंपनियां, गैर सरकारी संगठन और सामाजिक समूह, यहां तक कि कार्पोरेट संगठन भी अपने सामाजिक दायित्व के हिस्से के रूप में इस कार्य में निरंतर मदद कर रहे हैं। बदलती हुई परिस्थितियों में सरकार की भूमिका को पुन: परिभाषित करने की आवश्यकता आन पड़ी है। यही वजह है कि मनोरंजन क्षेत्र में विभिन्न पक्षों के साथ भागीदारी के प्रबंधों की ओर ध्यान आकृष्ट हुआ है। यह महसूस किया जा रहा है कि सरकार को मनोरंजन क्षेत्र की दिन-दूनी रात चौगुनी उन्नति सुनिश्चित करने के लिए सुविधा प्रदाता और अनुकूल नीति वातावरण तैयार करने वाले घटक की भूमिका निभानी चाहिए।

2. फिल्म क्षेत्र हालांकि ज्यादातर निजी क्षेत्र के अंतर्गत आता है परंतु यह भारत में एक सशक्त सांस्कृतिक उद्योग है। भारत का संख्या की दृष्टि से विश्व में सबसे अधिक फिल्में बनाने वाले देशों में पहला स्थान है। किंतु, राजस्व हासिल करने की दृष्टि से विश्व बाजार में भारतीय फिल्मों की भागीदारी नगण्य है। प्रौद्योगिकी में प्रगति की फिल्म उद्योग के विकास के सभी क्षेत्रों-यानी फिल्म निर्माण, वितरण, प्रदर्शन और विपणन में महत्वपूर्ण भूमिका है। फिल्म उद्योग द्वारा इन गतिविधियों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता महसूस की गयी है। इसे देखते हुए निम्नांकित योजनाएं (नई) प्रस्तावित की गयी हैं :

नई योजना-ऐनीमेशन, गेमिंग और विशेष प्रभाव के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना :

वैश्वीकरण से निर्माण और सेवाओं के आउटसोर्सिंग यानी उनमें बाहरी एजेंसियों को शामिल करने की संभावनाएं बढ़ गयी हैं। मीडिया उद्योग-खासकर फिल्म क्षेत्र में उच्चस्तरीय रचनात्मक कार्य विकसित देशों द्वारा अधिकाधिक बाहरी एजेंसियों को सौंपे जा रहे हैं ताकि सिनेमा में निर्माण लागत कम की जा सके। विकासशील देशों, विशेषकर चीन और मैक्सिको के बीच विकसित देशों से ऐसे आउटसोर्सिंग कार्य आकर्षित करने के लिए जबरदस्त प्रतिस्पर्धा है। इन विशेष प्रभाव और दृश्य प्रभाव क्षेत्रों के अलावा देश में गेमिंग, ऐनीमेशन जैसे डिजिटल विषयवस्तु उद्योगों के विकास की व्यापक संभावनाएं हैं। किंतु इस क्षेत्र को कार्मिकों के अभाव की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस उद्योग को अपेक्षित प्रेरणा और प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए ऐनीमेशन, गेमिंग और विशेष प्रभाव में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव है। इसकी स्थापना सरकारी-निजी भागीदारी में की जाएगी ताकि उच्च प्रौद्योगिकी विषयवस्तु उद्योग में कार्मिकों की कमी दूर की जा सके।

3. निम्नांकित कार्यक्रम भी इस उद्योग के प्रयासों में मदद पहुंचाने वाला है।

i) विदेशी फिल्म समारोहों/बाजारों में भागीदारी : विश्व बाजार में भारतीय फिल्मों की हिस्सेदारी प्रोत्साहित करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए भारत प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह/बाजारों में हिस्सा लेता है। केन्स फिल्म समारोह/बाजार में भारतीय पेवेलियन का संचालन निजी उद्योगों की शीर्ष संस्था सीआईआई के सहयोग से किया जा रहा है। फिक्की द्वारा आयोजित एक वार्षिक सम्मेलन 'फ्रेम्स' के लिए भारत सरकार सहायता देती है। अमरीकी फिल्म बाजार जैसे कार्यक्रमों में भागीदारी के लिए एनएफडीसी के जरिए सरकार द्वारा सहायता दी जाती है।

ii) **एंटी-पाइरेसी/समारोहों में गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी** : भारतीय फिल्म समिति परिसंघ द्वारा फिल्मों की चोरी (पाइरेसी) रोकने और फिल्म समारोहों के किए जाने वाले समग्र खर्च के छोटे हिस्से के रूप में सरकार भी योगदान करती है। सरकार इन क्षेत्रें में गैर सरकारी संगठनों और राज्य सरकारों द्वारा समर्थित समारोहों के लिए निजी प्रयासों में सहायता करती है।

भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे

अपने क्षेत्र का प्रमुख संस्थान होने के नाते यह फिल्म निर्माण की कला एवं तकनीक में प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। भारत सरकार इसके अनुरक्षण, समुन्नयन और यहां प्रशिक्षण सुविधाएं बढ़ाने के लिए योजना और गैर-योजना मदों के अंतर्गत अनुदान देती है। इस पर होने वाले व्यय का एकमात्र उद्देश्य प्रशिक्षण सुविधाओं का आधुनिकीकरण है। मशीनरी एवं अन्य उपकरण की खरीददारी अत्यधिक पारदर्शी माहौल में खुली बोलियां आमंत्रित करके की जाती हैं। भवन निर्माण/विद्युत कार्य मंत्रालय के संबंधित अनुभागों द्वारा किया जाता है।

इस संस्थान के छात्रों द्वारा तैयार की गई फिल्में नियमित रूप से राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में प्रविष्टि के रूप में भेजी जाती हैं। एक वर्ष के दौरान संस्थान द्वारा निर्मित फिल्में विभिन्न फिल्म महोत्सव और कार्यक्रमों में दिखायी जाती है। चर्चा के विषय का केंद्र होती है।

अन्य विशेष बातें

(i) एफ.टी.आई.आई. के श्री कार्तिक गणेश और श्री कौशिक मंडल नामक दो छात्र दुबई मीडिया सिटी में आयोजित प्रतियोगिता में अपने सादृश्य फोटोग्राफी के लिए आईडीबीए पुरस्कार के लिए चयनित हुए है।

(ii) नवंबर 26 से 1 दिसंबर 2007 तक चले अंतर्राष्ट्रीय जूरी के 49 वें संस्करण के बिलबाओं अंतर्राष्ट्रीय वृतचित्र और लघु फिल्म महोत्सव में अमित दत्त द्वारा निर्देशित डिप्लोमा फिल्म 'करमाशा' को ''गोल्ड मिकेल्डी फॉर फिक्सन'' से नवाजा गया।

(iii) भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के चार छात्रों द्वारा निर्मित फिल्मों को 2007 का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। अंतिम वर्ष के छात्र गणेश गायकवाड़ द्वारा निर्देशित एक वृत-चित्र 'वायस एक्रास दी ओशन' के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला। सर्वश्रेष्ठ सिनेमाटोग्राफ के लिए 'परस्वाद' फिल्म के कैमरा मैन परमवीर सिंह को मिला। विभू पुरी को उनकी पाकेट वॉर्ता के लिए सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशन सिनेमाओग्राफी और अच्छी फिल्मी गतिविधि के लिए दिया गया। अनमोल भावे को फिल्म 'क्लोजर' के लिए सर्वश्रेष्ठ ऑडियोग्राफी का पुरस्कार मिला।

सत्यजित राय फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान, कोलकाता

समाज से मिले लाभ को वित्तीय शर्तों में नहीं मापा जा सकता है। ये परिणाम वाषिक परिव्ययों के प्रत्यक्ष परिणाम भी नहीं हैं। ये विगत कई वर्षों में सरकारी निवेश के संचयी प्रभाव हैं। हाल ही में सरकारी पहल को ध्यान में रखते हुए संस्थान ने सार्वजनिक -निजी भागीदारी के अंतर्गत संस्थान परिसर में अग्रणी फिल्म प्रोसेसिंग लेबोरेटरी नियुक्त करने का प्रस्ताव किया है।

उच्च पारदर्शिता लाने के लिए संस्थान का शिकायत प्रकोष्ठ है तथा प्रकाशकों का नागरिक घोषणा पत्र है जो संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

भारतीय जनसंचार संस्थान

जन साधारण के साथ आईआईएमसी का प्रमुख संपर्क-बिंदु विभिन्न डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश है। संस्थान प्रवेश की सूचना देश के लगभग सभी प्रमुख समाचार पत्रों में सही समय पर प्रकाशित करता है। बार कोड की शुरुआत कर संस्थान ने प्रवेश प्रक्रिया में एक बेहद पारदर्शी उपाय किया है ताकि कोई भी उम्मीदवार किसी अन्य के क्रमांक या स्क्रिप्ट को न पहचान सके। परिणाम पूरा होने पर उम्मीदवारों को डाक के जरिये व्यक्तिगत सूचना दी जाती है और परिणामों के साथ-साथ व्यक्तिगत सूचनाओं को संस्थान की वेबसाइट पर डाल दिया जाता है ताकि सभी उम्मीदवार सही समय में सूचना प्राप्त कर सकें।

भारत का राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय

सार्क देशों में फिल्म सामग्री का एक बड़ा हिस्सा निस्संदेह भारत से जाता है। शेष सामग्री में से सबसे बड़ा हिस्सा श्रीलंका और पाकिस्तान से आता है। फिर भी आजकल बांग्लादेश में भी फिल्म निर्माण की गतिविधियों में वृद्धि हुई है। सार्क के अन्य सदस्यों का सेलुलाइड में फिल्म सामग्री का सिर्फ नगण्य हिस्सा हो सकता है। सार्क देशों के बीच सिर्फ भारत के पास 1,20,000 डब्बों की संग्रह क्षमता का तापमान एवं आर्द्रता नियंत्रित फिल्म वॉल्ट्स से युक्त एक पूर्ण विकसित फिल्म संग्रहालय है।

एन.एफ.ए.आई. को सिनेमाई सामग्री की प्राप्ति एवं संरक्षण में विशेषज्ञता और योग्य एवं अनुभवी टेक्नीशियनों का सहयोग भी प्राप्त है। संग्रहालय में उपलब्ध सुविधाएं अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं और एन.एफ.ए.आई. 1969 से फिल्म संग्रहालयों के अंतर्राष्ट्रीय संघ (एफ.आई.ए.एफ.) का एक सदस्य है। एन.एफ.ए.आई. के पास आज जिस प्रकार की बुनियादी सुविधाएं एवं विशेषज्ञता है, यह अन्य सार्क देशों में सिनेमाई सामग्री की प्राप्ति एवं संरक्षण का कार्य कुशलतापूर्वक पूरा कर सकता है यदि इसे कुछ अतिरिक्त कर्मचारी एवं संसाधन प्रदान किये जाएं।

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड

क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्म निर्माण

- राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम अपनी उत्पादन गतिविधियों के माध्यम से भारतीय सिनेमा की संस्कृति को बढ़ावा देता है न कि भारतीय सिनेमा के व्यवसाय को।
- भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों और भाषाओं का विकास करने और उन्हें अक्षुण्ण करने के लिए सिनेमा एक महत्वपूर्ण साधन है। विशेष रूप से इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सिनेमा मनोरंजन का सर्वाधिक लोकप्रिय साधन है, सिनेमा की भूमिका को कम नहीं आंका जा सकता। यह आकलन है कि औसतन इस क्षेत्र में थियेटर में प्रत्येक दिन एक करोड़ लोग फिल्म देखते हैं। भारत में भारतीय कला और संस्कृति की कोई भी शाखा इतनी प्रभावी नहीं रही है, इस प्रकार सिनेमा संस्कृति प्रचार-प्रसार का जन-माध्यम बन कर उभरा है।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए यह प्रस्ताव किया जाता है कि एन.एफ.डी.सी. को 11वीं योजना में इन कार्यों के लिए 30 करोड़ रुपए वार्षिक परिव्यय विविध भारतीय भाषाओं में फिल्म निर्माण के लिए रखा जाए क्योंकि इसकी आवश्यकता राज्य विकास निधियों के लिए होती है, इससे उन्हें इस दिशा में कार्य करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। 'विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्म निर्माण' योजना स्कीम के तहत 2008-09 के लिये 6.50 करोड़ रुपये वार्षिक परिव्यय आबंटित किया गया है। इन फिल्मों की सदैव बाजार कीमत नहीं होती है जिससे फिल्म में आई लागत को वसूल किया जा सके। इस सम्बन्ध में निगम की भूमिका विकासात्मक प्रकृति की होती है तथा इसमें लाभ कमाने का उद्देश्य निहित नहीं होता है। इस उद्देश्य के लिए निधियों के आबंटन की मांग सरकार से की जाती है। क्योंकि निगम के पास इस गतिविधि को निधि प्रदान करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं होते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय घरेलू सह-उत्पादन

एन.डी.एफ.सी. बहुत से घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय सह-उत्पादन कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार खुलने तथा प्रभावकारी कहानी की अंतर्राष्ट्रीय मांग के परिणामस्वरूप विदेशों में भारतीय फिल्मों के दर्शकों की बढ़ती मांग के कारण फिल्म निर्माण का कार्य अब विदेशों में भी पांव पसार रहा है। फिल्म निर्माता अब निम्न कारणों से अन्य देशों के फिल्म निर्माताओं से मिलकर फिल्म निर्माण कर रहे हैं।

(i) फिल्म के दर्शक आधार को बढ़ाना

(ii) फिल्म उत्पादन की लागत को कम करने के लिए विभिन्न देशों द्वारा दिए जाने वाले कर तथा अन्य सकल लाभों को प्राप्त करना।

जहां तक भारतीय फिल्म निर्माताओं का संबंध है, अंतर्राष्ट्रीय सह-उत्पादन अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है। हाल के वर्षों में विदेशी फिल्म निर्माताओं ने भारत को संयुक्त उत्पादन के लिए एक बेहतर बाजार माना है क्योंकि यह फिल्म बाजार की दृष्टि से अपार संभावनाओं वाला देश है। किसी दूसरे देश में आने वाले नए फिल्म निर्माताओं के पास उस देश के फिल्म निर्माताओं तक पहुंच नहीं होती है, ऐसा संबंधों की दृष्टि से तथा सह-निर्माताओं से भारी मात्रा में पूंजी निवेश करवाने की दृष्टि से होता है। एनएफडीसी ने इस क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रस्ताव किया है तथा प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू सह-उत्पादों के लिए प्रारंभिक पूंजी मुहैय्या कराने की पहल की है।

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय फिल्मों को प्रोत्साहन

एनएफडीसी की निर्यात विशेषज्ञ कार्यनीति के प्राथमिक उद्देश्य तथा विदेशी फिल्मों एवं दूरदर्शन बाजार में भागीदारी इस प्रकार है :

1. विभिन्न प्रदर्शनी चैनलों के अंतर्राष्ट्रीय वितरण के लिए भारतीय फिल्मों का निर्यात
2. अंतर्राष्ट्रीय सह उत्पादों के लिए भागीदार का पता लगाना।
3. लाईन प्रोड्यूसर के रूप में एनएफडीसी की सेवाओं का उन्नयन।
4. भारत को शूटिंग स्थल के रूप में विकसित करना।
5. भारतीय बाजार के लिए विदेशी फिल्मों का आयात।

पटकथा का विकास

वास्तव में फिल्म उद्योग को पटकथा के विकास में बहुत अधिक जोर देने की आवश्यकता है। एनएफडीसी, पटकथा की गुणवत्ता, सीमा और भारतीय फिल्म

पटकथाओं/परियोजना के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए फिल्म उद्योग को उपलब्ध के दायरे में व्यापक एवं बहुआयामी बनाने पर बल देगा। एनएफडीसी का उद्देश्य घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार को ध्यान में रखते हुए उच्च गुणवत्ता वाले बिक्री योग्य उत्पाद पटकथा तैयार करने की दृष्टि से पटकथा के विकास में प्रत्येक वर्ष अधिक से अधिक लेखकों की सहायता करता है।

पत्र सूचना कार्यालय

पत्र सूचना कार्यालय देशवासियों को सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों एवं क्रियाकलापों से अवगत कराने वाली नोडल एजेंसी है। आम आदमी तक पहुंचने के भारत सरकार के प्रयासों के तहत, प.सू.का. देशभर में जनसूचना अभियान चला रहा है। इस जनसूचना अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार के प्रमुख जनकल्याणकारी कार्यक्रमों जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, सर्व शिक्षा अभियान, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन, सूचना का अधिकार, अल्पसंख्यकों के लिये प्रधानमंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम, समेकित बाल विकास योजना, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य वनवासियों के कल्याणकारी कार्यक्रम आदि, के प्रति लोगों में जागरुकता पैदा करना है।

पत्र सूचना कार्यालय एक ही स्थान पर राष्ट्रीय एवं विदेशी पत्रकारों को सभी आधुनिक संचार सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय प्रेस केन्द्र का निर्माण कर रहा है। इस हेतु आवश्यक भूमि पत्र सूचना कार्यालय को आवंटित कर दी गई है। ईएफसी ने परियोजना को मंजूरी दे दी है एवं परियोजना पर कार्य करने के लिय एन.बी.सी.सी. को अनुबंधित किया गया है। इस हेतु एन.डी.एम.सी./डी.यू.ए.सी. की मंजूरी ले ली गई है।

इसके अतिरिक्त, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव एवं प्रवासी भारतीय दिवस की 11वीं योजना के अंतर्गत योजना कार्यक्रमों के रूप में शामिल कर लिये गये हैं। ये भारत सरकार के प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन हैं, जिनके जरिये देश की मिली-जुली संस्कृति प्रदर्शित की जाती है एवं महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की जाती हैं। पत्र सूचना कार्यालय भारत एवं अन्य देशों के बीच बेहतर समझ एवं समन्वय स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य करता है। इस हेतु वह अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार सम्मेलन, सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम आयोजित करता है एवं सूचना एवं जन संचार के क्षेत्र में संयुक्त कार्यकारी समझौतों के जरिये विभिन्न देशों के पत्रकारों के बीच बेहतर समझ विकसित करता है एवं सूचना प्रदान करता है।

भारतीय प्रेस परिषद्

प्रेस परिषद एक अर्ध-न्यायिक संस्था है जो प्रेस के लिए आचार संबंधी मापदंड बनाकर उन्हें नियमित करती है। उसने अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए निम्नलिखित सुधार के उपाय और नीतिगत पहल की है।

1. सुधार के उपाय

परियाद को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए जरूरी है कि उसके निर्देशों का पालन किया जाए और उस संबंध में मामला सरकार/न्यायालय के विचाराधीन है।

2. नीतिगत उपाय

(क) श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम और साथ अनुबंध पर नियुक्त किये गये पत्रकारों पर उपसमिति की रिपोर्ट

(ख) सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संदर्भ में समाचारपत्रों और इलैक्ट्रानिक माध्यमों द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का गलत इस्तेमाल करने पर दायर मामलों को संविधान के अनुच्छेद 19 (2) तक सीमित रखने की आवश्यकता है।

(ग) लघु एवं मध्यम समाचार पत्रों की समस्याओं पर रिपोर्ट

(घ) असम और मणिपुर के उल्फा की ओर से मीडिया को मिली धमकियों पर रिपोर्ट।

(च) आपराधिक न्याय प्रशासन में मीडिया को शामिल करने पर सम्मति तैयार करना।

(छ) समाचार पत्रों और सामाजिक परंपराओं पर सम्मति बनाना?

3. पारदर्शिता

1. सूचना का अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन
2. परिषद के निर्माण और अन्य फैसलों/कार्यों को वेबसाइट पर डालना

फोटो प्रभाग

फोटो प्रभाग का प्रमुख कार्य देश के विकास तथा वृद्धि और साथ ही साथ राजनीतिक, अर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तनों को फोटोग्राफ के माध्यम से संजोकर रखना तथा विभिन्न सरकारी संगठनों को फोटोग्राफ उपलब्ध कराना है। फोटोग्राफ को प्रभाग की वेबसाइट पर भी डाला गया है ताकि फोटो प्रेमी, शोधकर्ता, कोई भी संगठन या एजेंसी फोटो प्रभाग के अभिलेखागार में उपलब्ध फोटो की जानकारी प्राप्त कर सके। पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा दूर-दराज के क्षेत्रों जैसे जम्मू और कश्मीर, अंडमान तथा निकोबार और लक्षद्वीप में चल रहे विकास कार्यों के दृश्य प्रलेखन के लिए प्लान योजना के तहत विशेष पहल की गई है। डिजिटल लाइब्रेरी प्रणाली को और प्रभावी बनाने तथा डिजिटल फोटो को लंबे समय के लिए संजोकर रखने, ऐतिहासिक महत्व की अच्छी फोटोग्राफ को खरीदने (जिससे डिजिटल लाइब्रेरी को और अधिक समृद्ध किया जा सके) तथा उन क्षेत्रों के फोटो लेना जहां विकास कार्य हुआ है लेकिन वहां का दृश्य रिकार्ड उपलब्ध नहीं है, के लिए भी विशेष पहल की गई हैं। प्रभाग वर्ष 2008-09 के दौरान ई-वाणिज्य की भी शुरुआत कर रहा है।

प्रकाशन विभाग

सुधार के उपाय और नीतिगत पहलें

विभाग के संपादकीय, व्यवसाय, उत्पादन और योजना पत्रिका की ओर से उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं :-

प्रकाशन विभाग का आधुनिकीकरण

XI पंचवर्षीय योजना के तहत योजना और कुरुक्षेत्र पत्रिकाओं का डिजीटाइजेशन और योजना कार्यालयों और बिक्री केंद्रों का आधुनिकीकरण 2007-08 के दौरान किया गया और निम्नलिखित पहलुओं को अमल में लाया गया।

i) 2007-08 के दौरान दो बिक्री केंद्रों का आधुनिकीकरण किया गया।

ii) योजना और कुरुक्षेत्र पत्रिकाओं का डिजीटाइजेशन किया गया जिसका उद्देश्य पत्रिकाओं में लिखने वाले प्रख्यात व्यक्तियों के पचास वर्ष से भी अधिक लेखों का सर्चेबल संग्रह तैयार करना है।

iii) वर्ष 2007-08 के दौरान योजना पत्रिका की वेबसाइट तैयार की गई। व्यापक आधार वाली टेक्नोलॉजी के जरिए प्राप्त होने वाली सामग्री से पाठकों और लेखकों को विस्तृत आधार मिलेगा। वेबसाइट द्वारा लेखक और पाठक परस्पर संपर्क स्थापित कर सकेंगे।

iv) वर्ष 2007-08 के दौरान योजना कार्यालयों को आधुनिक साज-सामान, कम्प्यूटरों, प्रिंटरों, स्केनरों तथा आधुनिक फर्नीचर से सज्जित कर आधुनिक बनाया गया। कार्यालयों को वातानुकूलित बनाकर कार्यस्थल में संपूर्ण रूप से सुधार लाया गया।

उत्पादन

गांधीजी पर सत्याग्रह नामक काफी टेबल पुस्तक प्रकाशित की गई।

मुद्रकों और टाईपसेटरों के नये पैनल बनाए गए और 2007-08 के दौरान उन्होंने कार्य करना आरंभ कर दिया।

पैनल में शामिल प्रिंटरों के साथ एक समान दर की सूची तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है।

संपादकीय

एक पुस्तक चयन समिति बनाई गई जो प्राप्त प्रस्तावों की जांच करती है और पुस्तकों तथा अन्य संपादकीय मसलों में सुधार लाने के लिए सुझाव देती है। हर प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की जाती है और चयन प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के लिए सुझाव दिया जाता है। विभाग ने 'आडियो पुस्तकें' प्रकाशित करना आरंभ किया है जिनका उद्देश्य समाज के ऐसे विशेष वर्गों जैसे नेत्रहीन लोगों को लाभ पहुंचाना है। बदलते समय की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रकाशन विभाग ने समकालीन महत्व के कुछ नए क्षेत्रों जैसे आपदा प्रबंधन, पर्यावरण, आई सी टी, अर्थव्यवस्था और वित्त आदि पर पुस्तकें प्रकाशित करने के लिए कदम उठाए हैं। इसका उद्देश्य देश और विदेश के अग्रणी प्रकाशकों के वर्ग में उच्च स्थान बनाए रखना है।

विभाग के पास पुस्तकों का समृद्ध संग्रह है। भारत और विदेश से कई संस्थानों ने हमारी पुस्तकों को अन्य भाषाओं, जिनमें विदेशी भाषाएं भी शामिल हैं, में अनुवाद करने की रूचि दिखाई है। विभाग ने विदेशी भाषाओं में अनुवाद की प्रक्रियाओं को अंतिम रूप देने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं जिससे हमारी पुस्तकों को अंतर्राष्ट्रीय पाठक-वर्ग मिल सके।

सत्याग्रह के 100 वर्ष, 1857 के 150 वर्ष, स्वतंत्रता के 60 वर्ष तथा शहीद भगत सिंह की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में अनेक पुस्तकों का प्रकाशन किया गया।

व्यापार

प्रकाशन विभाग अपने बिक्री के प्रयासों को बढ़ाने और लोगों को बेहतर सेवा देने की दिशा में सशक्त कदम उठा रहा है।

बच्चों की पत्रिका बाल भारती का सर्कुलेशन, जो 2006-07 में लगभग 10000 था, 2007-08 में बढ़कर एक लाख से अधिक हो गया है।

आम जनता को आकर्षित करने के उद्देश्य से होम लाइब्रेरी स्कीम आरंभ की गई है जिसमें मात्र 100 रुपये देकर एक लंबी अवधि तक की सदस्यता प्राप्त की जा सकती है। इस स्कीम से प्रकाशन विभाग के व्यापार खंड को बाजार में गहरी पहुंच मिलेगी। इसके द्वारा ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में विभाग अपना व्यवसाय बढ़ा सकता

है। विभाग के प्रकाशन अब आम व्यक्ति को घर पर ही उपलब्ध हो सकेंगे। साथ ही यह उनको हमारी पुस्तकों/पत्रिकाओं/प्रकाशनों की बिक्री के द्वारा सतत् आधार पर हमारे व्यवसायिक खंड का भाग बना रहने को प्रेरित करेगा।

विभाग ने नेशनल बुक ट्रस्ट और अन्य विख्यात संस्थानों द्वारा आयोजित पुस्तक मेलों में भाग लिया।

थोक सप्लाई के प्रयासों में तेजी लाई गई जिससे राज्य सरकारों और उनकी विभिन्न योजनाओं जैसे आर आर आर एल एफ आदि के तहत थोक में आर्डर प्राप्त किए जा सकें।

इन सबके अलावा क्षेत्रीय कार्यालयों और मुख्यालय द्वारा स्वतंत्र प्रदर्शनियां आयोजित की गईं। प्रकाशन विभाग भारत सरकार (प.सू.का. और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय) द्वारा चलाये गए जनसूचना अभियानों (पीआईसी) में भी भाग लेता है।

योजना

योजना और कुरुक्षेत्र पत्रिकाओं के आवरण पृष्ठों में संपूर्ण परिवर्तन लाया गया और उन्हें मानवीय पहलू पर केंद्रित किया गया। अमूर्त्त डिजाइनों की बजाय आवरण पृष्ठों पर आकर्षित चित्र दिये गये।

रोज़गार समाचार

गैर-योजना

i) कुल राजस्व एवं शुद्ध आधिक्य

रोजगार समाचार ने 2005-06 के दौरान 4110.29 लाख रुपये की तुलना में 2006-07 में 4453.97 लाख रुपये का कुल राजस्व कमाया। खर्च निकालने के बाद शुद्ध लाभ 2005-06 के दौरान 1550.05 लाख रुपये की तुलना में 2006-07 में बढ़कर 2026.13 लाख रुपये हो गया।

ii) राजस्व

रोजगार समाचार ने नौकरी बाजार में अपनी 'सर्वोच्च' पोजीशन को बरकरार रखा हुआ है तथा वर्ष के दौरान अधिक विज्ञापन लेने में सफल रहा है। स्टाफ की कमी के बावजूद विज्ञापन राजस्व 2005-06 में 2441.55 लाख रुपये से बढ़कर 2006-07 में 3034.81 लाख रुपये हो गया है। इस साप्ताहिक पत्र के चालू वित्त वर्ष में 25 करोड़ रुपये से अधिक का शुद्ध लाभ कमाए जाने की संभावना है।

iii) पेजों की औसत संख्या :

एम्पलायमेंट न्यूज में छापे जाने वाले पृष्ठों की औसत संख्या 2000-01 में 39.55 पृष्ठों से बढ़कर 2005-06 में 50.61 पृष्ठों तक पहुंच गया है।

वर्ष 2006-07 में यह और बढ़कर 52.98 पृष्ठ हो गया तथा इस वर्ष पृष्ठों की औसत संख्या 55 प्रति अंक बढ़ने की सम्भावना है। 22 दिसंबर 2007 से रोजगार समाचार ने लगातार 72 से 80 पृष्ठ प्रति अंक निकाले हैं तथा यह सुनिश्चित किया गया कि स्टाफ की अधिक कमी के बावजूद साप्ताहिक समय पर उपलब्ध हो ताकि

लोगों की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके।

iv) विकेन्द्रीकरण अच्छी अर्थव्यवस्था हासिल करने तथा देश के कोने-कोने तक पहुंचने में समर्थ होने के लिए रोजगार समाचार अपनी मुद्रण तकनीकों को दक्षिण तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थानान्तरित करने के प्रस्तावों को लागू कर रहा है। दक्षिण क्षेत्र के लिये झांसी से मुद्रण आरंभ हो गया है और उत्तरपूर्व क्षेत्र के लिये प्रस्ताव विचाराधीन है।

v) नेटवर्क में विस्तार: रोजगार समाचार अपने पाठकों तक पहुंचने के लिए ज्यादातर अपने नेटवर्क पर निर्भर करता है। दूर-दराज के क्षेत्रों में कवरेज सुनिश्चित करने के लिए पाठकों के पास सीधे ग्राहक बनाने की भी सुविधा है। रोजगार समाचार ने खुले विज्ञापन के जरिए आवेदन-पत्र आमंत्रित करके वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान डीलरों के अपने आधार को विस्तारित किया।

vi) इन्टरएक्टिव वेबसाइट

रोजगार समाचार की सबसे बड़ी सफलता इसकी वेबसाइट www.employmentsnews.gov.in को शुरू करना है जिसे प्रतिदिन 3 लाख से अधिक लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। यह वेबसाइट सरकारी क्षेत्र में सबसे अधिक प्रयोग हो रही है। वेबसाइट के जरिए पेश की जा रही ऑन लाइन सेवाओं में कैरियर परामर्श, सरकारी क्षेत्र में नौकरी रिक्तताओं के बारे में अग्रिम जानकारी तथा यह जानकारी सीधे पाठकों के ई-मेल पर उपलब्ध कराना शामिल है।

भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक

विगत वर्षों में, प्रिंट मीडिया ने अपना क्षेत्र प्रेस तथा पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 से बहुत आगे तक विस्तारित कर लिया है। तदनुसार, पीआरबी अधिनियम, 1867 तथा उसके तहत बने नियमों की समीक्षा की जाती है ताकि अधिनियम को प्रिंट मीडिया के वर्तमान परिदृश्य में प्रासंगिक बनाया जा सके। समाचारपत्रों को तत्काल, कुशल तथा पारदर्शी सेवा प्रदान करने तथा पी.आर.बी. अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए ग्यारहवीं योजना अवधि (2007-12) के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में गुवाहाटी तथा मध्य क्षेत्र में भोपाल, दो क्षेत्रीय कार्यालय खोले जा रहे हैं।

गवेषणा, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग

गवेषणा, संदर्भ एवं प्रशिक्षण प्रभाग ने दो नये नीतिगत कदम उठाने का प्रस्ताव किया है। इस प्रभाग ने अपने मूल को मजबूत करने के लिए नयी नीति को 11वीं योजना में शामिल किया है। इन कदमों का उद्देश्य मीडिया की शक्ति का उपयोग जन कल्याण और पत्रकारिता के उच्च आदर्शों को बढ़ावा देना है।

'मीडिया पुरस्कार' जन सामान्य के कल्याण के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी का एक उदाहरण है।

राष्ट्रीय मीडिया लाइब्रेरी की स्थापना एक स्मरणीय संस्थान के निर्माण की तरफ कदम बढ़ाना है जो शोधकर्ता और नीति निर्धारकों के लिए सामाग्री और सूचना के स्रोत का संग्रह हो।

गीत एवं नाटक प्रभाग

पूरी तरह से पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आधुनिकीकरण मद के तहत कंप्यूटरीकरण का प्रस्ताव किया गया है।

कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार करने की दृष्टि से अनुसंसाधन, विकास और प्रभाव मूल्यांकन किया जाएगा।

एफ. एम. रेडियो (निजी)

एफ.एम. चरण I नीति के माध्यम से भारत सरकार द्वारा निजी एफ.एम. रेडियो का क्षेत्र 1999 में खोला गया था। चरण I के दौरान बड़े स्तर पर देरी के मद्देनज़र और टीआरएआई की सिफारिशों व अन्य कारकों पर विचार करने के बाद 30 जून, 2005 को निजी एजेन्सियों के जरिए एफ.एम. रेडियो प्रसारण सेवा के विस्तार की नई नीति स्वीकृत की गई, जिसे 13.7.2005 को अधिसूचित किया गया। चरण II निजी एफ.एम. रेडियो प्रसारण का कार्यान्वयन पूरे जोर-शोर से किया जा रहा है। निजी एफ.एम. रेडियो के चरण II के लिए कुल 337 चैनलों को बोली के लिए रखा गया, जिनमें से 280 चैनलों की बोली सफल रही। जांच-पड़ताल के बाद, 245 एफ.एम. चैनलों के संचालन के लिए विभिन्न कंपनियों को आशय पत्र भेजे गए। वर्तमान में 181 चैनल संचालन में हैं, जिनमें चरण II में शुरू किए गए 21 चैनल शामिल हैं। उन सभी पांच शहरों में जहां बेसिल द्वारा टावर लगाए जा रहे हैं, वहां 25 चैनलों को दो साल या टावरों के संचालन-योग्य होने में से जो पहले हो, तब तक अंतरिम व्यवस्था के अंतर्गत संचालन की अनुमति दी गई है। कोलकाता के अतिरिक्त बाकी सभी शहरों में टावर-कार्य पहले ही पूरा कर लिया गया है और जल्द ही इन्हें प्रसारकों को सौंप दिए जाने की संभावना है।

अंतर्राष्ट्रीय चैनल

(मुख्य सचिवालय स्कीम)

कच्चे अनुमानों के अनुसार व्यय लगभग 100 करोड़ रु. का है। प्रसार भारती को इस हेतु एक स्कीम तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मानीटरिंग केंद्र

सरकार ने वर्ष 2005-06 में 11.65 करोड़ रु. की कुल लागत से एक योजना स्कीम को स्वीकृति दी है। इसमें से पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 2.90 करोड़ रुपये की राशि इस परियोजना को कार्यान्वित करने वाली एजेंसी बेसिल को जारी किए गए। किन्हीं अपरिहार्य कारणों से, जिनमें पुष्पा भवन में एनटेना और संबंधित उपकरणों की स्थापना के लिए आवंटित स्थान की अनुमति से इंकार करना शामिल है, यह परियोजना 10वीं योजना अवधि में लागू नहीं की जा सकी। परियोजना की लागत में कोई वृद्धि नहीं हुई है, तथापि वार्षिक रखरखाव में वृद्धि का घटक शामिल है। अत: संशोधित एस.एफ.सी. (आरसीई) की स्वीकृति ले ली गई है, स्थल पर शुरुआती कार्य शुरु हो गया है। बेसिल द्वारा उपकरणों की खरीद के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। परियोजना 2008-09 के शुरु में चालू होने की संभावना है।

सामुदायिक रेडियो के लिए आईईसी गतिविधियां

दिसंबर 2006-7 में, भारत सरकार ने सामुदायिक रेडियो के लिये नीति को लचीला बनाया है और गैर-लाभकारी संगठनों को सामुदायिक रेडियो स्थापित करने के लिये लाइसेंस प्रदान करना शामिल था। इस संबंध में 101 संस्थानों से आवेदन प्राप्त हुये थे। इसमें से 63 योग्य संस्थानों को जवाबी पत्र भेजे गये थे और 45 संस्थानों ने लाइसेंस समझौतों पर हस्ताक्षर किये थे। इस समय देश के विभिन्न भागों में 33 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चलाये जा रहे हैं।

मई 2004 में आयोजित कार्यशाला की सिफारिशों के साथ-साथ सांसदों की परामर्श समिति, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की सिफारिशें प्राप्त होने के बाद सरकार द्वारा इस पर पुनर्विचार किया जा रहा है और सरकार ने दिसंबर 2006 में विकासात्मक गतिविधियां तेज करने और सामाजिक परिवर्तनों से संबंधित मुद्दों के प्रति नागरिकों की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी के लिये नागरिक समिति और स्वयंसेवी संगठनों जैसे गैर-लाभकारी संगठनों को इस नीति के अंतर्गत शामिल करने का निर्णय लिया है।

सूचना भवन का निर्माण

वर्ष 2006 के दौरान, सूचना भवन के चरण V के निर्माण का एक प्रस्ताव इस मंत्रालय के नीति आयोजना एकांश को इस आशय के साथ भेजा गया कि इसे ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) में शामिल किया जाये। उक्त प्रस्ताव में पूरे चरण V के निर्माण हेतु 75.60 करोड़ रुपये के अनुमानित व्यय का आकलन किया गया था। योजना आयोग ने 1.1.2008 को सूचना भवन के चरण V के निर्माण हेतु ''सैद्धान्तिक'' मंजूरी प्रदान की। योजना आयोग की ''सैद्धांतिक'' मंजूरी प्राप्त करने के बाद ईएफसी मेमोरेंडम प्रस्तुत किया गया है। इससे पूर्व योजना आयोग ने वार्षिक योजना 2007-08 के दौरान निम्नलिखित विवरण के अनुरूप बजट आबंटित किया था:-

1.	सूचना भवन का निर्माण (चालू स्कीम) चरण IV	1.00 करोड़ रुपये
2.	सूचना भवन का निर्माण चरण V	1.00 करोड़ रुपये (नवीन)

सूचना भवन के चरण IV (चालू स्कीम) के संबंध में 93,88,765 रुपये की लंबित देयता थी, जिसका भुगतान 31 दिसंबर 2007 को सीसीडब्ल्यू:एआईआर को किया गया। जहां तक सूचना भवन के चरण V का संबंध है, निर्माण कार्य ईएफसी की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात शुरू किया जायेगा। प्रस्ताव के अनुसार, सूचना भवन के चरण V का निर्माण ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक पूरा होगा। सूचना भवन चरण V के निर्माण की प्रस्तावित लागत 75.60 करोड़ रुपये है।

आर्थिक विश्लेषण (नई स्कीम)

मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों की कार्यान्वयन एजेंसी स्तर तथा मंत्रालय स्तर पर भी निगरानी के लिए स्कीम प्रदान करती है।

मानव संसाधन विकास के लिये प्रशिक्षण

प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा अधिकारियों को शामिल करने के उद्देश्य से विदेशों में स्थित संस्थानों से प्रशिक्षकों को बुलाने का भी प्रस्ताव है ताकि मंत्रालय के अधीन विभिन्न मीडिया इकाईयों की प्रासंगिकता के अनुसार इनमें कार्यरत अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा सके। इन इकाईयों में कार्यरत प्रशिक्षण प्राप्त अधिकारियों के अनुभवों से मीडिया इकाईयों के कामकाज को बेहतर बनाने में मदद मिलती है।

प्रसार भारती
आकाशवाणी

प्रसारण और संबंधी क्षेत्र में आकाशवाणी और दूरदर्शन के पास ढांचागत, मानव संसाधन, तकनीकी विशेषज्ञों जैसे संसाधनों का विशाल भंडार है। 500 मेगावाट ट्रांसमीटर से शुरुआत के बाद आज आकाशवाणी और दूरदर्शन सबसे बड़े प्रसारण संस्थान हो गये हैं। आकाशवाणी का प्रसारण 361 ट्रांसमीटरों और दूरदर्शन का 1400 ट्रांसमीटरों से किया जा रहा है जो आज क्रमश: 99.14 प्रतिशत और 91.0 प्रतिशत आबादी तक पहुंचते हैं। इसके अतिरिक्त फ्री-टू-एयर डीटीएच प्लेफार्म डीडी डायरेक्ट प्लस 50 टीवी चैनलों और 20 रेडियो स्टेशनों की क्षमता वाला है।

प्राथमिक संरचना के तौर पर भूमि, भवन, टॉवर, ट्रांसमीटर, स्टूडियो, उपग्रह अर्थ स्टेशन, संग्रहण संविधाएं, कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान (तकनीकी), अनुसंधान एवं विकास आदि हैं। संभावना तलाशने की दिशा में वर्ष 2001 में आकाशवाणी संसाधन एक स्वतंत्र केंद्र की स्थापनी की गयी है। जो इस बड़े संसाधन के लिए राजस्व कमाई कर रहा है।

आकाशवाणी संसाधन सामान्य तौर पर सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से अगले 10-15 वर्षों में निम्न योजनाओं से राजस्व प्राप्त करेगा-

1. प्रसार भारती अपनी संरचना का उपयोग टॉवर (एसटीएल), स्वत:समर्थन, एसडब्लू टॉवर, टी वी/एफएम समग्र टॉवर, निजी प्रसारकों के साथ भवन और भूमि, मोबाइल सेवा प्रादाताओं/इग्नू, के साथ लाइंसस शुल्क के आधार पर साझेदारी करने के लिए कर रहा है। वर्तमान में प्रसार भारती सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की प्रथम एवं द्वितीय चरण निजी एफएम योजना के तहत अपने संरचना को निजी प्रसारकों के साथ साझेदारी कर रहा है। वे अपने एंटीना को प्रसार भारती के टॉवरों पर स्थापित करते हैं और खुली और बंद स्थानों पर अपने उपकरण और ट्रांसमीटर चालू करते हैं। यदि जरूरी हुआ तो भविष्य में प्रसार भारती साझेदारी का और विस्तार करने और अपना कवर क्षेत्र बढ़ाने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) योजना की संभावनाएं तलाश सकती है।

2. इसके अलावा प्रसार भारती उन निजी एफएम प्रसारकों को रखरखाव और संचालन की जिम्मेदारी भी सौंप सकती है जो प्रसार भारती के ढांचे का उपयोग कर रहे हैं। इस उद्देश्य के लिए दूरदर्शन और आकाशवाणी के स्टेशनों को कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग करने की अनुमति मिलनी चाहिए। क्योंकि यहां पहले से ही कर्मचारियों की कमी है। प्रसार भारती निजी प्रसारकों के ट्रांसमीटर और स्टूडियो स्थापित करने का जिम्मा भी ले सकता है।

3. प्रसार भारती पहले से ही इग्नू के एफएम चैनल ज्ञानवाणी चैनल की स्थापना और चालू करने का काम ले चुका है, जो कि आकाशवाणी और दूरदर्शन के संसाधन के साथ काम कर रहे हैं।

4. वर्तमान में जब भी आवश्यकता होती है खाली समय में आकाशवाणी के स्टूडियो को इग्नू को किराये के आधार पर उपयोग करने के लिए दिया जाता है। आगे भी प्रसार भारती शैक्षणिक संस्थानों/विश्वविद्यालयों और अन्य बाहरी एजेंसियों को वर्तमान प्रसारण घंटों में ही प्रतियोगी दर पर अपने स्टूडियो किराये पर दे सकती है।

5. प्रसार भारती टेलीकॉम सेवा प्रादताओं के साथ एक समझौता करने जा रही है जिसमें श्रोताओं के लिए मूल्य वर्धित सेवा आईवीआरएस और एसएमएस पर आधारित सेवा उपलब्ध होगी। इस लोकप्रिय सेवा के माध्यम से प्रसार भारती टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं के साथ साझेदारी कर राजस्व उगाही कर सकती है। दूरदर्शन दिल्ली में इस सेवा को पहले से ही उपलब्ध करा रहा है उसकी योजना है कि इसका विस्तार देश के अन्य भागों भी किया जाए।

6. आकाशवाणी नेटवर्क के एमडब्लू/एफएम/एसडब्लू ट्रांसमीटरों के एयरटाइम को शौक्षणिक संस्थानों/कृषि संस्थानों को किराये के आधार पर उपलब्ध कराया जा सकता है।

7. प्रसार भारती शैक्षणिक/कॉलेजों और आवासीय स्कूलों में सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने के लिए उपयोग समाधान उपलब्ध करा सकता है।

8. प्रसार भारती प्रसारण क्षेत्र के विभिन्न आयामों का ऑन साइट और संस्थानिक प्रशिक्षण उपलब्ध करा सकता है। आकाशवाणी और दूरदर्शन के कुछ केंद्रों में यह कार्य किया जा रहा है। इसका विस्तार किया जा सकता है।

9. प्रसार भारती डाटा ऑडियो चैनल (डीएआरसी) के माध्यम से भी राजस्व कमा सकता है।

10. आकाशवाणी संसाधनों ने वर्ष 2006-07 में 35.50 करोड़ रुपये की आमदनी की है। इस क्षेत्र में प्रगति करते हुए आकाशवाणी ने दिसम्बर 2007 तक 163.24 करोड़ रुपये की आमदनी की है।

दूरदर्शन

नई शुरुआत

1. मोबाइल टीवी (टैरेस्ट्रियल सेवा)

नई दिल्ली में मई 2007 से मोबाइल फोन पर डीवीबी-एच मानक के साथ टीवी प्रसारण की शुरुआत की गई थी। 8 दूरदर्शन चैनलों के कार्यक्रम जिनमें डीडी नेशनल, डीडी न्यूज, डीडी भारती, डीडी स्पोर्ट्स, डीडी बांग्ला, डीडी पंजाबी, डीडी पोधीगई एवं डीडी उर्दू हैं, का प्रसारण किया जा रहा है और यह आकाशवाणी भवन, संसद मार्ग स्थित ट्रांसमीटर से 10-12 किलोमीटर की रेंज में डीवीबी-एच सुविधायुक्त मोबाइल फोन पर देखे जा सकते हैं। दूरदर्शन द्वारा जल्द ही 8 से बढ़ाकर इन चैनलों की संख्या 16 तक पहुंचाने की योजना है। इस दिशा में योजना पारित की गई है और आवश्यक उपकरण प्राप्ति हेतु कार्रवाई चल रही है। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जिसने टैरेस्ट्रियल मोबाइल टीवी सेवा शुरू की है।

2. एचडीटीवी (हाई डेफिनिशन टेलीविजन)

दूरदर्शन ने दिल्ली में एचडीटीवी के अग्रगामी परियोजना की शुरुआत की है। यह पायलट परियोजना एचडीटीवी की प्रोडक्शन फैसिलिटी को मल्टी कैमरा ईएफपी (इलेक्ट्रानिक फील्ड प्रोडक्शन) वैन की स्थापना हेतु बेहतर बनाने और पोस्ट-प्रोडक्शन फैसिलिटी को उत्कृष्ट बनाने हेतु तैयार किया गया है। इस अग्रगामी परियोजना को 2008 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है।

3. अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में वीएलपीटी में ऑटो स्विचिंग सुविधा

संघ शासित प्रदेश अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में वीएलपीटी अब तक दिल्ली से कार्यक्रम उनकी पूर्ण अवधि के हिसाब से ही संचारित कर रहे थे। शोध एवं विकास इकाई द्वारा ऑटो स्विचिंग सुविधा विकास को 10 वीएलपीटी में उपलब्ध कराया गया है जो हटबे, बारातांग, मायाबंदर, रंगत, दिगलीपुर, कालीघाट, स्वराजग्राम, नन्कौरी, कच्चल और हैवलॉक हैं और इससे वीएलपीटी को कैपिटल स्टेशन प्रादेशिक सेवा कार्यक्रम रिले करने में सुविधा प्रदान हुई है जो इन्हें कैपिटल स्टेशन अर्थात डीडीके, पोर्ट ब्लेयर से निश्चित समय पर प्रसारित करता है।

4. ई-प्रोक्योरमेंट

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्लान (एनईजीपी) के अंतर्गत दूरदर्शन ने अपनी प्राप्ति कार्रवाई में ई-प्रोक्योरमेंट को आत्मसात करने की शुरुआत की है। इसकी शुरुआत में, ई-प्रोक्योरमेंट उपकरणों को एकल वस्तुओं के लिए ही प्रस्तावित किया जाता है। इस दिशा में, डीजीएसएंडडी के साथ ई-प्रोक्योरमेंट (ईपीएस) हेतु हस्ताक्षरित एक समझौते की प्रस्तावना में वह हार्डवेयर एवं सॉटवेयर उपलब्ध कराएगा।

5. पूर्वोत्तर के राज्यों एवं द्वीप क्षेत्रों के लिए विशेष पैकेज (द्वितीय चरण)

मई 2006 में एक विशेष पैकेज के अधीन भिन्न योजनाएं पारित की गई थीं जिन पर कार्य चल रहा है और यह योजनाएं पूर्णता के भिन्न चरणों में हैं। तकरीबन सब परियोजनाओं हेतु भूमि प्राप्त कर ली गई है और बड़े उपकरणों हेतु ऑर्डर पारित हो चुके हैं। उपरोक्त पैकेज के लिए निम्न परियोजनाओं का 2008-09 के अंत तक भिन्न चरणों में पूरा होने की संभावना है :

पूर्वोत्तर राज्य

1. गुवाहाटी में अर्थ स्टेशन का नवीनीकरण (दो पूर्वोत्तर चैनलों के लिए)
2. रिक्त क्षेत्रों में डीटीएच रिसीव यूनिट्स एवं टीवी सेटों (25,000 संख्या) के लिए व्यवस्था
   - इसके लिए ऑर्डर दिए जा चुके हैं एवं आपूर्ति जारी है
   - प्राप्ति उपरांत डीटीएच एवं टीवी सेट्स को राज्य सरकार के नोडल ऑफिसरों के हवाले कर दिए जाते हैं
3. ओबी का संवर्धन और डीडीके में पोस्ट-प्रोडक्शन सुविधा
4. चार डीएसएनजी इकाइयां

अंडमान-निकोबार द्वीप समूह

1. पोर्ट ब्लेयर में एचपीटी (डीडी1 और डीडी न्यूज़)
2. 16 नवीन वीएलपीटी (डीडी1-10, डीडी न्यूज़-6)
3. मौजूदा 6 वीएलपीटी का नवीनीकरण
4. पोर्ट ब्लेयर स्टूडियो का संवर्धन और स्टूडियो सेंटर में डीएसएनजी की व्यवस्था
5. सी बैंड में डीटीएच सेवा
6. 1000 डीटीएच रिसीविंग यूनिटों और टीवी सेटों का प्रबंध

लक्षद्वीप

1. 6 वीएलपीटी की स्थापना
2. मौजूदा 9 वीएलपीटी का उन्नतिकरण

उपरोक्त स्वीकृत योजनाओं का कार्य शुरू हो चुका है और इन्हें 2008-09 तक चरणबद्ध ढंग से लागू किया जाएगा। कोकराझार (असम) में स्थायी एचपीटी सेटअप भी 2009 के उत्तरार्द्ध तक पूर्ण होने की संभावना है।

उपरोक्त विशेष पैकेज की कीमत 256.85 करोड़ रुपये है (हार्डवेयर - 134.43, सॉटवेयर - 122.55 करोड़ रुपये)

6. जम्मू-कश्मीर में डीडी एवं ऑल इंडिया रेडियो की सेवाओं में सुधार हेतु विशेष पैकेज (द्वितीय चरण)

जम्मू-कश्मीर में डीडी एवं ऑल इंडिया रेडियो की सेवाओं में सुधार हेतु विशेष पैकेज (द्वितीय चरण) को 299.87 करोड़ रुपये (डीडी - 294.17;

एआईआर - 5.7) के आउटले पर पारित किया गया है। दूरदर्शन हेतु मुख्य उपकरण सॉफ्टवेयर स्कीमों (267.7 करोड़ रुपये) के लिए हैं। हार्डवेयर स्कीमों के लिए कैपिटल 19.875 करोड़ रुपये पारित हुए हैं, जिनका ब्योरा निम्न है :

1. **जम्मू-कश्मीर में टीवी सहित 10,000 डीटीएच सेट्स** : डीटीएच और टीवी सेटों का प्रबंध प्रगति पर है। राज्य सरकार से उपरोक्त सेट प्राप्त करने के लिए नोडल अधिकारियों को नियुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

2. **जम्मू-कश्मीर में टीवी ट्रांसमीटरों के लिए यूपीएस (40)** : यूपीएस प्रबंध हेतु कार्रवाई की शुरुआत की गई है।

3. **जम्मू में अर्थ स्टेशन का उन्नतिकरण** : जम्मू स्थित अर्थ स्टेशन का नवीनीकरण 2008-09 के अंत तक किए जाने की संभावना है।

7. टीवी परियोजनाओं का अमलीकरण – मॉनीटरिंग क्रियाविधि

परियोजनाओं की संकल्पना एवं अमलीकरण दूरदर्शन निदेशालय द्वारा संपन्न किया जाता है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एवं चेन्नई द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों से संबंधित परियोजनाएं अपने क्षेत्रीय कार्यालयों में पूर्ण की जाती हैं। पूर्वोत्तर के लिए पृथक क्षेत्रीय इकाई है जिसका मुख्यालय गुवाहाटी में स्थित है और जिसके अधीन असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नगालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम आदि क्षेत्रों की रख-रखाव की कार्रवाई आती है। परियोजनाओं से संबद्ध सिविल कार्य एआईआर एवं दूरदर्शन के सिविल कंस्ट्रक्शन स्कंध द्वारा पूरे किए जाते हैं। परियोजना से जुड़ी मुख्य कार्रवाइयां निदेशालय द्वारा पूर्ण की जाती हैं। जिला कार्यालय एवं प्रमुख अभियंता, सीसीडब्ल्यू मॉनीटर भी परियोजनाओं से जुड़ी अनेक कार्रवाइयां देखता है, जो उसके कार्यक्षेत्र के अधीन है।

दूरदर्शन की सभी परियोजनाओं पर जिला कार्यालयों एवं निदेशालय द्वारा समय एवं मूल्य बचत हेतु कड़ी निगाह रखी जाती है। क्षेत्रीय सीई सिविल कार्यों की जानकारी हेतु सीसीडब्ल्यू अफसरों के साथ प्रतिमाह बैठक भी करते हैं। निदेशालय में इमारतों के निर्माण में लगी एजेंसियों के साथ भी स्थायी बैठकें संपन्न होती हैं। परियोजनाओं की निर्माण प्रगति से संबद्ध ई-इन-सी एवं अन्य स्तरों के अफसरों की भी बैठकें संपन्न की जाती हैं। परियोजनाओं को निश्चित समयावधि में पूर्ण करने हेतु दूरदर्शन सभी संभव प्रयास कर रहा है।

भौतिक एवं वित्तीय भूमिका की अर्द्धवार्षिक रपट मंत्रालय में प्रस्तुत की जाती है। साथ ही, कैबिनेट द्वारा पारित योजनाओं पर रपट भी मंत्रालय को भेजी जाती हैं।

8. प्रशिक्षण

ब्रॉडकास्ट तकनीकी में तेजी से हो रहे विकास के मद्देनज़र दूरदर्शन ने अपने स्टाफ के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की है। 2007-08 (अप्रैल 2007 से नवम्बर 2007) के दौरान 926 इंजीनियरों को भिन्न प्रशिक्षण संस्थानों एवं उपकरण निर्माताओं के यहां प्रशिक्षण दिलवाया गया। इसका ब्योरा निम्न है :

एसटीआई (टी) दिल्ली - 572

डीटीआई (लखनऊ) - 29

आरएसटीआई (टी) भुवनेश्वर - 127

आरएसटीआई (टी) शिलांग - 10

आरएसटीआई (टी) मलाड - 35

उपकरण निर्माता - 138

आईआईटी कानपुर (लघु अवधि) - 15

9. "मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स" का टीवी कवरेज

अक्तूबर 2007 में एशिया में पहले मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स का आयोजन हैदराबाद और मुंबई में किया गया था। इन खेलों के लिए प्रसार भारती को ब्रॉडकास्टिंग के एकमात्र अधिकार प्रदान किए गए थे। इन खेलों में विश्व भर से 100 से अधिक राष्ट्रों ने हिस्सा लिया और इनमें आम खेलों के अतिरिक्त सैन्य पृष्ठभूमि वाले खेल भी थे। हैदराबाद में ग्यारह खेलों जिनमें एथ्लेटिक्स, एक्वेटिक्स, बॉक्सिंग, जूडो, कुश्ती, फुटबाल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, शूटिंग, मिलिट्री पैंथालोन एवं पैराशूटिंग का आयोजन किया गया और मुंबई में नौकायन एवं ट्राइएथ्लोन का आयोजन संपन्न हुआ। दोनों ही स्थानों पर शुरुआत एवं समापन समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य आयोजन का उद्घाटन 14 अक्तूबर, 2007 को हैदराबाद में भारत के महामहिम राष्ट्रपति के हाथों हुआ।

इस मौके पर भिन्न आयोजनों की कवरेज के लिए हैदराबाद और मुंबई में अनेक ओबी वैन्स और डीएसएनजी यूनिटें स्थापित की गई। मल्टी कैमरा ओबी वैन के साथ ही स्लो मोशन प्लेबैक फैसिलिटी और ग्राफिक्स फैसिलिटी इत्यादि को भी सभी स्थलों पर उपलब्ध कराया गया था। दूरदर्शन के इन्फास्ट्रक्चर में 11 ओबी वैनें, दो ईएफपी सेटअप और दस डीएसएनजी सेटअप और दूरदर्शन अधिकारियों के लिए संबंधित उपकरण उपलब्ध कराए गए। सभी स्थानों से ऑडियो-वीडियो प्रोग्रामों की प्राप्ति और वितरण/विपथन हेतु एक नेशनल ब्रॉडकास्ट सेंटर (एनबीसी) भी स्थापित किया गया। खेलों की कवरेज और डीडी स्पोर्ट्स पर खेलों के बिना रुकावट ब्रॉडकास्ट के लिए डीडी के हैदराबाद में डीडी नेशनल/डीडी न्यूज़ चैनल की स्थापना की गई थी। डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर 8-9 घंटों तक खेलों का सीधा प्रसारण किया गया। खेल आयोजन के शेष दिनों में डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर भिन्न समयावधियों में खेलों का सीधा प्रसारण किया गया।

मिलिट्री पृष्ठभूमि वाले विदेशी मीडिया और अन्य देशों के मीडिया को उनके अनुरोध पर, दूरदर्शन के खेल संबंधी रेट कार्ड पर आधारित उपरोक्त खेल आयोजन की डीवीडी लाइव फीड/रिकॉर्डिंग्स उपलब्ध कराई गई।

10. 2008-09 के लक्ष्य

2008-09 के दौरान पूर्ण किए जाने वाले प्रमुख लक्ष्य इस प्रकार हैं :

(1) जम्मू एवं पणजी के लिए अतिरिक्त स्टूडियो

(2) कन्नानौर, कुंभकोणम, खड़गपुर, सहरसा एवं अमृतसर (डीडी1 और डीडी न्यूज) में एचपीटी (स्थायी सेटअप)

(3) 100 स्थानों पर ऑटोमोड एलपीटी (मौजूदा एलपीटी के स्थान पर)

(4) गुवाहाटी में अर्थ स्टेशन (उन्नतिकरण); जम्मू (उन्नतिकरण); एमसीपीसी (10+1) दिल्ली के लिए एवं अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह के लिए सी बैंड

(5) 25 वीएलपीटी परियोजनाएं

(6) एचडीटीवी अग्रगामी परियोजनाएं

11. (i) स्टूडियो संबंधी योजनाएं

निर्माण सुविधाओं का डिजिटलीकरण –

- 30 छोटे केंद्रों का अर्द्ध अथवा पूर्ण डिजिटलीकरण
- 17 बड़े केंद्रों की निर्माण सुविधाओं का स्वचालिकरण
- 66 केंद्रों के निर्माण उपकरणों को बदल कर उनका आधुनिकीकरण
- 12 केंद्रों में नवीन निर्माण सुविधाएं / अतिरिक्त निर्माण सुविधाएं
- एचडीटीवी प्रोडक्शन (अग्रगामी प्रोजेक्ट पारित, नवीन योजना पारित होनी शेष)

(ii) ट्रांसमीटर संबंधी स्कीमें

- 3 स्थानों पर नवीन एचपीटी
- 100 एलपीटी के स्थान पर ऑटोमोड एलपीटी
- संगीत उपकरणों में बदलाव
- मोबाइल टीवी (पारित होना शेष)
- टैरेस्ट्रियल ट्रांसमीटर्स का डिजिटलीकरण (पारित होना शेष)

(iii) सेटेलाइट एवं मिश्रित कार्य योजनाएं

- नवीन गठन हेतु डीएसएनजी की सप्लाई
- 4 महानगरों एवं 11 डीडीके (8 स्थानों पर कार्य पूर्ण होने के निकट) स्थानों पर स्टाफ क्वार्टर एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर संबंधी कार्य
- ई-प्रोक्योरमेंट

12. पूर्वोत्तर के लिए विशेष पैकेज - द्वितीय चरण

पूर्वोत्तर राज्य

- गुवाहाटी के अर्थ स्टेशन का उन्नतिकरण (2 पूर्वोत्तर चैनलों के लिए)
- दूर-दराज क्षेत्रों की कवरेज हेतु डीटीएच रिसीव यूनिटों और टीवी (25000 सेट)
- डीडीके में ओबी एवं पोस्ट-प्रोडक्शन सुविधाएं
- 4 डीएसएनजी
- कोकराझार (असम) में स्थायी एचपीटी सेटअप

अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह

- पोर्ट ब्लेयर में एचपीटी (डीडी-1 एवं डीडी न्यूज)
- 16 नए वीएलपीटी (डीडीआई-10, डीडी न्यूज-6)
- मौजूदा 6 वीएलपीटी का उन्नतिकरण
- पोर्ट ब्लेयर स्टूडियो का संवर्द्धन और स्टूडियो केंद्र में डीएसएनजी की सुविधा
- सी बैंड में डीटीएच सेवा
- 1000 डीटीएच रिसीव यूनिट एवं टीवी सेट की उपलब्धता

लक्षद्वीप

- 6 नए वीएलपीटी (डीडी न्यूज)
- 9 मौजूदा वीएलपीटी का उन्नतिकरण

13. जम्मू-कश्मीर हेतु विशेष पैकेज - द्वितीय चरण

- जम्मू-कश्मीर में 10000 डीटीएच सेटों का वितरण
- जम्मू-कश्मीर में टीवी ट्रांसमीटरों के लिए यूपीएस (कुल 40)
- जम्मू के अर्थ स्टेशन का उन्नतिकरण

अध्याय-4
केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

;करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	11वीं पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत परिव्यय	वार्षिक योजना 2007-08						
			स्वीकृत परिव्यय	31.12.2007 तक वास्तविक खर्च	खर्च का प्रतिशत	भौतिक लक्ष्य	वास्तविक उपलब्धि	प्रतिशत	कमी का कारण
1.	2.	3	4	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	कम्प्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली की स्थापना और सीएफसी में बुनियादी सुविधाओं का उन्नयन	3.50	0.51	0.0612	12	सीबीएफसी में नेटवार्किंग विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में इंटरनेट/इंटरनेट सुविधाएं। पंजीकरण और प्रमाणीकरण मोड्यूल पर फीडबैक, सूर्य मैनेजमेंट, कंप्यूटरों की वार्षिक रखरखाव की डाटा एंटी सॉफ्टवेयर लाइसेन्स का नवीनीकरण, मोडेम, इंटरनेट गेटवे, लीज लाइनों का किराया तथा तकनीकी उपकरणों की खरीद तथा सीबीएफसी में ढांचागत विकास।	चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, तिरुअंतपुरम, बंगलूर और हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालयों में आवश्यक उपकरणों के साथ नेटवर्किंग स्थापित कर दी गई है। अध्यक्ष के मौड्यूल पर यूएटी पूर्ण। फार्म 1,1ए, 2,2ए संबंधी सुधार प्रगति पर है। विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए सर्च मैनेजमेंट मौड्यूल पर डाटा एंट्री का कार्य प्रगति पर है। पे रोल पैकेज में डाटा एंट्री का कार्य प्रगति पर है। लेपटॉप, टी वी, वीसीडी खरीदे गए। एसएफसी ने कार्यक्रम को मंजूरी नहीं दी है।	15	कम्प्यूटरीकरण का कार्य प्रगति पर है।

2.	नई दिल्ली, कटक और गुवाहाटी में बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना।		0.90	–	–			–	कार्यक्रम को अभी एसएफसी की मंजूरी नहीं मिली है।
3.	प्रमाणन प्रक्रिया की जांच और आधुनिकी-करण	500.00	0.60	33.32	55.53	टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसिज की मदद से व्यवहार विज्ञान के सामाजिक प्रभाव के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए अध्ययन कराना। बोर्ड सदस्यों और पैनल सदस्यों की कार्यशालाओं का आयोजन करना। प्रत्येक केंद्र पर एक कार्यशाला तथा सभी क्षेत्रीय केंद्रों में एकरूपता के लिए अखिल भारतीय पैनल कार्यशाला	निम्नलिखित कार्यशालाओं सेमिनारों का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यशालाओं/ सेमिनारों की कुल संख्या का विवरण इस प्रकार है: 1. 12.5.07 को तिरुअनंपुरम में कार्यशाला आयोजित। 2. 7.9.07 को मुंबई में कार्यशाला आयोजित। 3. 10.9.07 को नई दिल्ली में बोर्ड बैठक-सह-कार्यशाला। 4. 15 और 16.12.07 को शिलांग में बोर्ड बैठक-सह-कार्यशाला। 5. 29.12.07 को नई दिल्ली में कार्यशाला आयोजित। 6. 8.1.08 को मुंबई में कार्यशाला-सह-सेमिनार आयोजित।	50	कार्यशालाओं/सेमिनार आयोजित
	कुल	8.50	2.01	0.3944	19.62				

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य/परिणाम	परिव्यय2008-09	परिमाणनीय स्थिरता	31 दिसम्बर 2008 तक खर्च
	कम्प्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली की स्थापना और सीबीएफसी में बुनियादी सुविधाओं का उन्नयन	सीबीएफसी में प्रमाणन प्रक्रिया का कम्प्यूटरीकरण और क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए उपकरणों की खरीद तथा ढांचागत उन्नयन।	0.58	प्रमाणन प्रक्रिया कम्प्यूटरीकृत की जाएगी और 9 क्षेत्रीय कार्यालयों को कम्प्यूटर से जोड़ा जाएगा तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए टीवी, वी सी डी, डीवीडी और अन्य तकनीकी उपकरण खरीदे जायेंगे। तथा सीबीएफसी में ढांचागत उन्नयन किया जायेगा।	31 दिसम्बर, 2008 तक करीब 50 लाख रुपये खर्च करने का प्रस्ताव था, जिसमें बुनियादी ढांचे , तकनीकी उपकरण, डाटा एंट्री, टीवी/डीवीडी और वीसीआर संबंधी खर्च शामिल हैं। कंप्यूटरों का वार्षिक रखरखाव, सॉफ्टवेयर लाइसेंस का नवीनीकरण, मोडेम किराया इंटरनेट गेट वे, लीज लाइनों पर खर्चा।
2.	प्रमाणन प्रक्रिया का आधुनिकीकरण और निगरानी	बोर्ड सदस्यों/पैनल सदस्यों की कार्यशालाओं का आयोजन, अध्ययन करवाना।	0.86	बोर्ड के सदस्यों और परामर्श पैनल के सदस्यों के लिए नियमित अंतराल पर कार्यशालाओं का आयोजन। प्रमाणन प्रक्रिया के बारे में अध्ययन कराना / तत्संबंधी जानकारी एकत्र करना।	31 दिसम्बर, 2008 तक 50 लाख रुपये खर्च करने का प्रस्ताव था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत फिल्म प्रमाणन के निरीक्षण अधिकारियों/बोर्ड सदस्यों और पैनल सदस्यों की कार्यशालाओं के आयोजन और टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसिज, जैसे संगठन के जरिए अध्ययन कराके जानकारी प्राप्त करने की व्यवस्था है। अनुमानित खर्च 50 लाख रुपये से कम होना है क्योंकि फरवरी, 2007 से निजी खुफिया एजेंसियों का काम बंद कर दिया गया है।

बाल फिल्म समिति, भारत

(सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत स्वायत्तशासी निकाय)

पिछले प्रदर्शन की समीक्षा

(उपलब्धियां)

उपलब्धियां	लक्ष्य	प्रत्याशित उपलब्धियां 2007-08		लक्ष्य 2008-09
2006-07	2007-08	अप्रैल-दिसंबर 2007	जनवरी-मार्च 2008	

निर्माण

1.	निर्माण	7 फीचर फिल्में 4 लघु फिल्में	5 फीचर + 2 लघु फिल्में	–	2 फीचर 1 लघु फिल्म	5 फीचर + 2 लघु फिल्में
2.	डबिंग	3 फिल्में	14 फिल्में	3 फिल्में पूरी हो गईं	मांग के अनुसार	14 फिल्में
3.	उप-शीर्षक	–	10 फिल्में	–	–	10 फीचर + 2 लघु फिल्में
4.	खरीद	1 फीचर फिल्म	3 फिल्में	–	–	3 फिल्में
5.	प्रिंट की लागत	–	–	–	–	– –

योजना-II-समारोह

1.	समिति द्वारा आयोजित बाल फिल्म समारोह	14 समारोह	–	स्वर्ण जयंती फिल्म समारोह	–	15 बाल फिल्म समारोह
2.	अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भागीदारी	15	15	14	5	15

योजना-III आधुनिकीकरण और विकास

1.	वीडियो	–	–	–	–	–
2.	सूचना व प्रोद्योगिकी	मौजूदा कम्यूटरों का उन्नयन	सहायक उपकरणों की खरीद व मौजूदा कंप्यूटरों का उन्नयन	–	मौजूदा कंप्यूटरों का उन्नयन व दफ्तर के श्रम के लिए सॉफ्टवेयर की खरीद	2 लैपटॉप कंप्यूटरों की खरीद और मौजूदा कंप्यूटरों का उन्नयन

योजना-IV - कार्यशालाएं

1.	एनिमेशन	17	8	5	3	8
2.	फिल्म निर्माण					

योजना-V - दर्शक अनुसंधान व बाजार सर्वेक्षण

–	–	–	–	–	–	–

डिजिटल रूपांतरण और इंटरनेट पर प्रसारण

1.	डिजिटल रूपांतरण	–	–	–	–	सभी फिल्मों के डिजिटल रूपांतरण का प्रस्ताव है
2.	इंटरनेट पर प्रसारण	–	समिति की वेबसाइट का रखरखाव	–		समिति की वेबसाइट का रखरखाव

नगर निगम के स्कूलों में फिल्मों का प्रदर्शन

सरकारी स्कूलों में फिल्मों का प्रदर्शन	27 लाख से ज्यादा बच्चों के लिए 6703 प्रदर्शन आयोजित	25 लाख से ज्यादा बाल दर्शकों के लिए 5000 प्रदर्शन आयोजित	17 लाख से ज्यादा बाल दर्शकों के लिए 3433 प्रदर्शन आयोजित	तमिलनाडु कर्नाटक, केरल, तथा 12 अन्य राज्य में 6 लाख बाल दर्शकों के लिए प्रर्दशनों की योजना	25 लाख बाल दर्शकों के लिए 5000 प्रदर्शनों का आयोजन
हैदराबाद में सी एफ एस आई बाल फिल्म परिसर	–	–	–	–	फिलहाल इस योजना को रोक दिया गया है क्योंकि आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए दी गई भूमि का आबंटन रद्द कर दिया गया है

विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय

(I) वर्ष 2006-2007 के लक्ष्य और उपलब्धियां

वित्तीय

रुपये करोड़ में

(बजट अनुमान 2006-2007)			(वास्तविक खर्च 2006-2007)		
योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
2.59	59.25	61.84	1.3447	58.2096	59.5543

वास्तविक प्रदर्शन :

वार्षिक योजना 2006-2007

वास्तविक एवं वित्तीय उपलब्धियां

वार्षिक योजना 2006-07 के अंतर्गत जारी एक कार्यक्रम : 'विकासात्मक प्रचार कार्यक्रम : अवधारणा और सम्प्रेषण' के लिए 2.59 करोड़ रुपये का कुल परिव्यय स्वीकृत किया गया, जिसे अंतिम अनुदान के चरण पर घटा कर 1.4306 करोड़ कर दिया गया। मार्च 2007 तक इसमें से 1.3447 करोड़ और वित्तीय लक्ष्य के संदर्भ में 94.00 प्रतिशत उपलब्धि हासिल की। यह योजना कार्यक्रम बाह्य प्रचार, मुद्रित प्रचार, डिस्प्ले और वर्गीकृत विज्ञापन तथा इलेक्ट्रानिक माध्यम में सूचना सम्प्रेषण के माध्यम से लागू किया गया।

1) बाह्य प्रचार :

'बालिका शिशु और बाल विवाह निषेध' के बाह्य प्रचार के अंतर्गत 45 होर्डिंग्स, 550 ट्रेन पैनल, 100 मेट्रो पैनल, 40 मेट्रो कियोस्क और एक डिस्प्ले बोर्ड प्रदर्शित किए गये।

2) वर्गीकृत डिस्प्ले :

सरदार पटेल जन्म दिवस तथा समर यात्रा के बारे में सम्पूर्ण देश में उत्तर पूर्व क्षेत्र सहित विज्ञापन जारी किए गए।

3) मुद्रित प्रचार :

यूपीए सरकार के मुख्य कार्यक्रमों पर 74000 पुस्तिकाएं लोगों को वितरित की गईं।

4) रेडियो स्पॉट :

सूचना के अधिकार पर 30-40 सेकंड का वीडियो तथा आडियो स्पॉट पुनरुत्थानशील भारत के बारे में 60 सेकंड का वीडियो स्पॉट, आंतकवाद विरोध के बारे में 20-40 सेकेंड का आडियो स्पॉट तथा एक जिंगल, शहीद दिवस पर 10 सेकेंड का वीडियो स्पॉट तथा गांधी जंयती पर 10 सेकेंड का वीडियो स्पॉट बनाए गए तथा निजी/दूरदर्शन केंद्र/ऑल इंडिया रेडियो पर प्रदर्शित/प्रसारित किए गए।

योजना/गैर योजना/अन्य मंत्रालय विभाग

वर्ष 2006-2007 के दौरान लक्ष्य और उपलब्धियां नीचे दी गई हैं :-

क्र.स	ब्योरा	लक्ष्य	उपलब्धियां
1	प्रदर्शनी	650	817
2	डिस्प्ले/वर्गीकृत विज्ञापन	25435	19908
3	रेडियो/टेलीविजन पर विज्ञापन	4595	3405@
4	मुद्रित प्रचार	160	180*
5	बाह्य प्रचार	250	269

@ इसके अंतर्गत सभी भाषाओं में तैयार रेडियो स्पॉट/प्रायोजित रेडियो कार्यक्रम शामिल हैं, जिनमें 58257 प्रसारण और 72880 टेलीकॉस्ट शामिल हैं।

* विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित 630 आइटम शामिल हैं।

II) वर्ष 2007-2008 के लक्ष्य और उपलब्धियां

बजट आबंटन :

रुपये करोड़ में

योजना	गैर-योजना	कुल
26.01*	61.3925	87.4025

*पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए 2.60 करोड़ रुपये शामिल हैं।

वास्तविक प्रदर्शन

वार्षिक योजना 2007-08 : वार्षिक योजना 2007-08 में दो योजना कार्यक्रम

i) विकासात्मक प्रचार कार्यक्रम : 'अवधारणा और सम्प्रेषण' (पहले से जारी) के लिए 26.01 करोड़ रुपयों का परिव्यय स्वीकृत किया गया था (जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 2.60 करोड़ रुपये भी शामिल हैं) इसे घटाकर 17.8719 करोड़ रुपये कर दिया गया जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए 2.60 करोड़ रुपये शामिल हैं तथा

ii) 'डीएवीपी का आधुनिकीकरण' नई योजना जिसे 1 लाख रुपयों के प्रावधान के साथ 11वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था और संशोधित अनुमान चरण पर 54 लाख रुपये कर दिया गया। 31.12.2007 तक 1506 लाख रुपयों की राशि व्यय की जा चुकी है।

उपलब्धियां :-

विकासात्मक प्रचार कार्यक्रम : अवधारणा और सम्प्रेषणा योजना वार्षिक योजना 2007-08 के अंतर्गत विभिन्न प्रचार माध्यमों से लागू की गई।

1) बाह्य प्रचार :

'भारत की आजादी के 60 वर्ष' अभियान पर बाह्य प्रचार के माध्यम से 20 होर्डिंग, 695 बस पैनल, 7 मेट्रो स्टेशन डिस्प्ले बोर्ड, 9 जन सुविधा तथा मेट्रो स्टेशन के भीतर 100 पैनल पूर्वोत्तर राज्यों सहित पूरे देश में प्रदर्शित किए गए।

2) मुद्रित प्रचार :

यूपीए सरकार के तीन वर्ष पूरे होने पर 'रिपोर्ट टू द पीपल' की 20,000 पुस्तिकाएं मुद्रित की गईं। 2,20,000 फोल्डर तथा 20000 पोस्टर भी मुद्रित किए गए।

3) डिस्प्ले एवं वर्गीकृत विज्ञापन :

पूरे देश में विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से साझी शहादत, साझी विरासत, राष्ट्रीय ग्रमीण रोजगार गांरटी अधिनियम तथा भारत निर्माण के बारे में विज्ञापन जारी किये गए।

4) इलेक्ट्रानिक मीडिया पर सूचना सम्प्रेषण :

इस वर्ष मुख्य प्रचार अभियानों में ट्रेन प्रदर्शनी, स्वतंत्रता दिवस, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, के बारे में आडियो/वीडियो निर्माण, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम, गांधी जंयती, सूचना के अधिकार अधिनियम, रेल प्रदर्शनी तथा भारत निर्माण पर आडियो/वीडियो स्पॉट का दूरदर्शन तथा विभिन्न अन्य निजी चैनलों के माध्यम से पूरे देश में प्रचार किया गया।

ख) योजना/गैरयोजना/ अन्य मंत्रालय/विभाग (2007-08)

क्र.स.	ब्योरा	लक्ष्य	31.03.08 तक उपलब्धियां
1	प्रदर्शनी	650	549
2	डिस्प्ले/वगीकृत विज्ञापन	25435	16303
3	रेडियो/टीवी पर विज्ञापन	5940	1993@
4	मुद्रित प्रचार	205	119*
5	बाह्य प्रचार	250	250

@ इसके अंतर्गत सभी भाषाओं में तैयार किए गए रेडियो स्पॉट/प्रायोजित रेडियो कार्यक्रमों तथा वीडियो स्पॉट सम्मिलित हैं। इनका सम्प्रेषण 64258 ब्राडकास्ट प्रसारण तथा 95756 टेलीकास्ट के द्वारा किया गया।

*विभिन्न भाषाओं में किए गए 234 कार्य।

वित्तीय

बजट अनुमान

करोड़ रुपये में

योजना	गैर-योजना	कुल
21.76	52.60	74.36

वास्तविक लक्ष्य

योजना/गैर-योजना/अन्य मंत्रालय/विभाग

क्र.सं.	विवरण	लक्ष्य
1.	प्रदर्शनी	650
2.	डिस्पले	18000
3.	रेडियो/टीवी पर विज्ञापन	3442
4.	प्रिंटड प्रचार	137
5.	आउटडोर प्रचार	250

वार्षिक योजना 2008-09

वार्षिक योजना 2008-09 की दो योजना स्वकीम हैं अर्थात (i) 'विकासात्मक प्रचार कार्यक्रम: अवधारण और संप्रेषण' जिसका परिव्यय 19.09 करोड़ रुपये है तथा (ii) 'डीएवीपी का अधुनिकीकरण' जिसके लिये 2.67 करोड़ रुपये का परिव्यय है। 'विकासात्मक प्रचार कार्यक्रम...' स्कीम फ्लेगशिप कार्यक्रमों पर प्रमुख राष्ट्रीय अभियान है और मल्टीमीडिया प्रचार के जरिये सरकार की नीतियों का प्रचार कर रही है। ऊपर बताई गई स्कीम के अतिरिक्त वार्षिक योजना 2008-09 में डीएवीपी के आधुनिकीकरण का जिम्मा लिया है और 11वीं योजना में 'कंप्यूटरीकरण और डिजीटलीकरण', 'कार्यालय ढांचा' तथा 'मानव संसाधन विकास' का कार्य भी है।

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय

विगत कार्य निष्पादन की समीक्षा

वित्तीय कार्य निष्पादन

(हजार रुपये में)

योजना/गैर-योजना	2006-07		2007-08		2008-09
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य
योजना	9300	9085	1200	शून्य	20000
गैर-योजना	270100	250614	259910	185800	262500

वास्तविक (कार्यक्रम) निष्पादन

(हजार रुपये में)

योजना (गैर-योजना)	2006-07		2007-08		2008-09
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य
दौरे वाले दिन	33816	21553	33816	12065	33816
फिल्म शो	60924	37824	60924	21088	60924
विशेष कार्यक्रम	7380	10333	7380	5485	7380

फिल्म समारोह निदेशालय

योजना शीर्ष के तहत 2006-07 तथा 2007-08 (31.12.2007 तक) के वास्तविक प्रदर्शन की समीक्षा

क्र. सं.	स्कीम का नाम	2006-07 के लिए लक्ष्य	उपलब्धियां	कमी के कारण	2007-08 के लिए लक्ष्य	उपलब्धियां 2007-08 1.2.08 तक	वास्तविक प्रदर्शन की समीक्षा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	भारत के अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह सहित भारत तथा विदेश में फिल्म समारोहों के जरिए निर्यात संवर्धन	01	01	शून्य	01	01	प्रशा. खर्चे
2.	(i) विदेशी फिल्म समारोहों में भागीदारी	45	46	शून्य	45	39	शून्य
	(ii) भारतीय पैनोरमा	01	01	शून्य	01	01	शून्य
3.	फिल्म समारोह परिसर फेरबदल और अतिरिक्त	परिसर में आवश्यक कार्य	पूर्ण	-	अतिरिक्त तथा ठीक करना		

गैर-योजना

1	2	3	4	5	6	7	8
1	सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के तहत फिल्म समारोह	12	14	शून्य	12	8	एक प्रस्ताव विचाराधीन। एमईए से प्रस्ताव प्राप्त न होने से कमी
2.	राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार	1	-	$	2	1	

$चयन हुआ लेकिन माननीय उच्च न्यायालय द्वारा लगाए गए स्टे के कारण कार्यक्रम नहीं हो सका।

फिल्म प्रभाग

निर्माण (गतिविधि)

अ. (वृत चित्र - न्यूज मैगजीन सहित)

		उपलब्धियां 2006-07	लक्ष्य 2007-08	संभावित उपलब्धियां 2007-08		लक्ष्य 2008-09
				अप्रैल 2007 से दिसंबर 2008 तक	जनवरी 2008 से मार्च 2008 तक	
1.	**फिल्म प्रभाग में ही निर्माण कार्य**					
	अ. गैर-योजना					
(i)	न्यूज मैगजीन	16	0(*)	3	3	0(*)
(ii)	वृत्तचित्र सिनेमा रिलीज	26	26	13	6	26
(iii)	वृत्तचित्र गैर-सिनेमा रिलीज	15	10	10	1	10
(iv)	प्रशिक्षण शिक्षण एवं शिक्षा संबंधी फिल्में	2	0	0	3	0
	कुल	59	36	26	13	36
2.	बाहरी निर्माताओं सहित बाहर करवाया निर्माण			अप्रैल 2007 से दिसंबर 2007	जनवरी 2008 से दिसंबर 2008	
अ	गैर योजना (वृतचित्र)	4	0	4	4	0
	जोड़	**4**	**0**	**4**	**4**	**0**

(**) बाहरी निर्माताओं द्वारा नॉन-प्लान (वृत्तचित्रों) हेतु लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। फिल्मों की संख्या मौजूदा राशि पर निर्भर करती है।

3. योजना

	उपलब्धियां 2006-07	लक्ष्य 2007-08	संभावित उपलब्धियां 2007-08		लक्ष्य 2008-09
			अप्रैल 2007 से दिसं. 2007 तक	जन. 2008 से मार्च 2008 तक	
इन-हाऊस और बाहरी निर्माताओं द्वारा ग्रामीण दर्शकों के लिए विशेष फिल्मों का निर्माण			योजना स्थगित		
कुल					

उपर्युक्त वर्णित फिल्मों के साथ ही, निम्न फिल्में, जिनके लिए अन्य विभागों द्वारा निर्माण व्यय लिया जाता है, पूर्ण हो चुकी है।

विभाग	उपलब्धियां 2006-07	लक्ष्य 2007-08	संभावित उपलब्धियां 2007-08		लक्ष्य 2008-09
			अप्रैल 2007 से दिसं. 2007 तक	जनवरी, 2008 से मार्च, 2008 तक	
1. परिवार कल्याण विभाग (24 रीलें)	1	0	1	0	0
2. अन्य मंत्रालय / विभाग	0	0	0	7	0
जोड़	**1**	**0**	**1**	**7**	**0**

ब. न्यूज मैगजीन

अ. न्यूज मैगजीन निर्माण को उप मुख्य निर्माता (न्यूज रील) के अधीन मुंबई स्थित एक टीम के ऑफिसरों द्वारा संपन्न किया जाएगा जिनके अधीन 14 मुख्य कैमरामैन और 12 सहायक कैमरामैन मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, नई दिल्ली और अन्य महत्वपूर्ण शहरों में स्थित हैं। मुख्य कैमरामैन भिन्न केंद्रों के लिये प्रमुख सूचनाएं कवर करते हैं जिन्हें न्यूज मैगजीन और दूरदर्शन द्वारा इस्तेमाल किया जाता है।

ब. 2007-08 के दौरान फिल्म प्रभाग ने 16 न्यूज मैगजीन तैयार की है। 2007-08 के दौरान 6 न्यूज मैगजीनों के निर्माण की योजना है। हालांकि, सरकार ने थियेटर में रिलीज हेतु और न्यूज मैगजीन न बनाने का फैसला किया है। जिसके अतिरिक्त प्रति सप्ताह एक के हिसाब से 52 वृत्तचित्रों का निर्माण किया जाएगा। हालांकि, प्रमुख कैमरामैन राष्ट्रीय महत्व और अतिविशिष्ट व्यक्तियों की यात्राओं की कवरेज जारी रखेंगे।

4. वितरण

फिल्म प्रभाग वृत्तचित्र और न्यूज मैगजीनों का थियेट्रिकल और गैर-थियेट्रिकल हेतु वितरण करता है। थियेट्रिकल वितरण सिनेमा हॉलों के माध्यम से किया जाता है,

जिन्हें जरूरी प्रदर्शन योजना के अधीन पारित फिल्में (609 मीटर अर्थात् 2001 फीट अधिकतम सीमा तक) प्रदर्शित करनी पड़ती है।

प्रत्यक्ष

प्रिंटिंग एवं कैसेट की संख्या	उपलब्धियां 2006-07	लक्ष्य 2007-08	उपलब्धियां 12/2007 कर	संभावित उपलब्धियां 01/2008 से 03/2008 तक	लक्ष्य 2008-09
थियेट्रिकल रिलीज	13080	13500	1025	3419	14000
गैर थियेट्रिकल रिलीज	93	200	86	114	160
वीएचएस कैसेट और वीसीडी से फिल्म प्रभाग की आपूर्ति	1283 1309	4000 4000	शून्य	-	-
डीएफपी को सेल प्रिंटों की सप्लाई 35 एमएम/16 एम एम (कलर) 35 एम एम/16 एम एम (ब्लैक/व्हाईट)	-	5	1	0	नॉट क्वांटीफियेबल
बीटा (कलर)	5	5	0	2	5
डीवीडी (कलर)	0	20	9	5	नॉट क्वांटीफियेबल
वीएचएस कैसट (कलर)	224	200	96	50	100
वीसीडी (कलर)	3337	4000	2444	1500	4200
परिवार कल्याण					

2. सिनेमा हाउस की संख्या जिन्हें प्रति सप्ताह पारित फिल्में सप्लाई की जाती हैं निम्न हैं:

2006-07	8410
2007-08	8038
2008-09	8200

3. थियेट्रिकल वितरण हेतु, फिल्म डिवीजन एक न्यूज मैगजीन अथवा एक डॉक्यूमेंटरी फिल्म प्रति सप्ताह पूरे देश को एक इकाई के तौर पर रिलीज की जाती है। 263 प्रिंट प्रति सप्ताह थियेट्रिकल वितरण हेतु वर्ष 2007-08 तैयार किये जाते हैं।

4. फिल्म प्रभाग एनएफडीसी और अन्य एजेंसियों की मदद से अपनी फिल्मों का कमर्शियल वितरण करती है। इसके अतिरिक्त, फिल्म प्रभाग स्टॉक शॉट्स और साथ ही सरकार द्वारा स्थापित कमर्शियल और गैर-कमर्शियल रेट बेचता है।

5. विदेश मंत्रालय के स्थान पर, फिल्म प्रभाग विदेश स्थित भारतीय दूतावासों में वृत्तचित्र और नयूज मैगजीनों के प्रिंट सप्लाई करता है, जो उन्हें सरकारों, अर्द्ध-सरकारी संस्थाओं, शैक्षणिक संस्थाओं को मुफ्त प्रदर्शन हेतु प्रदान करते हैं। इसके प्रिंट भी बाहर गैर-कमर्शियल इस्तेमाल हेतु बेचे जाते हैं। फिल्म प्रभाग और एनएफडीसी द्वारा कुछ वृत्तचित्र और न्यूजरीलों का रॉयल्टी आधार पर विदेशों में टेलीविजन पर प्रसारण किया जाता है।

6. फिल्म प्रभाग की भारत में फिल्मों की कमर्शियल प्रदर्शन, प्रिंट बिक्री और स्टॉक शॉट्स और साथ ही व्यर्थ फिल्मों के जरिए 2006-07 की राजस्व आय और 2007-08 और 2008-09 का पूर्वानुमानित राजस्व इस प्रकार है:-

दिसंबर 2007 तक का राजस्व

(रुपये लाख में)

	लघु शीर्ष	2006-07 में वास्तविक	संभावित प्रस्तावित संशोधित अनुमान 2007-08	अनुमान 2008-09
1.	किराया	623.00	650.00	700.00
2.	प्रिंटों की बिक्री और स्टॉक शॉट्स	22.00	16.00	11.00
3.	अन्य प्राप्तियां	16.00	16.00	16.00
	जोड़	661.00	682.00	727.00

(*)

1. अधिकांश प्रदर्शनकर्ता राज्यों के उच्च न्यायालय द्वारा डब्ल्यूपीएस/डब्ल्यूएएस फाइल के संदर्भ में वर्ष 1995-99 के लिये अपनी बकाया राशि का हिसाब लेने नहीं आये हैं।

2. उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, पंजाब और मध्य प्रदेश में 500 से अधिक सिनेमाघरों ने वित्त वर्ष के दौरान फिल्म प्रभाग से अनुमोदित फिल्मे लेना बंद कर दिया।

विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भागीदारी

	समारोहों की संख्या	प्राप्त फिल्मों की संख्या
राज्य फिल्म समारोह	01	33
राष्ट्रीय फिल्म समारोह	03	40
अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह	07	64
जोड़	**11**	**137**

भारत और विदेश में फिल्म समाराहों में भागीदारी

(मुख्य सचिवालय योजना)

फिल्म स्कन्ध में दो मुख्य सचिवालय योजना कार्यक्रम हैं, यानी (i) विदेशी समारोह/बाजारों में भागीदारी और (ii) 2006-07 के दौरान फिल्मों की एंटी पाइरेसी रोकथाम में लगे गैर-सरकारी संगठनों/समारोहों को सहायता। यद्धपि 11वीं योजना के दौरान दूसरी योजना लागू नहीं किया गया। एनीमेशन गेमिंग और विशेष प्रभावों के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की नहीं स्कीम शुरू की गई। वर्ष 2007-08 के दौरान उपर्युक्त दोनों योजनाओं का कार्य निष्पादन इस प्रकार रहा:-

(i) **विदेशों समारोह/बाजारों में भागीदारी :** यह योजना एसएसफसी द्वारा 2007 में मंजूर की गयी थी। इसका उद्देश्य फिल्म उद्योग द्वारा स्वंय निर्यात संवर्द्धन के उपाय करने में समर्थ होने अथवा इस निर्णय को देखते हुए कि कुछ बाजारों का लाभकारी दोहन नहीं किया जा सकता, उसकी सहायता करना है। वास्तव में फिल्म बाजारों में फिल्म उद्योग की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने पर खर्च करने की आवश्यकता है।

फिल्म बाजारों में भागीदार का प्रयोजन भारतीय फिल्म उद्योग को उजागर करना है, और साथ ही फिल्मों से संबद्ध सूचना प्रौद्योगिकी हासिल करना है ताकि वास्तविक व्यापार में संलग्न होने के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सके। विश्व में केंस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह और बाजार, बर्लिन फिल्म समारोह और अमरीकी फिल्म समारोह आदि प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म बाजार हैं। सरकार का प्रयास है कि भारत में फिल्म बाजार के आयोजन सहित भारतीय फिल्म उद्योग को प्रोत्साहन का प्रत्येक अवसर प्रदान किया जा सके।

इस कार्यक्रम के लिए भौतिक लक्ष्य निर्धारित किए गए थे और उन्हें हासिल भी किया गया, किंतु ऐसे लाभों को मात्रात्मक रूप में व्यक्त नही किया जा सकता, फिर भी इस उद्योग का स्थिर और निंरतर विकास स्पष्ट रूप से हुआ है। वर्ष 2005-06 के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत खर्च की गयी/जारी की गयी धनराशि का ब्योरा इस प्रकार है:-

(करोड़ रुपये में)

बजट अनुमान 2006-07	**संशोधित अनुमान 2006-07**	**वास्तविक 2006-07 आकड़े**
1.00	1.00 1.29	1.25
बजट अनुमान 2007-08	**संशोधित अनुमान 2007-08**	**दिसंबर 2007 तक जारी धन**
2.20	2.20	1.07

(ii) फिल्म चोरी की रोकथाम (एंटी-पाइरेसी) में लगे गैर-सरकारी संगठन तथा फिल्म समारोह

इस कार्यक्रम के निम्नांकित तीन घटक हैं :-

क) एफएफएसआई को सहायता अनुदान

ख) फिल्म चोरी रोकथाम

ग) राज्य प्रयोजित फिल्म समारोहों को सहायता।

एफएफएसआई करीब 250 फिल्म समितियों का शीर्ष संगठन है, जिसे सहायता अनुदान दिया जाता है ताकि सिनेमा के क्षेत्र संवेदना और श्रोताओं की अभिरुचि का विकास करने में उनकी सहायता की जा सके। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत एफएफएसआई के लिए 20 लाख रुपये का प्रावधान किया गया था। 2006-07 की वार्षिक योजना में किए गए 4 लाख रुपये के प्रावधान की सूचना राशि जारी की समूची राशि जारी की गयी। वार्षिक योजना 2007-08 के दौरान 11वीं योजना अवधि के लिए योजना को लागू करने के लिए विचार नहीं किया गया। पिछले और चालू वित्त वर्ष के दौरान जारी राशि का ब्योरा इस प्रकार है :-

(करोड़ रुपये में)

बजट अनुमान 2006-07	संशोधित अनुमान 2006-07	वास्तविक आंकड़ा 2006-07
0.20	0.20 0.22	0.1954

(iii) एनीमेशन, गेमिंग और विशेष प्रभाव के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना-नई योजना

बोली लगाने वालों से मिली प्रतिक्रियाओं से, मंत्रालय गेमिंग, एनीमेशन और विशेष प्रभावों क्षत्रों की मानव संसाधान आवश्यकता पर अध्ययन हेतु परामर्श नियुक्ति को अंतिम रूप दे रहा है।

बजट अनुमान 2007-08	संशोधित अनुमान 2007-08	दिसंम्बर 2007 तक जारी धन
0.10	0.10	शून्य

भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे

शैक्षणिक निष्पादन

वर्ष 2007-08 के दौरान इस संस्थान में विभिन्न पाठक्रमों के लिए 125 छात्रों ने पंजीकरण कराया हुआ था :

फिल्म एवं टी.वी.में तीन वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठयक्रम	टी.वी. में एक वर्षीय स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र पाठयक्रम	अभिनय में दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा	छाया चित्रों में पटकथा लेखन एक में एक वर्षीय स्नातकोत्तर पाठयक्रम	कला निर्देशन एव प्रोडक्शन डिजाईन में दो वर्षीय स्नत्तकोत्तर डिपलोमा पाठयक्रम	कुल
39	31	20	12	11	113

#एनीमेशन एवं कंप्यूटर में डेढ़ (1½) वर्षीय प्रमाण पत्र

वर्ष 2007-08 के दौरान टी.वी. में 9 नये अल्पकालीन पाठ्यक्रम चलाने का प्रस्ताव रखा गया था। जिसमें से 4 पाठ्यक्रमों को दिसंबर 2007 तक खत्म कर दिया गया था।

एच. आर.डी. से संबंधित जानकारियां निम्न है :

क्र सं	छात्रों/संकाय की संख्या	देश जिनकी यात्राएं की गयी	उद्देश्य
1.	चार छात्र और एक संकाय	स्टुटगार्त, जर्मनी (28.07.2007 से 11.08.2007 तक)	एफ.टी.आई. और मीडिया विश्वविद्यालय के बीच छात्र अध्यापक विनियम कार्यक्रम
2.	दो छात्र	एफएमयू. प्रेगयू (Pragule) 6.9.2007 से 20.9.2007 तक बीच छात्र विनिमय कार्यक्रम	एफटीआईआई और एफ.ए.एम.यू. प्रेगयू के
3.	एक छात्र और एक संकाय	बुडापोस्ट (19.9.2007 से 30.09.2007 तक)	सिनेमेटोग्राफी मास्टर क्लास 2007

सभी छात्र पास हो गए हैं। अतीत की तरह हमारे छात्र तकनीकी एवं सौंदर्य शास्त्र-दोनों ही दृष्टिकोण से सिनेमा का स्तर बढ़ाने में सक्रिय रहे हैं। भारतीय सिनेमा के हर क्षेत्र में उनका स्पष्ट योगदान रहा है।

प्रत्यक्ष निष्पादन

वर्ष 2006-07 में प्रमुख स्कीमों के लिए रु. 621/- लाख रूपया अनुदान राशि के रूप में प्रमुख योजनाओं

(1) एफटीआईआई, पुणे के विकास के लिए और

(2) ग्लोबल फिल्म स्कूल (नया) को मिला है।

दोनों ही योजनाओं को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप प्रयोग किया जा रहा है।

सत्यजित राय फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान, कोलकाता

भौतिक प्रदर्शन

वर्ष 2006-07 के दौरान संस्थान द्वारा संचालित विभिन्न विशिष्ट पाठ्यक्रमों के लिए 71 छात्रों का नांमाकन हुआ। वर्ष 2007-08 के दौरान छात्रों की नामांकन संख्या 74 तक पंहुच गई। छात्रों का विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	पाठ्यक्रम	पुरूष छात्र	महिला छात्र	कुल
1	निदेशन	14	4	18
2	छायांकन	17	1	18
3	संपादन	15	5	20
4	ध्यनांकन	16	2	18
	कुल	62	12	74

भारतीय जनसंचार संस्थान

योजना का नाम	2006-07			2007-08			2008-09 लक्ष्य
	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य पूरा न होने का कारण	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य पूरा न होने का कारण	
निर्माण एवं आवास परियोजना	ऑडिटोरिम में आग नियंत्रण यंत्र को लगाना; निदेशक के नए बनाये गए आवास की सजावट करना; 14 कमरों वाले छात्रावास का इलेक्ट्रिकल और सिविल काम पूरा करना; छात्रावास भवन की सजावट एवं भवन परियोजना कार्य को पूरा करना।	14 कमरों (तीन बेड वाला) छात्रावास इमारत का निर्माण कार्य पूरा किया गया; निदेशक के आवास में इलेक्ट्रिकल कार्य इत्यादि को पूरा किया गया।	कोस के आबंटन होने पर काम पूरा होने की संभावना है।		छात्रावास भवन का निर्माण कार्य पूरा किया गया और सजावट का काम किया जा रहा है।		
अनुसंधान और मूल्यांकन अध्ययन	जनसंचार के विविध पहलुओं में 2-3 शोध अध्ययन आयोजित करना; ब्रॉड बैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना और ऑनलाइन पुस्तकों को अद्यतन करना, कम्प्यूटर टर्मिनलों पर प्रयोग के लिए टाइटिल डाटाबेस तैयार करना। नई मीडिया लाइब्रेरी के लिए किताबें खरीदना और संदर्भ सामग्री खरीदना।	दो शोध अध्ययन आयोजित किए; ब्रॉड बैंड कनेक्टिविटी प्रदान किया और ऑनलाइन पुस्तकों को अद्यतन किया गया और कम्प्यूटर टर्मिनलों पर प्रयोग के लिए टाइटिल डाटाबेस तैयार किया गया और नई मीडिया लाइब्रेरी के लिए किताबें/संदर्भ सामग्री खरीदी गयी।	इस स्कीम के वास्तविक लक्ष्य पूर्ण रूप से पूरे किये गए।				
इलेक्ट्रॉनिक/ प्रिंट /रेडियो/टीवी	टीवी, कैमरा चेन उपकरण तथा डिजीटल वैन की आपूर्ति	टीवी, कैमरा चेन उपकरण तथा डिजीटल वैन प्राप्त किये।	इस स्कीम में वास्तविक लक्ष्य प्राप्त किये गए।				

पत्रकारिता के लिए सुविधाओं का आधुनिकीकरण एवं विस्तार।	प्राप्त करना; आवश्यक आडियो विजुअल और, आई टी संबंधित उपकरणों की खरीद करना।	टी वी स्टूडियो के लिए कूल लाइट और डिजीटल बीसी आर के प्रकाश नियंत्रण के लिए मॉनीटर प्रोसेसर, एडिटिंग कनेक्टर, रेडियो और टी वी संग्रहालय के लिए डी वी से ए वी फाइल के लिए सॉफ्टवेयर और बेसिल के साथ दिये गए वीडियोएडिटिंग सिस्टम की खरीद के आदेश।				
क्षेत्रीय शिक्षण केंद्रों के साथ सहयोग।	विश्वविद्यालयों के क्षेत्रीय केंद्रों के साथ सहयोग करना और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए अल्पावधि प्रशिक्षण कोर्स आयोजित करना।	पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रशिक्षु पत्रकारों के लिए अल्प अवधि वाले कोर्स आयोजित किये गए। नागालैंड विश्वविद्यालय के छात्र आए और शैक्षणिक उद्देश्य और इंटर्नशिप के लिए रुके। उनके लिए कुछ शैक्षणिक कक्षाओं का आयोजन किया गया।	किसी विश्वविद्यालय के साथ कोई सहयोग तय नहीं किया जा सका।			

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी)

पाठ्यक्रमों की उपलब्धियां और लक्ष्य

योजना का नाम	2006-07			2007-08			2008-09
	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य पूरा न होने के कारण	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य पूरा न होने के कारण	लक्ष्य
जनसंचार में प्रशिक्षण, पाठन और शोधन।	स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम आयोजित करना : 1. पत्रकारिता हिंदी-40 2. पत्रकारिता अंग्रेजी-40 3. पत्रकारिता उड़िया-15 4. विज्ञापन एवं जनसंपर्क -40 5. रेडियो एवं टी.वी पत्रकारिता-40 6. विकास पत्रकारिता-40 सेवारत केंद्रीय/राज्य सरकार कर्मियों के लिए (रक्षा कर्मियों समेत) अल्पावधि प्रशिक्षण कोर्स। वर्कशॉप आयोजित करना-330 से 450 प्रतिभागी सरकार की आवश्यकता के अनुसार आई.आई.एस. अधिकारियों के लिए सेवारत कोर्स। जनसंचार के विविध पहलुओं पर शोध अध्ययन आयोजित करना (2-3 अध्ययन) अर्द्धवार्षिक जर्नल कम्यूनिकेटर (अंग्रेजी) और माध्यम (हिंदी) और छात्रों के अन्य लैब जर्नल निकालना	वास्तविक लक्ष्यों के अनुसार सभी डिप्लोमा कोर्स आयोजित किये और पत्रकारिता ए.डी.पी.आर. में 214 छात्रों को डिप्लोमा प्रदान किया। दो विकास पत्रकारिता कोर्सों में कई देशों के 44 प्रतिभागियों को डिप्लोमा प्रदान किया गया। योजना के अनुरूप कई अल्पावधि के प्रशिक्षण कोर्स/वर्कशॉप अयोजित किये गए। केंद्र/राज्य सरकार के विभागों और रक्षा सेवाओं के 337 सेवारत कर्मियों ने भाग लिया। तीन शोध अध्ययन पूरा किया। छात्रों का लैब जर्नल प्रकाशित किया।	लक्ष्य के अनुरूप पाठ्यक्रम आयोजित किये गए।	स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम आयोजित करना : 1. पत्रकारिता हिंदी-40 2. पत्रकारिता अंग्रेजी-40 3. पत्रकारिता उड़िया-15 4. विज्ञापन एवं जनसंपर्क -45 5. रेडियो एवं टी.वी. पत्रकारिता-30 6. विकास पत्रकारिता में दो पाठ्यक्रम (प्रत्येक पाठ्यक्रम में 20-25 प्रतिभागी) केंद्र/राज्य सरकार के सेवारत कर्मियों (रक्षा सेवा कर्मियों समेत 350-400) के लिए अल्पावधि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/वर्कशॉप सरकार की आवश्यकता के अनुरूप आई.आई.एस. अधिकारियों के लिए सेवारत कोर्स जनसंचार के विविध पहलुओं पर शोध अध्ययन आयोजित करना। अर्द्धवार्षिक जर्नलों और छात्रों के लैब जर्नलों को निकालना।	वर्तमान शैक्षणिक वर्ष के दौरान विभिन्न डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में कुल 221 छात्र (14 एन.आर.आई. समेत)। अगस्त, 2007 में प्रथम विकास पत्रकारिता पाठ्यक्रम (24 प्रतिभागियों समेत) खत्म हुआ और अगला पाठ्यक्रम 17 प्रतिभागियों के साथ अप्रैल 2008 तक चलेगा। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान 286 प्रतिभागियों के साथ कुल 19 अल्प अवधि वाले कोर्स आयोजित किये गए और कुछ और कोर्स आयोजित किये जा रहे हैं। वर्ष के दौरान तीन शोध अध्ययन किये गए। डिप्लोमा पाठ्यक्रम के छात्रों द्वारा लैब जर्नल निकाला गया।	योजना के अनुसार प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित फैकल्टी के पदों एवं अन्य सहयोगी कर्मचारियों के पदों में रिक्तियों के कारण अर्द्ध वार्षिक जर्नल नहीं निकाला जा सका।	स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम आयोजित करना : 1. पत्रकारिता हिंदी-40 2. पत्रकारिता अंग्रेजी-40 3. पत्रकारिता उड़िया-15 4. विज्ञापन एवं जनसंपर्क-40 5. रेडियो एवं टी.वी. पत्रकारिता-40 6. विकास पत्रकारिता-40 केंद्र/राज्य सरकार के सेवारत कर्मियों (रक्षा सेवा कर्मियों समेत 330-450) अल्पावधि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/वर्कशॉप सरकार की आवश्यकता के अनुरूप आई.आई.एस. अधिकारियों के लिए सेवा पाठ्यक्रम। जनसंचार के विविध पहलुओं पर शोध अध्ययन आयोजित करना। अर्द्धवार्षिक जर्नल कम्यूनिकेटर-अंग्रेजी और माध्यम-हिंदी और छात्रों के अन्य लैब जर्नलों को निकालना।

योजना का नाम	2006-07			2007-08			2008-09 लक्ष्य
	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य पूरा न होने का कारण	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य पूरा न होने के कारण	
भारतीय जनसंचार संस्थान को अन्तर्राष्ट्रीय मीडिया विश्वविद्यालय में परिवर्तित करना।				ई.एफ.सी. की मंजूरी के लिए मीडिया विश्वविद्यालय के प्रस्तावों को सौंपना; उचित स्तरों पर पदों के निर्माण के लिए प्रस्तावों को सौंपना; कम्प्यूटर लैब की स्थापना, पुस्तकालय एवं प्रिंटिग प्रेस के विस्तार एवं पठन एवं संदर्भ सामग्री की खरीद के लिए योजना का निर्माण करना।	इस स्कीम को क्रियान्वित करने के लिए प्रारंभिक कार्य शुरू किया।	इस स्कीम के क्रियान्वयन के लिए योजना आयोग की सैद्धांतिक मंजूरी अभी तक नहीं मिली है। प्राधिकरणों की मंजूरी के पश्चात इस स्कीम के अंतर्गत नए पद बनाये जा सकते हैं। इस संस्थान के गैर योजना संकाय और अन्य पद रिक्त हैं और इनका फरवरी 2008 के दौरान विज्ञापन दिया गया है। इन पदों की चयन प्रक्रिया अप्रैल-मई 2008 तक पूरा होने का अनुमान है।	i. उचित स्तरों पर फैकल्टी का निर्माण और पदों का निर्माण; ii. भवन निर्माण के लिए स्थलों की पहचान करना और विविध एजेंसियों की स्वीकृति प्राप्त करना; iii. आवश्यक नवीनीकरण कार्य पूरा करना। iv. कम्प्यूटर लैब की स्थापना के लिए योजनाओं का निर्माण। v. तकनीकि समितियों की मदद से शिक्षण सहयोग उपकरण तय करना और समर्थ निकायों की मंजूरी प्राप्त करने के बाद आदेश निर्गत करना। vi. लाइब्रेरी विस्तार के लिए योजना का निर्माण और विविध प्राधिकरणों की मंजूरी के लिए इसे सौंपना। vii. कक्षाओं/संकाय कक्षों की सजावट करना।

भारत का राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय

वित्तीय समीक्षा :

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	योजना का नाम	वास्तविक व्यय 2005-06	वास्तविक व्यय 2006-07	स्वीकृत बजट अनुसार 2007-08	संशोधित अनुमान 2007-08	31.12.07 तक वास्तविक व्यय
1.	चालू योजना अभिलेखा फिल्मों की प्राप्ति एवं प्रदर्शन	1.0768	0.7967	1.01	1.01	0.7692
2.	नई स्कीम एन.एफ.ए.आई. पुणे के दूसरे चरण का निर्माण कार्य	3.00	6.47	-	-	-
	कुल	4.0768	7.2667	1.01	1.01	0.7692

वास्तविक उपलब्धियां

अप्रैल से दिसंबर 2007 की अवधि के दौरान एनएफएआई ने 246 फिल्में, 228 पुस्तकें, 68 फिल्म फोल्डर, 56 फिल्म स्क्रिप्ट,1208 छायाचित्र, 284 गीत पुस्तिकाएं, 5600 पत्र कतरनें, 1150 दीवार पोस्टर्स, 322 वीडियो कैसेटें, 130 डीवीडी प्राप्त की और 799 इमेजों को सीडी में परिवर्तित किया। 6 भारतीय फिल्मों में अंग्रेजी के उप-शीर्षक लगाये गए।

एन.एफ.ए.आई. पुणे के दूसरे चरण का निर्माण कार्य

एन.एफ.ए.आई. पुणे के दूसरे चरण का निर्माण कार्य कुछ समापन कार्य को छोड़कर पूरा कर लिया गया है। वातानुकूलन एवं अद्रता को समाप्त करने वाले तंत्र की जांच प्रक्रिया सफलतापूर्वक कर ली गयी है।

योजनावार वास्तविक लक्ष्य एवं उपलब्धियां
(2006-07 और 2007-08)

क्रम संख्या	योजना/कार्यक्रम का नाम	वास्तविक लक्ष्य 2006-07	वास्तविक उपलब्धियां 2006-07	वास्तविक लक्ष्य 2007-08	वास्तविक उपलब्धियां 31.12.2007 तक	कमी के कारण यदि कोई है
1.	**चालू योजना** अभिलेखा फिल्मों की प्राप्ति एवं प्रदर्शन।	700 अदद फिल्में/डीवीडी/वी.एच.एस. प्राप्त करना।	1141 अदद फिल्में/डीवीडी/वी.एच.एस. प्राप्त कीं।	600 अदद फिल्में/डीवीडी/वी.एच.एस. प्राप्त करना।	705 अदद फिल्में/डीवीडी/वी.एच.एस. प्राप्त कीं।	कोई कमी नहीं
2.	**नई योजना** एन.एफ.ए.आई. पुणे में चरण-II भवन का निर्माण।	परियोजना को पूरा करना।	निर्माण कार्य कुछ समापन कार्य को छोड़कर पूरा कर लिया गया था।	-	-	-

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड

वास्तविक लक्ष्यों के साथ अनुमानित उपलब्धियों तथा वास्तविक उपलब्धियों का वर्ष 2006-07 के लिए स्वीकृति योजना परिव्यय ब्यौरा

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	योजना का नाम	वित्त वर्ष 2006-07 के लिए स्वीकृति परिव्यय		वर्ष 2007-08 की प्रत्याशित उपलब्धियाँ		वर्ष 2006-07 की वास्तविक उपलब्धियाँ		वर्ष 2006-07 के लिये गैर-योजना ऋण	
		वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक
1.	फिल्मों का निर्माण (स्व निर्माण, सह निर्माण एवं सब्सिडी योजना)	475	13	500	13	6	–	–	–
2.	मेट्रो केन्द्रों पर खुद की प्रदर्शनी हेतु ढांचागत सुविधाएं विकसित करना	110	1	110	1	–	–	–	–
3.	तकनीकी उपकरणों का आधुनिकीकरण व प्रतिस्थापन और नई परियोजनाओं की शुरुआत	150	–	150	–	13	–	–	–
4.	बाजार ढांचे का निर्माण और भारतीय फिल्मों को विदेशों में बढ़ावा	50	–	50	–	20	–	–	–
	कुल	**785**		**810**		**39**			

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड

वास्तविक लक्ष्यों के साथ अनुमानित उपलब्धियों तथा वास्तविक उपलब्धियों का वर्ष 2007-08 के लिए स्वीकृति योजना तथा वित्तीय और वास्तविक लक्ष्यों के साथ वार्षिक योजना 2008-09 के लिये योजना प्रस्तावों का ब्योरा

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	योजना का नाम	वित्त वर्ष 2007-08 के लिए स्वीकृति परिव्यय		वर्ष 2007-08 की प्रत्याशित उपलब्धियां		वार्षिक योजना 2008-09 के लिये प्रस्तावित परिव्यय	
		वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक
1.	विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्म निर्माण (नई योजना)	शून्य	शून्य	-	-	6.50	3
2.	#अंतर्राष्ट्रीय/घरेलू सह-निर्माण	5.00	2	5.00	2	5.00	2
3.	#ग्लोबल बाजारों में भारतीय फिल्मों का संवर्द्धन	0.50	-	0.50	-	0.50	-
4.	#पटकथा विकास	0.50	8	0.50	8	0.50	8
5.	इक्विटी भागीदारी (नई योजना)	0.10	-	-	-	8.00	-
	कुल	6.10	-	6.00	-	20.50	-

#ये योजनायें एनएफडीसी की आईआईबीआर के अंतर्गत वित्त पोषित हैं।

पत्र सूचना कार्यालय

वार्षिक योजना 2006-2007

योजना

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	एसबीजी 2007-08	वास्तविक व्यय दिस. 2007 तक	कमी के कारण
1	2	3	4	5
	जारी स्कीम			
1.	नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रेस केन्द्र की स्थापना	10.00	0.82	डीयूएसी/सीपीडब्लूडी से मंजूरी की प्रतीक्षा में एनपीसी की स्थापना पर कोई व्यय नहीं किया सका। तथापि मंत्रालय का निर्देश क्र. 25/47/98 दिनांक 25-7-07 के अनुपालन में पसूका चंडीगढ़ को जम्मू में मीडिया सेंटर वहां आबंटित 82 लाख रु. की राशि पूरी तरह व्यय की गई।
	नवीन योजना स्कीम			
2.	मीडिया आऊटरीच कार्यक्रम	0.09	4.10	जनसूचना अभियान के मद में 2.74 करोड़ रु. की राशि के अतिरिक्त 17.10.2007 को 2.34 करोड़ रु. आबंटित।
3.	विशेष कार्यक्रमों का प्रचार			मद सं. 3(अ), ब एवं द के लिये 217.43 लाख रु. की राशि की प्रशासकीय स्वीकृति 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत दी जा चुकी है। 3(स) को इस स्कीम से हटाकर राष्ट्रमंडल खेलों की आवश्यकता पूरी करने हेतु एक अलग स्कीम में रखा गया है।
अ.	भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह	0.01 टोकन प्रोविजन	0.00	
ब.	प्रवासी भारतीय दिवस समारोह	0.01 टोकन प्रोविजन	0.00	
स.	राष्ट्रमंडल खेलों 2010 हेतु मीडिया प्रबंधन एवं सुविधाओं हेतु	0.01 टोकन प्रोविजन	0.00	
द.	मीडिया आदान-प्रदान कार्यक्रम्	0.01 टोकन प्रोविजन	0.00	
	जोड़	10.13	4.92	नोट: निम्नलिखित मदों के लिये पुनर्रक्षित बजट इस प्रकार है: 1. राष्ट्रीय प्रेस केन्द्र - 0.82 करोड़ रु. 2. मीडिया आऊटरीच - 8.58 करोड़ रु. 3. विशेष आयोजनों का प्रचार - 0.02 करोड़ रु.

पत्र सूचना कार्यालय

वार्षिक योजना 2007-2008

योजना

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	स्कीम/परियोजना	परिव्यय 2006-07			मार्च 2007 तक वास्तविक व्यय	कमी के कारण
		एसबीजी	संशोधित परिव्यय	वास्तविक आबंटन		
1	2	3	4	5	6	7
1.	नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रेस केन्द्र की स्थापना	1000.00	450.00	0	0	अंतिम अनुदान के प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय समस्त राशि लौटा दी गई क्योंकि इस हेतु डीयूएसी/सीपीडब्लूडी की मंजूरी की प्रतीक्षा थी।
2.	पत्र सूचना कार्यालय की गतिविधियों का आधुनिकीकरण एवं कंप्यूटरीकरण	82.55	88.10	53.10	47.31	
क.	डिजीटल स्टोरेज एवं उच्च गति संचार					
ख.	सूचना केंद्र की स्थापना कनेक्शन देना	43.41 (आर)	44.01 (आर)	44.01 (आर)	38.30 (आर)	
	पूर्वोत्तर क्षेत्र में यहां जमीन आबंटित कर दी गई है, पसूका भवन का निर्माण	2500	5.00	5.00	कुछ नहीं	
	कुल	**1150.96**	**587.11**	**102.11**	**85.61**	

भारतीय प्रेस परिषद्

पिछले प्रदर्शन की समीक्षा

प्रेस परिषद के उद्देश्य और कार्य परामर्श के रूप में दिये गये निर्देश और अर्द्ध-न्यायिक प्रकृति के हैं और यह प्रेस के नैतिक स्रुतर को विनियमित करते हैं। इसलिए इसके लक्ष्य और परिणामों को मात्रा के रूप में देखना संभव नही है। मात्रा के रूप में इसी अर्द्ध-न्यायिक गतिविधि ही देखी जाने वाली है। वर्ष 2007-2008/2008-2009 के दौरान प्राप्त शिकायतों और उन पर सुनाये गये निर्णयों पर इसकी स्थिति झलकती है। साल भर में देश के विभिन्न भागों में वाद-विवाद आयोजित किये गये और सर्वसम्मति बनाई गई और राष्ट्रीय प्रेस दिवससमारोह के रूप में सामाजिक प्रभाव और प्रेस की उत्तरदासित्व को न केवल नैतिक दृष्टि से बल्कि पत्रकारिता में भातृभाव बनाये रखने की भी आवश्यकता को समझते हुए इन मूल्यों और नैतिक मानदंडों को पत्रकारों को रास्ता दिखाता है जिससे समाज/देश मानवता का भला हो सके।

क्र.सं	ब्यौरा	2006-07	2007 से अक्टूबर 2008 तक	2008-9 संभावित
1.	लम्बित मामले	760	665	693
2.	दर्ज मामले	750	477	650
3.	परिषद द्वारा मामलों पर निर्णय	207	129	200
4.	अध्यक्ष द्वारा निर्णय लिए जाने वाले मामले	530	320	400
5.	परिषद में सीधे तौर पर रखे गए मामले	2	-	-
6.	वर्ष के अंत तक लंबित मामले	771	693	-

फोटो प्रभाग

वित्तीय प्रदर्शन

2006-07

(रुपये करोड़ में)

अनुमोदित बजट अनुदान			वास्तविक परिव्यय		
योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
1.25	2.71	3.96	1.7141	2.1792	3.8933

2007-08

(रुपये करोड़ में)

	योजना	गैर-योजना	कुल
अनुमोदित बजट अनुमान	0.02	2.3310	2.3510
संशोधित अनुमान	0.55	2.32	2.87
वास्तविक परिव्यय (दिसंबर 2007 तक)	0.2802	1.7257	2.0059

(रुपये करोड़ में)

बजट अनुमान 2008-09

योजना	गैर-योजना	कुल
0.55	2.43	2.98

वास्तविक प्रदर्शन

	2006-07		2007-08		2008-09
	लक्ष्य	प्राप्तियां	लक्ष्य	प्राप्तियां (जनवरी 2008 तक)	लक्ष्य
1. कार्यभार	5000	4067	5000	2422	5000
2. श्वेत-श्याम तथा रंगीन प्रिंट	175000	138790	150000	75396	1,50,000
3. अतिविशिष्ट व्यक्तियों को फोटो एलबम भेंट करना	150	135	150	71	150
4. फोटो परियोजना	300000	4,29,176	-	-	-
5. प्रभाग में डिजिटल फोटो का संचयन	80000	1,05,210	80000	61699	80000

लक्ष्यों तथा प्राप्तियों में अंतर के कारण :

श्वेत-श्याम प्रिंट में लक्ष्य/प्राप्तियों में कमी की प्रवृत्ति

(i) प्रेस को हार्ड कॉपी की आपूर्ति की बड़ी जरूरत अनियमित है।

(ii) पत्र सूचना कार्यालय प्रेस को हार्ड कॉपी (श्वेत-श्याम तथा रंगीन फोटो) देने की बजाए उन्हें इंटरनेट पर डाल देता है। अब जारी किए जाने वाले सभी फोटोग्राफ पसूका की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं जहां से आवश्यकता पड़ने पर समाचार पत्र उन्हें डाउनलोड कर लेते हैं।

(iii) पसूका वेबसाइट में प्रयोग के लिए अधिक संख्या में साफ्ट कॉपी की आवश्यकता है। डिजिटल प्रणाली लागू हो जाने के बाद श्वेत-श्याम फोटोग्राफ के लिए अलग से कवरेज की जरूरत नहीं है।

हालांकि इससे प्रभाग की उत्कृष्टता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रभाग ने प्रदर्शनी प्रिंट्स (ब्लो अप) के उत्पादन में कई गुना बढ़ोत्तरी की है तथा बड़ी संख्या में प्रदर्शनी प्रिंट्स तैयार किए हैं। इसके अतिरिक्त प्रभाग ने पूर्वोत्तर के सभी आठ राज्यों में चल रहे बड़े विकास कार्यों के प्रलेखन का कार्य भी शुरू किया है।

प्रकाशन विभाग

वर्ष 2006-2007 और 2007-08 (31.12.2007 तक) और 2008-09 के लक्ष्य एवं प्रदर्शन

वित्तीय

(लाख रुपये में)

वास्तविक खर्च 2006-07			वास्तविक खर्च 2007-08 (31.12.2007 तक)			बजट आकलन 2008-09		
नियोजित	गैर नियोजित	कुल	नियोजित	गैर नियोजित	कुल	नियोजित	गैर नियोजित	कुल
शून्य	1334.74	1334.74	37.70	991.14	1028.84	42.90	1405.00	1447.90

कार्य

2006-07			2007-08		2008-09
	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य
पत्रिकाएं	20	20	20	20	20
किताबें	120	108	120	58	120

इंटरनेट पर इंडिया-2008 और भारत-2008

इंडिया-2008 और भारत-2008 के 2600 से अधिक पृष्ठों को पीडीएफ फार्मेट में डिजीटाइज करके प्रकाशन विभाग की वेबसाइट www.publicationsdivision.nic.in के डोमेन नाम के तहत डाला गया।

सरकारी-निजी क्षेत्र की साझेदारी

सरकारी-निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए बड़े और अग्रणी पुस्तक विक्रेताओं और प्रकाशकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि विभाग की किताबों की बिक्री बढ़ सके। पांडुलिपियों, प्रूफ रीडिंग, अनुवाद से जुड़े काम आउटसोर्स किए जा रहे हैं। विभाग में पूरी प्रक्रिया के और सूचनाओं के ऑटोमेशन से पारदर्शिता बढ़ेगी। सारी सूचनाएं माउस के एक क्लिक से प्राप्त की जा सकती हैं। टेंडर से जुड़ी सारी जिज्ञासाएं www.publicationsdivision.nic.in पर क्लिक करके ली जा सकती हैं।

विभाग ने 2008-09 में निम्नलिखित नयी गतिविधियों को कार्यरूप देने का प्रस्ताव किया है :-

कार्य विवरण	बजट आकलन (2008-09)
विक्रय केंद्रों और व्यापार कार्यालयों का आधुनिकीकरण	20.00
योजना और कुरुक्षेत्र का डिजीटाइजेशन	10.50
योजना कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण और आधुनिकीकरण	12.00
योजना के लिये वेबसाइट	0.40
कुल	**42.90**

मार्केटिंग और बिक्री संवर्धन

प्रकाशन विभाग के प्रकाशन लोगों तक विक्रय केंद्रों, आउटलेट्स, पुस्तक प्रदर्शनियों और देशभर में फैले 450 एजेंटों के माध्यम से पहुंचते हैं। विक्रय केंद्र नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, चेन्नई, पटना, तिरुवनंतपुरम में हैं। सेल्स आउटलेट्स बंगलौर, गुवाहाटी के योजना कार्यालयों में स्थित है। एक अप्रैल 2007 से 15 जनवरी 2008 तक प्रकाशन विभाग ने देशभर में निम्नलिखित पुस्तक प्रदर्शनियां और मेलों का आयोजन किया।

क्र.सं.	प्रदर्शनी/मेला और उसका स्थान	अवधि
1.	रवीन्द्र भवन, नई दिल्ली में आयोजित पुस्तक प्रदर्शनी, मुख्यालय	11.5.2007 से 20.5.2007
2.	10वां नेवेली पुस्तक मेला, नेवेली, विक्रय केंद्र, चेन्नई	7.7.2007 से 17.7.2007
3.	इरोड पुस्तक मेला, इरोड विक्रय केंद्र, चेन्नई	27.7.2007 से 6.8.2007
4.	पुस्तक प्रदर्शनी मुंबई विक्रय केंद्र, मुंबई	16.8.2007 से 18.8.2007
5.	13वां दिल्ली पुस्तक मेला, नई दिल्ली मुख्यालय	1.9.2007 से 9.9.2007
6.	राष्ट्रीय पुस्तक मेला, जयपुर मुख्यालय	15.9.2007 से 23.9.2007
7.	लखनऊ पुस्तक मेला-2007, विक्रय केंद्र, लखनऊ	28.9.2007 से 7.10.2007
8.	पुस्तक प्रदर्शनी, रायपुर मुख्यालय	28.9.2007 से 8.10.2007
9.	31वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला, वाराणसी, विक्रय केंद्र, लखनऊ	30.10.2007 से 6.11.2007
10.	पुस्तक प्रदर्शनी, लोटस बाजार, नई दिल्ली, मुख्यालय	3.11.2007 से 8.11.2007
11.	राष्ट्रीय बाल एवं युवा पुस्तक मेला, कोलकाता विक्रय केंद्र, कोलकाता	10.11.2007 से 18.11.2007
12.	स्वतंत्र पुस्तक प्रदर्शनी, पुणे विक्रय केंद्र, मुंबई	16.11.2007 से 25.11.2007

13.	22वां हैदराबाद पुस्तक मेला, हैदराबाद विक्रय केंद्र, हैदराबाद	7.12.2007 से 17.12.2007
14.	11वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला, कोच्चि विक्रय केंद्र, तिरुवअनंतपुरम	1.12.2007 से 10.12.2007
15.	8वां राजधानी पुस्तक मेला, भुवनेश्वर, विक्रय केंद्र, कोलकाता	1.12.2007 से 12.12.2007
16.	उत्तर पूर्व पुस्तक मेला, गुवाहाटी विक्रय केंद्र, गुवाहाटी	7.12.2007 से 18.12.2007
17.	पटना पुस्तक मेला, पटना विक्रय केंद्र, पटना	7.12.2007 से 18.12.2007
18.	19वां विजयवाड़ा पुस्तक मेला, विजयवाड़ा विक्रय केंद्र, विजयवाड़ा	1.1.2008 से 11.1.2008
19.	चेन्नई पुस्तक मेला, विक्रय केंद्र, चेन्नई	4.1.2008 से 17.1.2008

विभाग 2007-08 के दौरान निम्नलिखित पुस्तक प्रदर्शनियों/मेलों में भी भाग लेने/आयोजित करने जा रहा है :

क्र.सं.	प्रदर्शनी/मेला और उसका स्थान	अवधि
1.	18वां नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला, नई दिल्ली मुख्यालय	2.2.2008 से 10.2.2008
2.	कोलकाता पुस्तक मेला-2008, विक्रय केंद्र, कोलकाता	30.1.2008 से 10.2.2008

विभाग ने महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अवसरों पर अपने 10 विक्रय केंद्रों में पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की। वर्ष 2007-08 के दौरान आयोजित इन प्रदर्शनियों का ब्यौरा निम्नलिखित है :

क्र.सं.	प्रदर्शनी/मेला और उसका स्थान	अवधि
1.	स्वतंत्रता दिवस पुस्तक प्रदर्शनी	13.8.2007 से 21.8.2007
2.	शिक्षक दिवस पुस्तक प्रदर्शनी	30.8.2007 से 7.9.2007
3.	हिंदी पखवाड़ा पुस्तक प्रदर्शनी	14.9.2007 से 24.9.2007
4.	गांधी जयंती पुस्तक प्रदर्शनी	1.10.2007 से 9.10.2007
5.	राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह पुस्तक प्रदर्शनी	12.11.2007 से 19.11.2007
6.	क्रिसमस और नववर्ष पुस्तक प्रदर्शनी	24.12.2007 से 4.1.2008
7.	गणतंत्र दिवस पुस्तक प्रदर्शनी	21.1.2008 से 31.1.2008

विभाग वर्ष 2007-2008 के दौरान अपने 10 विक्रय केंद्रों में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अवसरों पर पुस्तक प्रदर्शनियां आयोजित करेगा जैसे:

1. उपभोक्ता अधिकार दिवस पुस्तक प्रदर्शनी 16.3.2008 से 27.3.2008

इसके अतिरिक्त विभाग ने 1.4.2007 से 15.1.2008 के दौरान पीआइसी अभियानों/डिस्पले पुस्तक प्रदर्शनियों में भी भाग लिया।

क्र.सं.	प्रदर्शनी/मेला और उसका स्थान	अवधि
1.	सिविल सर्विस दिवस के अवसर पर विज्ञान भवन में, नई दिल्ली मुख्यालय	21.4.2007
2.	'सत्यग्रह' पुस्तक लोकार्पण के अवसर पर संसद भवन में, नई दिल्ली मुख्यालय	10.5.2007
3.	भारतेन्दु हरीशचंद्र पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर शास्त्री भवन में, नई दिल्ली मुख्यालय	23.5.2007
4.	विकाराबाद, रंगा रेड्डी जिला आंध्र प्रदेश में पीआईसी अभियान के अवसर पर, विक्रय केन्द्र, हैदराबाद	24.7.07 से 29.7.07
5.	योजना के विशेषांक के अवसर पर शास्त्री भवन में, नई दिल्ली मुख्यालय	14.8.2007
6.	सद्भावना दिवस के अवसर पर तीन मूर्ति में प्रदर्शनी और बिक्री के अवसर पर, नई दिल्ली मुख्यालय	20.8.2007
7.	बंगलौर में मेगा मल्टी मीडिया मेला के अवसर पर प्रदर्शनी, विक्रय केन्द्र, बंगलौर	12.8.07 से 18.8.07
8.	पालमपुर में पीआइसी अभियान के दौरान पुस्तक प्रदर्शनी, विक्रय केन्द्र, अहमदाबाद	19.9.07 से 23.9.07
9.	भारत निर्माण पीआइसी अभियान के अवसर पर पुस्तक प्रदर्शनी, आजमगढ़, जनपथ, लखनऊ, उ.प्र. में विक्रय केन्द्र, लखनऊ	22.9.07 से 26.9.07
10.	विक्रय केन्द्र तिरुअनंतपुरम में पीआइसी अभियान के अवसर पर प्रदर्शनी, मलायिंकी, तिरुअनंतपुरम	14.10.07 से 18.10.07
11.	विक्रय केन्द्र मुम्बई में पीआइसी अभियान के अवसर पर प्रदर्शनी, वाशी, महाराष्ट्र	23.10.07 से 27.10.07
12.	विक्रय केन्द्र तिरुअनंतपुरम में पीआइसी अभियान के दौरान प्रदर्शनी, अलुवा, एरनाकुलम, केरल	3.11.07 से 7.11.07
13.	शास्त्री भवन, नई दिल्ली में पुस्तक लोकार्पण और बाल भारती पुरस्कार समारोह के अवसर पर प्रदर्शनी	31.12.2007
14.	इंडिया/भारत के लोकार्पण के अवसर पर प्रदर्शनी, मुख्यालय	
15.	विक्रय केंद्र लखनऊ में पीआइसी अभियान के दौरान प्रदर्शनी, चित्रकूट, उ.प्र.	8.12.07 से 12.12.07

विभाग राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आदि की राज्य सरकारों से थोक में आर्डर प्राप्त करने के लिये और राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाऊंडेशन स्कीम, कोलकाता से थोक में खरीद के लिये सेल्स प्रमोशन दौरे भी आयोजित कर रहा है। इसके अलावा विभाग ने आम आदमी तक अपनी पहुंच बनाने के लिये होम लाइब्रेरी योजना भी आरंभ की है। भारतीय नागरिक 100 रुपये देकर (एक मुश्त जीवनपर्यन्त सदस्यता के लिये) इस योजना का सदस्य बन सकता है और न केवल 20% डिस्काऊंट प्राप्त कर सकता है बल्कि कई अतिरिक्त लाभ भी उठा सकता है।

विभाग ने पुस्तकों, पत्रिकाओं और विज्ञापनों की बिक्री के द्वारा अप्रैल 2007 से दिसंबर 2007 के दौरान 333.34 लाख रुपयों की कुल आय (रोजगार समाचार के अलावा) अर्जित की।

अपने प्रकाशनों और पत्रिकाओं के अलावा विभाग ने नेशनल बुक ट्रस्ट, साहित्य अकादमी, सीएसआईआर, आईसीएआर, आईसीसीआर, लोकसभा सचिवालय जैसे सरकारी विभागों, राज्य सरकारों और स्वायत्त संगठनों के प्रकाशनों की मार्केटिंग भी करता है।

रोज़गार समाचार

2006-07 के दौरान प्रदर्शन बेहद संतोषजनक था चूंकि एम्पलॉयमेंट न्यूज ने पिछले वर्षों की तुलना में अधिक विज्ञापन राजस्व तथा अधिक शुद्ध लाभ कमाया। यह रुझान चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान भी जारी रहा तथा 31 दिसम्बर, 2007 तक 3780.15 लाख रुपये का कुल राजस्व पहले ही मिल चुका है तथा एम्पलॉयमेंट न्यूज चालू वित्त वर्ष के दौरान 45 करोड़ रुपये से अधिक की कुल बिक्री हासिल कर लेगा तथा चालू वित्त वर्ष के दौरान 25 करोड़ रुपये से अधिक का शुद्ध लाभ प्राप्त करने की सम्भावना है। यह एम्पलॉयमेंट न्यूज की इंटरएक्टिव वेबसाइट www.employmentnews.gov.in को शुरू करने में हुए खर्च के बावजूद है।

भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक (आर.एन.आई.)

वित्तीय

(लाख रुपये में)

गतिविधि का नाम	वर्ष	योजना	गैर योजना	कुल
बजट अनुमान	2006-07	शून्य	2.48	2.48
वास्तविक खर्च	2006-07	शून्य	2.0699	2.0699
बजट अनुमान	2007-08	0.02	2.477	2.497
संशोधित अनुमान	2007-08	0.0588	2.24	2.2988
बजट अनुमान	2008-09	0.20	2.34	2.54

वास्तविक

क्र. सं.		2006-07		2007-08		2008-09
	कार्यक्रम/गतिविधि गतिविधियां	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य (जनवरी 2008 तक)
1.	शीर्षक सत्यापन (प्रार्थन पर कार्य)	22000	24898	***	12895	22000
2.	शीर्षकों का पुनरनिर्गम	***	9604	***	7244	***
3.	पंजीयन	3000	3389 2678-नये 711-संशोधित	***	3219	3000
4.	प्रसार दावों की समीक्षा	750	179	***	@@@	@@@
5.	प्रिंटिंग मशीनरी के आयात के लिए जारी अनिवार्यता प्रमाणपत्र	***	05	***	10	***
6.	एफसीआर 25,1976 के तहत समाचार पत्र प्रमाण	***	03	***	03	***
7.	अखबारी कागज के आयात के लिए प्रकाशकों को जारी पात्रता प्रमाणपत्र	***	663	***	666	***
8.	आरटीआई के तहत आवेदनों का निपटान **कार्यक्रम**	***	125	***	103	***
9.	आरएनआई की वार्षिक रिपोर्ट (प्रेस इन इंडिया)	2005-06 रिपोर्ट	2005-06 रिपोर्ट	2006-07 रिपोर्ट	2006-07 रिपोर्ट	2007-08 रिपोर्ट

***1. प्रकाशकों द्वारा प्राप्त आवेदनों/प्रार्थनाओं के आधार पर। अत: इस श्रेणी में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया।

@@@2. पहली जून, 2006 से प्रभावी विज्ञापन नीति के अनुसार आरएनआई में प्रसार दावों की जांच रोक दी गई है।

गवेषणा, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग

बजट आबंटन

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	गतिविधि वर्गीकरण	वर्ष 2006-07 के लिए वास्तविक			बजट अनुमान 2007-08			संशोधित अनुमान 2007-08			बजट अनुमान 2008-09		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
1.	गवेषणा, संदर्भ और प्रलेखन तथा प्रशिक्षण	18.69	100.53	119.22	2.00	103.95	105.95	19.60	128.00	147.60	100.00	128.00	228.00

गवेषणा, संदर्भ एवं प्रशिक्षण प्रभाग

वास्तविक उपलब्धि (गैर-योजना)

योजना का नाम	2006-07		असमानता के कारण	2007-08		असमानता के कारण	2008-09
	लक्ष्य	प्राप्ति		लक्ष्य	प्राप्ति दिसंबर 2007 तक		लक्ष्य
1. एनडीसीसीएमसी आवर्ती सेवाओं द्वारा मास मीडिया की रुचि और घटनाओं की जानकारी एकत्रित करना, विश्लेषण करना और उनका प्रसार करना।	59	55	प्रलेखन अधिकारी का एक पद पूरे वर्ष खाली रहा है, एक वर्ष खाली रहने के कारण यह पद समाप्त हो जाएगा, इसी शर्त पर वित्त मंत्रालय ने इस पद को समाप्त करने और बदले में सीडीओ का पद भरने की अनुमति दी है।	59	36	प्रलेखन अधिकारी का पद खाली था। इसकी वजह से थोड़ा विलंब हुआ। इस पद को समाप्त करने के बाद वित्त मंत्रालय ने सीडीओ का पद भरने की अनुमति दी है।	59
1 मास मीडिया इन इंडिया वार्षिक प्रकाशन का संकलन एवं संपादन करना।	1	–	कर्मचारियों की कमी	1	–	छपने की प्रक्रिया में है।	1
2- संदर्भ एकांश 'इंडिया-वार्षिक संदर्भ' संकलन एवं संपादन	1	1		1	1	- कोई नहीं -	1
'डायरी ऑफ इवेन्ट्स' पाक्षिक का प्रकाशन	24	24		24	–	गवेषणा सहायकों के दो पद रिक्त हुए	24

गवेषणा, संदर्भ एवं प्रशिक्षण प्रभाग

वास्तविक परिणाम

योजना का नाम	2006-07		2007-08	उपलब्धि दिसंबर 2007 तक	असमानता के कारण	2008-09 लक्ष्य
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य			
1. प्रशिक्षण भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों के लिए सेवारत प्रशिक्षण	14	11	14	2	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के आदेश पर प्रशिक्षण को अगले आदेश तक टाल दिया गया है।	योजना मंत्रालय के मुख्य सचिवालय में हस्तांतरित कर दिया गया है,
2. गवेषणा यूनिट मास मीडिया में शोध	-	-	20 शोध पत्रों को जारी करना।	-	प्रति योजना के हिसाब से बजट आबंटित न होने के कारण लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका	20 शोध पत्रों को जारी करना
3. अ) संदर्भ यूनिट लाइब्रेरी का आधुनिकीकरण करना	-	-	1. पाठकों के लिए फर्नीचर और उपकरण उपलब्ध कराना। 2. 5 कंप्यूटर, 5 साफ्टवेयर, दो प्रिंटर, दो टेलीफोन, वायरलेस इंटरकॉम प्रणाली, एक फेक्स मशीन, एक रंगीन फोटोकॉपी की मशीन, एक प्रोजेक्टर, 50 बुक-रैक, 1000 किताबें ई-बुक और आवर्ती पत्रिकाएं इत्यादि।	-	- वही -	50 बुक रैक/ई-बुक, आवर्ती पात्रिकाएं और आई.टी. के लिए उपकरण खरीदना
ब) संदर्भ यूनिट राष्ट्रीय मीडिया पुरस्कार योजना को गैर-योजना में बदल दिया गया है।	-	-	राष्ट्रीय मीडिया पुरस्कार और चयन समिति का गठन करना, स्मृति चिह्न का डिजाइन कास्टिंग और गढायी करना। सामग्री का विश्लेषण, रायसुमारी करना और पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित करना।	-	- वही -	सर्वोच्च समिति के सुझाव पर 28 राष्ट्रीय पुरस्कारों की स्थापना करना

*योजना कार्यक्रम को गैर-योजना कार्यक्रम में परिवर्तित किया गया है।

गीत एवं नाटक प्रभाग

प्रभाग के लिए लगभग नियमित रूप से करीब 10 हजार लोक और पारंपरिक कलाकार काम कर रहे हैं। इनमें विभागीय मंडलियां, पैनल कलाकार और निजी पंजीकृत पार्टियां शामिल हैं। गीत और नाटक प्रभाग संभवत: भारत सरकार के ऐसे आदर्श संगठनों में एक है जो गैर-योजना व्यय को बिना बढ़ाए अपने कार्यक्षेत्र और कार्यक्रमों की संख्या में बड़े पैमाने पर वृद्धि कर सकता है और इस तरह गैर-योजना व्यय को बढ़ाने से होने वाले दीर्घकालीन खर्चे से भी बच सकता है। प्रभाग के लिए काम करने वाले लोगों में केवल 8 प्रतिशत इसके नियमित कर्मचारी हैं। यही नहीं, यह एक निर्विवाद तथ्य है कि परंपरागत अथवा जीवंत माध्यम जानकारी और शिक्षा देने की गतिविधियों के लिए सबसे किफायती माध्यम है। इसकी पहुंच, प्रभाव और परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलन क्षमता बहुत अधिक है।

वर्ष 2007-08 की भौतिक उपलब्धियां

प्रभाग ने 2007-08 के दौरान भी राष्ट्रीय और सामाजिक-आर्थिक विषयों पर प्रेरक अभियान जारी रखे। बहुमाध्यम प्रचार के अंतर्गत राष्ट्रीय एकता, साम्प्रदायिक सदभाव, स्वतंत्रता संघर्ष, ग्रामीण विकास, प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्री कार्यक्रम, सूचना के अधिकार तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण जैसे विषयों पर विशेष जोर दिया गया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के अंतर्गत एड्स से बचाव के अभियान शामिल हैं। इसके अलावा सफाई, अंधापन रोकने के उपाय, सिविल डिफेन्स, तम्बाकू निषेध, रक्तदान, महिला और बाल विकास से जुड़े मुद्दे, डेंगू, चिकनगुनिया और बर्ड फ्लू से बचाव जैसे विषयों के बारे में भी प्रचार-प्रसार किया गया।

देश के 76 चुने हुए जिलों में आतंकवाद विरोध, राष्ट्रीय एकता और साम्प्रदायिक एकता के बारे में विशेष प्रचार अभियान वर्ष 2007-08 का महत्वपूर्ण कार्य था। योजना घटक के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर क्षेत्रों सहित पूरे देश में साझा न्यूनतम कार्यक्रम का विशेष प्रचार किया गया। गणतंत्र दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती, बाल दिवस, कौमी एकता सप्ताह, शिक्षक दिवस, भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले जैसे अवसरों और समारोहों की पूरी कवरेज की गई। गीत और नाटक प्रभाग ग्राहक विभागों की प्रचार की जरूरतें पूरी करता है, अत: इन ग्राहक विभागों की जरूरतों के अनुरूप निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों में हमेशा बदलाव हो सकता है।

एफ. एम. रेडियो (निजी)

अनुलग्नक

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2008-09			मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक
1	2	3		4		5	6	7	8
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
			गैर-योजना बजट	योजना बजट	कम्पलीमेंटरी अतिरिक्त बजट संसाधन				
1.	निजी एफ.एफ. रेडियो (दिल्ली, चेन्नई, जयपुर, हैदराबाद, कोलकाता और देहरादून छह शहरों में नए टावरों की स्थापना)	निजी एफ.एफ. प्रसारकों के लिए प्रसारण उपकरणों की सह-स्थापना हेतु नए प्रसारण टावरों का निर्माण	–	0.10	–	दिल्ली, चेन्नई. जयपुर और हैदराबाद में चार टावरों का निर्माण पूरा। कोलकाता और देहादून में दो टावरों का कार्य चल रहा है और मार्च, 2009 तक सम्पन्न होने की संभावना 8.63 करोड़ रुपये की राशी 31.3.2007 को जारी की गई। 1.00 करोड़ रुपये 2007-08 में जारी करने के लिए रखे गए हैं। 3.50 करोड़ रुपये की बाकी राशी बेसिल को जारी पैसा बकाया है। तथापि, बजट अनुमान 2008-09 में केवल 0.10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।	–	–	

एफ.एम. रेडियो (निजी)

परियोजना अप्रैल 2006 में शुरू हुई। जनवरी 2008 को परियोजना की स्थिति नीचे दी गई है।

क्र. सं.	साइट का नाम	स्थिति		टावर पूरा करने के लिए निर्धारित लक्ष्य	कार्य पूरा करने की संभावित समय सीमा
		आधारशिला	टावर		
1.	जयपुर	संपन्न	संपन्न	मार्च, 2007	फरवरी, 2007 में संपन्न
2.	हैदराबाद	संपन्न	फेब्रिकेशन कार्य प्रगति पर	मार्च, 2007	अक्तूबर, 2007 में संपन्न
3.	दिल्ली	प्रगति पर	फेब्रिकेशन कार्य प्रगति पर	मार्च, 2007	अक्तूबर, 2007 में संपन्न
4.	चेन्नई	प्रगति पर	फेब्रिकेशन कार्य प्रगति पर	मार्च, 2007	अक्तूबर, 2007 में संपन्न
5.	कोलकाता	आधार कार्य शुरू	फेब्रिकेशन कार्य प्रगति पर	मार्च, 2007	मार्च, 2009
6.	देहरादून	अभी शुरू नहीं किया गया है		मार्च, 2009	मार्च, 2009

छह शहरों में इस परियोजना पर हुए व्यय का ब्यौरा इस प्रकार है :

क्र.सं.	शहर का नाम	स्वीकृत लागत	अब तक खर्च राशि
1.	जयपुर	1.66	9.14
2.	हैदराबाद	1.66	
3.	चेन्नई	2.21	
4.	नई दिल्ली	4.39	
5.	कोलकाता	2.21	
6.	देहारादून	0.98	
	कुल	**13.11**	**9.14**

परियोजना की प्रगति की समीक्षा मंत्रालय द्वारा मासिक एवं त्रैमासिक क्षमाही और वार्षिक आधार पर की जाती है।

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मानीटरिंग केंद्र

सरकार ने वर्ष 2005-06 में 11.65 करोड़ रु. की कुल लागत से एक योजना स्कीम को स्वीकृति दी है। इसमें से पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 2.90 करोड़ रुपये की राशि इस परियोजना को कार्यान्वित करने वाली एजेंसी बेसिल को जारी किए गए। किन्हीं अपरिहार्य कारणों से, जिनमें पुष्पा भवन में एनटेना और संबंधित उपकरणों की स्थापना के लिए आवंटित स्थान की अनुमति से इंकार करना शामिल है, यह परियोजना 10वीं योजना अवधि में लागू नहीं की जा सकी। परियोजना की लागत में कोई वृद्धि नहीं हुई है, तथापि वार्षिक रखरखाव में वृद्धि का घटक शामिल है। अतः संशोधित एस.एफ.सी. (आरसीई) की स्वीकृति ले ली गई है, स्थल पर शुरुआती कार्य शुरु हो गया है। बेसिल द्वारा उपकरणों की खरीद के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। परियोजना 2008-09 के शुरु में चालू होने की संभावना है।

सामुदायिक रेडियो

सामुदायिक रेडियो के लिए आईईसी गतिविधियां

सामुदायिक रेडियो के लिये आईईसी गतिविधियों के रूप में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने नई दिल्ली में एशियाई राष्ट्रमंडल शैक्षिक माध्यम केंद्र (कॉमनवेल्थ एजुकेशन) मीडिया सेंटर फॉर एशिया के साथ मिलकर देश भर में कार्यशालाएं/गोष्ठियां और परामर्श बैठकें आयोजित की हैं। पहली परामर्श बैठक 28-30 नवंबर 2007 को लखनऊ में और दूसरी परामर्श बैठक 24 और 25 मार्च 2008 में कोलकाता में आयोजित करने का प्रस्ताव है। इस समय चल रहे सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के प्रबंधकों के लिये क्षमता निर्माण कार्यशाला नई दिल्ली में 13 फरवरी 2008 को आयोजित की गई थी।

सूचना भवन का निर्माण

सूचना भवन के चरण IV के निर्माण हेतु वर्ष 2007-08 के लिये आबंटित राशि यानि 1 करोड़ रुपये में से चरण IV की 93,88,765 रुपये की लंबित देयता का निपटारा कर दिया गया है। सूचना भवन चरण V के लिये, ईएफसी मेमोरेंडम प्रस्तुत कर दिया गया है और उसकी स्वीकृति के पश्चात, चरण V के निर्माण की कार्रवाई शुरू की जायेगी।

आर्थिक विश्लेषण (नई स्कीम)

चूंकि वार्षिक योजना 2007-08 से लागू होने वाली यह नई स्कीम है इसलिए इसके पिछले प्रदर्शन की समीक्षा का प्रश्न नहीं है।

आकाशवाणी

परिणाम बजट उपलब्धियां

क्रम सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	लागत 2006-07 (रुपये लाख में)	व्यय 2006-07 (रुपये लाख में)	परिमाणेय निर्वातेय	प्रक्रिया/समयनिष्ठा	टिप्पणी/जोखिम कारक
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	**जारी स्कीमें**		**691.10**	**364.76**			
	(ए) मीडियम वेव सेवाओं का विस्तार	प्राथमिक कवरेज क्षेत्र को सशक्त करने के लिए ट्रांसमीटर का उन्नयन	127.00	38.01	**नजिबाबाद** 200 KWMW ट्रांसमीटर भवन तैयार प्रमुख उपकरणों के आदेश दिये गये। **धरमनगर** भवन निर्माण प्रगति पर है। ट्रांसमीटर उपलब्ध	**नजिबाबाद**-200 KWMW ट्रांसमीटर लगाये गये परीक्षण चल रहा है **धरमनगर** भवन तकनीकी क्षेत्र तैयार, उपकरण मार्च 2007 तक लगाये जायेंगे	उत्तराखंड के समीवर्ती जिलों में कवरेज बढ़ेगा धरमनगर स्टेशन से त्रिपुरा में कवरेज में सुधार होगा।
	(बी) एफएम सेवाओं का विस्तार	एफएम कवरेज का विस्तार करना एफएम अपने उत्तम गुणवत्ता के कारण लोकप्रियता हासिल कर चुका है।	156.00	26.89	लोंगथेराई भवन निर्माण का कार्य पूर्णता की ओर	भवन तकनीकी क्षेत्र मार्च 07 तक तैयार होने की उम्मीद	लोंगथेराई स्टेशन से त्रिपुरा में कवरेज में सुधार होगा।
	(सी) आवासीय परिसर एवं कार्यालय परिसर	कर्मचारियों को आवास उपलब्ध करना	19.00	35.86	पूर्ण, लंबित कार्य का प्रावधान		कल्याणकारी गतिविधियां
	(डी) शॉर्ट वेव सेवाओं का विस्तार		0.00		इस स्कीम के तहत कोष की मांग नहीं		
	(ई) अभिलेखागार		0.00		स्कीम टाली गयी		
	(एफ) विविध		118.10	48.89	एनबीएच दिल्ली, कैप्टिव अर्थ स्टेशन, माइक्रोवेव लिंक आदि के अधिकांश उपकरण प्राप्त और बकाया अदायगी के लिए प्रावधान बनाये गये	एनबीएच, दिल्ली कार्य प्रारंभ	डिजीटल एनबीएच स्टूडियो के कारण उत्तम कार्यक्रम
	(जी) जम्मू कश्मीर विशेष पैकेज	जम्मू कश्मीर में रेडियो कवरेज का विस्तार	270.00	215.12	एसटीएल और हास्टल ब्लॉक में बदलाव जैसे बकाया कार्य पूरे करना	हॉस्टल कार्य में बदलाव का कार्य सौंपा गया। कार्य आगामी सर्दी के बाद पूरा हो जाएगा	जम्मू-कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों के कवरेज में सुधार होगा।
		पूंजी	120.00	55.14			
		राजस्व विविध	150.00	159.98			
	(एच) स्थापना व्यय		0.00	5(डी) में शामिल			

2.	अपग्रेडेशन/स्कीम विस्तार		**2334.50**	**1022.60**			
	(ए)मीडियम वेव सेवाओं का विस्तार	कवरेज क्षेत्र का विस्तार करना।	34.00	32.74	कोटा-20 कि.वा. मीडियम वेव ट्रांसमीटर बकाया सिविल कार्य पूर्ण करने का प्रावधान और शेष अदायगी।	कोटा-20 कि.वा. एफएम ट्रांसमीटर दो अक्तूबर, 2006 से शुरू	
	(बी) एफएम सेवाओं का विस्तार	एफएम कवरेज का विस्तार करना। एफएम अपनी उत्तम गुणवत्ता के कारण लोक-प्रियता हासिल कर चुका है।	2300.50	989.86	**5 कि.वा. एफएम ट्रांसमीटर-1 (ओरस)** संख्या भवन निर्माण पूरा करना और उपकरण लगाना **10 कि.वा.एफएम ट्रांसमीटर**-30 सिविल कार्य को पूर्ण करना और ट्रांसमीटर खरीदना **20 कि.वा.एफएम ट्रांसमीटर**-6 की खरीद के आदेश	**5 कि.वा. एफएम ट्रांसमीटर** ओरस भवन तकनीकी क्षेत्र के फरवरी 07 तक तैयार हो जाने की उम्मीद है। ट्रांसमीटर उपलब्ध है **10 कि.वा.एफएम ट्रांसमीटर** सिविल कार्य पूर्ण 28 के खरीद प्रस्ताव को मंत्रालय द्वारा अक्तूबर 06 को मंजूरी दिसंबर 06 में अग्रिम एटी ऑर्डर दिये गये **20 कि.वा.एफएम ट्रांसमीटर** मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद सितंबर 06 के पहले सप्ताह में निर्माण स्थान पर प्री डिस्पैच निरीक्षण। ट्रांसमीटर प्राप्त कर लगाये गये। इस वर्ष से काम शुरू करेंगे।	जारी प्रक्रियाओं के क्रियान्वयन के बाद एफएम कवरेज मौजूदा 35.00 % से बढ़कर 40 प्रतिशत आबादी तक हो जाने की आशा है।
3.	आधुनिकीकरण स्कीमें		1024.10	312.47			
	(ए) निर्माण सुविधाओं का डिजीटलीकरण	प्रसारण सामग्री की तकनीकी गुणवत्ता सुधारना	616.50	33.92	1. लेह और तवांग में स्थायी स्टूडियो से संबंधित सिविल कार्य पूर्ण	लेह और तवांग में स्थायी स्टूडियो-तकनीकी क्षेत्र में सिविल कार्य पूर्ण, अप्रैल 07 के बाद अगामी सीजन में मशीन लगाने का कार्य पूरा होगा जयपुर और मैसुर में स्थायी स्टूडियों भवन निर्माण कार्य प्रगति पर है। 2007-08 के दूसरे तिमाही तक भवन बनकर तैयार हो जाने की उम्मीद है।	डिजीटल उपकरण जैसे-डिजीटल कंसोल आदि लगाने से कार्यक्रम की गुणवत्ता में सुधार आएगा कम्प्यूटरीकृत वर्क स्टेशन से कार्यक्रम की गुणवत्ता में काफी सुधार आया है।
	(बी) स्टूडियो और प्रसारण सुविधाओं का संचालन	संचालन कार्य को कम करना	406.60	278.55	2. जयपुर और मैसूर में स्थायी स्टूडियो भवन निर्माण कार्य के ठेके दिए गए और निर्माण कार्य प्रारंभ 3. हार्डडिस्क आधारित प्रणाली की खरीद		

						6 हार्डडिस्क आधारित स्वचालित कार्य स्टेशन की खरीद प्रगति पर है।	
4.	स्थानापन्न स्कीमें (ए) मौजूदा उपकरणों को बदलना (बी)विविध	पुराने और समयातीत उपकरण को बदलना	910.30 828.90 81.40	363.71 200.42 163.29	राजकोट-1000 कि.वा.एफएम ट्रांसमीटर-ट्रासमीटर की खरीद की निविदा प्रक्रिया और सिविल वर्क का सौपा जाना	राजकोट-1000 कि.वा.एफएम ट्रांसमीटर 18 अक्तूबर 2006 को एन.आई.टी. जारी सिविल कार्य सौंपे गए। निविदाए खोले गए और उस पर विचार चल रहा है।	पुराने ट्रांसमीटरों को हटाकर उनके स्थान पर अत्याधुनिक ट्रांसमीटर लगाए जा रहे है। जो ज्यादा कुशल हे और जिन्हें कम बिजली की आवश्यकता होती है।
					रायपुर और दिल्ली-100 कि.वा.एफएम ट्रांसमीटर-ट्रांसमीटर की खरीद के आदेश दिए गए। दो स्थानों पर मोबाइल डीएसएनजी प्रणाली	रायपुर और दिल्ली 100 कि.वा.एफएम ट्रांसमीटर सिविल कार्य पूरा। अगस्त 06 को मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद तैयार ट्रांसमीटर का प्री-डिस्पैज परीक्षण मोबाइल डीएसएनजी प्रणाली खरीद के आदेश दिये गये आपूर्ति मार्च 2007 तक	न्यूज कवरेज की डिजीटल गुणवत्ता वीआइपी, प्रसारण आदि
5.	नयी योजनाएं (ए) पूर्वोत्तर विशेष पैकेज पूंजी राजस्व (विविध) राजस्व (सॉफ्टवेयर)	पूर्वात्तर क्षेत्र में रेडियो कवरेज को उन्नत बनाना	7011.00 1390.00 1200.00 0.00 190.00	5060.36 57.49 18.28 0.00 39.21	सीसीईए द्वारा पूर्वोत्तर विशेष पैकेज के दूसरे चरण के मंजूर कर लिए जाने की उम्मीद है।	मई 2006 के अंतिम सप्ताह में पूर्वोत्तर विशेष पैकेज, भूमि का अधिग्रहण, उपकरण की खरीद जारी है।	इससे पूर्वोत्तर क्षेत्र में कवरेज में सुधार होगा और आकाशवाणी संबंधी सुविधाएं मजबूत होगी
	(बी) नई प्रौद्योगिकियां जैसे इंटरनेट, रेडियो प्रसारण, डिजीटल प्रसारण आदि	नई प्रौद्योगिकी जैसे इंटरनेट डिजीटल प्रसारण, आदि लागू करना	56.50	21.58	सिद्धांतत: योजना आयोग की मंजूरी की प्रतीक्षा		सिद्धांतत: योजना आयोग की मंजूरी की प्रतीक्षा

	(सी) कर्मचारियों का आवास	महानगरों एवं अन्य छह स्थानों पर आवासीय परिसर	1000.00	663.23	वडोदरा, रांची, लेह, पटना (2006-07) में आवासीय परिसर का निर्माण पूरा	लेह, मैसूर, पटना, वडोदरा में आवासीय निर्माण मार्च 07 तक पूरा हो जाएगा	यह एक कल्याणकारी गतिविधि
	(डी) स्थापना व्यय	कर्मचारी वेतन मान विद्युत शुल्क, टेलीफोन, कर, स्पेयर आदि पर व्यय	2600.00	1799.42			
	(ई) विविध स्कीमें, सुरक्षा समेत विभिन्न कदम, मौजूदा केंद्रों आदि में सुविधाओं में सुधार	सुरक्षा उपाय, सुविधाओं में सुधार मौजूदा केंद्र आदि	154.50	63.02	सिद्धांतत: योजना की मंजूरी आयोग की प्रतीक्षा		सिद्धांतत: योजना आयोग की मंजूरी की प्रतीक्षा
	(एफ) सॉफ्टवेयर		1810.00	955.36			
6	राजस्व (विविध)	योजना अवधि के दौरान पूरी परियोजनाओं के प्रबंधन एवं संचालन के लिए	2690.00	1500.26	योजना अवधि के दौरान तैयार स्टेशनों के निरतंर संचालन के लिए कोष प्रदान किए जा रहे हैं।		
	सकल योग		**14660.00** **7160.00 डीबीएस** **7500.00 आईईबी-आर**	**7123.90** **3391.46** **3732.44**			
	योग (पूंजी)		**9820.00** **2320.00 डीबीएस** **7500.00 आईईबी-आर**	**4469.09** **736.35** **3732.44**			
	कुल (राजस्व-विधि)		**2840.00**	**1660.24**			
	कुल (राजस्व-सॉफ्टवेयर)		**2000.00**	**994.57**			

प्रसार भारती : दूरदर्शन
वार्षिक योजना 2007-08

रुपये करोड़ में

स्कीम/कार्यक्रम का नाम	पारित व्यय रुपये करोड़ में	खर्चा (रुपये करोड़ में) (दिसंबर 2007 तक)	भौतिक लक्ष्य	उपलब्धियां (15.12.07 तक)	टिप्पणी
1 (क) जम्मू-कश्मीर के लिए विशेष योजना (प्रथम चरण)	17.00	2.15	एचपीटी (डीडी। एवं कशीर चैनल. पीएमटी.सेटअप)-1 एचपीटी (डीडी।एवं डीडी न्यूज . पीएमटी. सेटअप - 1	1	अंतरिम सेटअप में एचपीटी पुरानी साइट पर कार्यरत । नवीन साइट पर पीएमटी निर्माण जारी। 300 एमएम टावर कार्य प्रगति पर।
1. (ख) जम्मू-कश्मीर के लिए विशेष योजना (द्वितीय चरण)	3.00	-			सितम्बर 2007 में योजना पारित
2. पूर्वोत्तर एवं द्वीपीय क्षेत्रों के लिए विशेष पैकेज (द्वितीय चरण)	25.00	19.65	i) स्टूडियो (संवर्द्धन) - 1		इमारत निर्माण अपूर्ण। कुछ उपकरण प्राप्त
			ii) एचपीटी (डीडी। एवं डीडी न्यूज) - 1		मौजूद इमारत इस्तेमाल की जाएगी। ट्रांसमीटरों हेतु ऑर्डर जारी।
			iii) एचपीटी डीडी 1)-1 (अंतरिम सेटअप)	1	
			iv) वीएलपीटी (नया)-20		7 वीएलपीटी हेतु साइटें आरक्षित (8 नवीन स्थानों में से)। 12 डीडी न्यूज वीएलपीटी मौजूदा साइटों पर स्थापित किए जाएंगे। उपकरणों हेतु ऑर्डर जारी।
			v) वीएलपीटी (उन्नतिकृत) - 15		उपकरणों हेतु ऑर्डर जारी
			vi) डीटीएच प्राप्त इकाइयां एवं टीवी सेट्स . पूर्वोत्तर के लिए 25000 अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह के लिए 1000	पूर्वोत्तर राज्यों में 17768 टीवी और 3290 डीटीएच सेट राज्य सरकार के नोडल अफसरों के सुपुर्द	4100 अतिरिक्त टीवी सेट और 12640 डीटीएच सेट फर्म द्वारा भेजे गए। डीटीएच सेटों और टीवी सेटों की सप्लाई भी 2007-08 तक पूर्ण होने की संभावना। अंडमान-निकोबार के लिए डीटीएच एवं टीवी सेटों के ऑर्डर जारी।
			vii) अर्थ स्टेशन (2 उत्तरपूर्वी चैनलों के लिए)		टेंडर प्राप्त और उनका तकनीकी आकलन जारी
			viii) 10 चैनल अपलिंक (सी बैंड) अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह के लिए डीटीएच सेवा-1		टेंडर प्राप्त और तकनीकी आकलन जारी। खरीदारी जारी

3. आम योजनाएं	306.64	109.84	**I. स्टूडियो परियोजनाएं** i) स्टूडियो (स्थायी सेटअप)-1 ii) अतिरिक्त स्टूडियो - 2 **II. एचपीटी परियोजनाएं** i)नवीन एचपीटी . 4 ii)एचपीटी (स्थायी सेटअप)-7 iii)पुराने एचपीटी में बदलाव-2 **III. एलपीटी/वीएलपीटी परियोजनाएं** एलपीटी का स्वचालन-108 **IV. डीटीएच प्राप्ति इकाइयां एचपी - 20000**	 1 2 1 4 -	इमारत निर्माण कार्य पूर्ण। इन्स्टालेशन कार्य जारी निर्माण कार्य प्रगति पर एक अन्य एचपीटी की इन्स्टालेशन पूर्ण और परीक्षणाधीन टावर कार्य प्रगति पर/ शेष स्थानों पर ऑर्डर जारी स्थापना कार्य जारी 2 एलपीटी का इन्स्टालेशन कार्य प्रगति पर। 50 एलपीटी हेतु ऑर्डर बुक। शेष 50 एलपीटी के लिए ऑर्डर शीघ्र पारित किया जाएगा। डीटीएच यूनिटों की आपूर्ति आरंभ हो गई है। पठानकोट में 750 सेट प्राप्त कर लिए गए हैं और जल्द उन्हें चुनाव पूर्ण होने के बाद राज्य सरकार द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारियों के सुपुर्द कर दिया जाएगा।
कुल-डीबीएस+आईईबीआर	351.64	131.64			

अध्याय-5

वित्तीय समीक्षा

2005-2006

(हजार रुपये में)

मीडिया इकाई/गतिविधि का नाम	बजट अनुमान 2005-2006			संशोधित अनुमान 2005-2006			वास्तविक 2005-2006		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
राजस्व खंड									
प्रमुख शीर्षक '2251' - सचिवालीय सामाजिक सेवाएं									
1. मुख्य सचिवालय (पीएओ सहित)	17000	173600	190600	17000	177330	194330	38474	172430	210904
प्रमुख शीर्ष - '2205' - सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों का कला और संस्कृति से संबंधित प्रमाणन									
2. केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड	17500	23000	40500	17500	26000	43500	9862	24322	34184
3. फिल्म प्रमाणन अपीलीय ट्रिब्यूनल	0	1100	1100	0	1100	1100	0	770	770
कुल प्रमुख शीर्ष '2205'	17500	24100	41600	17500	27100	44600	9862	25092	34954
प्रमुख शीर्ष - '2220' - सूचना, फिल्म और प्रचार									
4. फिल्म प्रभाग	29800	239700	269500	31500	238400	269900	33698	230206	263904
5. फिल्म समारोह निदेशालय	34800	48800	83600	34800	47000	81800	25460	44780	70240
6. भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार	7200	10900	18100	7200	13600	20800	10766	13108	23874
7. सत्यजीत राय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, कोलकाता को अनुदान सहायता	3700	38900	42600	3700	65100	68800	3050	62971	66021
8. भारतीय बाल फिल्म सोसायटी को अनुदान सहायता	50940	1500	52440	45400	1500	46900	44871	1500	46371
9. भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे को अनुदान सहायता	3000	61700	64700	3000	69800	72800	1772	67519	69291
10. फिल्म सोसायटी को अनुदान सहायता	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मानीटरिंग केंद्र	100000	51000	151000	73000	2500	75500			0
12. अनुसंधान, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग	1500	8600	10100	1500	8570	10070	1062	8667	9729

(हजार रुपये में)

मीडिया इकाई/गतिविधि का नाम	बजट अनुमान 2005-2006			संशोधित अनुमान 2005-2006			वास्तविक 2005-2006		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
13. भारतीय जनसंचार संस्थान को अनुदान सहायता	5200	36100	41300	1930	37200	39130	2430	38790	41220
14. विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय	27800	588900	616700	27800	598150	625950	29389	616712	646101
15. पत्र सूचना कार्यालय	6910	201200	208110	6960	203969	210929	7012	198344	205356
16. भारतीय प्रेस परिषद को अनुदान सहायता	0	19000	19000	0	21731	21731	0	21448	21448
17. पीटीआई के ऋण पर ब्याज के बदले रियायत	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	0	100	100	0	100	100	0	0	0
19. पत्रकार कल्याण कोष में हस्तांतरण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय	2000	231200	233200	700	239400	240100	908	234518	235426
21. संगीत और नाटक प्रभाग	74600	139200	213800	74600	133300	207900	79401	134741	214142
22. प्रकाशन विभाग	4600	122200	126800	4000	135050	139050	2598	126407	129005
23. रोजगार समाचार	0	230600	230600	0	279200	279200	0	255248	255248
24. भारत का समाचारपत्र पंजीयक	1970	23900	25870	1970	24000	25970	822	22038	22860
25. फोटो प्रभाग	5000	23800	28800	5000	25000	30000	4997	22752	27749
26. संचार के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम अनुदान सहायता	0	100	100	0	1400	1400	0	1357	1357
27. एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान के प्रति योगदान	0	2000	2000	0	2000	2000	0	1326	1326
कुल: प्रमुख शीर्ष '2220'	**359020**	**2079400**	**2438420**	**323060**	**2146970**	**2470030**	**248236**	**2102432**	**2350668**
कुल प्रमुख शीर्ष 2251, 2205 और 2220	**393520**	**2277100**	**2670620**	**357560**	**2351400**	**2708960**	**296572**	**2299954**	**2596526**

(हजार रुपये में)

मीडिया इकाई/गतिविधि का नाम	बजट अनुमान 2005-2006			संशोधित अनुमान 2005-2006			वास्तविक 2005-2006		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
प्रसारण (प्रमुख शीर्ष-2221)									
ध्वनि प्रसारण (उप प्रमुख शीर्ष)									
निर्देशन और प्रशासन (लघु शीर्ष)									
वेतन	100	100	200	100	100	200	0	0	0
टेलीविजन (उपप्रमुख शीर्ष)									
वेतन	100	100	200	100	100	200	0	0	
सामान्य (उप प्रमुख शीर्ष)									
प्रसार भारती (लघु शीर्ष)									
सहायता अनुदान	1622400	8473300	10095700	1622400	9429100	11051500	1351100	9429100	10780200
कुल-प्रसारण	**1622600**	**8473500**	**10096100**	**1622600**	**9429300**	**11051900**	**1351100**	**9429100**	**10780200**
पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के फायदे के लिऐ पूर्वोत्तर क्षेत्र अन्य व्यय योजना									
एकमुश्त प्रावधान (प्रमुख शीर्ष-2552)	524200	0	524200	523700	0	523700	0	0	0
कुल-राजस्व खंड	**2540320**	**10750600**	**13290920**	**2503860**	**11780700**	**14284560**	**1647672**	**11729054**	**13376726**

(हजार रुपये में)

मीडिया इकाइयों के नाम	बजट अनुमान 2005-2006			संशोधित अनुमान 2005-2006			वास्तविक 2005-2006		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
केन्द्रीय खंड									
1. फिल्म प्रभाग हेतु उपकरण का अधिग्रहण	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0
2. पत्र-सूचना कार्यालय हेतु उपकरण का अधिग्रहण	1790	0	1790	1540	0	1540	0	0	0
3. क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय हेतु उपकरण का अधिग्रहण	14600	0	14600	3000	0	3000	4972	0	4972
4. संगीत और नाटक प्रभाग हेतु उपकरण का अधिग्रहण	400	0	400	400	0	400	2447	0	2447
5. फोटो प्रभाग हेतु उपकरण का अधिग्रहण	6000	0	6000	6000	0	6000	5212	0	5212
6. मुख्य सचिवालय हेतु उपकरण का अधिग्रहण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. भारतीय जनसंचार संस्थान हेतु उपकरण का अधिग्रहण	5850	0	5850	6420	0	6420	5183	0	5183
8. सत्यजीत राय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, कोलकाता हेतु उपकरण का अधिग्रहण	0	0	0	0			0	0	0
9. फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे हेतु उपकरण का अधिग्रहण	19060	0	19060	19090	0	19090	19060	0	19060
10. केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड हेतु उपकरण का अधिग्रहण	15600	0	15600	10000	0	10000	8015	0	8015
11. फिल्म समारोह निदेशालय में प्रिंट इकाई के स्तर में सुधार	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. इलेक्ट्रोनिक मीडिया मॉनिटरिंग केंद्र									
बी- भवन									0
13. फिल्म प्रभाग हेतु बहु-मंजिला भवन - प्रमुख कार्य	0	0	0	0	0	0		0	0
14. चलचित्र के संग्रहालय की स्थापना - प्रमुख कार्य	74400	0	74400	0	0	0	0	0	0
15. नाइट्रेट वॉल्ट्स/कर्मचारी आवास (एनएफएआई हेतु) का निर्माण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. एनएफएआई परिसर हेतु दूसरे चरण में भवन निर्माण	40000	0	40000	40000	0	40000	30000	0	30000
17. फिल्म समारोह परिसर - अतिरिक्त और वैकल्पिक प्रमुख कार्य	20000	0	20000	20000	0	20000	19556	0	19556
18. कोलकाता में फिल्म और टेलीविजन संस्थान की स्थापना, भूमि अधिग्रहण और भवन निर्माण	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(हजार रुपये में)

मीडिया इकाइयों के नाम	बजट अनुमान 2005-2006			संशोधित अनुमान 2005-2006			वास्तविक 2005-2006		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
19. सूचना भवन में निर्माण कार्य - प्रमुख कार्य	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. क्षेत्रीय प्रचार हेतु कार्यालय और आवासीय परिसर का निर्माण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. पत्र सूचना कार्यालय हेतु राष्ट्रीय प्रेस केन्द्र और मिनी मीडिया केन्द्र की स्थापना	181950	0	181950	66190	0	66190	76000	0	76000
22. भारतीय प्रेस परिषद हेतु भवन का निर्माण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. आईआईएमसी हेतु भवन निर्माण आवास परियोजना	11530	0	11530	1500	0	1500	0	0	0
24. निजी एफएम रेडियो स्टेशनों के लिए भवन और टावर	0	0	0	80000	0	80000	80000	0	80000
25. मास मीडिया संस्थान की स्थापना	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. इलेक्ट्रोनिक मीडिया मॉनिटरिंग केंद्र									
निवेश									
इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स (इंडिया) लिमिटेड									
कुल - पूंजी खंड प्रमुख शीर्ष '4220'	**401680**	**0**	**401680**	**254140**	**0**	**254140**	**250445**	**0**	**250445**
सूचना और प्रचार हेतु ऋण (प्रमुख शीर्ष - 6220)									
फिल्म (उप प्रमुख शीर्ष)									
सार्वजनिक क्षेत्र और अधीन उपक्रमों के लिए ऋण									
(लघु शीर्ष)									
राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम									
ऋण और अग्रिम राशि	0	0	0	0	47700	47700	0	47700	47700
प्रसारण के लिए ऋण (प्रमुख शीर्ष - 6221)									
सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य अधीन उपक्रमों के लिए ऋण									
प्रसार भारती									
ऋण और अग्रिम राशि	1749700	0	1749700	1749700	0	1749700	1754700	0	1754700
पूर्वोत्तर क्षेत्र पर पूंजी व्यय और अन्य लागत									
पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के हित में परियोजना/योजना (प्रमुख शीर्ष - 4552)									
एकमुश्त प्रावधान	588300	0	588300	34600	0	34600	0	0	0

(हजार रुपये में)

मीडिया इकाइयों के नाम	बजट अनुमान 2005-2006			संशोधित अनुमान 2005-2006			वास्तविक 2005-2006		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए ऋण (प्रमुख शीर्ष 6552) प्रसारण के लिए ऋण प्रसार भारती के ऋण एकमुश्त प्रावधान	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
कुल - पूंजी खंड	**2739680**	**0**	**2739680**	**2038440**	**47700**	**2086140**	**2005145**	**47700**	**2052845**
कुल - मांग संख्या - 58	**5280000**	**10750600**	**16030600**	**4542300**	**11828400**	**16370700**	**3652817**	**11776754**	**15429571**

वित्तीय समीक्षा
2006-2007

(हजार रुपये में)

मीडिया इकाई/गतिविधि का नाम	बजट अनुमान 2006-2007			संशोधित अनुमान 2006-2007			वास्तविक 2006-2007		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
राजस्व खंड									
प्रमुख शीर्षक '2251' - सचिवालय सामाजिक सेवाएं									
1. मुख्य सचिवालय (पीएओ सहित)	17000	174300	191300	16000	182804	198804	15296	175525	190821
प्रमुख शीर्ष - '2205' - सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों का कला और संस्कृति से संबंधित प्रमाणन									
2. केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड	18600	27600	46200	18600	28500	47100	11351	26531	37882
3. फिल्म प्रमाणन अपीलीय ट्रिब्यूनल	0	1200	1200	0	908	908	0	525	525
कुल प्रमुख शीर्ष '2205'	**18600**	**28800**	**47400**	**18600**	**29408**	**48008**	**11351**	**27056**	38407
प्रमुख शीर्ष - '2220' - सूचना, फिल्म और प्रचार									
4. फिल्म प्रभाग	21000	256400	277400	80600	225010	305610	69964	220714	290678
5. फिल्म समारोह निदेशालय	35300	47400	82700	21800	45240	67040	14365	44116	58481
6. भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार	7300	14000	21300	7300	14330	21630	7967	14459	22426
7. सत्यजीत राय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, कोलकाता को अनुदान सहायता	27900	48500	76400	27900	49039	76939	22075	48159	70234
8. भारतीय बाल फिल्म सोसायटी को अनुदान सहायता	52130	1500	53630	34600	4000	38600	24450	3000	27450
9. भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे को अनुदान सहायता	3000	68200	71200	3000	67236	70236	2732	67236	69968
10. फिल्म सोसायटी को अनुदान सहायता	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मानीटरिंग केंद्र	58500	30000	88500	20000	200	20200	0	0	0
12. अनुसंधान, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग	2500	8900	11400	2500	10395	12895	1869	10053	11922
13. आईआईएमसी को अनुदान सहायता	3980	40000	43980	2800	37600	40400	2650	36321	38971
14. विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय	23300	592500	615800	228900	593175	822075	13448	582137	595585
15. पत्र सूचना कार्यालय	7196	216947	224143	7196	320198	327394	8030	292613	300643
16. भारतीय प्रेस परिषद को अनुदान सहायता	0	23153	23153	0	23050	23050	0	21428	21428
17. पीटीआई के ऋण पर ब्याज के बदले रियायत	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	0	100	100	0	100	100	0	0	0

(हजार रुपये में)

मीडिया इकाई/गतिविधि का नाम	बजट अनुमान 2006-2007			संशोधित अनुमान 2006-2007			वास्तविक 2006-2007		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
19. पत्रकार कल्याण कोष में हस्तांतरण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय	900	270100	271000	1139	262595	263734	1137	250614	251751
22. संगीत और नाटक प्रभाग	72500	123600	196100	61250	131915	193165	74815	128825	203640
22. प्रकाशन विभाग	0	130700	130700	0	134670	134670	0	133474	133474
23. रोजगार समाचार	0	291700	291700	0	280220	280220	0	242732	242732
24. भारत का समाचारपत्र पंजीयक	0	24800	24800	0	22560	22560	0	20699	20699
25. फोटो प्रभाग	7500	27100	34600	10500	21875	32375	9559	21792	31351
26. संचार के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम अनुदान सहायता	0	1400	1400	0	1400	1400	0	1326	1326
27. एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान के प्रति योगदान	0	2000	2000	0	1380	1380	0	1350	1350
कुल : प्रमुख शीर्ष '2220'	**323006**	**2219000**	**2542006**	**509485**	**2246188**	**2755673**	**253061**	**2141048**	**2394109**
कुल प्रमुख शीर्ष 2251, 2205 और 2220	**358606**	**2422100**	**2780706**	**544085**	**2458400**	**3002485**	**279708**	**2343629**	**2623337**

(हजार रुपये में)

मीडिया इकाई/गतिविधि का नाम	बजट अनुमान 2006-2007			संशोधित अनुमान 2006-2007			वास्तविक 2006-2007		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
प्रसारण (प्रमुख शीर्ष-2221)									
ध्वनि प्रसारण (उप प्रमुख शीर्ष)									
निर्देशन और प्रशासन (लघु शीर्ष)									
वेतन	100	100	200	100	100	200	0	0	0
टेलीविजन (उप प्रमुख शीर्ष)									
वेतन	100	100	200	100	100	200	0	0	0
सामान्य (उप प्रमुख शीर्ष)									
प्रसार भारती (लघु शीर्ष)									
सहायता अनुदान	2981900	9358400	12340300	2505727	9392100	11897827	2555000	8685900	11240900
कुल-प्रसारण	**2982100**	**9358600**	**12340700**	**2505927**	**9392300**	**11898227**	**2555000**	**8685900**	**11240900**
पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के फायदे के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र अन्य व्यय योजना			0						
एकमुश्त प्रावधान (प्रमुख शीर्ष-2552)	464600	0	464600	464777	0	464777	0	0	0
कुल-राजस्व खंड	**3805306**	**11780700**	**15586006**	**3514789**	**11850700**	**15365489**	**2834708**	**11029529**	**13864237**

(हजार रुपये में)

मीडिया इकाई/गतिविधि का नाम	बजट अनुमान 2006-2007			संशोधित अनुमान 2006-2007			वास्तविक 2006-2007		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
केन्द्रीय खंड									
1. फिल्म प्रभाग हेतु उपकरण का अधिग्रहण	10000	0	10000	12700	0	12700	8201	0	8201
2. पत्र सूचना कार्यालय हेतु उपकरण का अधिग्रहण	4500	0	4500	4500	0	4500			0
3. क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय हेतु उपकरण का अधिग्रहण	8300	0	8300	8900	0	8900	7948	0	7948
4. संगीत और नाटक प्रभाग हेतु उपकरण का अधिग्रहण	2500	0	2500	2500	0	2500	0	0	0
5. फोटो प्रभाग हेतु उपकरण का अधिग्रहण	5000	0	5000	5000	0	5000	4982	0	4982
6. मुख्य सचिवालय हेतु उपकरण का अधिग्रहण	0	0	0	0	0	0		0	0
7. भारतीय जनसंचार संस्थान हेतु उपकरण का अधिग्रहण	9370	0	9370	8200	0	8200	7582	0	7582
8. सत्यजीत राय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, कोलकाता हेतु उपकरण का अधिग्रहण	51500	0	51500	51500	0	51500	51500	0	51500
9. फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे हेतु उपकरण का अधिग्रहण	20511	0	20511	20511	0	20511	20511	0	20511
10. केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड हेतु उपकरण का अधिग्रहण	6913	0	6913	5000	0	5000	74	0	74
11. फिल्म समारोह निदेशालय में प्रिंट इकाई के स्तर में सुधार	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग केंद्र									
बी- भवन	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. फिल्म प्रभाग हेतु बहु-मंजिला भवन - प्रमुख कार्य	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. चलचित्र के संग्रहालय की स्थापना - प्रमुख कार्य	70000	0	70000	25000	0	25000	5935	0	5935
15. नाइट्रेट वॉल्ट्स/कर्मचारी आवास (एनएफएआई हेतु) का निर्माण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. एनएफएआई परिसर हेतु दूसरे चरण में भवन निर्माण	40000	0	40000	64700	0	64700	64700	0	64700
17. फिल्म समारोह परिसर - अतिरिक्त और वैकल्पिक प्रमुख कार्य	31800	0	31800	21000	0	21000	20966	0	20966
18. कोलकाता में फिल्म और टेलीविजन संस्थान की स्थापना, भूमि अधिग्रहण और भवन निर्माण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. सूचना भवन में निर्माण कार्य - प्रमुख कार्य	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. क्षेत्रीय प्रचार हेतु कार्यालय और आवासीय परिसर का निर्माण	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(हजार रुपये में)

मीडिया इकाई/गतिविधि का नाम	बजट अनुमान 2006-2007			संशोधित अनुमान 2006-2007			वास्तविक 2006-2007		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
21. पत्र सूचना कार्यालय हेतु राष्ट्रीय प्रेस केन्द्र और मिनी मीडिया केन्द्र की स्थापना	100000	0	100000	45000	0	45000	687	0	687
22. भारतीय प्रेस परिषद हेतु भवन का निर्माण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. आईआईएमसी हेतु भवन निर्माण आवास परियोजना	2500	0	2500	2500	0	2500	2500	0	2500
24. निजी एफएम रेडियो स्टेशनों के लिए भवन और टावर	100000	0	100000	41500	0	41500	6300	0	6300
25. मास मीडिया संस्थान की स्थापना	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. इलेक्ट्रोनिक मीडिया मॉनिटरिंग केंद्र									
निवेश									
इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स (इंडिया) लिमिटेड									
कुल - पूंजी खंड प्रमुख शीर्ष '4220'	**462894**	**0**	**462894**	**318511**	**0**	**318511**	**201886**	**0**	**201886**
सूचना और प्रचार हेतु ऋण (प्रमुख शीर्ष - 6220)									
फिल्म (उप प्रमुख शीर्ष)									
सार्वजनिक क्षेत्र और अधीन उपक्रमों के लिए ऋण									
(लघु शीर्ष)									
राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम									
ऋण और अग्रिम राशि	0	0	0	0	0	0	150000	0	150000
प्रसारण के लिए ऋण (प्रमुख शीर्ष - 6221)									
सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य अधीन उपक्रमों के लिए ऋण									
प्रसार भारती									
ऋण और अग्रिम राशि	457100	0	457100	411100	0	411100	400200	0	400200
पूर्वोत्तर क्षेत्र पर पूंजी व्यय और अन्य लागत									
पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के हित में परियोजना/योजना (प्रमुख शीर्ष - 4552)									
एकमुश्त प्रावधान	**654700**	**0**	**654700**	**505600**	**0**	**505600**	**0**	**0**	0
पूर्वोत्तर क्षेत्र पर पूंजी व्यय और अन्य लागत									
पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के हित में परियोजना/योजना (प्रमुख शीर्ष - 4552)									
एकमुश्त प्रावधान	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
कुल - पूंजी खंड	**1574694**	**0**	**1574694**	**1235211**	**0**	**1235211**	**752086**	**0**	**752086**
कुल - मांग संख्या - 58	**5380000**	**11780700**	**17160700**	**4750000**	**11850700**	**16600700**	**3586794**	**11029529**	**14616323**

वित्तीय समीक्षा
2007-2008

(हजार रुपये में)

मीडिया इकाई/गतिविधि का नाम	बजट अनुमान 2007-2008			संशोधित अनुमान 2007-2008		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
राजस्व खंड						
प्रमुख शीर्ष '2251' - सचिवालयी सामाजिक सेवाएं						
1. मुख्य सचिवालय (पीएओ सहित)	33600	187570	221170	25900	204900	230800
प्रमुख शीर्ष - '2205' - सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों का कला और संस्कृति से संबंधित प्रमाणन						
2. केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड	15000	29700	44700	6100	34970	41070
3. फिल्म प्रमाणन अपीलीय ट्रिब्यूनल	0	1200	1200	0	1200	1200
कुल प्रमुख शीर्ष '2205'	**15000**	**30900**	**45900**	**6100**	**36170**	**42270**
प्रमुख शीर्ष - '2220' - सूचना, फिल्म और प्रचार						
4. फिल्म प्रभाग	46200	235260	281460	51300	265100	316400
5. फिल्म समारोह निदेशालय	38200	49320	87520	32200	65565	97765
6. भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार	10100	14940	25040	10100	16405	26505
7. सत्यजीत राय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, कोलकाता को अनुदान सहायता	77700	50735	128435	37700	60030	97730
8. भारतीय बाल फिल्म सोसायटी को अनुदान सहायता	27100	4200	31300	27100	8400	35500
9. भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे को अनुदान सहायता	62100	70515	132615	62100	82500	144600
10. फिल्म सोसायटी को अनुदान सहायता	0	0	0			0
11. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मानीटरिंग केंद्र	29000	30000	59000	0	30000	30000
12. अनुसंधान, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग	200	10395	10595	1960	12800	14760
13. आईआईएमसी को अनुदान सहायता	1000	39500	40500	100	45000	45100
14. विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय	234100	613925	848025	158119	343330	501449
15. पत्र सूचना कार्यालय	1210	227015	228225	86000	223700	309700
16. भारतीय प्रेस परिषद को अनुदान सहायता	0	23700	23700	0	25500	25500
17. पीटीआई के ऋण पर ब्याज के बदले रियायत	0	0	0	0	0	0
18. विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	0	100	100	0	200	200
19. पत्रकार कल्याण कोष में हस्तांतरण	0	0	0	0	0	0

(हजार रुपये में)

मीडिया इकाई/गतिविधि का नाम	बजट अनुमान 2007-2008			संशोधित अनुमान 2007-2008		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
20. क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय	100	259910	260010	1000	261700	262700
21. संगीत और नाटक प्रभाग	35600	145415	181015	35600	151200	186800
22. प्रकाशन विभाग	400	134720	135120	8120	143200	151320
23. रोजगार समाचार	100	281700	281800	700	236700	237400
24. भारत का समाचारपत्र पंजीयक	200	24770	24970	588	22400	22988
25. फोटो प्रभाग	200	23310	23510	5500	23200	28700
26. संचार के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यकम अनुदान सहायता	0	1400	1400	0	1400	1400
27. एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान के प्रति योगदान	0	2000	2000	0	2000	2000
कुल : प्रमुख शीर्ष '2220'	**563510**	**2242830**	**2806340**	**518187**	**2020330**	**2538517**
कुल प्रमुख शीर्ष 2251, 2205 और 2220	**612110**	**2461300**	**3073410**	**550187**	**2261400**	**2811587**

(हजार रुपये में)

मीडिया इकाई/गतिविधि का नाम	बजट अनुमान 2007-2008			संशोधित अनुमान 2007-2008		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
प्रसारण (प्रमुख शीर्ष-2221)						
ध्वनि प्रसारण (उप प्रमुख शीर्ष)						
निर्देशन और प्रशासन (लघु शीर्ष)						
वेतन	100	100	200	100	100	200
टेलीविजन (उप प्रमुख शीर्ष)						
वेतन	100	100	200	100	100	200
सामान्य (उप प्रमुख शीर्ष)						
प्रसार भारती (लघु शीर्ष)						
सहायता अनुदान	1031300	9607600	10638900	1031300	9839100	10870400
कुल-प्रसारण	**1031500**	**9607800**	**10639300**	**1031500**	**9839300**	**10870800**
पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के फायदे के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र अन्य व्यय योजना			0			
एकमुश्त प्रावधान (प्रमुख शीर्ष-2552)	205190	0	205190	190190	0	190190
कुल-राजस्व खंड	**1848800**	**12069100**	**13917900**	**1771877**	**12100700**	**13872577**

(हजार रुपये में)

मीडिया इकाई/गतिविधि का नाम	बजट अनुमान 2007-2008			संशोधित अनुमान 2007-2008		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
केन्द्रीय खंड						
1. फिल्म प्रभाग हेतु उपकरण का अधिग्रहण	0	0	0	0	0	0
2. पत्र सूचना कार्यालय हेतु उपकरण का अधिग्रहण	0	0	0	0	0	0
3. क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय हेतु उपकरण का अधिग्रहण	1100	0	1100	3434	0	3434
4. संगीत और नाटक प्रभाग हेतु उपकरण का अधिग्रहण	400	0	400	400	0	400
5. फोटो प्रभाग हेतु उपकरण का अधिग्रहण	0	0	0	0	0	0
6. मुख्य सचिवालय हेतु उपकरण का अधिग्रहण	0	0	0	0	0	0
7. भारतीय जनसंचार संस्थान हेतु उपकरण का अधिग्रहण	0	0	0	0	0	0
8. सत्यजीत राय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, कोलकाता हेतु उपकरण का अधिग्रहण	0	0	0	0	0	0
9. फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे हेतु उपकरण	0	0	0		0	0
10. केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड हेतु उपकरण अधिग्रहण	5100	0	5100	5100	0	5100
11. फिल्म समारोह निदेशालय में प्रिंट इकाई के स्तर में सुधार	100	0	100	100	0	100
12. इलेक्ट्रानिक मीडिया मानिटरिंग केन्द्र				28000	0	28000
बी- भवन						
13. फिल्म प्रभाग हेतु बहु-मंजिला भवन - प्रमुख कार्य	0	0	0	0	0	0
14. चलचित्र के संग्रहालय की स्थापना - प्रमुख कार्य	50000	0	50000	10100	0	10100
15. नाइट्रेट वॉल्ट्स/कर्मचारी आवास (एनएफएआई हेतु)का निर्माण	0	0	0	0	0	0
16. एनएफएआई परिसर हेतु दूसरे चरण में भवन निर्माण	0	0	0	0	0	0
17. फिल्म समारोह परिसर - अतिरिक्त और वैकल्पिक प्रमुख कार्य	34000	0	34000	34000	0	34000
18. कोलकाता में फिल्म और टेलीविजन संस्थान की स्थापना, भूमि अधिग्रहण और भवन निर्माण	0	0	0	0	0	0
19. सूचना भवन में निर्माण कार्य - प्रमुख कार्य	20000	0	20000	19389	0	19389
20. क्षेत्रीय प्रचार हेतु कार्यालय और आवासीय परिसर का निर्माण	0	0	0	0	0	0
21. पत्र सूचना कार्यालय हेतु राष्ट्रीय प्रेस केन्द्र और मिनी मीडिया केन्द्र की स्थापना	100000	0	100000	8200	0	8200
22. भारतीय प्रेस परिषद हेतु भवन का निर्माण	0	0	0			0

(Rs. in thousands)

मीडिया इकाई/गतिविधि का नाम	बजट अनुमान 2007-2008			संशोधित अनुमान 2007-2008		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
23. आईआईएमसी हेतु भवन निर्माण आवास परियोजना	0	0	0			0
24. निजी एफएम रेडियो स्टेशनों के लिए भवन और टावर	10000	0	10000	10000	0	10000
25. मास मीडिया संस्थान की स्थापना	100	0	100	0		0
26. इलेक्ट्रानिक मीडिया मानिटरिंग केन्द्र				10000	0	10000
निवेश						
इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स (इंडिया) लिमिटेड	0	0	0	0	0	0
कुल - पूंजी खंड प्रमुख शीर्ष '4220'	**220800**	**0**	**220800**	**119723**	**0**	**119723**
सूचना और प्रचार हेतु ऋण (प्रमुख शीर्ष - 6220)						
फिल्म (उप प्रमुख शीर्ष)						
सार्वजनिक क्षेत्र और अधीन उपक्रमों के लिए ऋण						
(लघु शीर्ष)						
राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम						
ऋण और अग्रिम राशि	31000	0	31000	1000	0	1000
प्रसारण के लिए ऋण (प्रमुख शीर्ष - 6221)						
सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य अधीन उपक्रमों के लिए ऋण						
प्रसार भारती						
ऋण और अग्रिम राशि	2174400	0	2174400	1667400	0	1667400
पूर्वोत्तर क्षेत्र पर पूंजी व्यय और अन्य लागत						
पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के हित में परियोजना/योजना (प्रमुख शीर्ष - 4552)						
एकमुश्त प्रावधान	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0
पूर्वोत्तर क्षेत्र पर पूंजी व्यय और अन्य लागत						
पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के हित में परियोजना/योजना (प्रमुख शीर्ष - 4552)						
एकमुश्त प्रावधान	**475000**	**0**	**475000**	**440000**	**0**	**440000**
कुल - पूंजी खंड	**2901200**	**0**	**2901200**	**2228123**	**0**	**2228123**
कुल - मांग संख्या - 58	**4750000**	**12069100**	**16819100**	**4000000**	**12100700**	**16100700**

वित्तीय समीक्षा
विषय-शीर्षानुसार वर्गीकरण

(हजार रुपये में)

विवरण	बजट अनुमान 2005-2006		संशोधित अनुमान 2005-2006		वास्तविक 2005-2006		बजट अनुमान 2006-2007		संशोधित अनुमान 2006-2007		वास्तविक 2006-2007		बजट अनुमान 2007-2008		संशोधित अनुमान 2007-2008	
	आयोजना	गैर योजना	आयोजना	गैर योजना	आयोजना	गैर योजना	आयोजना	गैर योजना	आयोजना	गैर योजना	आयोजना	गैर योजना	आयोजना	गैर योजना	आयोजना	गैर योजना
राजस्व खंड																
वेतन																
स्वीकृत	650	910600	750	934680	487	911542	580	942690	610	946331	410	896984	1850	966179	470	965531
भारित	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
मजदूरी	0	6325	0	6025	0	6350	0	6405	0	7000	0	6379	0	7185	0	27043
समयोपरि भत्ता	150	8418	150	7903	136	7590	0	8250	0	7865	0	7472	300	8230	100	8411
चिकित्सा व्यय	0	0	0	0	0	0	20	26525	20	26235	12	19224	150	28575	5	27943
घरेलू यात्रा व्यय	1450	42252	1450	44328	1095	42161	7775	40276	3725	42730	4436	38761	5520	43260	4345	45868
विदेशी यात्रा व्यय	4500	4500	4700	4500	1730	4703	3500	4725	2000	5000	1105	6192	3400	5250	3200	7250
कार्यालय व्यय	35010	124475	34093	133070	25500	129205	38421	140630	39491	147560	31235	142108	8970	140880	26523	171463
किराया, महसूल और कर																
स्वीकृत	150	46215	150	43159	141	39152	1650	35627	300	36053	1122	31531	1800	35191	1600	34791
भारित	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	100	0	300	0	300
प्रकाशन	600	23650	500	30126	498	30040	0	23600	0	29620	0	34383	0	28900	0	39650
बैंकिंग नकदी लेन-देन कर	0	0	0	0	0	0	0	295	0	433	0	148	0	440	0	213
अन्य प्रशासनिक व्यय	5950	6750	6350	7830	29690	9125	5500	9000	4850	8800	1919	9654	1790	8850	3930	11992
आपूर्ति एवं सामग्री	12400	230500	11300	256578	9654	244302	14200	287050	10139	250850	9593	246076	7245	254300	9345	213700
पी.ओ.एल.	300	13250	400	14325	400	14340	0	14750	0	15250	0	15427	400	16300	600	17040
विज्ञापन और प्रचार	28100	532250	28100	544470	29764	553799	23300	535845	228900	634250	13448	598771	235070	553100	238779	278600
लघु कार्य	170	54360	1137	63084	0	58020	0	68310	0	47600	0	54647		49500	0	55012
व्यावसायिक सेवाएं	65250	24100	64250	21131	70388	22279	47950	20899	47950	28350	59330	26880	35600	40460	24925	47795
सहायता अनुदान	1687240	8630785	1678430	9624721	1404501	9621593	3070910	9540293	2576027	9573565	2606907	8862409	1199200	9796790	1158300	10061060
अंशदान	0	2100	0	3400	0	2683	0	3400	0	2780	0	2676	0	3400	0	3400
आर्थिक सहायता	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
एकमुश्त प्रावधान	524200	1100	523700	1100	0	770	464600	1200	464777	908	0	525	205190	1200	190190	1200
अन्य प्रभार	74200	37670	75400	37470	73688	31100	68400	40630	116000	39020	105191	29182	105030	38810	101180	67738
अंत लेखा अंतरण	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14700
सूचना और प्रौद्योगिकी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			8485	12000	8385	0
केन्द्रीय अनुश्रवण सेवा	100000	51000	73000	2500	0	0	58500	30000	2000	200	0	0	29000	30000	0	0
जोड़	**2540320**	**10750600**	**2503860**	**11780700**	**1647672**	**11729054**	**3805306**	**11780700**	**3514789**	**11850700**	**2834708**	**11029529**	**1848800**	**12069100**	**1771877**	**12100700**

(हजार रुपये में)

विवरण	बजट अनुमान 2005-2006		संशोधित अनुमान 2005-2006		वास्तविक 2005-2006		बजट अनुमान 2006-2007		संशोधित अनुमान 2006-2007		वास्तविक 2006-2007		बजट अनुमान 2007-2008		संशोधित अनुमान 2007-2008	
	आयोजना	गैर योजना	आयोजना	गैर योजना	आयोजना	गैर योजना	आयोजना	गैर योजना	आयोजना	गैर योजना	आयोजना	गैर योजना	आयोजना	गैर योजना	आयोजना	गैर योजना
पूंजी भाग																
मशीन और उपस्कर	73800	0	46450	0	44889	0	118594	0	118811	0	100798	0	6700	0	37034	0
मुख्य निर्माण कार्य	327880	0	207690	0	205556	0	344300	0	199700	0	101088	0	214100	0	82689	0
निवेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ऋण एवं अग्रिम	0	0	0	47700	0	47700	0	0	0	0	150000	0	31000	0	1000	0
ऋण प्रसार भारती	1749700	0	1749700	0	174700	0	457100	0	411100	0	400200	0	2174400	0	1667400	0
उत्तर पूर्वी व सिक्किम के लिए	588300	0	34600	0	0	0	654700	0	505600	0	0	0	475000	0	440000	0
जोड़	**2739680**	**0**	**2038440**	**47700**	**2005145**	**47700**	**1574694**	**0**	**1235211**	**0**	**752086**	**0**	**2901200**	**0**	**2228123**	**0**
कुल जोड़	**5280000**	**10750600**	**4542300**	**11828400**	**3652817**	**11776754**	**5380000**	**11780700**	**4750000**	**11850700**	**3586794**	**11029529**	**4750000**	**12069100**	**4000000**	**12100700**

वित्तीय समीक्षा

स्वायत्त संस्थानों के आधार पर वर्गीकरण

(हजार रुपये में)

विवरण	बजट अनुमान 2005-2006		संशोधित अनुमान 2005-2006		वास्तविक 2005-2006		बजट अनुमान 2006-2007		संशोधित अनुमान 2006-2007		वास्तविक 2006-2007		बजट अनुमान 2007-2008		संशोधित अनुमान 2007-2008	
	आयोजना	गैर योजना	आयोजना	गैर योजना	आयोजना	गैर योजना	आयोजना	गैर योजना	आयोजना	गैर योजना	आयोजना	गैर योजना	आयोजना	गैर योजना	आयोजना	गैर योजना
बाल चित्र समिति	50940	1500	45400	1500	44871	1500	52130	1500	34600	4000	24450	3000	27100	4200	27100	8400
भारतीय फिल्म और	3000	61700	3000	69800	1772	67519	3000	68200	3000	67326	2732	67236	62100	70515	62100	82500
टेलीविजन संस्थान पुणे	19060	0	19090	0	19060	0	20511	0	20511	0	20511	0	0	0	0	0
सत्यजीत राय फिल्म और	3700	38900	3700	65100	3050	62971	27900	48500	27900	49039	22075	48159	77700	50735	37700	60030
टेलीविजन संस्थान	0	0	0	0	0	0	51500	0	51500	0	51500	0	0	0	0	0
कोलकाता																
भारतीय जनसंचार	5200	36100	1930	37200	2430	38790	3980	40000	2800	37600	2650	36321	1000	39500	100	45000
संस्थान	5850	0	6420	0	5183	0	9370	0	8200	0	7582	0	0	0	0	0
	11530	0	1500	0	0	0	2500	0	2500	0	2500	0	0	0	0	0
भारतीय प्रेस परिषद	0	19000	0	21731	0	21448	0	23153	0	23050	0	21428	0	23700	0	25500
प्रसार भारती	1622400	8473300	1622400	9429100	1351100	9429100	2981900	9358400	2505727	3392100	2555000	8635900	1031300	9607600	1031300	9839100

उपभोग शेष के समेत विभिन्न निकायों को अनुदान जारी

(रुपये लाख में)

नाम	अनुदान जारी				अप्रयुक्त शेष (यदि कोई)			
	2005-2006		2006-2007		2005-2006		2006-2007	
	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना
बाल फिल्म समिति	448.71	15.00	244.51	30.00	14.85	शून्य	2.02	शून्य
भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे	208.32	675.19	232.43	672.36	2.67	शून्य	7.18	शून्य
सत्यजीत राय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता	30.50	629.71	739.66	490.39	3.91	8.80	125.93	19.47
भारतीय जनसंचार संस्थान	75.20	387.90	127.31	363.20	6.69	12.79	2.70	25.93
भारतीय प्रेस परिषद	शून्य	214.48	शून्य	214.28	शून्य	16.22	शून्य	0.18
प्रसार भारती	13511.00	85174.00	25550.00	86859.00	शून्य	959.00*	2703.00**	शून्य

*2006-07 के दौरान जारी कोष में 95900.00 लाख रुपये समायोजित किये गये।

**2703.00 लाख रुपये प्रसार भारती द्वारा लौटाये गये।

उपयोगिता प्रमाण-पत्र का ब्योरा (2006-07)

क्र.सं.	प्रमाणपत्र जारी करने वाला संस्थान	विचारधीन प्रमाणपत्र की संख्या
1.	सत्यजीत राय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता	शून्य
2.	भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे	शून्य
3.	भारतीय जनसंचार संस्थान	शून्य
4.	बाल फिल्म समिति, भारत	शून्य
5.	भारतीय प्रेस परिषद	शून्य
6.	प्रसार भारती	शून्य

अध्याय-6

स्वायत्तशासी निकायों की समीक्षा और कार्य-निष्पादन

बाल फिल्म समिति, भारत

(सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत स्वायत्तशासी निकाय)

पिछले 5 साल में बनाई गई फिल्मों और बालदर्शकों की संख्या इस प्रकार है -

2002-03 : निर्माण : 2 फीचर फिल्में पूरी की गईं।

विपणन : 26 लाख बच्चों के लिए 6087 प्रदर्शन किए गए।

व्यय : 271.67 लाख रुपये का व्यय हुआ।

2003-04 निर्माण : 5 फीचर व 5 लघु फिल्मों का निर्माण हुआ।

विपणन : 28.25 लाख बाल दर्शकों के लिए कुल 6557 प्रदर्शन आयोजित।

व्यय : 402.67 लाख रुपये व्यय किए गए।

2004-05 निर्माण : 2 फीचर फिल्में व एक लघु फिल्म का निर्माण हुआ।

विपणन : 29.14 लाख बाल दर्शकों के लिए 6082 प्रदर्शन आयोजित।

व्यय : 203.28 लाख रुपये व्यय किए गए।

2005-06 निर्माण : 4 फीचर फिल्में पूरी की गईं।

विपणन : 27 लाख बाल दर्शकों के लिए 7026 प्रदर्शन आयोजित।

व्यय : 448.68 लाख रुपए की राशि व्यय की गई।

2006-07 : निर्माण : 7 फीचर व 4 लघु फिल्में पूरी की गईं।

विपणन : 32 लाख बाल दर्शकों के लिए 7895 प्रदर्शन आयोजित

व्यय : 273.87 लाख रुपये की राशि व्यय की गई।

2007-08 : (31 दिसंबर 2007 तक) : 2 फीचर फिल्में तथा 1 लघु फिल्म पूरी होने वाली है।

विपणन : 24 लाख बाल दर्शकों के लिए 4712 प्रदर्शन आयोजित

व्यय : 33 लाख रुपये की राशि व्यय की गई।

भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पूणे के निष्पादन की समीक्षा

भावी दृष्टि

भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के ग्यारहवें पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत संस्थान को मूलत: सरकारी संस्था के तौर तरीकों पर चलाने की बात कही गयी है। संस्थान की स्थिति सरकार से मिलने वाली अनुदान राशि के लिए आधारभूत सामग्री खरीदने एवं जरूरतों के लिए ही नहीं बल्कि फिल्म-निर्माण प्रौद्योगिकी में आ रहे परिवर्तनों के साथ चलने के लिए भी है।

आगामी 10 वर्षों को ध्यान में रखते हुए नए विषयों का प्रारंभ विभिन्न अवधि और सभी विषय स्वायत्तपोषी होंगे। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान इन विषयों के लिए भारत के दूसरे विश्वविद्यालयों और फिल्म स्कूलों के साथ विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ भी समझौता करेगा। यह समझौता छात्रों और अध्यापकों के लिए आकादमिक आदान-प्रदान के लिए भी होगा। छात्रों के लिए क्रेडिट प्राप्त करने और संयुक्त उपाधि कार्यक्रम एफटीआईआई इंटरनेट प्रौद्योगिकी के लाभ, सेटेलाइट से सीधे संपर्क स्थापित किया जाय ताकि यह देश और देश के बाहर तथा आंतरिक एवं बाह्य ग्लोबल फिल्म स्कूल का हिस्सा बन सके। इसलिए एफटीआईआई की 26 एकड़ जमीन का उपयोग करके इन कार्यों का निष्पादन किया जा सके और पुराने परिसर एवं उसमें मौजूद सुविधाओं को व्यापारिक दृष्टि से प्रोडक्शन हाउस को किराये पर दिया जायेगा। खरीदी गयी नयी भूमि पर आधुनिक कलात्मक सुविधाओं सहित सरकार की सहायता से वर्तमान संस्थान को वर्तमान परिसर में जरूरी मरम्मत एवं सुधार भी शामिल है।

महिलायें

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा पारित की गई महिला नीतियों को भी इस पर लागू किया जाता है और महिला केंद्र का कार्य करना इसका उदाहरण है। एफ.टी.आई.आई. में एक महिला शिकायत केंद्र की भी व्यवस्था है। सार्वजनिक स्थलों पर यौन उत्पीड़न को देखने को मिले तो अपराधी के ऊपर नियम 1946 नियम (3सी) के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

अनुसूचित जाति/जनजाति

भारतीय सूचनाएं प्रसारण मंत्रालय के दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार एफटीआईआई में अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और शारीरिक विकलांगता श्रेणी के अंतर्गत कोई भी जगह खाली नहीं है।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए मार्गदर्शन

1. नई प्रौद्योगिकी का परिचय जैसे एचडी टेलीविजन, एडवांस कंप्यूटर एनीमेशन और डिजिटल फिल्म रिकार्डिंग अप्रयुक्त और पुराने उपकरणों की जगह नए उपकरण।
2. शैक्षणिक विकास गतिविधियों के संसाधनतंत्र को केंद्रीकृत करना।
3. जिसमें वर्तमान कंप्यूटरों में सुधार करना जिससे वह बाहरी कंप्यूटरों के बराबर कार्य कर सके।
4. मीडिया फाइल के सुगम अंतरण के लिए लेन में वीडियो लिंक का निर्माण।

5. संसाधन की स्थापना जैसे केंद्रीय लाइब्रेरी अकादमिक स्टॉफ के लिए जोकि अध्ययन के लिए सामग्री तैयार कर सके स्केन और इससे आडियो यंत्र की सुविधा भी रहेगी।
6. रेडियो प्रोग्रामिंग, दर्शक और परिवर्तनों के बारे में छात्रों को शोध और प्रशिक्षण देना रेडियो क्रायक्रमों का प्रसारण 10वीं योजना के अंतर्गत पूरा होने के करीब है।
7. प्रोग्रामिंग और प्रसारण के क्षेत्र में छात्रों को शोध परिवर्तन, प्रयोगों के लिए उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराना। मुख्यत: सीधे तौर पर निर्धारित दर्शक वर्ग से परस्पर मिलवाना।
8. देश के बाहर फिल्म स्कूलों के साथ छात्रों को फिल्म बनाने के लिए विचारों में आदान-प्रदान के लिए विचार विनिमय गतिविधियों के लिए छात्रों को तैयार करना। ताकि अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में एडवांस प्रौद्योगिकी का लाभ उठा सकें।

सत्यजीत राय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता

निष्पादन समीक्षा

सत्यजीत राय फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान की स्थापना 1995 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन हुई तथा पश्चिम बंगाल सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1961 के तहत इसका पंजीकरण हुआ। सोसाइटी में फिल्म, टेलीविजन, संचार, संस्कृति, संस्थान के पूर्व छात्र तथा सरकारी पदेन सदस्य जैसी प्रमुख हस्तियां हैं। संस्थान तक अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रशासनिक परिषद द्वारा संचालित होता है। वर्तमान में जाने-माने फिल्मकार श्री बुद्धदेब दासगुप्ता इसके अध्यक्ष हैं।

2. संस्थान निर्देशन, पटकथा लेखन, संपादन, छायांकन तथा ध्वन्यांकन में तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रदान करता है।

3. बुनियादी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के अलावा संस्थान विभिन्न लघु अवधि पाठ्यक्रमों को भी आयोजित करता है तथा विभिन्न संगठनों और फिल्म उद्योग की मांग पर विभिन्न परियोजनाओं का कार्य भी हाथ में लेता है।

4 निम्नलिखित छात्रों की फिल्में वर्ष के दौरान विभिन्न फिल्म समारोहों में चुनी गई है। इनका विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	फिल्म का नाम	पुरस्कार	निर्देशक/छायाकार
1	टेट्रिस (बांगला/अंग्रेजी)	केन्स फिल्म सामारोह, फांस 2006 के सिने फाउंडेशन खंड में प्रदर्शन हेतु चयन	आनिर्बन दत्ता
2	कुलाई चौला (उड़िया)	केरल फिल्म महोदसव 2006 के प्रतियोगित खंड में चयन	संजीब बहेरा
3	बाघेर बच्चा (बंगला)	सिंगापुर के एशियन फिल्म फेस्टीवल आफ फर्स्ट फिल्म तथा वी साउल फिल्म फेस्टिवल, फ्रांस सिनेरेल, पेरिस हेतु चयन	बिष्णु देव हल्दर
4	एन एक्टर प्रीपेयर्स (बांगला/हिंदी)	सिनेमा टू रील, पेरिस में चयन	कानू बहल
5	कहोन (बांगला)	फर्स्ट स्ट्रेडंट फिल्म फेस्टिवल, विलिमिंगटन, नार्थ केरोलिंस के इन सीन में प्रदर्शन हेतु नांमाकित	सुदेषना बोस
6	चाइनीज व्हिस्वर्स	केन्स फिल्म समारोह, 2007 के सिनेफांउडेशन खंड में प्रदर्शन हेतु चयन। इस वर्ष की एसआरएफटीआई की सर्वाधिक सफल	राका दत्ता

5. वर्ष 2006-07 के दौरान गैर-योजना व्यय 539.50 लाख रुपये था जबकि संशोधित अनुमान तथा अंतिम अनुदान के 490.39 लाख रुपये था। वर्ष 2006-07 के दौरान गैर-योजना के वास्तविक प्राप्ति 481.59 लाख रुपये का अधिक खर्च वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियों से पूरा किया गया।
6. योजना के अंतर्गत 794.00 लाख रुपये के कुल अनुदान में से वर्ष के दौरान प्राप्त वास्तविक धनराशि 739.66 लाख रुपये थी तथा धन का उपयोग कर लिया गया है। योजना के तहत वर्ष 2006-07 के अंत तक 125.93 लाख रुपये की राशि शेष थी।
7. सरकार संस्थान के कामकाज पर निगरानी रखती है यह निगरानी अनुदान सहायता राशि जारी करने, प्रशासनिक परिषद की बैठक के दौरान तथा स्थायी वित्त समिति के समय सरकार के प्रतिनिधियों के साथ रखी जाती है। संस्थान की वाषिक रिपोर्ट तथा आडिट लेखन विवरण को ध्यान में रखते हुए संस्थान का प्रदर्शन कुल मिलाकर संतोषजनक पाया गया है।

आगामी अवलोकन

I. एसआरएफटीआई, कोलकाता में एक नए अकादमिक विभाग "फिल्मों और टेलीविजन में निर्माण प्रबंधन" का सृजन

संस्थान का अकादमिक वर्ष 2001-12 से फिल्म तथा टेलीविजन में निर्माण प्रबंधन में दो वर्षीय स्नातकोतर डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव है। प्रत्येक बैच में 10 छात्र होंगे योग्य और व्यापार संबंधी अनुशासन और पारदशिता के लिए जो आर्थिक रूप से व्यावहारिक तथा विश्वसनीय निर्माण में सहायता करेगा।
पाठ्यक्रम न केवल इस क्षेत्र में प्रशिक्षित मानव शक्ति की बढती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नया अकादमिक विभाग शुरू करने की आवश्यकता महसूस हुई बल्कि मीडिया व्यवसाय के औद्योगिक कद को तय करेगा।

II. एसआरएफटीआई, कोलकाता में एक नए अकादमिक विभाग "एनीमेशन और इलेक्ट्रोनिक इमेजिंग" का सृजन

संस्थान का 'एनीमेशन इलेक्ट्रोनिक इमेजिंग' में दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव है। प्रत्येक बैच में 10 छात्र होंगे क्योंकि:

- इस क्षेत्र में विशेष रूप से प्रशिक्षित मानवशक्ति की कमी।
- एनीमेशन फिल्मों के अतिरिक्त वेब संबंधी अनुप्रयोग तथा मल्टीमीडिया सीडी रोम्स/गेम्स विकास का विशाल बाजार।
- इन गतिविधियों को चलाने के लिए प्रशिक्षित मानवशक्ति की भारी मांग।

11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत योजना

- स्थानीय रूप से उपयुक्त सामाजिक कार्यक्रमों का प्रसारण करना
- छात्रों को व्यावहारिक अनुभव प्रदान करना
- सुपात्र छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों/फोरमों में तथा विदेशी में प्रतिष्ठित फिल्म स्कूलों के साथ आदान-प्रदान कार्यक्रमों के जरिए फिल्म निर्माण की उभरती प्रौद्योगिकी तथा तकनीकों के साथ कदमताल मिलाने में सहायता प्रदान करना। स्कीम तेजी से बदल रही दृश्य-श्रव्य से और महत्वपूर्ण हो जाती है।
- सिनेमा और टेलीविजन के क्षेत्र में आधुनिक प्रौद्योगिकीय बदलावों से परिचित होने में संकाय सदस्यों की सहायता करना।
- सक्षम और व्यावायिक प्रंबधन के संबंध में योग्य प्रबंधकों को मीडिया की व्यावहारिक जानकारी आवश्यक है। ये प्रबंधक व्यापार संबंधी अनुशासन और पारदर्शिता लाने

में भी सक्षम होंगे जिससे निर्माण अधिव विश्वसनीय और व्यावहारिक होंगे।

- 'एनीमेशन और इलेक्ट्रोनिक इमेजिंग' में दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा शुरू कर दृश्य-श्रव्य के बदले वातावरण से कदमताल मिलाना।

भारतीय प्रेस परिषद्

परिषद के कार्यों की समीक्षा

भारतीय प्रेस परिषद एक वैधानिक स्वायत संस्था है। मंत्रालय की आर्थिक मामलों पर गठित समिति (ई आर सी) की सिफारिशों पर विचार विमर्श के दौरान यह महसूस किया गया। कि भारतीय प्रेस परिषद की प्रकृति को देखते हुए इस तरह की समीक्षा उचित नहीं होगी और इस तरह की समीक्षा के लिए कोई अन्य निकाय उपलब्ध नहीं हैं। इस फैंसले से वित्त मंत्रालय को भी अवगत करा दिया गया है। मंत्रालय ने स्वायत संस्थाओं पर ई आर सी पर दिये जवाब में वित्त मंत्रालय को इसकी जानकारी दे दी थी।

प्रसार भारती: आकाशवाणी

प्रसार भारती (ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया) देश में सार्वजनिक सेवा प्रसारणकर्ता है। आकाशवाणी और दूरदर्शन इसके दो घटक हैं। देश के लोगों को जानकारी देने, शिक्षित करने और उनका मनोरंजन करने के साथ ही प्रसारण का एक संतुलित विकास सुनिश्चित करने हेतु सार्वजनिक प्रसारण सेवाएं आयोजित करने और उन्हें संचालित करने के अधिदेश के साथ 23 नवंबर, 1997 को प्रसार भारती की स्थापना की गई।

आकाशवणी द्वारा वर्ष 2006-07 से लेकर वर्ष 2007-08 की तीसरी तिमाही के दौरान व्यापक भौतिक और वित्तीय कार्य निष्पादन संबंधी उपलब्धियों का वर्णन अध्याय-IV में किया गया है। इसकी रिपोर्ट के अनुसार संगठन का कार्य निष्पादन संतोषजनक है और आकाशवाणी की ओर से पेश की गई रिपोर्ट से सरकार सहमत है।

प्रसार भारती: दूरदर्शन

प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) देश में सार्वजनिक सेवा प्रसारणकर्ता है तथा आकाशवाणी एवं दूरदर्शन इसके दो महत्वपूर्ण अंग है। प्रसार भारती 23 नवंबर 1997 को अस्तित्व में आया। आम जनता को सूचना देने, शिक्षित करने और मनोरंजन करने के लिए सार्वजनिक प्रसारण सेवा की व्यवस्था करने का प्रसार भारती को अधिकार है। प्रसार भारती की प्रसारण का संतुलित विकास सुनिश्चित करने की भी जिम्मेदारी है।

दूरदर्शन द्वारा वर्ष 2006-07 के दौरान और 2007-08 की तीसरी तिमाही में हासिल किये गये व्यापक भौतिक एवं वित्तीय कार्य निष्पादन अध्याय-IV चार में दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, संगठन का कार्य निष्पादन संतुलित है और दूरदर्शन द्वारा पेश रिपोर्ट से सरकार सहमत है।